खण्ड-436, अंक-2
शुक्रवार, 28 आश्विन, शक संवत् 1922
(20 अक्टूबर, 2000 ई0)

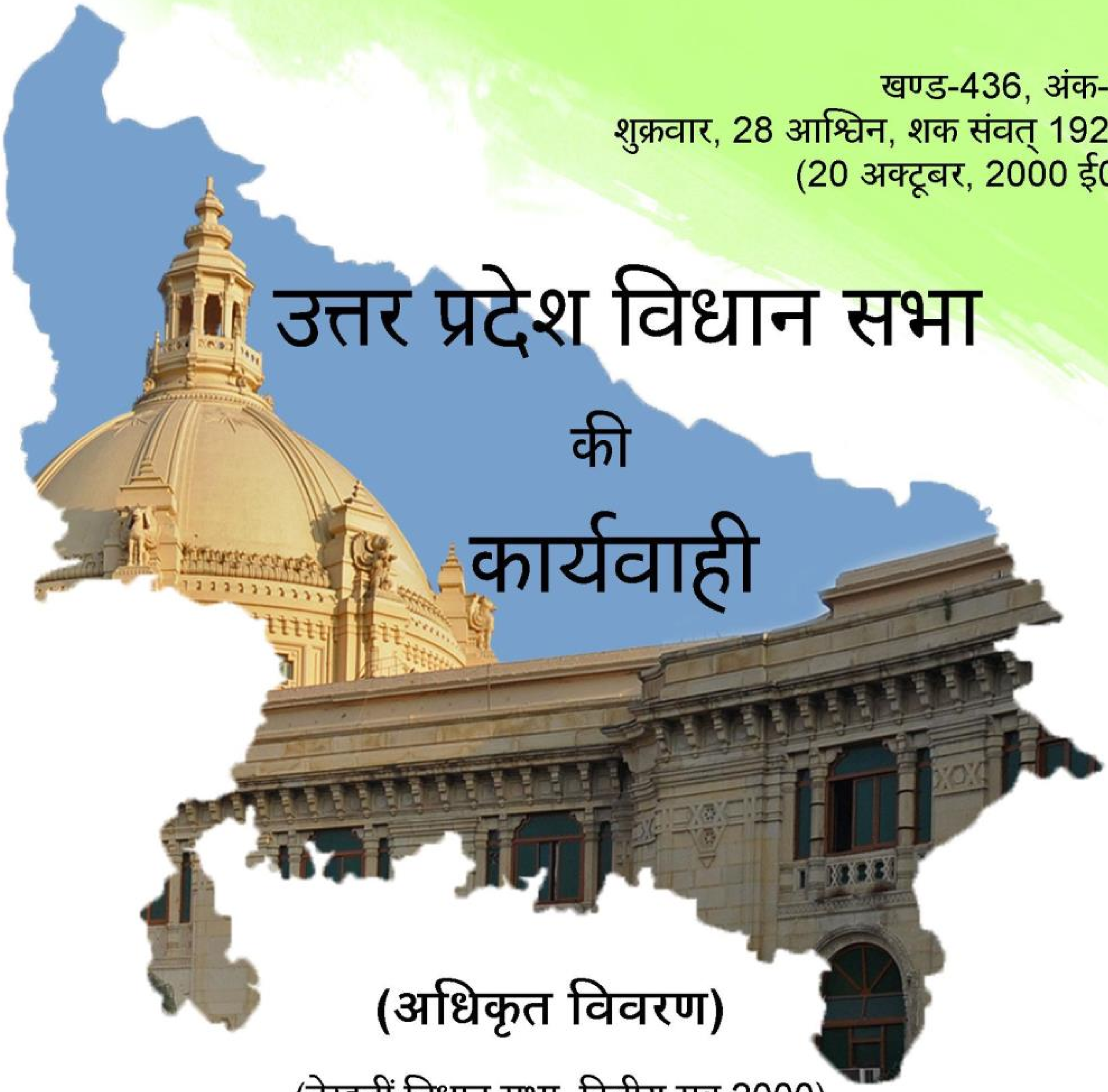

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2000)

खण्ड 436 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास (जारी)	1
प्रश्नोत्तर	1–76
विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास	76–77
नवनिर्वाचित सदस्य श्री अनिल कुमार यादव द्वारा शपथ ग्रहण ...	77
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	77
जनपद बदायूं के जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मूसापुर के प्रधानाचार्य द्वारा किये गये कथित घोटालों की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत के लेखपाल द्वारा फर्जी किसान बही दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	78
जनपद बांदा में केन नहर की शाखा मवई बुजुर्ग माइनर एवं भरखरी माइनर में पानी न छोड़ने से सिंचाई के अभाव में किसानों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	78–79
जनपद बहराइच के ग्राम रमपुरवा मटेही में कैलाशपुरी विद्युत सब स्टेशन के केबिल को ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	79
जनपद जौनपुर के मुफ्तीगंज एवं गौरा बादशाहपुर बाजारों में जल निकासी हेतु नाली बनवाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	79
प्रदेश के कताई मिल कर्मचारियों को वी० आर० एस० में भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	79–80
जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मण्डी उप समितियों में सुविधाओं के अभाव में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	80–81
उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अध्यादेश, 2000 (सदन के पटल पर रखा गया।)	81
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2000 .....(सदन के पटल पर रखा गया)	81
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (निरसन) अध्यादेश, 2000 .....(सदन के पटल पर रखा गया) ...	81
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2000 .....(सदन के पटल पर रखा गया)	81

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2000..... (सदन के पटल पर रखा गया)	81
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2000 .....(सदन के पटल पर रखा गया)	81
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन-निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2000 ..... (सदन के पटल पर रखी गयी)	81–82
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2000 (सदन के पटल पर रखी गयी ।) ...	82
उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) नियमावली, 1994 (सदन के पटल पर रखी गई ।)	82
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2000 (सदन के पटल पर रखी गयी ।) ...	82
उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2000 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–सदन के पटल पर रखा गया) ...	82
भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–सदन के पटल पर रखा गया) ...	82
श्री राज्यपाल अभिभाषण के प्रति सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर	83
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना) ...	83
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	83
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना ।)	83–84
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव.....(स्वीकृत)	84–85
दिनांक 15 मई, 2000 के कार्यवृत्त के पृष्ठ 8 पर उल्लिखित नियम–103 के प्रस्ताव पर जारी चर्चा को अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	85–86
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000..... (पुरःस्थापित ।)	86
उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् विधेयक, 2000..... (पुरःस्थापित ।)	87
नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं.....(जारी)	87–105
संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के प्रेसीडेंट का स्वागत	105

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	106–126
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण (प्रस्तुत किया गया)	126
नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	126–143
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	143–144
क्षेत्रीय विधायकों के क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों का शिलान्यास/उद्घाटन क्षेत्रीय विधायकों से कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	144
लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री कोर्स की मान्यता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	144–145
पीलीभीत विद्युत उपकेन्द्र के शिलान्यास पर क्षेत्रीय विधायकों को कार्यक्रम की अध्यक्षता से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	145–147
विधान सभा के तीन अधिवेशन तथा 90 दिन के उपवेशन होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	147
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–सदन के पटल पर रखा गया)	148
उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2000 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–सदन के पटल पर रखा गया) ...	148
उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (निरसन) विधेयक, 2000 (जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–सदन के पटल पर रखा गया)	148
नियम–311 के अन्तर्गत सूचनाएं	148
"इस सदन का निश्चित मत है कि ऐतिहासिक पर्यटन नगरी, आगरा में 24 घंटे अनवरत विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित्त की जाय" के सम्बन्ध में श्री केशो मेहरा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा (संकल्प वापस लिया गया)	149–151
"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में विकेन्द्रीकरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु जिला सेक्टर के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति और उसके अन्तर्गत धनराशि खर्च करने की शक्ति उनमें निहित की जाय" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा.....(संकल्प वापस लिया गया)	152–155
"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रदेश के किसानों को कृषि कार्यों के लिये निःशुल्क विद्युत आपूर्ति की जाय" के सम्बन्ध में श्री समरपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा ... (अस्वीकृत)	155–158

विषय	पृष्ठ-संख्या
"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में ठोस कचरे के निस्तारण और उससे विद्युत उत्पादन की योजना प्रदेश के सभी महानगरों में लागू की जाय" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा ... (संकल्प वापस लिया गया)	158
"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में सतही एवं भू-गर्भ जल के दोहन हेतु वैज्ञानिक और पारदर्शी जल नीति बनायी जाय" के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा ... (अस्वीकृत)	158
"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में काश्तकारों की अलाभकारी जोतों पर नियंत्रण लगाया जाय" के सम्बन्ध में डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा ... (जारी)	158–160
सदन में कोरम की तरफ पीठ का ध्यान आकृष्ट किया जाना	160
नत्थियां	161–168

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी मा० सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	बाबू राम, श्री	जालौन
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा०	वाराणसी
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर	मुस्लिम, डा०	रायबरेली
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	रघुराज प्रताप सिंह	
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा	"राजा भईया", कुंवर	प्रतापगढ़
गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर	राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच	राजेन्द्र यादव, श्री	गाजीपुर
चौधरी नरेन्द्र सिंह, श्री	कानपुर देहात	राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
छब्बू पटेल, श्री	वाराणसी	राम बाबू हरित, डा०	आगरा
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	राम विशुन आजाद, श्री	गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई	राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर	लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
प्रेम स्वरूप पाठक, श्री	बदायूं	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज	संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
बनारसी दास चांदना, श्री	मेरठ	सतीश जतारिया, श्री	झांसी
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
बाबू खां, श्री	हरदोई	होराम सिंह, श्री	बुलन्दशहर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा पटना

शुक्रवार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास

(श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही विपक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने आसन पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपने-अपने आसन पर बैठ जाएं ।

कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह–

मान्यवर, पडरौना में गोली काण्ड हुआ ।

श्री समरपाल सिंह–

उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के सम्बन्ध में मैंने नियम–103 के अन्तर्गत सूचना दी है ।

(इसी मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुंवर रतन जीत प्रताप नारायण सिंह सदन के वेल में आ गये ।)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया अपने आसन पर जाएं । मेरी बात सुन लीजिए ।

(इसी मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लोकदल और समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के वेल में आ गए जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया ।)

श्री समर पाल सिंह–

मैंने नियम–103 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के सम्बन्ध में सूचना दी है ।

श्री अध्यक्ष–

मुझे नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उनमें मऊ की घटना की सूचना है, पडरौना काण्ड की सूचना है, गन्ना किसानों की बात है लेकिन जब आप अपने आसन पर जाएंगे तभी तो कार्यवाही चलेगी ।

(कुछ सदस्यों द्वारा हरित प्रदेश को लेकर नारे लगाये गये)

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

मैं सभी सूचनाएं समय पर लूंगा ।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 12.20 तक स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 3 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश के होमगार्ड्स जवानों की नियमित नियुक्ति एवं राज्य कर्मचारियों की भांति सुविधाएं दिये जाने का प्रकरण

**1—श्री दद्दू प्रसाद–

क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में होमगार्ड्स के जवानों को नियमित रूप से नियुक्त किये जाने तथा राज्य कर्मचारियों की भांति उन्हें वेतन आदि की सभी सुविधायें प्रदान किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई नीति निर्धारित कर ली गयी है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार की नीतियों पर संचालित इस संगठन का स्वरूप पूर्णतया स्वयं सेवी है ।

उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात् वन क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु संचालित योजना की रूप-रेखा

**2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात् उत्तर प्रदेश में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित रहेगा ? क्या शेष क्षेत्रफल पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वन क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

पुनर्गठन के पश्चात् उत्तर प्रदेश का वनाच्छादित क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्र का 4.7 प्रतिशत रह जायेगा ।

जी नहीं । वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्र में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित होना चाहिए ।

उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने हेतु कई वृक्षारोपण योजनाएं पहले से ही कार्यान्वित की जा रही हैं , जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

(1) औद्योगिक एवं पल्पवुड योजना
(2) सामाजिक वानिकी योजना
(3) ईंधन एवं चारा पत्ती योजना
(4) शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी योजना
(5) ताज ट्रेपेज़ियम क्षेत्र में वनीकरण

इसके अतिरिक्त विभिन्न मैदानी जनपदों में वनाच्छादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार से वित्त पोषण हेतु योजनाओं का निरूपण किया जा रहा है, साथ ही वृहद वृक्षारोपण योजना के अन्तर्गत कृषकों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा भी वृक्षारोपण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश के नगर निगमों नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के कर्मचारियों के भविष्य निधि में धन जमा किये जाने की नीति

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों के कर्मचारियों के भविष्य निधि में धन जमा करने की कोई नीति है ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम–41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गए ।

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लालजी टण्डन)–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों के पावर लूम की विद्युत दरों को समान करने पर विचार

*2–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों के पावर लूम की विद्युत दरें अलग-अलग निर्धारित हैं ? यदि हां, तो क्यों और वर्तमान में उक्त टैरिफ की दरें क्या हैं ? क्या सरकार इन्हें समान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

जी हां।

सन् 1991 की जनगणना के अनुसार 10 हजार तक की आबादी वाले ग्राम/कस्बे में स्थित ग्रामीण शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति पाने वाले 2 कि०वा० तक के भार वाले पावरलूम उपभोक्ताओं की विद्युत दरें अन्य पावरलूम उपभोक्ताओं की दरों से भिन्न है।

ग्रामीण शेड्यूल के अनुसार विद्युत आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं को अन्य उपभोक्ताओं की तुलना में विद्युत आपूर्ति कम मिलती है। अतः 10 हजार तक की आबादी वाले ग्राम/कस्बे में स्थित 2 कि०वा० तक के पावर लूम उपभोक्ताओं को अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के समान नियत दर (फिक्स्ड चार्ज) पर विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

इन श्रेणी के उपभोक्ताओं की वर्तमान दरें दर सूची एल० एम०वी०–2 के प्रस्तर–4(ए) के अनुसार रु० 95/- प्रति कनेक्शन प्रति माह है। अन्य पावर लूम उपभोक्ताओं में से 4 कि०वा० तक के भार वाले उपभोक्ताओं पर दर सूची एल० एम० वी० के प्रस्तर 4(बी) के अनुसार निम्नवत् दरें लागू हैं :—

नियत दर	यूनिट चार्ज
रु० 35/- प्रति कनेक्शन प्रति माह 1 कि०वा० तक भार (सिंगल फेज)	प्रथम 100 यूनिट प्रतिमाह –4.25 रु०
रु० 75 प्रति कनेक्शन प्रति माह 1 कि०वा० भार से अधिक (सिंगल फेज) के लिए	अन्य बची इकाई के लिए रु० 4.50 प्रति यूनिट
रु० 225/- प्रति कनेक्शन प्रतिमाह तीन फेज भार के लिए।	(यूनिट चार्ज पर 10% छूट)

4 कि०वा० से अधिक भार वाले उपभोक्ताओं पर दर सूची एल० एम० वी०–6 का प्रस्तर–4 अ(ए) लागू है इसका विवरण निम्नवत् है :—

25 अ०श० तक भार के लिए फिक्स्ड चार्ज रु० 30 प्रति अ०श० या उसका कोई हिस्सा प्रति माह	रु० 3.90 पैसे प्रति कि० वा० ग्रामीण शेड्यूल से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पाने वाले उपभोक्ताओं को 10% छूट प्रदान की गयी है।

10 हजार तक की आबादी वाले कस्बे/ग्रामों में स्थित ग्रामीण शेड्यूल से विद्युत आपूर्ति पाने वाले अन्य उपभोक्ताओं की भांति पावर लूम उपभोक्ताओं की दरें भी विद्युत आपूर्ति कम पाने के कारण अन्य दर है। अन्य शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति पावर लूम उपभोक्ताओं की दरें एक समान ही

हैं। सरकार इसमें कोई परिवर्तन करने पर विचार नहीं कर रही है। क्योंकि ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में नियत दरें विशेष सुविधा देने की मंशा से लागू की गयी हैं।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय/रुहेलखण्ड/बुन्देलखण्ड जनपदों में पेयजल आपूर्ति हेतु नई योजनाओं की जानकारी

*3-श्री संजय गर्ग-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निचले जल स्तर वाले पर्वतीय/रुहेलखण्ड/बुन्देलखण्ड के जनपदों में पेयजल की आपूर्ति हेतु क्या सरकार कोई नई योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने विषयक नीति की जानकारी

*4-श्री राम ललित चौधरी-

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है ? यदि हां, तो उन्हें रोजगार दिलाने के लिये क्या सरकार कोई नीति बना रही है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राधेश्याम कोरी)-

सेवायोजन कार्यालय की सजीव पंजिका पर वर्ष 1999 को छोड़कर शेष वर्षों में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है।

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के उद्देश से सरकार द्वारा रोजगारपरक नीतियां पूर्व से ही बनायी गयी हैं और उनके आधार पर विभिन्न विभागों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों हेतु स्वतः रोजगार परक योजनायें चलायी जाती हैं यथा-उद्योग विभाग द्वारा प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रधान मंत्री रोजगार योजना संचालित की जा रही है, जो केन्द्र सरकार द्वारा पुरोनिधानित है।

अल्पसंख्यक वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराये जाने हेतु उ० प्र० अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम द्वारा मार्जिन मनी ऋण योजना व टर्मलोन योजना संचालित की जा रही है।

राज्य सरकार की पर्यटन नीति के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को टूरिस्ट गाइड एवं निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले होटलों एवं रिसोर्ट में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं।

उत्तरांचल पर्यटन विकास योजना के अन्तर्गत रु० दस लाख तक की सीमा के अन्तर्गत 20% की धनराशि उपादान के रूप में राजसहायता बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करायी जाती है।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा प्रदेश में संचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न तकनीकी व्यवसायों में रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाता है तथा सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/जनजाति/विकलांगों को रोजगारपरक मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण के साथ नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों के विरूद्ध अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 800 के० वी० ए० की अनपरा उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण कार्यों में किये गये घोटालों की जांच

*5–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 800 के०वी०ए० की अनपरा–उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण कार्यों में की गई करोड़ों रुपये के घोटाले की जांच के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3 मई, 1999 की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो पूरा प्रकरण क्या है और क्या उस पर अब तक कोई कार्यवाही की गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता तत्कालीन उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मामले में कुल–8 आरोपों की जांच की गई थी जिसमें से आरोप संख्या–1, 2, 3 व 8 की जांच सी० बी० आई० से कराने तथा आरोप संख्या–4, 5, व 7 में विभागीय कार्यवाही कराये जाने की संस्तुति की गई थी । अतः आरोप संख्या–1, 2, 3 व 8 के संबंध में राज्य सतर्कता अधिष्ठान से जांच के आदेश दिनांक 4-7-2000 को सौंपे जा चुके हैं ।

आरोप संख्या–4,5 व 7 में विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित कराने के आदेश उ० प्र० पावर कारपोरेशन को दे दिये गये हैं । आरोप संख्या–6 में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

लखनऊ नगर के अन्दर संचालित दूध डेरियों को कैटिल कालोनी/नगर निगम सीमा के बाहर बसाने का प्रकरण

*6–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या वर्तमान सरकार द्वारा लखनऊ शहर के पशुओं को शहर से बाहर बसाने का अभियान चलाया गया है ? क्या उनमें से अधिकतर पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को शहर के बाहर निर्धारित स्थान पर न ले जाकर कल्याणपुर लखनऊ के अबरार नगर तथा शिवानी बिहार कालोनियों आदि में ले जाकर अवैध रूप से चोरी छिपे दूध आदि का व्यापार किये जाने से उक्त कालोनियों में चारों तरफ गन्दगी फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करके उक्त कालोनियों से पशुओं को हटा कर शहर के बाहर निर्धारित स्थलों में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार लखनऊ नगर के अन्दर संचालित दूध डेरियों को कैटिल कालोनी/नगर निगम सीमा के बाहर बसाने के संबंध में चलाये गये अभियान के फलस्वरूप कुछ पशुपालकों द्वारा कल्याणपुर, लखनऊ के अबरार नगर तथा शिवानी बिहार, जो अभी कम विकसित है, में अपने पशुओं को रखे हुए थे । इन दूध डेरियों को दिनांक 16-10-2000 एवं दिनांक 17-10-2000 को अभियान चलाकार उक्त स्थल से हटा दिया गया है ।

उन्नाव शहर में सीवेज वाटर से बने तालाबों की जल निकासी हेतु नालों का निर्माण

*7–श्री राम कुमार एडवोकेट, श्री सर्वेश कुमार तथा श्री वसीम अहमद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव शहर के नालों की सफाई न होने के कारण सीवेज वाटर से बने तालाबों की जल निकासी हेतु कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जल निकासी हेतु नाला निर्माण की रुपये 1.53 करोड़ की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान करने हेतु गुप्त मतदान प्रणाली की व्यवस्था करने की मांग

*8–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान करने हेतु क्या गुप्त मतदान प्रणाली की व्यवस्था करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में श्रमिक संघों को मान्यता प्रदान करने हेतु गुप्त मतदान प्रणाली की व्यवस्था नहीं है।

प्रदेश में विद्युत वितरण में 'लाइन लास' रोकने हेतु शासन की नीति की जानकारी

*9–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश में विद्युत वितरण में "लाइन लास" बढ़ता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उसे रोकने के लिये शासन ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां। पिछले कुछ वर्षों में लाइन हानियां बढ़ी हैं।

जी हां।

<u>लाइन हानियां कम करने की कार्य योजना:–</u>

1. तापीय एवं जलीय विद्युत गृहों पर इलेक्ट्रानिक मीटरों की स्थापना करके सही ऊर्जा प्राप्ति का मापन।

2. पारेषण उपकेन्द्रों (132 के० वी० एवं उच्च विभव) पर इलेक्ट्रानिक मीटरों की स्थापना करके उत्पादन गृहों/आयात से पारेषण स्कन्ध को तथा पारेषण स्कन्ध से वितरण स्कन्ध को आपूर्तित ऊर्जा का सही मापन।

3. 33 के० वी० उपकेन्द्रों पर 11 के०वी० इनकमिंग एवं आउट गोइंग फीडरों पर मीटरिंग प्रणाली सही करते हुए इनर्जी बैलेन्सिंग।

4. समस्त औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठानों पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाया जाना।

5. प्रदेश के बड़े शहरों में घरेलू उपभोक्ताओं के यहां इलेक्ट्रानिक मीटरों की स्थापना किया जाना।

6. औद्योगिक उपभोक्ताओं के परिसर पर स्वतन्त्र प्रवेश द्वार तथा पिल्फरप्रुफ मीटरिंग क्यूविकल की स्थापना।

7. कटिया कनेक्शनों का नियमितीकरण किया जाना । वर्ष 2000-2001 में 20 लाख कटिया कनेक्शनों के नियमितीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

8. 11 के० वी० फीडरों की "इनर्जी आडिट" का कार्य पूरा करने की दिशा में उपभोक्तओं का फीडरवार लेजराइजेशन कराया जाना ।

9. विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की आकस्मिक चेकिंग निरन्तरता के आधार पर एवं समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर कराया जाना एवं विद्युत संयोजनों की मीटरिंग प्रणाली की जांच करके सुधारात्मक कार्यवाही करना ।

10. नये संयोजनों का त्वरित ऊर्जीकरण एवं लेजरी करण करना ।

11. विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की नियमित मीटर रीडिंग लिया जाना ।

12. चोरी बाहुल्य क्षेत्रों में नियमित रूप से चेकिंग तथा अनियमितता में लिप्त पाये गये उपभोक्ताओं पर कठोर कार्यवाही ।

13. बड़े उपभोक्ताओं का मासिक ऊर्जा खपत एवं उनके द्वारा किये गये भुगतान का विश्लेषण एवं समीक्षा ।

14. पारेषण एवं वितरण प्रणाली में कैपेसिटर्स का लगाना ।

15. पांच हार्सपावर से अधिक क्षमता के मीटरों में कैपेसिटर्स का लगाया जाना ।

16. संदिग्ध उपभोक्ताओं की मध्यावधि रीडिंग कराकर समीक्षा करना ।

17. बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं के परिसर पर मीटर लगाना ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर निगम मुरादाबाद द्वारा नजूल भूमि को फ्री होल्ड किये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 1-12-98 के अनुपालन की जानकारी

*10–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नजूल भूमि को फ्री होल्ड किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या 2266/9–आ–498– 704 एन/97 दिनांक 1-12-98 के प्रस्तर–7 (1) के अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा अनाधिकृत रूप से निर्मित भवनों को फ्री होल्ड कराने के लिये अद्यतन सर्किल रेट का 120 प्रतिशत आवासीय तथा 200 प्रतिशत व्यवसायिक उपयोग हेतु देय धनराशि निर्धारित की गई है? यदि हां, तो क्या नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा इसका अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण का मानक एवं समय सीमा की जानकारी

*11–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के मानक क्या हैं ? क्या विभाग द्वारा कार्य पूर्ण करने की कोई समय सीमा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ग्रामीण विद्युतीकरण मा० सदस्य विधान सभा/विधान परिषद् के द्वारा संस्तुत 5 ग्राम या मजरे (कुल संख्या–5) का प्रति ग्राम रु० 5 लाख एवं प्रति मजरा रु० 2 लाख अधिकतम सीमा रु० 25 लाख के अंतर्गत किया जाता है ।

जी हां । जिस वित्तीय वर्ष में धन उपलब्ध कराया जाता है उसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूरा होना चाहिए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति की जानकारी

*12–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन में अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति क्या है ? क्या यह सही है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति अलग-अलग बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उ० प्र० ऊर्जा सुधार अंतरण स्कीम 2000 के अनुसार उ० प्र० पावर कारपोरेशन ने पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीतियों के मार्गदर्शक सिद्धांतों को नई नीति बनाये जाने तक लागू रखा है । इन नीतियों को अधिकारियों/कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास एवं उनकी दक्षता में सकल वृद्धि के उद्देश्य से बनाया गया है ।

अधिकारियों के लिए निर्गत नीति अनुसार प्रशासनिक आधार को छोड़कर सामान्यतः अधिकारियों की तैनाती एक पद पर 3 वर्ष, एक जनपद में 6 वर्ष एवं एक क्षेत्र में 10 वर्ष है । गृह जनपद में संवेदनशील पदों पर अधिकारियों की तैनाती नहीं की जाती है । पर्वतीय जनपद (देहरादून, उधमसिंहनगर एवं काशीपुर को छोड़ कर) में यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा । कर्मचारियों में प्रशासनिक आधार को छोड़ कर अवर अभियंताओं को एक सेक्शन में 3 वर्ष, एक खण्ड में विभिन्न पदों पर 7 वर्ष, एक मंडल में विभिन्न पदों पर 10 वर्ष तथा एक जोन में 15 वर्ष की समय सीमा है ।

समूह "ग" के कर्मचारियों (अवर अभियंताओं को छोड़कर), एक पद पर तैनाती की सामान्य अवधि 3 वर्ष रखी गई है । इसी समूह में लिपिकीय एवं अप्रशासकीय कार्मिकों को उनके गृह स्थान को छोड़कर जिले में ही तैनात किया जा सकता है। समूह "ग" के प्रशासकीय पदधारकों के स्थानान्तरण जनपद के बाहर भी किये जा सकते हैं । इसी समूह के लिपिकीय कार्मिकों की तीन साल के अन्तर पर दूसरी सीट पर तैनात किये जाने का प्राविधान है ताकि उन्हें प्रत्येक सीट पर कार्य करने का अनुभव हो सके ।

समूह "घ" के कार्मिकों को यथासम्भव उनके गृह जनपद में तैनात किये जाने का प्राविधान है ।

जी हां ।

अधिकारियों एवं विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों का कार्य क्षेत्र, कार्य की प्रकृति एवं वेतन को दृष्टिगत रखते हुए उनकी स्थानांतरण नीति अलग-अलग है । समस्त अधिकारी एवं कुछ कर्मचारी वर्ग तथा अवर अभियंता सामान्य संवर्ग के हैं तथा उनकी वरिष्ठता प्रदेश स्तर पर रखी जाती है जबकि अन्य अधिकांश कर्मचारियों की वरिष्ठता मंडल/खंड स्तर पर ही रखी जाती है । प्रदेश स्तर की वरिष्ठता के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण सामान्यतः प्रदेश में किसी भी इकाई में किये जा सकते हैं जबकि अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के स्थानान्तरण सामान्यतः मण्डल/खंड के भीतर ही किये जाते हैं । अतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति अलग-अलग होना स्वाभाविक है ।

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण अंचल में विद्युत लाइनों के रख-रखाव हेतु संचालित योजना की जानकारी

*13–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी तथा ग्रामीण अंचल में विद्युत लाइनों के रख-रखाव में सुधार लाने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइनों के रख-रखाव में सुधार लाने हेतु निम्न योजनाएं पहले ही से लागू हैं ।

विद्युत लाइनों के रख-रखाव में सुधार हेतु कार्य "ओ एण्ड एम" मद में प्राप्त धन राशि से कराये जाते हैं जिसके अंतर्गत एक निश्चित धनराशि प्रत्येक वर्ष इस मद में व्यय की जाती है ।

प्रस्तावित उपभोक्ताओं से "सिस्टम लोडिंग चार्जेज" के मद में प्राप्त धन का उपभोग भी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लाइनों के रख-रखाव में सुधार हेतु किया जाता है ।

दैवी आपदा राहत कोष से बाढ़ भूकम्प इत्यादि से क्षतिग्रस्त होने वाली लाइनों व उपकेन्द्रों का पुनर्निर्माण, मरम्मत एवं रख-रखाव आदि का कार्य शासन से दैवी आपदा मद में प्राप्त धन राशि से किया जाता है ।

फिरोजाबाद जनपद के कांच एवं चूड़ी उद्योग में अधिक तापमान की भट्ठियों पर कार्यरत मजदूरों को बेहोशी से बचाने हेतु प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करने की मांग

*14–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि फिरोजाबाद के कांच एवं चूड़ी उद्योग में अधिक तापमान की भट्ठियों पर कार्यरत सैकडों मजदूर खुस्की (डीहाईड्रेशन) से बेहोश होकर गिर कर जल जाते हैं और कांच से कट जाते हैं ? यदि हां, तो क्या उनके प्राथमिक उपचार हेतु सरकार द्वारा कोई व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वांचल में सूखे की स्थिति में किसानों को कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति की विशेष योजना की जानकारी

*15–श्री भरत सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल में सूखे की स्थिति को देखते हुए किसानों को कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति की कोई विशेष योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में विद्युत की उपलब्धा में कमी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन निर्धारित 10 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करा पाना संभव प्रतीत नहीं होता है ।

लखनऊ महानगर में मानकों के विपरीत पार्किंग हेतु स्थान छोड़े बिना बनाये जा रहे मल्टी स्टोरी/व्यवसायिक काम्पलेक्सों के निर्माण को रोकने हेतु श्री विनोद कृष्ण सिंघल मुख्य सचेतक, भा०ज०पा० सभासद दल के प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

*16–श्री जय प्रकाश तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ महानगर में मानकों के विपरीत बिना पार्किंग हेतु स्थान छोड़े बनाये जा रहे मल्टी स्टोरी/व्यवसायिक काम्पलेक्सों के निर्माण को रोकने के क्या कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? जनवरी, 1998 से 31 जुलाई, 2000 तक ऐसे कितने अवैध काम्पलेक्स/मल्टी स्टोरीज काम्पलेक्स निर्मित हुये हैं एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ? क्या मंत्री जी उसकी सूची सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में विनोद कृष्ण सिंघल, मुख्य सचेतक भा०ज०पा० सभासद दल, का पत्र दिनांक 13-6-2000/6-8-2000 उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ, सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा मंडलायुक्त, लखनऊ मंडल, लखनऊ को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां । उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–27, 28 एवं 28-क के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है ।

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जो अवैध निर्माण प्रकाश में आये हैं उनकी संख्या–51 है । अवैध निमार्णकर्ताओं के विरूद्ध नियमानुसार धारा–27, 28 एवं/अथवा 28–क की कार्यवाही की गयी है ।

सूची संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जी हां ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 के अन्तर्गत नियमानुसार धारा–27 एवं 28 की कार्यवाही करके निर्माण रुकवा दिया गया है तथा एक को धारा–28–क अन्तर्गत सील करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 161–164 पर ।

अतारांकित प्रश्न

1—श्री चेतराम–

[निदेश सं०–26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

विद्युत वितरण खण्ड फैजाबाद प्रथम/द्वितीय/विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में अस्थाई अग्रिम से व्यय की गयी धनराशि का स्पेशल आडिट कराने की मांग

2—श्री चेतराम–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड फैजाबाद प्रथम, फैजाबाद द्वितीय एवं विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में 1 जनवरी, 1999 से

31 अगस्त, 1999 तक माहवार कितना धन अस्थाई अग्रिम खोल कर व्यय किया गया है ? क्या सरकार इन खण्डों में पांच लाख रुपये से अधिक व्यय वाले खण्डों का स्पेशल आडिट करवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

विद्युत वितरण खण्ड प्रथम फैजाबाद, विद्युत वितरण खण्ड, द्वितीय, फैजाबाद तथा विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में 1 जनवरी, 1999 से 31 अगस्त, 1999 तक धनराशि के अस्थाई अग्रिम खोलकर व्यय किया गया का माहवार विवरण संलग्न है ।

किसी खण्ड/इकाई की विशेष सम्प्रेक्षा कराये जाने का आधार सामान्यता क्षेत्रीय अधिकारी के संस्तुति/शिकायत पर संज्ञान में आयी अनियमितता की गहनता एवं गम्भीरता के फलस्वरूप वित्तीय हानि आदि होता है न कि व्यय किये गये धन की सीमा ।

अतः ऐसी कोई अनियमितता आदि की शिकायत न होने के कारण स्पेशल आडिट कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 165–166 पर ।)

जनपद सहारनपुर में कार्यवाहक अध्यक्ष, नगर पालिका द्वारा ड्राइवर के पद पर सेवायोजन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने वाले दोषीजनों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

3—श्री संजय गर्ग–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद–सहारनपुर में कार्यवाहक अध्यक्ष, नगर पालिका द्वारा शिवराज सिंह को ड्राईवर के पद पर अक्टूबर, 1997 में नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उसकी आयु नियुक्ति के समय निर्धारित सीमा से अधिक थी ? यदि हां, तो नियमों के विरुद्ध नियुक्ति करने वाले के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं ।

ड्राइवर के पद पर सेवा योजन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न करने के लिए दोषी के विरुद्ध जिलाधिकारी, सहारनपुर से आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग, लखनऊ के उदयगंज तथा हैवलक रोड स्थित कैनाल कालोनी में दिवंगत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम लगे विद्युत मीटरों का बीजक जमा कराने की मांग

4—श्री समरपाल सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग लखनऊ के उदयगंज तथा हैवलक रोड स्थित कैनाल कालोनी में ऐसे कितने आवास हैं जिनमें विद्युत विभाग के मीटर दिवंगत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम से लगे हुए हैं ? क्या इस कारण वर्तमान में निवास कर रहे कर्मचारियों के विद्युत बीजक जमा नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या वर्तमान में निवास कर रहे कर्मचारियों के नाम विद्युत मीटर लगाये जायेंगे तथा पूर्व में निवास कर रहे कार्मिकों का विद्युत बीजक जमा कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

दिवंगती के नाम एक मीटर है । 8 (आठ) मीटर संयोजन ऐसे हैं जो सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाम से लगे हैं ।

जमा हो रहा है ।

उचित प्रपत्र लेकर मीटर आवासी के नाम किये जायेंगे । विद्युत बीजक जमा हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उत्तरकाशी में निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं की भूमि का लीजरेन्ट वन विभाग में जमा किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

5—श्री राजपाल सिंह–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निर्माण शाखा उ० प्र० जल निगम, उत्तरकाशी के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में कौन-कौन योजनाएं शुरू की गयी हैं ? निर्माणाधीन पेयजल योजना में मुखवा, हालगू–फालगू, कन्सेल, मनेरी, किशनपुर, कोटियालगांव, पेयजल योजनाओं के लिए क्या भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो गयी है ? क्या उक्त भूमि का लीज रेन्ट वन विभाग में जमा कर दिया गया है ? यदि हां, तो योजनावार कितनी-कितनी धनराशि जमा की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तरांचल विकास विभाग, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री मातवर सिंह कण्डारी)–

उत्तरकाशी निर्माण शाखा, उ० प्र०, जल निगम, उत्तरकाशी के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में छैजुला, मुखवा, पौरा, वाड़िया, हालूग,–फालूग, परसेरी एवं तुनालका योजनाएं शुरू की गई ।

निर्माणाधीन पेयजल योजना मुखवा, हालगू–फालगू के अन्तर्गत वनभूमि क्षेत्र नहीं आता है । अतः वनभूमि हस्तान्तरण का प्रश्न नहीं उठता है ।

कन्सेण एवं मनेरी पेयजल योजनाओं पर अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, इस हेतु वन विभाग से भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है ।

किशनपुर पेयजल योजना का स्रोत एवं पाइप लाइन कार्यों का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है । अतः वनभूमि हस्तान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

कोटिया गांव पेयजल योजना गढ़वाल जल संस्थान के अनुरक्षणाधीन है । इस योजना पर जल निगम द्वारा कोई कार्य कराया जाना प्रस्तावित नहीं है । अतः वन भूमि हस्तान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही भूमि का लीजरेन्ट जमा किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

6—श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

[उसरे शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद मथुरा में पंचायत किरारई एवं शाहजादपुर गूजर में विद्युत बिल भेजने का प्रकरण

7—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में पंचायत किरारई शाहजादपुर गूजर में बिजली की व्यवस्था न होने के बावजूद बिजली के बिल भेजे जाने के संबध में विधायक कोष्ठक का

पत्रांक सी०एम०/वि०को०/एम–1/21962/ मथुरा/99, दिनांक 3-4-1999 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

पत्र उपलब्ध नहीं है किन्तु वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

जनपद मथुरा में किरारई एवं शाहजादपुर गूजर दो अलग-अलग गांव हैं जिसमें से ग्राम किरारई में विद्युत है तथा उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी हैं तथा उनके बिल भेजे जा रहे हैं, लेकिन शाहजादपुर में विद्युत लाइन नहीं है तथा वहां बिल भी नहीं भेजे जाते हैं।

सन् 1999 में कुछ ग्रामों में सार्वजनिक प्रकाश के कुछ बिल निर्गत किये गये थे लेकिन इस तथ्य के पता लगने पर कि ग्राम में सार्वजनिक प्रकाश की व्यवस्था नहीं है ये बिल निरस्त कर दिये गये थे वर्तमान में किरारई शाहजादपुर गूजर के ग्राम प्रधानों को सार्वजनिक प्रकाश में कोई बिल नहीं भेजे जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के ग्राम बरावन कला, हरदोई रोड के निवासियों का पावर लाइन स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

8—श्री राजेन्द्र यादव तथा श्री जय प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम बरावन कलां, हरदोई रोड, लखनऊ के निवासियों के प्रार्थना पत्र जो कि विद्युत लाइन के ऊपर से जाने वाली पावर लाइन को स्थानान्तरित करने संबंधी था श्री शिव बहादुर सक्सेना, विधायक के उपरिपत्र के साथ राज्य मंत्री, ऊर्जा को प्राप्त हुआ था, जिस पर उन्होंने माह मार्च, 1999 में उक्त पावर लाइन को अन्यत्र हटाने के लिये महाप्रबन्धक, लेसा को आदेशित किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का अनुपालन किया गया ? यदि नहीं, तो आदेश अनुपालन न करने वाले के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

जिस स्थान पर 11 के० वी० लाइन एल० टी० लाइन को क्रास करती है, उस स्थान पर एक लोहे का खम्बा लगाकर लाइन को इतना ऊंचा कर दिया गया है कि सुरक्षा की दृष्टि से कोई खतरा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर महापालिका, जनपद मेरठ में विभिन्न पदों में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने का प्रकरण

9—श्री अतुल कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका, मेरठ में विभिन्न वेतन क्रमों में कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने पद आरक्षण कोटे के हैं ? उनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या सरकार नगर महापालिका में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करके आरक्षण कोटा पूर्ण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर निगम, मेरठ में विभिन्न वेतनक्रमों में कुल 925 पद (सफाई कर्मचारियों के 2367 पद एवं भिश्ती के कर्मचारियों के 185 पदों को छोड़कर) स्वीकृत हैं, जिसमें कुल 463 पद आरक्षण कोटे के हैं।

उक्त आरक्षित पदों के विरुद्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 272 कर्मचारी कार्यरत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वीकृत पदों में आरक्षण का कोटा पूर्ण है।

जनपद वाराणसी में भूमिगत केबिल में खराबी की जांच हेतु केबिल फाल्ट लोकेटर मशीन की व्यवस्था की मांग

10—श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में विगत तीन वर्षों में भूमिगत केबिल में खराबी आने के कारण कितनी बार बाहर से केबिल फाल्ट लोकेटर मंगाना पड़ा और उस पर कितना-कितना खर्च वहन करना पड़ा ? क्या भूमिगत केबिल में आने वाली खराबियों को लोकेट करने एवं उन्हें ठीक करने में विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए वाराणसी में एक फाल्ट लोकेटर मशीन की स्थायी व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वाराणसी नगर में विगत 3 वर्षों में भूमिगत केबिल में खराबी आने के कारण 33 के०वी० केबिल में फाल्ट लोकेट करने हेतु लगभग 30 बार तथा 11 के०वी० केबिल में फाल्ट लोकेट करने हेतु लगभग 50 बार बाहर से फाल्ट लोकेटर मंगाना पड़ा। 33 के०वी० फाल्ट लोकेशन पर प्रति फाल्ट रुपये 10,000 तथा 11 के० वी० केबिल के फाल्ट लोकेशन पर रु० 5,000 प्रति फाल्ट भुगतान करना पड़ा। इस प्रकार विगत के वर्षों में इस पर रु० 5.50 लाख का खर्च आया।

जी हां।

इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, शारदा नगर योजना के अन्तर्गत सेक्टर–3, रजनीखण्ड में सीवर लाइन में चैम्बर्स के निर्माण की मांग

11—श्री लाल जी वर्मा–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 168.स०आ०स०/99, दिनांक 8 फरवरी, 2000 जो लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित रायबरेली रोड स्थित शारदा नगर योजना के अन्तर्गत सेक्टर–3 रजनीखण्ड में बिछायी गयी सीवर लाइन में चैम्बर्स का निर्माण शीघ्र कराये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–168/स०आ०स०/99, दिनांक 8 फरवरी, 2000 नहीं प्राप्त हुआ है, बल्कि पत्र संख्या–169/स०आ०स०/99, दिनांक 8-2-2000 प्राप्त हुआ है । यह पत्र संदर्भित विषयक ही है ।

बिछायी गयी सीवर लाइन पर चैम्बर का निर्माण कार्य करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के उप महाप्रबन्धक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

12—श्री जय प्रकाश, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत उप महाप्रबन्धक (अनुशासनिक कार्यवाही) के विरुद्ध श्री तीरथ सिंह रावत, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 22-5-2000 जो कि मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? क्या उक्त प्रकरण में जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो किससे ? यदि नहीं, तो क्यों ? निगम को इस मामले में हुई क्षति की भरपाई कैसे की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

पत्र में सन्दर्भित पत्र उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन) के विरुद्ध सांसद (राज्य सभा) का प्राप्त शिकायती-पत्र

13—श्री जय प्रकाश, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री कोविद कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के अधीन निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन) को तत्काल निलम्बित कर कठोर कार्यवाही किये जाने के संबंध में माननीय देवी प्रसाद सिंह सांसद (राज्य सभा) का पत्र दिनांक 31-3-2000 प्राप्त हुआ है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि भारत सरकार को सम्बोधित उपरोक्त पत्र उ० प्र० सरकार को कब प्राप्त हुआ तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र उ० प्र० सरकार को दिनांक 2-5-2000 को प्राप्त हुआ है । पत्र की पूर्व में ही प्राप्त प्रति जो मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित थी, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ अलीगंज विस्तार योजना सी–117/एच० के पास लगे इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प की रिबोरिंग कराने की मांग

14—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मकान नं० सी–117/एच० अलीगंज विस्तार योजना, लखनऊ के पास लगे इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प की रिबोरिंग हेतु प्रश्नकर्ता का पत्रांक क–2–158137, दिनांक 29 मार्च, 2000 मा० मंत्री जी के कार्यालय एवं अधिशासी अभियन्ता, जल निगम,

अलीगंज, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नकर्ता का उक्त पत्र केवल अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, जल निगम लखनऊ के कार्यालय में प्राप्त हुआ है ।

प्रश्नगत हैण्डपम्प की रिबोरिंग की कार्यवाही प्रगति पर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के विभिन्न ग्रामों के विद्युत लाइनों के तारों को बदलने की मांग

15—श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में जिला योजनान्तर्गत वर्ष 1999-2000 में 50 लाख रुपया से जनपद के अनेक ग्रामों के विद्युत तार की चोरी तथा गिरे हुए खम्भों की जर्जर विद्युत व्यवस्था को पुनः विद्युतीकृत किये जाने का प्रस्ताव किया गया था ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्थान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत क्या कार्य कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

18 स्थानों पर विद्युत लाइनों के चोरी गये तारों (रु० 12.02 लाख) के बदलने के कार्य कराये जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़, तहसील सदर, ग्राम ढेकाही का अवशेष विद्युतीकरण पूर्ण कराने की मांग

16—श्री राम शंकर पाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के तहसील सदर के ब्लाक सदर में स्थित ग्राम ढेकाही का क्या सम्पूर्ण विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो उक्त ग्राम का अवशेष विद्युतीकरण का कार्य कब पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मुख्य ग्राम ढेकाही का विद्युतीकरण जुलाई, 1996 में 3 पोल की एच० टी० 21 पोल की एल० टी० लाइन बनाकर किया जा चुका है ।

ग्राम ढेकाही के दो पुरवे (कुर्मियान व लहूरान) का विद्युतीकरण नहीं हुआ है । वर्तमान की किसी योजना में सम्मिलित नहीं है । अतः विद्युतीकरण किया जाना सम्भव नहीं है ।

17—श्री विद्या सागर गुप्त–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अधीन 800 के० वी० अनपरा उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण हेतु मृदा परीक्षण के एवज में किये गये फर्जी भुगतान की रिकवरी की मांग

18—श्री विद्यासागर गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के अधीन 800 के० वी० अनपरा उन्नाव पारेषण लाइन के निर्माण में विदेशी ठेकेदार मेसर्स हुण्डई द्वारा गंगा नदी के लोकेशन सं० 71/2 एवं अन्य स्थानों पर किये गये फ़र्जी मृदा परीक्षण के एवज में रुपये 5646818.00 की वसूली संबंधी माननीय तीरथ सिंह रावत, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 22-5-2000 जो प्रमुख

सचिव (ऊर्जा) तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यू० पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

800 के० वी० आनपारा-उन्नाव लाइन के निर्माण में सभी आवश्यक स्थलों पर मृदा परीक्षण कराये गये थे, जिसके विरुद्ध कुल रुपये 34,89,043.00 का भुगतान किया गया न कि रु० 56,46818.00 लोकेशन सं०—37/2 का स्थान फाइनल सर्वे के उपरान्त 60 मीटर शिफ्ट हो गया था अतः इस स्थल पर किये गये मृदा पीरक्षण के विरुद्ध भुगतान की रिकवरी फर्म से कर ली गई है। गंगा नदी पर किया गया दोनों बार मृदा परीक्षण उसी स्थान पर किया गया जहां वेल फाउण्डेशन बनी, पहली बार कम गहराई तक तथा दूसरी बार अधिक गहराई तक अतः गलत मृदा परीक्षण का आरोप निराधार है। सभी टावर के मृदा परीक्षण स्थल 60 मीटर शिफ्ट होने का कथन भी सही नहीं है। केवल एक लोकेशन संख्या–37/2 का स्थल 60 मीटर शिफ्ट हुआ है।

डिवुल गंज के पास टावर संख्या–एपी–4 टावर फाउण्डेशन अथवा मृदा परीक्षण की गड़बड़ी से क्षतिग्रस्त नहीं हुआ था बल्कि इरेक्शन के दौरान रस्सा टूट जाने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था। इस क्षति की प्रतिपूर्ति निर्माणकर्ता द्वारा की गई है विभाग द्वारा इस पर कोई व्यय नहीं किया गया है। उक्त लाइन दिनांक 12-7-2000 को ऊर्जीकृत कर दी गयी तथा ठीक से कार्य कर रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के कैम्पवेल रोड स्थित एक्जान इण्टर कालेज के निकट एक ट्रान्सफार्मर लगाने का प्रस्ताव

19—डा० मुस्लिम–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–97 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25-5-99 को लगाया गया नया ट्रान्सफार्मर किस स्थान पर लगाया गया है ? क्या यह सही है कि नागरिकों के पत्र तथा श्री राजकुमार अग्रवाल स० वि० परिषद् के पत्र दिनांक 05 मई, 1999 में उल्लिखित कैम्पवेल रोड स्थित एक्जान इंटर कालेज के पास ट्रान्सफार्मर न लगाकर अन्य स्थान पर लगा दिया गया है क्या सरकार उक्त की जांच कराकर इंगित स्थान पर नया ट्रान्सफार्मर लगाकर क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

कोई नया ट्रान्सफार्मर नहीं लगाया गया, बल्कि आलम नगर रोड पर पत्थर कट्टा आबादी के निकट लगे 400 के० वी० ए० ट्रासंफार्मर के स्थान पर 630 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाकर क्षमता वृद्धि की गई है।

जी नहीं।

जी हां। एक्जान इंटर कालेज के निकट एक ट्रान्सफार्मर लगाया जाना प्रस्तावित है।

मास दिसम्बर, 2000 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम लखनऊ में निहित ग्राम इस्माइलगंज की भूमि से अवैध कब्जों को हटवाने की मांग

20—श्री रमेश राही–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर निगम लखनऊ की सीमा में स्थित ग्राम इस्माइलगंज की 80 बीघे ऊसर, बंजर, बचत, ग्राम समाज की भूमि को भूमाफियों द्वारा अवैध कब्जा करके बेचा जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अवैध कब्जों को हटवाकर इस भूमि को भूमिहीन

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति के लोगों को आवास हेतु आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

ग्राम इस्माइलगंज की नगर निगम में निहित भूमियों में से 4 बीघा 5 बिसवा भूमि पर 39 अवैध कब्जे पाये गये । अवैध कब्जों में से 14 के विरुद्ध उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 26क(1) (2) के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी तथा 25 अवैध कब्जेदारों को उक्त अधिनियम की धारा 26क के अन्तर्गत नोटिस दी जा चुकी है । अवैध कब्जों को हटाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही नगर निगम स्तर पर की जा रही है । उक्त भूमि भूमिहीन संदर्भित जातियों के लोगों को आवास हेतु आवंटित किये जाने का प्राविधान नगर निगम अधिनियम, 1959 में उपलब्ध नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

तदैव ।

लखनऊ नगर निगम की सीमा में स्थित इस्माइलगंज में सभी प्रमुख मार्गों से अवैध कब्जा हटाने की मांग

21—श्री रमेश राही–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर निगम लखनऊ की सीमा में स्थित ग्राम इस्माइलगंज में सभी मुख्य रास्तों पर अवैध कब्जा करके बाउण्डरीवाल का निर्माण करा लिया गया है और इस ग्राम के चारों दिशाओं पर ग्राम की अंतिम सीमा पर निवास करने वाले अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के निवासियों को आवागमन में असुविधा है ? यदि हां, तो क्या ग्राम की आबादी के रास्तों की माप करवाकर अवैध कब्जे हटाये जाने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नगर निगम द्वारा कराये गये सर्वे के उपरान्त पाये गये 16 अवैध कब्जों में से 3 अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध उ० प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा 26 क (1) (2) के अन्तर्गत सम्बन्धित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गयी तथा 13 अवैध कब्जेदारों को उक्त अधिनियम की धारा 26 क के अंतर्गत नोटिस भेजी गयी ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ स्थित ग्राम कमता, तकरोही एवं मटियारी में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये सहकारी आवास समितियों द्वारा भूखण्ड विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाने की मांग

22—श्री रमेश राही–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित ग्राम कमता, तकरोही, मटियारी की 3000 एकड़ भूमि पर सहकारी आवास समितियों द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराये अनधिकृत रूप से भूखण्डों का विक्रय किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त ग्रामों की सहकारी आवास समितियों पर बिना मानचित्र स्वीकृत कराये भूखण्ड बेचने पर सरकार प्रतिबन्ध लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सहकारी आवास समितियों द्वारा नियमों के विरुद्ध भूखण्ड बेचे जाने की कोई विशिष्ट सूचना दिये जाने पर उसकी जांच कर विधि अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित कैम्पबेल रोड नवीन नगर तथा हसनगंज बावली कालोनियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग

23—डा० मुस्लिम–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला-नवीन नगर, हसनगंज बावली (एक्जान स्कूल के सामने) कैम्पबेल रोड, लखनऊ की दो गलियों में नाली, खड़ंजा, मिट्टी भराई आदि का कार्य कराये जाने विषयक श्री राम चन्द्र यादव, स०, वि० सभा, फैजाबाद का पत्र दि० 11 अप्रैल, 2000 उन्हें प्राप्त हुआ जिस पर उन्होंने अपने पत्रांक कैम्प का० सं०–2074/वी०आई०पी०/13-4-2000 द्वारा मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ को कार्य कराने के संबंध में आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उक्त आदेश पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

सन्दर्भित अविकसित कालोनी अनाधिकृत रूप से बसी हुई है जिसमें नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित आवासीय समितियों अथवा क्रेताओं विक्रेताओं का है, जो अपने संसाधनों से प्रश्नगत सुविधाएं उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर नगर पालिका परिषद् बांसी में पार्किंग की नीलामी बोली की आधी धनराशि तथा स्टैम्प शुल्क जमा कराने की मांग

24—श्री मो० मुकीम–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगरपालिका बांसी जनपद सिद्धार्थनगर में पार्किंग स्थल की नीलामी दिनांक 25-3-2000 को की गई है ? यदि हां, तो क्या बोली बोलने वाले व्यक्ति से बोली की आधी धनराशि व बोली गई धनराशि पर निर्धारित स्टैम्प शुल्क जमा कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पालिका परिषद् बांसी जनपद सिद्धार्थनगर में पार्किंग स्थल की नीलामी दिनांक 30-3-2000 को की गई है। बोली बोलने वाले व्यक्ति से बोली की आधी धनराशि व 8% स्टैम्प शुल्क जमा कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० जल निगम लखनऊ के कामर्शियल शाखा में निर्माण कार्यों की लेखा बन्दी समय से न कराये जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

25—श्री संजय गर्ग, श्री विश्वनाथ, श्री रामतेज यादव तथा श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के तीसरे शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–182 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 445 में से 439 के निर्माण कार्यों के लेखा बन्दी समय से न कराये जाने एवं उत्तर के प्रस्तर 2 के अनुसार विलम्ब के लिये पूरी कामर्शियल

शाखा जिम्मेदार होने के कारण निगम की साख गिरी है जिससे कामर्शियल शाखा को मिलने वाली निर्माण कार्यों [जो आय का मुख्य स्रोत है] की संख्या में काफी कमी आयी है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकरण में दोषी मुख्य लेखा अधिकारी एवं वरिष्ठ लेखा अधिकारी को दण्डित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चमोली के जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के पदों के सृजन का प्रकरण

26—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि चमोली ज़िले के 54 जूनियर हाईस्कूलों में शिक्षकों व शिक्षिकाओं के पद सृजित करने का प्रकरण वर्ष 1996-97 से शासन के विचाराधीन लम्बित है ? यदि हां, तो उस पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ में शिवानी बिहार, कल्याणपुर के "जयभवानी" पार्क में 400 के० वी० ए० ट्रान्सफार्मर की स्थापना की मांग

27—श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें शिवानी बिहार कालोनी कल्यानपुर, लखनऊ में विद्युत पोल लगाते हुए विद्युत लाइन को थ्री फेस किये जाने विषयक श्री हीरालाल भट्ट व अन्य निवासीगण शिवानी बिहार, कल्याणपुर, लखनऊ का प्रार्थना पत्र सभापति अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति संबंधी समिति के उपरिपत्र संख्या–149 समा०/अ०जा०सं०/2000, दिनांक 12-6-2000 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

श्री हीरालाल भट्ट के घर के पास थ्री फेस लाइन बना दी गई है एवं जय भवानी पार्क में 400 के० वी० ए० का नया सब-स्टेशन बना दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के टिकैतराय एल० डी० ए० कालोनी फेस–3 में स्थित पार्क की बाउन्ड्री का निर्माण एवं सफाई कराने की मांग

28–श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिकैतराय एल०डी०ए० कालोनी लखनऊ फेस–3 के आवास संख्या आर०एस०–II/289 के सामने बने पार्क की बाउन्ड्री का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण कराने एवं पार्क की सफाई आदि कराने का निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

(क) जी नहीं । जो कार्य अधूरा था, उसे पूरा कराया जा रहा है ।

(ख) कार्य पूर्ण होते ही सफाई करा दी जायेगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के जाहिदपुर माडर, तुरनारुद्र, पीपर चक आदि ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण कराने की मांग

29–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत विधायक कोटे से वित्तीय वर्ष 1999-2000 में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत पांच ग्राम जाहिदपुर, माडर, तुरनारुद्र, पीपर चक आदि के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो बिलम्ब के क्या कारण है ? उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत विधायक कोटे के वित्तीय वर्ष 1999-2000 में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत पांच ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है । परन्तु ग्राम जाहिदपुर, माडर, तुरनारुद्र, पीपरचक में विद्युत आपूर्ति इस समय नहीं हो रही है ।

सन्दर्भित ग्रामों की विद्युत आपूर्ति करने वाले 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र सण्डीला से प्रेषित 11 के० वी० बांगरमऊ फीडर में लगातार तार चोरी की पुनरावृत्ति होने के कारण ग्रामों में विद्युत आपूर्ति कराना सम्भव नहीं हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश जल निगम की सी० एण्ड० डी० एस० विंग लखनऊ के कार्यालय भवन स्वामी तथा उक्त कार्यालय से सम्बद्ध वाहन मालिकों का विवरण

30–श्री अरिदमन सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के चौथे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–139 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भवन के स्वामी का विवरण क्या हैं तथा उक्त बारह वाहनों के मालिक कौन-कौन हैं ? क्या जल निगम की जर्जर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर वाहनों तथा कार्यालय भवन के लिए कोई टेण्डर निकाला गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

भवन स्वामी संयुक्त रूप से श्री पंकज जैन एवं श्रीमती वंदना जैन (पत्नी श्री पंकज जैन) हैं । श्री पंकज जैन जम्मू-कश्मीर कैडर के प्रशासनिक अधिकारी हैं । बारह वाहन मालिकों के नाम निम्नवत हैं:–

1–श्री अब्दुल अमीन
2–श्री पुनीत टण्डन
3–श्रीमती प्रतिमा पाण्डे
4–श्री मुशीर आलम
5–श्रीमती जेहरूनिशा
6–श्री सुरेन्द्र सचदेवा
7–श्री कमलेश प्रताप सिंह

8–श्रीमती पूनम टण्डन
9–श्रीमती दमयंती मेहरोत्रा
10–श्रीमती वीणा देवी
11–श्री चक्रपाल सिंह
12–श्रीमती सुनीता सिंह
जी नहीं ।

सी० एण्ड डी० एस० विंग में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के मैनुअल का परिपालन होता है । इस मैनुअल के अनुसार टेण्डर आमंत्रित किया जाना आवश्यक नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भवन का किराया उसके क्षेत्रफल के अनुसार निर्धारित मानक से कम है तथा वाहनों के किराये भी सामान्य बाजार दर से कम हैं ।

जनपद गोण्डा के ग्राम पिपराखुर्द (रेहरवा) का विद्युतीकरण कराने का प्रकरण

31–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके आदेश संख्या–4653/वी०आई०पी०/ऊर्जा मंत्री दिनांक 12-01-2000 जिसमें ग्राम पिपराखुर्द (रेहरवा) जनपद गोण्डा के विद्युतीकरण चालू वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कराने के आदेश दिये गये हैं ? क्या उक्त ग्राम रेहरवा का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में विधायक कोटे के पांच-पांच ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए धन उपलब्ध कराया गया, जिसके कारण पांच ग्रामों के अतिरिक्त किसी ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका । आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर प्रश्नगत ग्राम का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ।

जनपद हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां की ग्राम पंचायत कुरसठ बुजुर्ग व ग्राम पंचायत डफौली, परनरवा, खुर्दा मदारपुर, समुखा नेवादा का विद्युतीकरण कराने की मांग

32–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुरसठ बुजुर्ग व ग्राम पंचायत डफौली, परनरवा, खुर्दा मदारपुर, समुखा नेवादा का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु भारत सरकार ने आर०ई०सी० स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 1987 में धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करा दी थी ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ग्राम पंचायत कुरसठ बुजुर्ग का विद्युतीकरण वर्ष 1993 में किया जा चुका है । शेष उल्लिखित ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है । ग्राम पंचायत डफौली, परनरवा, खुर्दा, मदारपुर, समुखा एवं नेवादा का किसी भी योजना में सम्मिलित न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां के प्रस्तावित पांच ग्रामों के विद्युतीकरण की जानकारी

33–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन के निर्देशानुसार विधायकों से पांच-पांच ग्रामों की सूची विद्युतीकरण हेतु मांगी गयी थी ? यदि हां, तो क्या जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत शासन के इन्हीं आदेशों, निर्देशों के अनुसार विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित पांच ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां , प्रत्येक माननीय सदस्य विधान सभा/परिषद् से अपने निर्वाचन क्षेत्र के पांच-पांच ग्रामों की सूची विद्युतीकरण हेतु मांगी गयी है ।

जी हां, माननीय विधायक डा० धर्मज्ञ मिश्र के 91, मल्लावां क्षेत्र में विद्युतीकरण की स्थिति निम्नलिखित है:–

वर्ष 1998-99

ग्राम का नाम	विद्युतीकृत तिथि
1–लालपुर कनहरी	20-3-99
2–सीरयापुर	24-3-99
3–सुमेरपुर	30-3-99
4–महदीपुर	31-3-99
5–बधोड़ा	31-3-99

वर्ष 1999-2000

1–निराइचमऊ	20-11-99
2–सोनहार	20-11-99
3–कुतुबापुर	20-11-99
4–पुरनमऊ	20-11-99
5–बघेरिया	20-11-99

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद लखनऊ के तपस्वी नगर एवं अहिबरनपुर में नाली खड़न्जे का अवशेष कार्य पूर्ण कराने की मांग

34–श्री दिलीप कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि तपस्वी नगर अहिबरनपुर सीतापुर रोड, लखनऊ में नाली खड़न्जे का अधूरा कार्य छोड़ दिये जाने से पानी रुकने और कीचड़ हो जाने से वहां के लोगों को आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां,तो क्या सरकार नाली, खड़न्जा का कार्य शीघ्र पूरा करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

धन की उपलब्धता के आधार पर शेष कार्य नगर निगम द्वारा पूर्ण कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक पवई, फूलपुर एवं अहिरौला ब्लाकों के ग्रामों का विद्युतीकरण कराने की मांग

35–श्री राम नरेश यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में वर्ष 1998-99 व 1999–2000 में पवई, फूलपुर तथा अहिरौला ब्लाकों के अन्तर्गत सभी गांवों में विद्युतीकरण का काम सम्पन्न हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त गांवों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद आजमगढ़ के ब्लाक पवई, फूलपुर एवं अहिरौला के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में 16 नगर ग्रामों का विद्युतीकरण होना था, जिनमें से 10 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । शेष 6 ग्रामों का विद्युतीकरण सामान की अनुपलब्धता एवं विद्युत आपूर्ति तथा राजस्व वसूली के कार्यों में व्यस्तता के कारण नहीं किया जा सका है । इन 6 ग्रामों का विद्युतीकरण अक्टूबर, 2000 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

वर्ष 1999-2000 के लिए उपरोक्त ब्लाकों में चयनित 10 नग ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है । इन ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य दिसम्बर, 2000 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

36–श्री लालजी वर्मा–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद लखनऊ के गोमतीनगर स्थित विनीत खण्ड–1 में श्री कौशल किशोर शुक्ल, भूतपूर्व सैनिक को भूखण्ड संख्या–205 आवंटित किये जाने की मांग

37–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि गोमतीनगर, लखनऊ स्थित विनीत खण्ड–1 में भूमि अर्जन से पूर्व श्री कौशल किशोर शुक्ल, भूतपूर्व सैनिक का मकान बना था ? क्या उक्त भवन की भूमि का अर्जन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने करके उस स्थान को अपने मानचित्र में भूखण्ड संख्या–205 निर्धारित किया है तथा भवन स्वामी को बेदखल किया जा रहा है ? क्या उक्त भूतपूर्व सैनिक के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 30-7-99 को मा० मंत्री ने अर्जित भवन तथा उस प्लाट को भवन स्वामी को ही आवंटित किये जाने हेतु आदेश दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

(क) अर्जन से पूर्व स्थल पर कोई भी निर्माण कार्य नहीं था, अर्जन के उपरान्त अनधिकृत निर्माण एक कमरा बनाकर किया गया है ।

(ख) जी हां । भूमि का अधिग्रहण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है ।

(ग) जी नहीं । मा० मंत्री, आवास एवं नगर विकास ने भूतपूर्व सैनिक के प्रार्थना-पत्र पर दिनांक 30-7-1999 को परीक्षण कराकर न्याय संगत कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये हैं ।

(घ) प्राधिकरण द्वारा गठित समायोजन समिति ने श्री कौशल किशोर शुक्ल के पक्ष में वर्तमान दर पर अन्यत्र भूखण्ड आवंटित किये जाने का निर्णय लिया है, परन्तु श्री शुक्ला के द्वारा प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व संबंधी प्रस्तुत प्रपत्र परीक्षणोपरान्त कूटरचित पाये गये हैं जिसके संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों एवं थानाध्यक्ष, गोमतीनगर को समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किये जा चुके हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के गोमतीनगर योजना के विराम खण्ड में स्थित एम० आई० जी० भवन संख्या–1/280 का निबन्धन श्री नौशाद अहमद अन्सारी के पक्ष में किये जाने की मांग

38–डा० वकार अहमद शाह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री नौशाद अहमद अन्सारी, मौहल्ला–कानूनगोपुरा (दक्षिणी) बहराइच को आवंटित एम०आई०जी० भवन नं०–1/280, विराम खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ की रजिस्ट्री किये जाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को सम्बोधित उनका पत्र दिनांक 5-11-98 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

(क) जी हां ।

(ख) गोमतीनगर योजना के विराम खण्ड में स्थित एम० आई० जी० भवन संख्या–1/280 का आवंटन प्रार्थी के पक्ष से उसके द्वारा अवशेष धनराशि जमा न किये जाने के आधार पर निरस्त करते हुए अन्य को आवंटित कर दिया गया था, किन्तु संदर्भगत पत्र प्राप्ति के उपरान्त आवश्यक परीक्षण कर नये आवंटी के पक्ष से भवन का आवंटन निरस्त करते हुए प्रार्थी के पक्ष में पुनर्जीवित कर दिया गया है। भवन के निबन्धन व कब्जा की कार्यवाही के पूर्व अन्तिम गणना की कार्यवाही चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के खुर्रमनगर चौराहा से शिवानी विहार सम्पर्क मार्ग की मरम्मत की मांग

39–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात हैं कि खुर्रम नगर चौराहे से बी–18 शिवानी बिहार, लखनऊ तक लगभग एक कि०मी० पक्के मार्ग का निर्माण वर्ष 1999 में किया गया था ? क्या उक्त मार्ग, जो उक्त कालोनी का एक मात्र सम्पर्क मार्ग है, क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो इतने कम समय में ही उक्त सड़क के क्षतिग्रस्त होने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

जी हां ।

जल निकासी की समुचित व्यवस्था का न होना ।

जी हां ।

धन की उपलब्धता के आधार पर नगर निगम स्तर पर किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के शिवानी विहार कल्याणपुर में नाली तथा सीवर की व्यवस्था किये जाने की मांग

40–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि शिवानी विहार, कल्याणपुर, लखनऊ में नाली तथा सीवर निकासी की व्यवस्था न होने के कारण जगह-जगह पर पानी जमा रहता है ? क्या इस कारण उक्त क्षेत्र में व्याप्त गन्दगी तथा जल भराव के कारण मच्छरों का अत्यधिक प्रकोप है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सीवर तथा जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी हां।

संदर्भित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से कालोनी बसी है जिसमें नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था का दायित्व अपने संसाधनों पर सम्बन्धित आवासीय समितियों अथवा क्रेताओं/विक्रेताओं का है।

उपरोक्तानुसार।

तदैव।

उत्तरांचल के गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डल में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय इण्टर कालेजों में अध्यापकों/अध्यापिकाओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

41–श्री अफजाल अहमद–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गढ़वाल तथा कुमायूं मण्डल में कितने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय इण्टर कालेज (बालक तथा बालिका) संचालित हैं ? इन विद्यालयों में एल० टी० वेतनक्रम में तथा प्रवक्ताओं के कुल कितने पद रिक्त हैं ? क्या इन विद्यालयों में अध्यापकों/अध्यापिकाओं की नियुक्ति इसी शिक्षा सत्र में की जायेगी ? गढ़वाल मण्डल तथा कुमायूं मण्डल के विद्यालयों में एल० टी० वेतनक्रम में जीवविज्ञान विषय के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के कितने पद रिक्त हैं ? उन पर नियुक्ति कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

	बालक	बालिका	योग
		गढ़वाल मण्डल	
रा० इ० कालेज	318	25	343
रा० उ० मा० वि०	279	27	306
		कुमायूं मण्डल	
रा० इ० कालेज	207	31	238
रा० उ० मा० वि०	215	30	245
प्रवक्ता	2714		
एल० टी०	941		

उत्तरांचल राज्य द्वारा ही नियुक्ति पर निर्णय लिया जायेगा।

गढ़वाल मण्डल में एल० टी० जीवविज्ञान का कोई पद रिक्त नहीं है।

कुमायूं मण्डल में एल० टी० जीवविज्ञान के 54 पुरुष एवं 08 महिला के पद रिक्त हैं।

समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल, पोस्ट कान्डाखाल, पट्टी लंगूर, ग्राम बढेरा की निवासी कु० सरिता बढोला को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने की मांग

42–श्री मुन्ना सिंह चौहान तथा श्री अफजाल अहमद—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार द्वारा पत्रांक वि०वि०ख० को ए–11, दिनांक 10-6-99 उप खण्ड अधिकारी वि०वि०ख० कोटद्वार द्वितीय को दिया गया था ? क्या यह सत्य है कि उक्त पत्र कु० सरिता बढोला उम्र 17 वर्ष पुत्री सुरेश चन्द्र बढोला के ग्राम बढेरा पोस्ट आफिस कान्डाखाल पट्टी लंगूर जिला पौड़ी गड़वाल के 33 के०वी० विद्युत लाइन से अपने खेत में गम्भीर रूप से घायल होने पर क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? विद्युत परिषद् द्वारा पीड़ित पक्ष को मुआवजों का भुगतान कब तक किया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

जी हां।

निदेशक विद्युत सुरक्षा, उ० प्र० शासन से दुर्घटना की अनुसंधान आख्या उनके पत्रांक 3120 मु०ई० दिनांक 29-9-2000 के माध्यम से प्राप्त होने पर पूर्ववर्ती विद्युत परिषद् सम्प्रति कारपोरेशन के नियमानुसार कुमारी सरिता बढोला को रु० 10,000 (रु० दस हजार मात्र) की अनुग्रह धनराशि उप महाप्रबन्धक, वि० वि० मं० श्रीनगर के कार्यालय ज्ञाप सं० 6428 वि०वि०मं०श्री०/ए-7, दिनांक 12-10-2000 द्वारा स्वीकृत कर दी गयी है।

शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

जनपद पौड़ी में सीनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापकों/अध्यापिकाओं तथा प्रधानाध्यापकों/ प्रधानाध्यापिकाओं के पदों के सृजन का प्रकरण

43–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि पौड़ी जनपद में दिनांक 30-3-94 में 7 (सात) सीनियर बेसिक स्कूल स्वीकृत किये गये थे ? क्या यह सही है कि उन स्कूलों के लिए प्रधानाध्यापक/ प्रधानाध्यापिका व सहायक अध्यापक/अध्यापिकाओं के पद सृजन का प्रकरण शासन के विचाराधीन लम्बित है ? यदि हां, तो उनको कब तक स्वीकृत कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद पौड़ी के कन्या सीनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति का प्रकरण

44–श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1999-2000 में दशम् वित्त आयोग की संस्तुतियों से पौड़ी जनपद में आठ कन्या सीनियर बेसिक स्कूल स्वीकृत किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या कन्या सीनियर बेसिक स्कूल वुढाणी, लालपुर, जुयाल गांव, पोखरखाल, सीकू चौराखाली सन्दणा ग्वाड, देवधार में अध्यापक/ अध्यापिकाओं की नियुक्तियां करके अध्यापन की व्यवस्था कर दी गयी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नगर पालिका परिषद्, उन्नाव तथा आवास विकास कालोनी उन्नाव में नाला/नाली की मरम्मत का प्रकरण

45—श्री राम कुमार एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका, उन्नाव को नाला मरम्मत हेतु रु० पांच लाख व आवास विकास कालोनी, उन्नाव की नाली हेतु रु० तीन लाख तिरपन हजार तथा नगर पालिका से छोटे चौराहे तक एकल मार्ग की नालियों की मरम्मत हेतु रु० एक लाख तिरपन हजार वित्तीय वर्ष 1999-2000 में अवमुक्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

शासनादेश दिनांक 5-10-99 द्वारा नगर पालिका परिषद्, उन्नाव को क्षतिग्रस्त ड्रेनेज कार्यों के लिए रु० 5.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी जिसके सापेक्ष नगर पालिका कार्यालय से वाया धवनरोड छोटा चौराहा तक नाली व क्रास पुनर्निर्माण कार्य हेतु रु० 1.53 लाख तथा आवास विकास कालोनी ए० व बी० ब्लाक में नाली क्रास मरम्मत कार्य हेतु रु० 3.53 लाख की कार्य योजना जिला अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ।

जी नहीं । कार्य प्रगति पर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उन्नाव में चन्द्रशेखर आजाद आवास विकास कालोनी में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग

46—श्री राम कुमार एडवोक्रेट–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका परिषद्, उन्नाव के अन्तर्गत चन्द्रशेखर आजाद आवास विकास कालोनी के निवासियों द्वारा गृह कर एवं सीवर कर जमा करने के बावजूद वहां टूटी-फूटी सड़कों की मरम्मत तथा नाली सफाई, प्रकाश व्यवस्था एवं नियमित सफाई हेतु सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं है ? उक्त कालोनी को यह सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

श्री लालजी टण्डन–

चन्द्रशेखर आजाद आवास विकास कालोनी में 5 मार्गों का मरम्मत/सुधार कार्य कराया गया है। नालियों का सुधार कार्य प्रगति पर है । 16 सफाई कर्मियों द्वारा सफाई कार्यनियमित रूप से किया जाता है तथा 94 प्रकाश बिन्दुओं द्वारा प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध है ।

लखनऊ में निराला नगर के मो० मायानगर में अवैध निर्माण तथा स्ट्रीट लाइट विषयक शिकायती-पत्र

47–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अजय कुमार पोइया, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 24 मार्च, 2000 जो मोहल्ला मायानगर पो०–निराला नगर लखनऊ में अवैध निर्माण तथा स्ट्रीट लाइट के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

मार्ग प्रकाश व्यवस्था ठीक करा दी गयी है। अवैध निर्माण हटाने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को निर्देश दिये गये हैं ?

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के वक्फ नं०–3 एकजेम्टेड लिस्ट पर अनाधिकृत निर्माण को रुकवाने की मांग

48–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पत्र दिनांक 25-3-1998 जो जनपद शाहजहांपुर के वक्फ नं०–3 एकजेम्टेड लिस्ट पर अनाधिकृत निर्माण को रुकवाने के लिए जिला प्रशासन शाहजहांपुर को लिखा गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जिला प्रशासन ने इस निर्माण को रुकवा दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजा गजनफर अली खां)–

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मुरादाबाद में मदरसा दरसगाहे आलिया इस्लामियां शरीफ नगर के अनियमित्त अध्यापकों व कर्मचारियों के वेतन भुगतान का प्रकरण

49—श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मदरसा दरसगाहे आलिया इस्लामियां शरीफ नगर जिला मुरादाबाद के नियमित अध्यापकों व कर्मचारियों को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने रिट सं०–30158/93 आदेश दिनांक 27-8-93 द्वारा प्रत्येक माह बिना विलम्ब के वेतन दिये जाने का आदेश दिया है ? क्या रिट संख्या–22037/98 में दिनांक 12-8-99 को शासन द्वारा दिए गये प्रतिशपथ-पत्र में मो० सिद्दीक आदि को मान्य स्टाफ मानते हुए वेतन भुगतान की संस्तुति की गई है ? क्या अन्य किसी को नियमित नहीं माना गया है ? यदि हां, तो क्या नियमित स्टाफ मो० सिद्दीक (प्र०अ०) आदि के स्थान पर अनियमित व्यक्तियों को वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इस संबंध में जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा गजनफर अली–

सूचना एकत्र की जा रही है।

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि०, उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० के अधीन कार्यरत श्री नन्दलाल जायसवाल कनिष्ठ पाण्डुलिपिक के वेतन भुगतान का प्रकरण

50—श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड उ० प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड के अधीन कर्मचारियों के वेतन भुगतान सम्बन्धी विषयक श्री हरदेव सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 16-3-2000 जो कि प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ० प्र० शासन एवं मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेन्द्र चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

मा० श्री हरदेव सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 16-3-2000 प्राप्त हुआ, जो श्री नन्द लाल जायसवाल, कनिष्ठ पाण्डुलिपिक को दिनांक 1-3-99 से 23-6-99 तक का वेतन भुगतान के संबंध में है। श्री नन्दलाल जायसवाल का प्रकरण मा० उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है । मा० उच्चतम न्यायालय ने श्री जायसवाल के लम्बित वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया है । साथ ही पूर्ववर्ती परिषदादेशानुसार काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम प्रतिवादित होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

51–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत अनपरा उन्नाव ट्रांसमिशन लाइन निर्माण की प्रगति समीक्षा हेतु कथित बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर का प्रकरण

52–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपरा उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन के निर्माण में 26-7-96 को प्रगति समीक्षा हेतु की गई बैठक के कार्यवृत्त पर उपस्थित प्रतिनिधि मेसर्स टाटा कन्सलटेन्ट, मेसर्स टेपेस्को एवं मेसर्स हुण्डई आदि के हस्ताक्षर कराये गये ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

दिनांक 26-7-96 की प्रगति समीक्षा की कोई बैठक नहीं हुई थी । अतः हस्ताक्षर कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

53–श्री हरदेव सिंह–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

54–श्री हरदेव सिंह–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मार्च, 1988 के बाद नियुक्त आशुलिपिकों का वेतनमान उच्चीकृत किये जाने की मांग

55—श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् (वर्तमान में उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, उ० प्र० उत्पादन निगम लि०, उ० प्र० जल विद्युत निगम लि०) के अन्तर्गत परिषदादेश संख्या–915–काविनी/राविप–29/98-18 काविनी/97, दिनांक 11 मई, 1998 द्वारा दैनिक श्रेणी लिपिकों का वेतनमान उच्चीकृत करके मार्च, 88 के बाद नियुक्त आशुलिपिकों के समतुल्य कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या आशुलिपिकों का वेतनमान भी उच्चीकृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं। दिनांक 1-4-84 से पुनरीक्षित वेतनमान रु० 1100–1575 जो अन्य पदधारकों सहित दैनिक श्रेणी लिपिकों को भी अनुमन्य था, में विद्यमान विसंगति के निवारणार्थ प्रश्न में उल्लिखित परिषदादेश द्वारा उसका उच्चीकरण रु० 1200–1800 के वेतनमान में किया गया था।

उक्त वेतन उच्चीकरण का मार्च, 1988 के बाद नियुक्त आशुलिपिक श्रेणी–3 से समतुल्यता का कोई सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्च, 1988 के बाद नियुक्त आशुलिपिकों के वेतनमान में कोई विसंगति नहीं है।

उत्तरांचल में भू-गर्भ जल स्रोतों के संवर्धन का प्रस्ताव

56—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तरांचल में भू-गर्भ जल स्रोतों के संवर्धन करने के लिए निदेशक, भू-गर्भ जल विभाग, उ० प्र० के पत्रांक 5979/भू-ज वि०/ए–7, दिनांक 23-3-95 द्वारा भेजा गया प्रस्ताव शासन में लम्बित है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत लोकेशन नं० ए पी–4 टावर गिर जाने विषयक शिकायती-पत्र

57—श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्) में विदेशी फर्मों को लाभ पहुंचाने, फर्जी स्वायल रिपोर्ट तैयार करने, लोकेशन नं० एपी–4 (डिबुलगंज, अनपरा सोनभद्र) टावर गिर जाने के संबंध में मा० श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद का पत्र दिनांक 11-5-99 जो मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित प्रकरण की जांच के आदेश उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के गोदौलिया चौराहे पर स्थित कूड़ाघर का कूड़ा निस्तारण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के क्रम में कृत कार्यवाही का विवरण

58–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अर्द्धशासकीय पत्र सं० 3175ए/9-7-98–11ए नियम/98 दिनांक 5 सितम्बर, 98 के क्रम में क्या वाराणसी नगर के गोदौलिया चौराहे पर स्थित कूड़ाघर के कूड़ों को हटाने तक उक्त स्थान पर कन्टेनर में कूड़ा रखने की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

गोदौलिया कूड़ाघर पर एक बड़ी आबादी का कूड़ा आता है गोदौलिया से दशाश्वमेघ का क्षेत्र अत्यन्त घनी आबादी का व्यवसायिक व व्यस्ततम क्षेत्र है जहां कन्टेनर रखना सम्भव नहीं हो पा रहा है। कई स्थानों पर कन्टेनर रख कर गोदौलिया कूड़ाघर के कूड़े के लोड को कम किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र में कन्टेनर द्वारा कूड़ा उठाने के निर्देश नगर निगम, वाराणसी को दिये गये हैं।

जनपद वाराणसी में टाउन हाल स्थित गांधी भवन की दशा सुधारने की मांग

59–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी में टाउन हाल स्थित गांधी भवन की दशा अत्यन्त जीर्णशीर्ण अवस्था में है ? क्या उक्त भवन का उपयोग बैठकों आदि के अतिरिक्त बैडमिण्टन कोर्ट के रूप में भी खेल को प्रोत्साहन देने हेतु किया जाता है ? क्या गांधी भवन की दशा को सुधारने, हाल को सुसज्जित करने एवं बाहरी व्यक्तियों के कब्जे से अन्दर के कमरों को मुक्त कराने हेतु सरकार कोई प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

जी हां

गांधी भवन की दशा सुधारने हेतु मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, वाराणसी को शासन के पत्र सं०–5329/9-7-2000-10ए०क्यू०/2000, दिनांक 18-10-2000 द्वारा निर्देशित कर दिया गया है।

उक्त भवन के ऊपरी मंजिल के एक कमरे में भारतेन्दु अकादमी नाम की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था कार्यरत है। न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण वर्तमान में कमरा खाली कराना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

मा० न्यायालय के स्थगनादेश के कारण।

जनपद आजमगढ़ में अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित गांवों के विकास की स्थिति की जानकारी

60–श्री रामनरेश यादव–

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2000-2001 में कितने गांव अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के लिए चयनित हुए हैं ? क्या वर्ष 1999-2000 में चयनित गांवों में विद्युतीकरण, सम्पर्क मार्ग, इन्दिरा आवास की व्यवस्था कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री राधेश्याम कोरी–

जी नहीं।

वर्ष 1999-2000 में जनपद आजमगढ़ में कुल 101 अम्बेडकर ग्रामों का चयन किया गया है, जिसमें इन्दरा आवास, विद्युतीकरण व सम्पर्क मार्ग की स्थिति निम्नवत् है :–

कार्यक्रम	कुल अम्बेडकर ग्रामों की संख्या	1000 से अधिक आबादी वाले अम्बेडकर ग्रामों की संख्या	कार्यक्रम से संतृप्त अम्बेडकर ग्रामों की संख्या	कार्यक्रम से असंतृप्त अम्बेडकर ग्रामों की संख्या
1–इन्दिरा आवास	101	—	101	—
2–सम्पर्क मार्ग	101	88	29	59
3–विद्युतीकरण	101	88		88

धनाभाव के कारण ।

धन उपलब्ध होने पर ।

61–श्री जगदीश नरायण राय–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद चम्पावत के ग्राम लमकनिया, भरछना, किल्लीपुरा तथा ढोलगा ग्रामों का विद्युतीकरण कराने की मांग

62–श्री जगदीश नरायण राय–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद चम्पावत के ग्राम–लमकनिया, भरछना, किल्लीपुरा तथा ढोलगा का विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद चम्पावत में ग्राम लमकनिया, भरछना, किल्लीपुरा तथ ढोलगा ग्रामों को अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है । ग्राम लमकनियां राजस्व ग्राम है जिसे विद्युतीकरण हेतु वर्ष 2000-2001 में चयनित किया गया है ग्राम लमकनियां का विद्युतीकरण इस वित्तीय वर्ष में होना प्रस्तावित है । परन्तु ग्राम भरछना, किल्लीपुरा तथा ढोलगा राजस्व ग्राम नहीं है ग्रामों के मजरे हैं । उक्त मजरे विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं है । अतः विद्युतीकरण कराना सम्भव नहीं है ।

जनपद उन्नाव, ब्लाक नवाबगंज, ग्राम नरैनीखेड़ा मजरा पाली की कथित बाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग

63–श्री रामकुमार एडवोकेट–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम नरैनी खेड़ा मजरा पाली ब्लाक नवाबगंज–जनपद–उन्नाव में वर्ष 1994-95 की बाढ़ से दो बिजली के खम्भे गिर जाने से विद्युत आपूर्ति बाधित है ? यदि हां, तो खम्भे लगा कर विद्युत आपूर्ति कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम नरैनी खेड़ा विद्युतीकृत नहीं है । अतः वर्ष 1994-95 में खम्भे गिरने से विद्युत बाधित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । इस गांव के समीप से गुजरने वाली लाइन से ग्राम चमरौली वर्ष 1972 में विद्युतीकृत किया गया था जिसके 2 खम्भे वर्ष 1994-95 की अत्यधिक वर्षा में क्षतिग्रस्त हो गये थे । वर्तमान में ग्राम चमरौली की विद्युत आपूर्ति सामान्य चल रही है ।

नगर पालिका परिषद्, उन्नाव तथा गंगाघाट में सीवर लाइन डालने की मांग

64–श्री रामकुमार एडवोकेट–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद्, उन्नाव तथा नगर पालिका परिषद्, गंगाघाट में सीवर लाइन डालने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त सीवर लाइन कब तक डाल दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद उन्नाव के शुक्लागंज में विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु भूमि का पुनर्ग्रहण

65–श्री रामकुमार एडवोकेट–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि शुक्लागंज, उन्नाव की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हेतु 33/11 के०वी०ए० विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु भूमि का पुनर्ग्रहण करके पुनर्ग्रहीत भूमि की बाज़ारी कीमत मु० 5,75,000 रुपये जमा करने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-4-2000 प्रमुख सचिव, ऊर्जा तथा जिला प्रशासन का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र व प्रस्ताव पर परिषद् स्तर पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

निगम द्वारा मु० 2,40,000.00 रु० मूल्य की भूमि को पुनः ग्रहण हेतु संशोधित अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ।

मास अगस्त, 2000 में ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कानपुर नगर में नई चुंगी चौराहा जाजमऊ से शेखपुर जाने वाली सड़क को गड्ढा मुक्त बनाने की मांग

66–श्री रामकुमार एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में वार्ड संख्या–50 जाजमऊ में कितने किलोमीटर डामर की सड़कें हैं तथा उनमें से कितनी सड़कें ऐसी हैं जो गड्ढा युक्त हैं ? क्या मंत्री जी नई चुंगी चौराहा जाजमऊ से शेखपुर जाने वाली सड़क में मोना नगर के पास गड्ढा युक्त सड़क को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए कोई व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

कानपुर नगर में वार्ड संख्या–50 जाजमऊ में लगभग 32.00 किलोमीटर सड़क डामर की है, जिसमें अधिकांश सड़कें जीण-शीर्ण अवस्था में हैं।

जी हां।

टास्क फोर्स के अन्तर्गत प्रश्नगत सड़क का सुधार कार्य प्रस्तावित है। उक्त सड़कों का कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम,कानपुर को निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपरा उन्नाव ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण में फर्जी मृदा परीक्षण के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

67–श्री विद्यासागर गुप्त–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत 800 के०वी० अनपरा उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन के निर्माण में फर्जी मृदा परीक्षण प्रस्तुत करने एवं परिषद् को लगभग रु० 3.0 करोड़ की क्षति पहुंचाने विषयक माननीय जय प्रकाश, विधायक का पत्र दिनांक 6-5-2000 जो कि मुख्य सचिव तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि के सापेक्ष घरेलू औद्योगिक कनेक्शन की मांग में हुई वृद्धि की जानकारी

68–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता में कितनी वृद्धि हुई ? इन्हीं वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में घरेलू औद्योगिक मांग में कितनी वृद्धि हुई ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नगत वर्षों में विद्युत उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि निम्नवत् है।

1997-98	शून्य
1998-99	110 मे०वा० (टाण्डा प्रोजेक्ट)
1999-2000	शून्य

वर्ष 1997-98 से 1999-2000 तक घरेलू, औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्र में विद्युत मांग में निम्नवत् वृद्धि रही :–

	97-98	98-99	99-2000
घरेलू	338	1098	980
औद्योगिक	25	334	(–) 267
कृषि	(–) 2	41	37

कई लोगों ने औद्योगिक कनेक्शन विच्छेदित कराकर डीजल जेनरेटिंग सेट लगा लिये हैं तथा कुछ उद्योग बन्द भी हो गये हैं।

स्थानीय निकायों में मानक के अनुरूप सफाई कर्मियों की नियुक्ति की मांग

69–श्री अम्बरीष कुमार–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के स्थानीय निकायों में मानकों के अनुरूप सफाई कर्मियों की संख्या न होने के कारण सफाई की संतोषजनक व्यवस्था नहीं है ? यदि हां,तो क्या सरकार मानकों के अनुरूप सफाई कर्मियों की भर्ती का निर्देश स्थानीय निकायों को देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

यद्यपि अनेक निकायों में पब्लिक हेल्थ मैनुअल 1914 के प्राविधानानुसार अपेक्षित संख्या में सफाई कर्मी नहीं हैं,परन्तु जनसंख्या में वृद्धि निकायों के क्षेत्रफल में विस्तार को ध्यान में रखते हुए सफाई व्यवस्था का मशीनीकरण करके सफाई की संतोषजनक व्यवस्था की जा रही है।

यद्यपि वित्त संसाधन (विविध) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–3/दस-सं-वि०मित०/2/98, दिनांक 7-1-1999 के अनुरूप सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने, आयोजनेत्तर पक्ष में नये पदों के सृजन पर रोक लगी हुई है। साथ ही शासनादेश के अनुसार एक वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों को समाप्त भी किया जाना है। परन्तु इसके बावजूद शासन द्वारा सफाई कर्मियों की संख्या के मानक दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के विनियमितीकरण तथा शैड्यूल आफ पोस्ट बनाये जाने के बारे में सचिव, नगर विकास विभाग की अध्यक्षता में शासनादेश सं०–3256/9-1-2000-17सा/94, दिनांक 9-10-2000 द्वारा एक समिति गठित की गयी है जो समस्त बिन्दुओं का गहन विश्लेषण/सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को सुनने का अवसर प्रदान करने के बाद अपनी रिपोर्ट शासन को तीन माह में प्रस्तुत करेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

–तदैव–

जनपद वाराणसी के भेलूपुर वार्ड के भदेही मौजा के आराजी संख्या–444 पर अनाधिकृत रूप से बनाये गये व्यावसायिक काम्पलेक्स की जांच का प्रकरण

70–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी में भेलूपुर वार्ड के भदेही मौजा के आराजी संख्या–444 जो नगर निगम की जमीन है, पर अनधिकृत रूप से एक व्यवसायी द्वारा व्यवसायिक काम्पलेक्स का निर्माण करा लिया गया है ? क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि उक्त नजूल की जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर व्यवसायिक काम्पलेक्स का निर्माण किस प्रकार किया गया और उक्त अवैधानिक कार्य में नगर निगम अथवा वाराणसी विकास प्राधिकरण के किन अधिकारियों/कर्मचारियों का सहयोग है ? क्या उक्त नजूल की भूमि को पुनः वापस प्राप्त करने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत प्रकरण की जांच आयुक्त, वाराणसी मण्डल,वाराणसी से कराने के निर्देश दिये गये हैं।

इन्दिरा नगर, लखनऊ में 22/641 की भूमि से अवैध सीवर हटाने का प्रकरण

71–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर, लखनऊ में आवास विकास परिषद् द्वारा आवंटित 22/641 की भूमि से अवैध सीवर पाइप हटाने हेतु महाप्रबन्धक, ऐशबाग, लखनऊ का आदेश दिनांक 26-8-95 पत्रांक 559 तथा पत्रांक 570 दिनांक 29-8-1995 जल संस्थान जोन–5 इन्दिरा नगर, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ बेंच, लखनऊ के आदेश दिनांक 05-07-96 के अनुपालन में प्रश्नगत सीवर लाइन ध्वस्त/बन्द कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की गोमतीनगर कालोनी के विकास खण्ड–1 में फकीरे पुरवा निवासियों के एल० डी० ए० द्वारा क्षतिग्रस्त किये गये मकानों के विषय में जानकारी

72–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ की गोमती नगर कालोनी के विकास खण्ड एक में दलित बस्ती फकीरे पुरवा (डा० अम्बेडकर नगर) के निवासियों के मकान एवं डा० अम्बेडकर की मूर्ति को एल०डी०ए० द्वारा क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को आवास अनुभाग–3 का पत्र सं० एम०ओ० 118/9–आ–3, दिनांक 17-10-1998 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा फकीरे पुरवा दलित बस्ती में स्थित डा० अम्बेडकर की मूर्ति को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाई गई थी। वहां से अनाधिकृत लोगों को हटाने का प्रयास किया जा रहा था। परन्तु उनसे समझौते के आधार पर प्राधिकरण द्वारा कम दरों पर निर्बल वर्ग हेतु गोमती नगर योजना के विनीत खण्ड–2 में बने भवनों को आवंटित कर उन्हें भवनों का कब्जा दे दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के इन्दिरानगर कालोनी में स्थित पार्क से अवैध कब्जा हटाने की मांग

73–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ की इन्दिरा नगर कालोनी में आवास संख्या ए 1239 से ए 1239/2 के सामने तथा आवास संख्या ए 1171 से ए 1171/4 के सामने पार्क बनाये जाने हेतु भूमि छोड़ी गयी थी ? क्या यह सही है कि उस भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण करा लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत आवासों के सामने 15×75 वर्गफीट क्षेत्रफल की भूमि खुले स्थल के रूप में छोड़ी गयी है।

उक्त भूमि पर आंशिक रूप से भवन सं०–1171/4 के भवन स्वामी द्वारा बाउन्ड्रीवाल बनायी गयी है।

उक्त भूमि पर अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम,लखनऊ को दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ की इन्दिरानगर कालोनी के सेक्टर–22 में 22/641 की भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग

74—श्री राम चन्द्र यादव–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि इन्दिरा नगर लखनऊ में सेक्टर–22 में 22/641 की भूमि पर अवैध कब्जा हटाने हेतु आवास विकास परिषद्, लखनऊ जन शिकायत प्रकोष्ठ को आदेश सं० 389 दिनांक 7-1-1999 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्न में उल्लिखित पत्र नहीं, अपितु प्रकरण से सम्बन्धित आवास विकास परिषद् जन शिकायत प्रकोष्ठ का पत्रांक–387/ज०शि०प्र०, दिनांक 7-1-98 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–3, लखनऊ को प्राप्त हुआ है।

सम्बन्धित प्रकरण में जन शिकायत प्रकोष्ठ आवास विकास परिषद् द्वारा अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड–3 को यह निर्देशित किया गया कि सीवर लाइन से प्रभावित भूमि को छोड़ते हुए अवशेष भूमि सहित भवन का कब्जा दे दिया जाय तथा भवन संख्या–22/641 के आवंटी यदि कब्जा/इन्वेन्ट्री पर हस्ताक्षर करने से मना करते हैं, तो कब्जा/इन्वेन्ट्री उनके भवन की दीवार पर चस्पा करवा दिया जाय तथा रजिस्टर्ड डाक से उसकी एक प्रति भेज दी जाय। उक्त निर्देशों के क्रम में आवंटी द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करने पर भूमि सहित भवन का भौतिक कब्जा/इन्वेन्ट्री दिनांक 28-4-98 को भवन संख्या–22/641 की दीवार पर चस्पा करते हुए उसकी एक प्रति रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली के सबसे बड़े बीस बकायेदारों एवं उनसे वसूली के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की जानकारी

75—श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में बिजली के सबसे बड़े बीस बकायेदार कौन हैं और उनकी बकायेदारी का विवरण क्या है ? क्या सरकार उक्त बकायेदारों से वसूलयाबी की क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माह 3/2000 के अन्त में बीस सबसे बड़े बकायेदारों (सरकारी एवं गैर सरकारी) की सूची विवरण सहित संलग्न है।

विभिन्न उपभोक्ताओं पर लम्बित बकायों की वसूली न होने की स्थिति तथा वसूली हेतु की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका में इंगित है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 167–168 पर)

जनपद उन्नाव में आनपारा-3 पारेषण लाइन के टावर संख्या-37/2 के फाउन्डेशन निर्माण में हुए घोटाले के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

76—श्री अब्दुल मन्नान-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग के अन्तर्गत 800 के०वी० आनपारा-3 उन्नाव पारेषण लाइन के टावर संख्या 37/2 फाउन्डेशन निर्माण में किये गये घोटाले के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22-4-2000 को मुख्य महाप्रबन्धक आनपारा पारेषण प्रणाली परियोजना, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ द्वारा निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्ध) को पत्र संख्या 14 मुमप्र (अपरप)/जनरल दिनांक 29-4-2000 को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गई ? जांच परिणाम क्या हैं ? क्या सरकार जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

श्री ए० के० माथुर, मुख्य अभियन्ता तथा श्री यू० सी० अग्रवाल, मुख्य लेखा अधिकारी, (सम्प्रेक्षा) की समिति से जांच करायी गयी।

जांच में दो अधिकारियों को प्रथम-दृष्टया दोषी पाया गया है।

जी हां। प्रकरण में प्रथम-दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के शिवानी विहार कल्याणपुर कालोनी में जलापूर्ति हेतु अवशेष पाइप लाइन डालने की मांग

77—श्री राम चन्द्र यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिवानी विहार, कल्याणपुर, लखनऊ में जल निगम द्वारा बनवायी गयी पानी की टंकी से जल आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन-

शिवानी विहार, कल्याणपुर क्षेत्र की पेयजल योजना में 23 कि०मी० जल वितरण प्रणाली बिछायी जानी है, जिसके सापेक्ष 22 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाकर पेयजल की आपूर्ति शुरू कर दी गयी है। अवशेष 01 कि०मी० वितरण प्रणाली बिछाने का कार्य माह अक्टूबर, 2000 के अन्त तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में हुए घोटालों की जांच रिपोर्ट एवं उस पर कृत कार्यवाही की जानकारी

78—श्री जय प्रकाश-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ववर्ती उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद् में हुए अरबों के घोटाले में पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) द्वारा दिनांक 30-11-99 को जांच रिपोर्ट तत्कालीन सचिव (ऊर्जा) एवं अध्यक्ष, उ०प्र० रा०वि०प० को सौंपी गई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता) से प्राप्त जांच आख्या में एक आरोप बिन्दु अप्रमाणित पाया गया । जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त शेष आरोप बिन्दुओं पर विभागीय जांच/कार्यवाही शासन स्तर से जारी निर्देशानुसार चल रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के गोमतीनगर विशाल खण्ड–2 में भवन संख्या–2/62 एम० के विरूद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र

79–श्री राम ललित चौधरी–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह जुलाई, 2000 के तीसरे सप्ताह में गोमती नगर में भवन सं०–2/62 एम० विशाल खण्ड–2 के स्वामी द्वारा स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–27 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है ।

इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ के सेक्टर–19 के निवासियों की बन्द नाली खुलवाने एवं क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत विषयक शिकायती-पत्र

80–श्री राम अचल राजभर–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन्दिरा नगर विस्तार योजना, लखनऊ के सेक्टर, 19 के निवासियों द्वारा कोई शिकायती-पत्र सं० 1018/मंत्री-वित्त/99, 19-2-2000 जो बन्द नाली खुलवाये जाने तथा क्षतिग्रस्त सड़क निर्माण हेतु दिया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

शिकायती-पत्र के क्रम में पाटी गयी मिट्टी की सफाई कराकर खड़न्जा का सुधार कार्य करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा स्थित नगर पंचायत गोकुल में कार्यरत सफाई कर्मियों के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

81–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा स्थित नगर पंचायत गोकुल में सफाई कर्मियों के रुके वेतन का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–30613/मथुरा/ 2000, दि० 18-1-2000 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

नगर पंचायत गोकुल जनपद मथुरा द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अधीन अवमुक्त की गई धनराशि अपने वित्तीय संसाधनों के अधीन निकाय में कार्यरत समस्त सफाई कर्मचारियों केवल उनको छोड़कर जिन्हें अध्यक्ष द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त किया गया है, के माह जून, 2000 तक के वेतन का भुगतान सुनिश्चित कर दिया गया है ।

जनपद लखनऊ के नवाब सुल्तान बहादुर की डीड से मुक्त सम्पत्ति के किराये को नवाब के वारिसों को भुगतान कराने की मांग

82–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवाब सुल्तान बहादुर ने रजिस्टर्ड डीड दिनांक 14/15 अक्टूबर, 1921 द्वारा इमामबाड़ा अमजद अली शाह, हजरतगंज, लखनऊ की इमारत, इमामबाड़ा–मस्जिद व महल सराय (क्वार्टर्स) छोड़कर लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया था ? यदि हां, तो क्या डीड से मुक्त सम्पत्ति का किराया लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार अब तक वसूल किये गये किराये का भुगतान नवाब के वारिसों को किये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तों कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

(क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) उपरोक्तानुसार ।

जनपद लखनऊ के नवाब सुल्तान बहादुर की डीड की शर्तानुसार उनके वारिसों को मासिक भत्ता दिये जाने का प्रकरण

83–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि नवाब सुल्तान बहादुर ने इमामबाड़ा अमजद अली शाह, हजरतगंज, लखनऊ स्थित अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण रजिस्टर्ड डीड दिनांक 15-10-1921 द्वारा लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट, वर्तमान में ल० वि० प्र० को किया था ? यदि हां, तो क्या डीड की शर्त के तहत उनके उत्तराधिकारियों को रु० 300/- मासिक भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भत्ते के भुगतान हेतु उनके उत्तराधिकारी (सै० मोहम्मद अहमद) के प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-3-99, 31-8-99 व 13-9-99 उपाध्यक्ष/सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

(क) रजिस्टर्ड डीड दिनांक 15-10-1921 को निष्पादित नहीं हुई थी, बल्कि यह दिनांक 14-10-1921 को निष्पादित हुई थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) विभिन्न पक्षों के मध्य दावेदारी का प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण भुगतान नहीं किया जा रहा है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) मामला मा० न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण संदर्भित पत्र पर कोई निर्णय लिया जाना सम्भव नहीं है ।

(च) उपरोक्तानुसार ।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सस्ते दर पर विद्युत उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में जानकारी

84–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सस्ते दामों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिये सरकार कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दिनांक 14-1-2000 से प्रदेश में विद्युत सुधार अधिनियम, 1999 लागू कर दिया गया है, जिसके अनुसार प्रदेश में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की विद्युत दरों का निर्धारण उ० प्र० विद्युत नियामक आयोग द्वारा किया जाना है । वित्तीय संसाधनों की विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पृथक नीति बनाया जाना सम्भव नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की दरें पहले से ही बहुत कम हैं ।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को सस्ते दर पर आवास उपलब्ध कराने की मांग

85–श्री राम औतार शाक्य–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को सस्ते दरों पर आवास उपलब्ध कराने के लिये सरकार कोई विशेष कार्य योजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

(क) सम्बन्धित कार्य योजना पहले से ही संचालित है ।

(ख) इस योजना का नाम आश्रय योजना है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उन निर्धनतम वर्ग के लोगों के लिए है,जो प्रदूषित वातावरण में, गन्दी बस्तियों में एवं सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर रहते हैं । इनको रु० 5, 10 एवं 15 प्रतिदिन भुगतान कर आश्रय उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत सेलमाली के विद्युतीकरण का प्रकरण

86–श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम पंचायत सेलमाली का विद्युतीकरण 10 वर्ष पूर्व कराया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है वर्ष 1992 से विद्युत लाइन ध्वस्त हो जाने के कारण उक्त गांव में विद्युत आपूर्ति पूर्णतया ठप्प है ? क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत में विद्युत लाइन ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम सेलमाली जनपद पिथौरागढ़ का विद्युतीकरण दिनांक 31-3-87 को हुआ था ।

वर्ष 92-93 में अतिवृष्टि के कारण 11 के०वी० लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी थी, तबसे विद्युत आपूर्ति पूर्णतया ठप्प है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गांव में एक भी विद्युत कनेक्शन न होने के कारण विद्युत आपूर्ति दिया जाना कारपोरेशन के हित में नहीं है ।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम डागी, चुपड़ाखेत तथा पन्धाली के अपूर्ण विद्युतीकरण को पूरा किये जाने की मांग

87-श्री विशन सिंह चुफाल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में वित्तीय वर्ष 1998-99 में विधायक कोटे से क्रमशः ग्राम डागी, चुपड़ाखेत, पन्धाली को विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त अपूर्ण कार्य को कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जनपद पिथौरागढ़ के प्रश्नगत ग्राम डागी, चुपड़ाखेत एवं पन्धाली का विद्युतीकरण विधायक कोटे के अन्तर्गत नहीं किया गया है, उपरोक्त ग्रामों का चयन वर्ष 1997-98 एवं 98-99 में जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा किया गया । प्रश्नगत ग्रामों का विद्युतीकरण उस समय परिषद् आदेशानुसार 10-10 पोल लगवाकर करवाया गया जिससे सम्पूर्ण ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हो सका । आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही सम्पूर्ण ग्राम का विद्युतीकरण किया जा सकता है ।

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत विद्युत जनपद निर्माण मण्डल (पारेषण), इलाहाबाद के अधीन तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के स्थानान्तरण का प्रकरण

88-श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत विद्युत जनपद निर्माण मण्डल (पारेषण), इलाहाबाद के अधीन खण्डों में ऐसे कितने तृतीय श्रेणी कर्मचारी (समूह "ग") के हैं जो 10 वर्षों से अधिक समय से तैनात हैं? क्या मंत्री जी स्थानान्तरण नीति के तहत उक्त कर्मचारियों का अन्यत्र स्थानान्तरण करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

विद्युत जनपद निर्माण मण्डल (पारेषण), इलाहाबाद के अधीन विद्युत जनपद निर्माण खण्ड, इलाहाबाद, वाराणसी एवं गोरखपुर में तृतीय श्रेणी (समूह "ग") के 73 कर्मचारी हैं, जो 10 वर्षों से अधिक समय से तैनात हैं ।

जिसका विवरण निम्नवत् है :-

इलाहाबाद	–	20 कर्मचारी
वाराणसी	–	31 कर्मचारी
गोरखपुर	–	22 कर्मचारी
		73 कर्मचारी

सुचारु रूप से कारपोरेशन के प्रभावी कार्य हित में एवं स्थानान्तरण नीति को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किये जाने पर समग्रता में विचार किया जायेगा ।

श्री नन्दलाल जायसवाल के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में विधायक का पत्र

89–श्री जय प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं उ० प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड के अन्तर्गत कार्यालय मुख्य अभियन्ता (सिविल) पारेषण, इन्दिरा नगर लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता (परिकल्प निर्माण), गंगा भवन देहरादून के लिपिकीय कर्मचारियों का वेतन दिनांक 1-3-99 से 23-6-99 का भुगतान संबंधी श्री हरदेव सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 16-3-2000 जो कि प्रमुख सचिव (ऊर्जा), एवं मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां,तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

माननीय श्री हरदेव सिंह विधायक का पत्र दिनांक 16-3-2000 प्राप्त हुआ, जो श्री नन्द लाल जायसवाल, कनिष्ठ मण्डुलिपिक को दिनांक 1-3-99 से 23-6-99 तक का वेतन भुगतान के सम्बन्ध में है ।

श्री नन्द लाल जायसवाल का प्रकरण मा० उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है । मा० उच्चतम न्यायालय ने श्री जायसवाल के लम्बित वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं दिया है। साथ ही पूर्ववर्ती परिषदादेशानुसार काम नहीं तो वेतन नहीं का नियम प्रतिपादित होता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अधीन स्टाफ कालेज देहरादून एवं वितरण स्कन्ध देहरादून की पूल्ड कालोनियों में कर्मचारी आवास के सम्बन्ध में जानकारी

90–श्री जय प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड एवं यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अधीन महाप्रबन्धक (जल विद्युत) परियोजनायें, देहरादून एवं वितरण खण्डों में कार्यालय लिपिकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अलग-अलग कितने आवास हैं ? जून, 2000 तक कितने आवास कब से खाली हैं ? क्या इस हेतु कोई वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

यू० पी० पावर कारपोरेशन के अधीन स्टाफ कालेज देहरादून एवं वितरण स्कन्ध देहरादून की पूल्ड कालोनियों में कार्यालय लिपिक के 72 एवं चतुर्थ श्रेणी के 85 आवास हैं।

जून, 2000 तक कोई भी आवास खाली नहीं है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्टाफ कालेज में आवास के रिक्त न होने तथा पात्र कर्मचारियों के आवेदन पत्र लम्बित न होने के कारण वरिष्ठता सूची के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं हुई । देहरादून क्षेत्र के आवासों के परिप्रेक्ष्य में वरिष्ठता सूची प्रकाशित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

91–श्री सिंहासन सिंह–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

नगर पंचायत खड्डा कुशीनगर के अन्तर्गत जटाशंकर पोखरा पर अवैध कब्जा हटाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

92–श्री दीपलाल भारती–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) के वार्ड सं० 8 में जटाशंकर पोखरा व रामलीला मैदान पर महावीरी डोल, ताजिया व छठ पर्व का मेला लगता है ? क्या उस पर अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 2-7-2000 अधिशासी, नगर पंचायत खड्डा व जिलाधिकारी कुशीनगर को उक्त अवैध कब्जा हटाने व अवैध निर्माण रोकने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्नगत स्थल पर कोई रामलीला मैदान नहीं है और न ही महावीरी डोल, ताजिया मेला लगता है । मात्र छठ पर्व पर औरतें पूजा अर्चना करती हैं ।

जी नहीं ।

जी हां ।

प्रकरण की जांच करायी गयी । कोई अवैध कब्जा या अतिक्रमण नहीं पाया गया है । उक्त भूमि नियमानुसार कार्यवाही करके दूर संचार विभाग के नाम स्थानान्तरित कर दी गयी है । जिस पर दूर संचार विभाग द्वारा भवन निर्माण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध जांच का प्रकरण

93–श्री नवाब सिंह नागर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ० प्र० जल निगम के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध अप्रैल तथा मई, 1998 में पद से हटाकर करोड़ों रुपये के घपले की जांच के आदेश तत्कालीन मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिये जिम्मेदार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्तमान प्रबन्ध निदेशक को पद से हटाने के आदेश नहीं दिये गये थे, अपितु उनके विरुद्ध प्रश्नगत शिकायतों की जांच कराकर आवश्यक/प्रभावी कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांचोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

94–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[1ले मंगलवार में अता० प्र० सं०–182 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नगर पालिका परिषद् अयोध्या के अध्यक्ष द्वारा की गयी अवैध नियुक्तियों/पदोन्नतियों के सम्बन्ध में जानकारी

95–श्री सीताराम निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलकल कर्मचारी संघ उ० प्र० शाखा अयोध्या, जनपद–फैजाबाद का शिकायती-पत्र 25-1-2000 जो नगर परिषद् अयोध्या के अध्यक्ष ने अपने पद और अधिकार का दुरुपयोग करके असृजित पद पर 28 कर्मियों की नियुक्तियां तथा 5 की पदोन्नतियां देने के संबंध में है आयुक्त, फैजाबाद, मण्डल, फैजाबाद को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

अनियमित नियुक्तियों व पदोन्नतियों के सम्बन्ध में अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, अयोध्या को पदच्युत करने हेतु "कारण बताओ नोटिस" दी गयी है तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, अयोध्या को निलम्बित कर विभागीय/अनुशासनिक जांच करने के निर्देश निदेशक, स्थानीय निकाय को दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद की नगर पंचायत भोजपुर के अध्यक्ष व अधिशासी अभियन्ता द्वारा किये गये गबन व भ्रष्टाचार के विरुद्ध की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी

96–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री मो० असलम अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, भोजपुर, जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध गबन व भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच अपर उप जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा वर्ष 1997 में की गयी थी ? क्या यह सही है कि उनके द्वारा जांच रिपोर्ट के आधार पर अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी, भोजपुर के विरुद्ध धारा 468, 477, 408, 409 आई० पी० सी० का अभियोग पंजीकृत कराने की संस्तुति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या अभियोग पंजीकृत कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

जी नहीं ।

इस मामले में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अध्यक्ष, नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर को शासकीय पत्र संख्या–5197(1)9-1-98-65च/96, दिनांक 2-6-99 द्वारा "कारण बताओ नोटिस" जारी की गयी थी । जिलाधिकारी, मुरादाबाद उक्त के अलावा शासन स्तर से श्री अब्दुल सबूर, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत भोजपुर धर्मपुर जनपद मुरादाबाद को भी निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही करने के निर्देश शासकीय पत्र संख्या–5197(2)/9-1-98-65च/96, दिनांक 2-6-99 द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय उ०प्र० लखनऊ को जारी कर दिये गये थे जिसके अनुपालन में श्री सबूर को निदेशक, स्थानीय निकाय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–6/1095/140/अ०अ०न०पं/93, दिनांक 24-4-2000 द्वारा निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही सम्प्रति की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (सिविल) श्री ए० के० माथुर द्वारा दी गयी जांच रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

97–श्री जय प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (सिविल) श्री ए० के० माथुर, द्वारा फर्जी जांच रिपोर्ट देकर करोड़ों रुपये की क्षति विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-6-2000 जो कि मुख्य मंत्री, को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्न में संदर्भित पत्र उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के पूर्व सचिव की अवैध परिसम्पत्तियों की जांच के परिप्रेक्ष्य में देयकों को रोकने विषयक विधायक के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

98–श्री जय प्रकाश, श्री कोविद कुमार तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि यू० पी० पावर कार्पोरेशन लि० के सतर्कता शाखा द्वारा बीसी–49/99 जो कि पूर्व सचिव के अवैध परिसम्पत्तियों की जांच एवं सत्य निष्ठा संदिग्ध अधिकारियों को संवेदनशील पदों पर तैनाती विषयक था, राज्य सतर्कता शाखा को जांच कब सौंपी गई ? क्या इस संबंध में श्री हरदेव सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 29-1-2000 जो कि देयकों को तत्काल रोकने के संबंध में था, और मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सन्दर्भित प्रकरण की जांच उ० प्र० सतर्कता अधिष्ठान को दिनांक 9-12-1999 को सौंपी गई है ।

जी हां ।

सन्दर्भित पत्र उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ को दिनांक 29-4-2000 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० विद्युत उत्पादन निगम लि० के अन्तर्गत सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लम्बित मामलों को निस्तारित कर अन्तिम भुगतान किये जाने की मांग

99–श्री हरदेव सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लम्बित मामलों को निर्णीत कर अंतिम भुगतान करने संबंधी श्री सुरेन्द्र पाल सिंह, अध्यक्ष (शाखा अनपरा), उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ का पत्र दिनांक 22-6-2000 जो कि महाप्रबन्धक, अनपरा "अ" तापीय परियोजना, सोनभद्र तथा अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक विद्युत उत्पादन

निगम लिमिटेड को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

अधिकांश मामलों में अन्तरिम पेंशन एवं ग्रेच्युटी स्वीकृत की जा चुकी है । सभी मामलों को फाइनल करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

100–श्री हरदेव सिंह तथा श्री जय प्रकाश

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

101–श्री हरदेव सिंह तथा श्री जय प्रकाश–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

वसीका मैनुअल के नियम–7(बी) के अनुसार वसीकादारों को प्रदत्त राशिकरण की सुविधा का प्रकरण

102–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री को जानकारी है कि वसीका मैनुअल के नियम "7" (बी०) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वसीकादारों को स्वैच्छिक राशिकरण (कम्यूटेशन) की सुविधा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जिन वसीकादारों द्वारा राशिकरण कराये 20 वर्ष पूरे हो गये हैं, उन्हें बेचे गये वसीकों को पुनः स्थापन (रिस्टोरेशन) की सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गजनफर अली खां–

जी नहीं, वसीका मैनुअल के नियम 7 (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा वसीकादारों को वसीका संराशिकरण की सुविधा प्रदान की गयी है ।

चूंकि विषयगत प्रकरण भारत सरकार के क्षेत्राधिकार का नीतिगत मामला है । अतः इस सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ स्थित जानकीपुरम् कालोनी में सेक्टर एफ फेज–1 में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग

103–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर–एफ, फेज–1 में सीवर व्यवस्था, सफाई, बिजली और सड़कों की मरम्मत के संबंध में जानकीपुरम् कल्याण समिति, लखनऊ का कोई पत्रांक म०म०–98-99/29 दिनांक 12-3-1999 उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

(क) जी हां ।

(ख) प्रश्न में उल्लिखित जानकीपुरम् कल्याण समिति के पत्र में समस्याओं से सम्बन्धित कुल 10 बिन्दुओं का उल्लेख है जिसके सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :–

रिंग रोड स्थित सम्पवेल को क्रियाशील कर दिया गया है, क्षेत्र की सभी सीवर लाइनों को एक-दूसरे से जोड़ते हुए सीवर का अन्तिम निस्तारण सम्पवेल के माध्यम से सुचारु रूप से किया जा रहा है । तात्पर्य यह कि वर्तमान में यहां सीवरेज समस्या नहीं रह गयी है । सेक्टर–एफ, फेज–1 में जाने वाले मुख्य मार्ग को ठीक कर दिया गया है । उक्त कालोनी का सेक्टर–एफ एवं जी नगर निगम को हस्तान्तरित है । इसके अन्दर सड़कों एवं नालियों के विकास कार्य हेतु रु० 69.12 लाख दिये जा चुके हैं । पानी के समुचित निकासी हेतु मुख्य नाले की सफाई बरसात के पूर्व करा दी गयी थी जिससे इस वर्ष इस क्षेत्र में जल भराव की समस्या उत्पन्न नहीं हुई । फेज–1 में कुल 3 पार्क हैं जो पूर्णरूपेण विकसित हैं। केवल एक पार्क के मिट्टी का लेबिल अपेक्षाकृत कम है । किसी भी पार्क में सीवर की पम्पिंग नहीं हो रही है । मार्ग प्रकाश व्यवस्था ठीक है । जलापूर्ति सन्तोषजनक है । पीने का पानी कीचड़युक्त नहीं है। शमशान स्थल पर चहारदीवारी का निर्माण करा दिया गया है । फेज–1 के 1 किमी० की परिधि में स्वास्थ्य/सामुदायिक केन्द्र/स्कूल की सुविधा उपलब्ध है । कालोनी का सेक्टर–एफ एवं जी नगर निगम को हस्तान्तरित कर दिया गया है । अतः सफाई का कार्य नगर निगम द्वारा कराया जा रहा है । रिक्त भूखण्डों पर अतिक्रमण समय-समय पर हटाये जाते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ स्थित जानकीपुरम् कालोनी के सेक्टर–एफ, फेज–1 के आवंटियों द्वारा विकास हेतु वांछित धन जमा करने के बाद भी विकास कार्य सम्पादित कराने का प्रकरण

104–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या अवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जानकीपुरम् सेक्टर–एफ, फेज–1 लखनऊ के आवंटियों द्वारा विकास कार्य हेतु वांछित धन जमा कराने के बाद भी लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त कालोनी का विकास नहीं किया गया है ? क्या यह सही है कि विकास कार्य न होने के कारण उक्त कालोनी नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं हो पायी है और अध्यासियों से सन् 1994 से नगर निगम, लखनऊ द्वारा गृह कर की वसूली की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जानकीपुरम् सेक्टर–एफ, फेज–1 में विकास कार्य कराये गये हैं ।

जी नहीं । प्रश्नगत कालोनी नगर निगम को वांछित धनराशि देते हुए हस्तान्तरित कर दी गयी है ।

नियमानुसार नगर निगम द्वारा गृहकर की वसूली की जा रही है ।

नगर निगम द्वारा गृहकर की वसूली नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक भवन से किये जाने का प्राविधान है । इसका सम्बन्ध स्थान विशेष के विकास कार्य से नहीं है अपितु महापालिका की सीमा के अन्तर्गत आने वाली समस्त जनसुविधाओं के निमित्त यह वसूली की जाती है ।

अध्यक्ष, नगर पालिका पंचायत भोजपुर जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध पारित अविश्वास प्रस्ताव का प्रकरण

105–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि अध्यक्ष नगर पंचायत भोजपुर, जिला मुरादाबाद के विरुद्ध गत वर्ष 1999 में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ? अभी तक अध्यक्ष पद के रिक्ति की घोषणा न किये जाने के क्या कारण हैं ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उक्त अध्यक्ष का पद कब तक रिक्त घोषित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

मोहम्मद असलम, अध्यक्ष, नगर पंचायत भोजपुर, जनपद मुरादाबाद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दिनांक 15-9-99 को पारित हुआ ।

अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में मो० असलम, अध्यक्ष, नगर पंचायत भोजपुर, जनपद मुरादाबाद द्वारा मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या–39211/99 योजित की गयी जिस पर मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने दिनांक 14-9-99 को यह आदेश पारित किये कि अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम याचिका के निर्णय पर आधारित होगा । याचिका में जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा प्रतिशपथ पत्र दाखिल कर दिया गया है तथा अभी तक याचिका में कोई अन्तिम निर्णय मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित नहीं किया गया है जिसके कारण अध्यक्ष पद रिक्ति की घोषणा नहीं की गयी है ।

प्रकरण मा० उच्च न्यायालय में विचाराधीन है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

मा० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निदेशक (पारेषण) यू०पी० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा विभाग को करोड़ों रुपये की क्षति एवं प्राइवेट फर्मों को लाभ पहुंचाने विषयक विधायक का शिकायती-पत्र

106–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि निदेशक (पारेषण), यू० पी० पावर कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा करोड़ों की क्षति एवं फर्मों को लाभ पहुंचाने विषयक श्री हरदेव सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 1-7-2000 जो कि मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही करने हेतु उ० प्र० पावर कारपोरेशन को निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

107–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

108–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

अवध के परिवारजनों के वसीकेदारों को वसीके की जमा मूल धनराशि पर ब्याज के भुगतान का प्रकरण

109–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री को जानकारी है कि अवध के परिवारजनों को राज्य सरकार द्वारा वसीकेदारों को वसीकों की जमा मूल धनराशि पर 4 से 6 प्रतिशत की दर से ब्याज की राशि मासिक वसीका के रूप में भुगतान की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार वसीकादारों को वर्तमान प्रचलित ब्याज दर पर मासिक वसीका भुगतान किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा गजनफर अली खाँ–

अवध परिवार जनों के वसीकेदारों को वसीके की जमा मूल धनराशि पर 4 से 6 प्रतिशत की दर से प्राप्त ब्याज का भुगतान भारत सरकार के निर्देशों के तहत ईस्ट इण्डिया कम्पनी और अवध के नवाबों के मध्य हुए समझौते के अन्तर्गत मासिक वसीके के रूप में किया जाता है ।

चूंकि विषयगत प्रकरण भारत सरकार के क्षेत्राधिकार का नीतिगत मामला है । अतः इस सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्णयों के अनुसार कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

उपरोक्तानुसार ।

110–श्री जय प्रकाश–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण का प्रकरण

111–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासनादेश संख्या 251–वे० प्र०–30/राविप/98-3 वेप्र०/98 के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण का लाभ क्या उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के कर्मचारियों को मिल रहा है ? यदि नहीं, तो किन-किन जिलों में वेतन पुनरीक्षण का लाभ कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है ? विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इमामबाड़ा अमजद अली शाह, हजरतगंज स्थित नवाब सुल्तान बहादुर की भूमि को फ्रीहोल्ड किये जाने पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रकरण

112–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नवाब सुल्तान बहादुर ने इमामबाड़ा अमजद अली शाह, हजरतगंज स्थित अपनी सम्पत्ति का हस्तान्तरण रजिस्टर्ड डीड

दिनांक 14/15-10-1921 द्वारा लखनऊ इम्प्रूमेंट ट्रस्ट वर्तमान में लखनऊ विकास प्राधिकरण को किया था ? क्या यह सही है कि रजिस्टर्ड डीड की शर्तों के आधार पर उनके उत्तराधिकारियों को रु० 300/- मासिक एन्यूटी की अदायगी जमानत के रूप में लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ को कुल ट्रस्ट व नजूल सम्पत्ति दिये जाने की तहरीर की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नजूल सम्पत्ति को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा फ्री होल्ड किये जाने पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

(क) जी हां, सम्बन्धित रजिस्टर्ड डीड दिनांक 14/15-10-1921 को सर्वश्री नवाब सुल्तान बहादुर तथा बाबू ब्रजमोहन दयाल द्वारा लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के पक्ष में निष्पादित की गयी थी ।

(ख) उल्लिखित तथ्य जैसा कि प्रश्न में वर्णित है, सही नहीं है । वस्तुस्थिति यह है कि विक्रेताओं द्वारा अपने निजी स्वामित्व की भूमि रकबा बी–16-7-12-11 तथा उसकी बाउण्ड्री के अन्दर स्थित सारी भूमि का डीड निष्पादित किया गया था, उसमें कोई नजूल भूमि सम्मिलित नहीं है । नजूल भूमि के सम्बन्ध में डीड में केवल इतना ही उल्लेख है कि प्राधिकरण के स्वामित्व व कब्जे की कुल ट्रस्ट व नजूल भूमि पर विक्रेता नं०–1 (नवाब सुल्तान बहादुर) को दी जाने वाली रु० 300.00 प्रति माह एन्यूटी भारित की गयी थी ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण अभिलेखों में उक्त भूमि निजी स्वामित्व की भूमि के रूप में दर्ज है। यह नजूल भूमि के अन्तर्गत नहीं है । अतएव नजूल भूमि के फ्री-होल्ड पर रोक लगाये जाने का प्रश्न नहीं उठता । सम्बन्धित पक्ष का अपनी आय से एन्यूटी का नियमानुसार भुगतान करने हेतु प्राधिकरण वचनबद्ध है तथा इस हेतु उसकी सम्पत्ति भारित होगी । सम्पत्ति के विक्रय पर कोई रोक नहीं है । इसके अतिरिक्त नजूल भूमि प्राधिकरण की सम्पत्ति नहीं है, वरन राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है । इसलिए प्राधिकरण की देनदारी के प्रति नजूल भूमि का उत्तरदायित्व विधिक रूप से नहीं बनता।

(घ) उपरोक्त "ग" अनुसार ।

नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) के सार्वजनिक कुओं से लगी भूमि पर दूर संचार विभाग द्वारा अवैध भवन निर्माण का प्रकरण

113–श्री बादशाह सिंह तथा श्री जय प्रकाश

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) के सार्वजनिक कुओं से लगी भूमि पर जहां नगर वासियों के द्वारा शुभ-मुहूर्त पर पूजा-पाठ किया जाता था, पर अवैध कब्जा कर भवन निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध निर्माण को हटाकर दोषी को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

उक्त स्थल पर कोई अवैध निर्माण नहीं कराया जा रहा है बल्कि नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर उक्त भूमि दूर संचार विभाग के नाम हस्तान्तरित कर दी गयी है । जिसमें एक कुआं भी है । दूर संचार विभाग द्वारा भवन निर्माण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के राजाजीपुरम् कालोनी में जलालपुर रेलवे क्रासिंग से पारा कालोनी तक नाली सफाई एवं सड़क मरम्मत कराने की मांग

114–श्री अजय कुमार पोइया–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–94 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रश्नगत सड़क मरम्मत के कार्य एवं जल निकासी हेतु धन आवंटित किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क का मरम्मत एवं जल निकासी का कार्य पूरा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत सड़क की मरम्मत हेतु धन आवंटित किया गया है ।

सड़क मरम्मत का कार्य प्रगति पर है । जल निकासी हेतु नाली की सफाई करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यथाशीघ्र उक्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा ।

विद्युत चोरी को रोकने एवं ढीले तारों को ठीक कराने के सम्बन्ध में विधायक का पत्र

115—आचार्य रामदेव वैश्य–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंहासन सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 12 जुलाई, 2000 जो विद्युत चोरी व ढीले विद्युत तारों को ठीक करने के सम्बन्ध में है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अवैध रूप से कटिया लगाकर विद्युत चोरी करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

अवैध रूप से कटिया लगाकर विद्युत चोरी करने वालों को विशेष अभियान चलाकर उन्हें चिन्हित करके कारपोरेशन के वर्तमान नियमानुसार उन्हें नियमित किया जा रहा है ।

अनुरक्षण मद के धन से आवश्यकतानुसार ढीले तारों को ठीक किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर, नजीबाबाद के अन्तर्गत दलित बस्ती मो० दरोदग्रान में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प स्थापित कराने हेतु धन आवंटन का प्रकरण

116–श्री मूलचन्द–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि दलित बस्ती मो० दरोदग्रान–नजीबाबाद जनपद–बिजनौर में पेयजल समस्या के निराकरण हेतु दो इन्डिया मार्का हैण्ड पाइप जिला विकास अधिकारी, बिजनौर के पत्रांक 1817/डीपीसी/गा०स० दि० 6-8-98 एवं पत्रांक 2430/डीपीसी/ पानी समस्या दि० 2-9-98 स्वीकृत किये गये थे ? क्या यह सही है कि उ० प्र० जल निगम बिजनौर को रु० 40,000 आवंटित न किये जाने के कारण हैण्ड पाइप स्थापित नहीं किये गये हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक 9-9-99, 19-9-99 एवं 5-10-99 जिलाधिकारी–बिजनौर को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां। नगरीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष के आय-व्ययक में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण वांछित धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी।

प्रतापगढ़ नगर स्टेशन रोड कासिम टेलर्स के सामने की गली में ट्रान्सफार्मर लगाने की मांग

117–श्री बांकेलाल सोनकर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अब्दुल सलाम, स० वि० स० का पत्र जो शहर प्रतापगढ़ में स्टेशन रोड पर कासिम टेलर्स के सामने की गली में ट्रांसफार्मर लगाये जाने हेतु ऊर्जा मंत्री के कार्यालय के पत्र संख्याः 6816 दिनांक 25-5-2000 के साथ निदेशक, वितरण को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

प्रतापगढ़ नगर में स्टेशन रोड कासिम टेलर्स की गली के सामने 11 के०वी० लाइन बनाकर, 250 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर लगाने हेतु पैकेज स्वीकृत कर दिया गया है। धन की उपलब्धता एवं कार्यों की पारस्परिक वरीयता के अनुसार कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा निर्मित संगलाकोटी, तिलखोली, वनेष–दिउसी–धापला आदि मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने की मांग

118–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा निर्मित संगलाकोटी–तिलखोली, वनेष–दिउसी–धापला, किनगोडीधार–सल्डा, बगानीखाल–दिउसा, कुणजखाल–कोलाखाल, बडोली–बिजोली, बांघाट–वाली एवं विरमोली खाल–याक्यूसैंण मोटरमार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद चम्पावत में मानेश्वर से राजपुरा लिंक मार्ग के अवशेष मार्ग के निर्माण की मांग

119–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद चम्पावत में मानेश्वर से राजपुरा तक लिंक मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त लिंक मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त लिंक मार्ग को मानेश्वर लमकवियां, भरछाना, किल्लूमरा ग्रामों को जोड़ते हुए राजपुरा तक बनवाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

उक्त मार्ग का निर्माण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पिथौरागढ़ द्वारा अवमुक्त धनराशि से प्रारम्भ किया गया था, अवशेष धनराशि प्राप्त न होने के कारण निर्माण कार्य अधूरा रह गया है।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से अवशेष धनराशि अवमुक्त होने पर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

अवशेष धनराशि अवमुक्त होने पर इन ग्रामों को जोड़ते हुए कार्य पूर्ण कराया जा सकता है।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चण्डीगांव के आवासीय भवनों के निर्माण के पुनरीक्षित आंगणन की स्वीकृति की मांग

120–श्री मोहन सिंह रावत "गांववासी"–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चण्डीगांव, पौड़ी के आवासीय भवनों के निर्माण के पुनरीक्षित आंगणन लागत रु० 48.34 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भवनों का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

121—श्रीमती सुमनलता सिंह–

[1ले बुधवार में अता० प्र० सं०–46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सिद्धार्थनगर, विकास खण्ड खेसरहा के अन्तर्गत ग्राम मेहनुआ के विद्युतीकरण का प्रकरण

122–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड खेसरहा के ग्राम मेहनुमा, ग्राम पंचायत चिउटहा में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु गत कई माह पूर्व खम्भे दिये गये हैं किन्तु विद्युतीकरण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उक्त विद्युतीकरण कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं। उक्त ग्राम के विद्युतीकरण हेतु किसी भी मा० सांसद/विधायक द्वारा चयनित नहीं किया गया है, न ही किसी अन्य योजना में यह ग्राम चयनित है। इसलिए इस ग्राम का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के गोमतीनगर कालोनी के विशाल खण्ड–1 आवास सं०–1/812 के सामने स्थित पार्क को विकसित कराने की मांग

123—श्री राम औतार शाक्य–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ की आवासीय कालोनी गोमती नगर के विशाल खण्ड–1 में अमर शहीद कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय के भवन के पास मकान नम्बर 1/812 से 1/818 के सामने स्थित पार्क को विकसित किये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या उक्त पार्क को विकसित करके उक्त कालोनी में वृक्षारोपण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं, फिर भी स्थानीय निवासियों द्वारा पार्क के रखरखाव करने की मौखिक सहमति दिये जाने के उपरान्त पार्क में आवश्यक मरम्मत, रंगाई-पुताई आदि कार्य पूर्व में ही करा दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा वर्तमान में पुनः उक्त पार्क की सफाई कराकर ट्री गार्ड लगाकर पार्क के अन्दर चारों तरफ शोभाकार पौधों का रोपण कराया जा चुका है तथा पार्क में उगी हुई मौसमी घासों की सफाई भी करा दी गयी है।

प्राधिकरण अपनी सभी आवासीय योजनाओं में सभी आवश्यक सेवायें आदि उपलब्ध कराते हैं तथा संसाधनों की सीमा में उनके रखरखाव की व्यवस्था करते हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

पूर्वांचल विकास निधि की धनराशि से जनपद फैजाबाद कटेहरी के ग्राम रेहड़ी सम्पर्क मार्ग के निर्माण का प्रकरण

124–श्री लालजी वर्मा–

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश की धनराशि से माननीय विधायकों की संस्तुति के उपरान्त कोई योजना बनायी जाती है ? यदि हां, तो क्या जनपद फैजाबाद के जिलाधिकारी द्वारा वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र कटेहरी के अन्तर्गत स्वीकृत रेहड़ी सम्पर्क मार्ग हेतु स्वीकृत धन को बिना माननीय विधायक की संस्तुति के परिवर्तित कर किसी अन्य मार्ग पर खर्च किया जा रहा है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

नियोजन अर्थ एवं संख्या राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

दूर संचार विभाग से प्राप्त रोड कटिंग की धनराशि को मरम्मत कार्य पर खर्च किये जाने की मांग

125–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि दूरसंचार विभाग द्वारा केबिल बिछाये जाने हेतु सड़कों व गलियों की खुदाई तथा रोड कटिंग की धनराशि सम्बन्धित नगर निगम/नगर पंचायतों की मांग पर भुगतान कर दी जाती हैं ? क्या विभागों के बीच कोई भी समन्वय नहीं होता है ? क्या उक्त धनराशि से टूटी हुई सड़कों के पुनः निर्माण की बाध्यता न होने से धनराशि अन्य मदों में व्यय कर दी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस नीति बनायेगी और उसे लागू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

विभागों के बीच समन्वय रहता है ।

जी नहीं ।

इस हेतु पृथक से किसी नीति की आवश्यकता नहीं है । स्थानीय निकायों को प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

126–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

जनपद लखनऊ के पारा कालोनी, राजाजीपुरम् में नाग मन्दिर से हैदर कैनाल तक नाले के निर्माण की मांग

127–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि पारा कालोनी राजाजीपुरम्, लखनऊ में पारा रोड के दोनों ओर जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जलभराव की गम्भीर समस्या बनी हुई है ? यदि हां, तो क्या नाग मन्दिर के पूर्व स्थित रोड के किनारे चौड़ा एवं गहरा नाला बनाकर उतरठिया रेलवे लाइन के नीचे स्थित बाईपास से होकर हैदर कैनाल को जोड़ने वाले नाले से मिलाकर जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु धन आवंटित करके उक्त कार्य को पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रथम चरण में 150 मीटर तक लम्बे नाले का निर्माण कार्य हैदर कैनाल की तरफ से पूर्ण हो चुका है ।

द्वितीय चरण का कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर नगर निगम द्वारा कराया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के पारा कालोनी राजाजीपुरम् को 33/11 के० वी० उपगृह से जोड़े जाने का प्रस्ताव

128–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मा० ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पारा कालोनी राजाजीपुरम्, लखनऊ को राजाजीपुरम् विद्युत उपकेन्द्र से जोड़े जाने हेतु पारा कालोनी नाग मन्दिर तक 11000 वोल्ट की विद्युत लाइन छः माह पूर्व बना दी गयी है ? यदि हां, तो क्या राजाजीपुरम् विद्युत उपकेन्द्र से पारा कालोनी को उक्त निर्मित विद्युत लाइन से विद्युत की आपूर्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

वर्तमान में 2×8 एम० वी० ए० राजाजीपुरम् विद्युत उपकेन्द्र पूर्ण रूपेण भारित है । पारा कालोनी की विद्युत आपूर्ति राजाजीपुरम् में प्रस्तावित दूसरे 33/11 के०वी० उपगृह के निर्माण के पश्चात् ही सम्भव होगी । क्षेत्रीय जनता के विरोध के कारण प्रस्तावित उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य स्थगित है। अन्य स्थान पर प्रस्तावित उपकेन्द्र का निर्माण किया जायेगा । इसके बाद पारा कालोनी की विद्युत आपूर्ति नये 33 के०वी० उपकेन्द्र राजाजीपुरम् से जोड़ दी जायेगी ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी कानपुर रोड योजना के सेक्टर–डी०–1 की पार्क की सफाई/सौन्दर्यीकरण की मांग

129–श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के दूसरे शुक्रवार को प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अता० प्र० सं०–32 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत जांच आख्या सदन के पटल पर न रखने के क्या कारण हैं ? क्या इस जांच आख्या के आधार पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जांच आख्या की प्रति मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसे कार्यालय अवधि में देखा जा सकता है।

जी हां।

स्व० श्री धर्मेन्द्र लाल, अवर अभियन्ता के विरुद्ध डाली गयी विधि प्रकीर्ण धनराशि रु० 4,14,892.90 में से रु० 1,41,262.76 की धनराशि की वसूली/समायोजन कर लिया गया है।

जनपद हरदोई में 33/11 के०वी० उपकेन्द्र बिलग्राम पर विद्युत कर्मचारी हड़ताल के दौरान लगाये गये विद्युत अप्रेन्टिस/आई० टी० आई० डिप्लोमा धारकों को मानदेय का भुगतान

130–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत कर्मचारी हड़ताल के दौरान फरवरी, 1999 में विद्युत अप्रेन्टिस व आई०टी०आई० डिप्लोमा धारकों व दिनांक 14 जनवरी, 2000 में पुनः विद्युत कर्मचारी हड़ताल के दौरान 33 के०वी० सब स्टेशन बिलग्राम जिला हरदोई में जो अप्रेन्टिस व आई०टी०आई० डिप्लोमा धारक लगाये गये थे उन्हें शासन द्वारा मानदेय दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

विद्युत कर्मचारी हड़ताल फरवरी, 99 की अवधि के दौरान 33 के०वी० सब स्टेशन बिलग्राम, जिला हरदोई में कोई विद्युत अप्रेन्टिस व आई० टी० आई० डिप्लोमा धारक नहीं लगाये गये थे।

विद्युत कर्मचारी हड़ताल दिनांक 14 जनवरी, 2000 के दौरान जो विद्युत अप्रेन्टिस व आई० टी० आई० डिप्लोमा धारक जिला प्रशासन द्वारा 33/11 के०वी० उपकेन्द्र बिलग्राम, जनपद हरदोई पर लगाये गये थे उनके मानदेय का भुगतान जिला प्रशासन के माध्यम से किया जा चुका है जिनकी कुल संख्या–7 थी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कन्नौज, ब्लाक सौरिख, अम्बेडकर ग्राम सिकन्दरपुर के विद्युतीकरण की मांग

131—श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अम्बेडकर ग्राम सिकन्दरपुर (नगरिया सुख) ब्लाक सौरिख, जनपद कन्नौज का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त ग्राम का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ग्राम की कुल आबादी 782 है, 1000 से कम आबादी होने के कारण विद्युतीकरण के मानक में नहीं आता है।

जी नहीं।

निर्धारित मानक के अन्तर्गत न आने के कारण।

132—श्री राम औतार शाक्य–

[1ले बुधवार में अता० प्र० सं०–183 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव व बेवर में नियमित विद्युत आपूर्ति की मांग

133—श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव एवं बेवर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में भारी कटौती की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

विद्युत मांग के सापेक्ष विद्युत उत्पादन में कमी एवं प्रणाली की विषम परिस्थितियों में प्रणाली को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए कभी-कभी आपात विद्युत कटौती करना अनिवार्य हो जाता है, इसके अतिरिक्त स्थानीय दोषों/ब्रेक डाउन आदि के कारण भी विद्युत आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है, जिसको तत्परता से दूर कर विद्युत आपूर्ति को सामान्य करने के सभी सम्भव प्रयास किये जाते हैं ।

विद्युत उत्पादन में सुधार आने पर उक्त क्षेत्रों के लिए निर्धारित कार्यक्रमानुसार नियमित विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव होगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ मोहान रोड स्थित मोहल्ला बिहारीपुर के दूध डेरियों को शहर से बाहर हटाने का प्रकरण

134—श्री राम औतार शाक्य–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित मोहल्ला बिहारीपुर मोहान रोड आवास विकास कालोनी राजाजीपुरम् के सेक्टर–13 के पीछे पावर हाउस के पास अधिकांश दूध डेरियां चलायी जा रही हैं जिससे उक्त मोहल्ले में गन्दगी बनी रहती है ? क्या नगर निगम, लखनऊ द्वारा उक्त दूध डेरियों को शहर के बाहर स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

संदर्भित स्थल पर वर्तमान में कोई दूध डेरी नहीं चलाई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद हरदोई मल्लावां के अन्तर्गत ग्राम पवियानी में छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण की मांग

135–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पवियानी में छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण हेतु स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता, हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक उक्त ग्राम पवियानी के छूटे मोहल्लों का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ग्राम पवियानी के छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण का स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता, हरदोई के कार्यालय में विचाराधीन नहीं है।

किसी भी योजना में सम्मिलित न होने एवं चयनित न होने के कारण विद्युतीकरण करना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

जनपद बलिया के विकास खण्ड–मुरली छपरा के ग्राम इब्राहिमाबाद में आई० टी० आई० के निर्माणाधीन भवन को पूर्ण कराने की मांग

136–श्री भरत सिंह–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विकास खण्ड-मुरली छपरा के ग्राम इब्राहिमाबाद में आई०टी०आई० के भवन निर्माण हेतु वांछित धनराशि अवमुक्त कर दिये जाने के बावजूद अभी तक उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जनहित में उक्त निर्माण कार्य पूर्ण कराते हुए आई०टी०आई० प्रशिक्षण कार्य शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्मपाल सिंह–

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इब्राहीमाबाद, बलिया के भवन निर्माण हेतु अनुमानित आगणन रु० 96.85 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। जिसमें से भवन निर्माण पर रु० 58.02 लाख व्यय किये जा चुके हैं एवं भवन निर्माण की भौतिक प्रगति 40 प्रतिशत है। निर्माण कार्य पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्था से रु० 152.94 लाख का पुनरीक्षित आगणन प्राप्त हुआ है। जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

जी हां,

निर्माण कार्य पूर्ण होने पर आई० टी० आई० प्रशिक्षण कार्य संस्थान में शुरू किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, गोमतीनगर कालोनी विस्तार योजना में स्थित भूमि को अधिग्रहण से मुक्त किये जाने का प्रकरण

137–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नगर कालोनी, लखनऊ के विस्तार योजना में ग्राम हुसेड़िया की भूमि पर पहले से बने मकानों को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम की भूमि पर पहले से निर्मित मकानों में से श्री कौशल किशोर तथा श्री एस० एन० सिंह यादव के मकानों को अधिग्रहण से मुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार इन व्यक्तियों के भी निर्मित भवनों को अधिग्रहण से मुक्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वर्ष 1984 में भूमि का अधिग्रहण योजना में किया गया था। अर्जन के समय कथित भूमि पर भवन निर्मित नहीं थे।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1984 में भूमि का अधिग्रहण योजना में किया गया था, अर्जन के समय कथित भूमि पर भवन निर्मित नहीं थे।

जनपद हरदोई, निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां के ग्राम म्योरा में छूटे मुहल्लों में विद्युतीकरण का प्रकरण

138–डा० धर्मज्ञ मिश्र--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम म्योरा में स्वीकृत विद्युतीकरण में छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण हेतु स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता, हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम म्योरा के छूटे मोहल्लों का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ग्राम म्योरा के छूटे मोहल्लों के विद्युतीकरण का स्टीमेट अधीक्षण अभियन्ता, हरदोई के कार्यालय में विचाराधीन नहीं है।

किसी भी योजना में सम्मिलित न होने एवं चयनित न होने के कारण विद्युतीकरण करना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

अतः समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

जनपद लखनऊ, मो० दुगावां के आवास सं० 148/147 के सामने इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्प पुनः अधिष्ठापित करने का प्रकरण

139–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1999 में म० नं०–148/147 दुगावां, लखनऊ के सामने व उसके आस-पास के क्षेत्रों में लगभग आधा दर्जन से भी अधिक इण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्प लगाये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त लगाये गये हैण्ड पम्पों में कभी भी पानी नहीं आया ? क्या उक्त खराब हैण्ड पम्पों का भुगतान भी कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हैण्ड पम्पों को ठीक कराकर दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्ष 1999 में केवल मकान नं०–148/147 के सामने एक हैण्डपम्प अधिष्ठापित किया गया था।

जी नहीं।

प्रश्नगत हैण्डपम्प की असेम्बली 5-6 माह पूर्व गायब पाई गयी जिसकी सूचना प्राप्त होने पर दिनांक 5-8-2000 को अधिशासी अभियन्ता, द्वितीय निर्माण शाखा, उ० प्र० जल निगम, लखनऊ द्वारा थाना नाका हिंडोला, लखनऊ में चोरी की रिपोर्ट दर्ज. करायी गयी।

प्रश्नगत हैण्डपम्प सफलतापूर्वक अधिष्ठापित हुआ था। अतः अधिष्ठापन के उपरान्त भुगतान कर दिया गया है।

जन आवश्यकताओं को देखते हुए प्रश्नगत स्थल पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के दुगावां मोहल्ले में जर्जर विद्युत तारों को बदलकर समस्त फेसों से विद्युत आपूर्ति की मांग

140–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि भवन संख्या–148/132 से लेकर भवन संख्या–148/169, दुगावां , लखनऊ के आस-पास के क्षेत्रों में जर्जर बिजली के तार द्वारा एक ही फेस से बिजली की

आपूर्ति हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जर्जर बिजली के तारों को बदल कर समस्त फेसों पर बिजली आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जर्जर बिजली के तारों को बदलकर समस्त फेसों पर बिजली आपूर्ति कर सम्पूर्ण कार्य 30-7-2000 को समाप्त करा दिया गया है ।

141-142–श्री जय प्रकाश–

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित]

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अपर सचिव तृतीय के विरुद्ध सतर्कता जांच का प्रकरण

143–श्री जय प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् (यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड) के अन्तर्गत अपर सचिव, तृतीय द्वारा परिषद् को करोड़ों की क्षति पहुंचाने विषयक श्री जय प्रकाश, एम०एल०ए० का पत्र दिनांक 7-5-2000 जो मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक, यू० पी० पावर कारपोरेशन लिमिटेड को सम्बेधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

उक्त पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर कार्यवाही की स्थिति निम्नवत् है :—

(1) वर्ष 1993 की उच्च अधिकारियों के साथ दुव्यर्वहार की घटना के संबंध में श्री पी० एन० तिवारी को आरोप पत्र हस्तगत करा दिये गये हैं । इस प्रकरण में निदेशक (कार्मिक एवं प्रबन्धन) के विरुद्ध कथित रूप से आरोप-पत्र का निर्गमन रुकवाने का आरोप निराधार है ।

(2) श्री तिवारी की दै० श्रे० लि० के पद पर नियुक्ति की तिथि से अनुमोदित किये जाने के आदेश पूर्ववर्ती उ० प्र० रा० वि० प० के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा पारित किये गये थे । संदर्भगत निर्णय की प्रक्रिया में श्री एस० पी० श्रीवास्तव अपर सचिव (सम्प्रति सेवा निवृत्त) की कोई भूमिका नहीं थी ।

(3) श्री बसन्त लाल जायसवाल की वरिष्ठता का पुनर्निर्धारण प्रचलित प्रक्रिया एवं नियमानुसार किया गया है ।

(4) मा० विधान सभा अध्यक्ष ने श्री तिवारी के विरुद्ध जांच विषयक आदेश दिनांक 9-3-99 शिकायती-पत्र दिनांक 27-2-99 कारपोरेशन में प्राप्त होने पर उसमें निहित निर्देशानुसार श्री पी० एन० तिवारी के विरुद्ध जांच सम्पादित करने हेतु श्री एन०डी० गुप्ता, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता (पारेषण) को जांच अभिदिष्ट की गयी परन्तु इसी मध्य मा० उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या–1925/99 नन्द लाल जायसवाल बनाम राज्य एवं अन्य के संदर्भ में शासन द्वारा अन्य शिकायती-पत्रों के साथ श्री जायसवाल के दिनांक 27-2-99 के पत्र पर भी जांच कार्य सीधे पूर्ववर्ती परिषद् की सतर्कता इकाई को अभिदिष्ट किये जाने की स्थिति संज्ञान में आने पर प्रश्नगत विभागीय जांच कराने की आवश्यकता नहीं समझी गयी । सतर्कता इकाई की जांच आख्या के आधार पर शासन से जारी निर्देशों के अनुपालन में श्री नन्द लाल जायसवाल एवं श्री पी० एन० तिवारी द्वारा परस्पर लगाये आरोपों-प्रत्यारोपों के संबंध में जांच निगम की सतर्कता शाखा को अभिदिष्ट किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं तद्नुसार कार्यवाही की जा रही है ।

उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० के अन्तर्गत कार्यालय मुख्य अभियन्ता (परि० एवं नि०) गंगा भवन देहरादून के कर्मचारी के स्थानान्तरण का प्रकरण

144–श्री जय प्रकाश–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड के अन्तर्गत कार्यालय मुख्य अभियन्ता (परि० एवं नि०), गंगा भवन देहरादून के कर्मचारियों का स्थानान्तरण एवं आमेलन हेतु विकल्प-पत्र एवं उनका मानसिक एवं आर्थिक उत्पीड़न को रोकने विषयक श्री तीरथ सिंह रावत, एम०एल०सी० का पत्र दिनांक 24-7-2000 एवं श्री जय प्रकाश, विधायक का पत्र दिनांक 22-7-2000 जो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

(I) जी हां, श्री तीरथ सिंह रावत, भगत सिंह कोशवारी, जय प्रकाश एवं हरदेव सिंह मा० सदस्यों का एक संयुक्त पत्र दिनांक 24-7-2000 को प्राप्त हुआ था।

पत्र में संदर्भित श्री नन्द लाल जायसवाल, क०पा०लि० के स्वयं के अनुरोधानुसार उन्हें उ०प्र० ज० वि० नि० से उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में अध्यक्ष, जल विद्युत निगम लि० के पत्र सं०–1675-प्र०अ०-1/जविनिलि०/2000, दिनांक 27-7-2000 द्वारा प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० से उन्हें बिना प्रतिस्थानी के कार्यमुक्त किये जाने हेतु सहमति दे दी गयी थी।

(II) श्री जय प्रकाश, विधायक का पत्र दिनांक 22-7-2000 प्राप्त हुआ था जिसमें श्री नन्दलाल जायसवाल क०पाण्डुलिपिक को उ० प्र० जल विद्युत निगम लि० से उ० प्र० पावर कारपोरेशन के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया था।

विधायक जी के उक्त पत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु जल विद्युत निगम लि० के पत्र सं०–1866-प्र०अ०-1/जविनिलि०/2000, दिनांक 11-8-2000 द्वारा निदेशक (कार्मिक एवं प्रबंधन) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था।

जनपद हरदोई, मल्लावां के ग्राम मंगरौली ऊंची अरेरा एवं गौतरा के विद्युतीकरण का प्रकरण

145–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मंगरौली ऊंची का विद्युतीकरण स्वीकृत कर स्टीमेट एस०ई० हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन कब तक ग्राम ऊंची मगरौली का विद्युतीकरण करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ग्राम मंगरौली ऊंची के विद्युतीकरण का स्टीमेट इस० ई० हरदोई के कार्यालय में विचाराधीन नहीं है।

किसी भी योजना में सम्मिलित न होने एवं चयनित न होने के कारण विद्युतीकरण करना सम्प्रति सम्भव नहीं है। अतः समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

146–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम जरेरा का विद्युतीकरण स्वीकृत कर स्टीमेट एस०ई० हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो शासन कब तक ग्राम जरेरा का विद्युतीकरण करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ग्राम जरेरा के विद्युतीकरण का स्टीमेट एस० ई० हरदोई के कार्यालय में विचाराधीन नहीं है।

किसी भी योजना में सम्मिलित न होने एवं चयनित न होने के कारण विद्युतीकरण करना सम्प्रति सम्भव नहीं है। अतः समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

147–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम गौतरा का विद्युतीकरण स्वीकृत होकर स्टीमेट एस०ई० हरदोई के यहां विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या शासन उक्त ग्राम गौतरा का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ग्राम गौतरा के विद्युतीकरण का स्टीमेट एस० ई० हरदोई के कार्यालय में विचाराधीन नहीं है।

किसी भी योजना में सम्मिलित न होने एवं चयनित न होने के कारण विद्युतीकरण करना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई, मल्लावां, विकास खण्ड बिलग्राम के ग्राम गनीपुर का आर० ई० सी० स्कीम के अन्तर्गत विद्युतीकरण का प्रकरण

148–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई में 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बिलग्राम के कितनें ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1987 में आर०ई०सी० स्कीम के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध करायी गयी थी ? क्या उन ग्रामों के विद्युतीकरण में ग्राम गनीपुर का भी विद्युतीकरण होना था ? यदि हां, तो क्या अभी तक ग्राम गनीपुर का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो कब तक उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वर्ष 1985 में विकास खण्ड बिलग्राम हेतु रु० 56.28 लाख की आर० ई० सी० योजना बनायी गयी थी, जिसमें 40 ग्रामों को विद्युतीकरण करने का प्राविधान किया गया था। योजना के समापन के समय 14 ग्रामों के विद्युतीकरण के साथ एच० टी० एल० टी० लाइन व सब-स्टेशनों का निर्माण एवं विभिन्न श्रेणी के कनेक्शन देने का कार्य किया गया। जिसके लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से रु० 44.59 लाख का ऋण रिवर्समेन्ट हुआ था।

जी हां।

योजना समापन की अवधि पूर्ण होने के कारण ग्राम गनीपुर का विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है।

प्रश्नगत ग्राम गनीपुर वर्तमान में किसी योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु चयनित नहीं है। अतः विद्युतीकरण कराना संभव नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में मदनापुर, छेदा पट्टी विद्युत लाइन को चालू करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

149–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-9-99 जो जनपद शाहजहांपुर की मदनापुर घड़ा पटरी लाइन को पुनः चालू कराने के सम्बन्ध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

मदनापुर, छेदा पट्टी लाइन जो कि अक्टूबर, 99 में ग्राम वरखेड़ा तक चालू की गयी थी मास फरवरी, 2000 में पुनः तार चोरी हो जाने के कारण बन्द हो गयी थी जिसे तार लगाकर दिनांक 18-5-2000 को ग्राम डमौरा तक चालू कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के आई० टी० आई० लालगंज में इन्स्ट्रक्टर के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

150–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि आई०टी०आई० लालगंज, जनपद आजमगढ़ में इन्स्ट्रक्टर के पदों पर नियुक्ति न हो पाने के कारण पढ़ाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार लालगंज आई०टी०आई० जनपद आजमगढ़ के लिए स्वीकृत ट्रेड्स हेतु इन्स्ट्रक्टरों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री धर्म पाल सिंह–

संस्थान में वर्ष 2000-2001 में 05 व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसके लिए पर्याप्त संख्या में अनुदेशकों की नियुक्ति कर दी गयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की नगर पालिका परिषद् सण्डीला के मोहल्ला बरौनी की मलिन बस्ती के जर्जर खड़न्जा मार्ग का निर्माण स्वर्ण जयन्ती योजनान्तर्गत कराये जाने की मांग

151–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका परिषद् सण्डीला के मोहल्ला बरौनी की मलिन बस्ती के जर्जर खड़न्जा मार्ग का निर्माण स्वर्ण जयन्ती योजनान्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-7-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

पत्र दिनांक 15-7-2000 प्राप्त हुआ है ।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, हरदोई को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई, नगर पालिका परिषद् सण्डीला के नलकूप संख्या–4 को री-बोरिंग हेतु धन आवंटन के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाई की जानकारी

152–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की नगरपालिका परिषद्, सण्डीला के नलकूप संख्या–4 के ध्वस्त हो जाने के कारण नगर में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त नलकूप की री-बोरिंग किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, तृतीय निर्माण शाखा, उ० प्र० जल निगम इन्द्रानगर, लखनऊ द्वारा लगभग 11.80 लाख रुपये का प्राक्कलन तथा विद्युत वितरण खण्ड, हरदोई द्वारा ट्रान्सफार्मर शिफ्टिंग हेतु रु० 86328.00 का प्राक्कलन दिया जा चुका है तथा धनाभाव के कारण कार्य नहीं कराया जा सका है ? क्या धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-7-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त धनराशि कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नगर पालिका परिषद्, सण्डीला जनपद हरदोई का नलकूप सं०–4 असफल हो गया है किन्तु इस असफल हुए नलकूप से लगभग 300 मीटर की दूरी पर एक अन्य नलकूप नवनिर्मित हो गया है ।

जी हां ।

जी नहीं ।

धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद हरदोई, नगरपालिका परिषद्, सण्डीला के मोहल्ला बरौनी की मलिन बस्ती में स्वर्ण जयन्ती योजनान्तर्गत पथ प्रकाश का प्रकरण

153–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका परिषद् सण्डीला के अन्तर्गत मोहल्ला बरौनी की मलिन बस्ती में पथ प्रकाश व्यवस्था स्वर्ण जयन्ती योजनान्तर्गत कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-7-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त कार्य की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

माह जुलाई, 2000 का दिनांक रहित एक पत्र प्राप्त हुआ है ।

जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर डूडा, हरदोई के शासी सिवाय का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण वित्तीय स्वीकृति नहीं दी जा सकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, मिल्कीपुर के ग्राम मंजनाई तथा जनपद लखनऊ के जनदीर बाजार, लखनऊ इस्लामिया कालेज के पीछे की वक्फ की जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग

154–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड के गठन के बाद ग्राम मजवाई, तहसील मिल्कीपुर, जिला फैजाबाद व जनदीर बाजार, लखनऊ इस्लामिया कालेज के पीछे पंजीकृत अचल वक्फ सम्पत्तियों (जमीन) की खुलेआम खरीद फरोख्त फर्जी रजिस्ट्री करवाकर नाजायज कब्जे किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध

कार्यवाही करके वक्फ बोर्ड की जमीन से अवैध कब्जे हटवाकर पुनः वक्फ बोर्ड के कब्जे में दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजा गज़नफर अली खां–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सीतापुर के परियोजना अधिकारी डूडा के विरूद्ध कृत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानकारी

155–श्री जय प्रकाश तथा श्री हरदेव सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि परियोजना अधिकारी डूडा, सीतापुर के विरुद्ध वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता के कितने मामले लम्बित हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि क्या इनके द्वारा बाराबंकी जिले में तैनाती काल में 50 लाख रुपये से अधिक का गबन किया गया था ? यदि हां, तो क्या निलम्बन अवधि में बिना जांच रिपोर्ट प्राप्त हुए ही उन्हें बहाल किया गया ? यदि हां, तो किसके आदेश से और क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

परियोजना अधिकारी, डूडा, सीतापुर के विरूद्ध वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता के तीन मामले लम्बित हैं।

जी नहीं।

बाराबंकी जनपद के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर परियोजना अधिकारी को निलम्बित कर विभागीय जांच कराई गयी। विभागीय जांच में दोषी पाये जाने पर एक विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देकर, स्थाई रूप से दो वेतन वृद्धियां रोक कर व निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि न देकर दण्डित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर, विकास खण्ड जलालाबाद में ग्राम बुधवाना से मझौला विद्युत लाइन को चालू कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र

156–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-5-2000 जो ग्राम बुधवाना से मझौला विकास खण्ड जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर में विद्युत लाइन सुचारु रूप से चलाये जाने के विषय में था, उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं।

माननीय विधायक महोदय का पत्र दि० 04-05-2000 जो ग्राम बुधवाना से मझौला विकास खण्ड जलालाबाद, जनपद शाहजहांपुर में विद्युत लाइन सुचारु रूप से चलाने विषयक था, प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु उस विषय से सम्बन्धित विधायक महोदय के अन्य पत्र प्राप्त हुए हैं।

ग्राम बुधवाना की चोरी गयी लाइन को तार लगा कर चालू किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है समाग्री आदि प्राप्त कर ली गयी है। वर्षा के पानी के भराव के कारण उपरोक्त कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। पानी के सूखते ही कार्य पूर्ण कर लाइन सुचारु रूप से चालू कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ गोमती नगर योजना भाग–2 में विधायक कोटे के अन्तर्गत भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

157–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-5-2000 जो विधायक कोटे के अन्तर्गत गोमती नगर योजना भाग–2 में भूखण्ड आवंटित करने के विषय में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उक्त पत्र दिनांक 16-5-2000 को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

(क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) गोमतीनगर योजना के विराम खण्ड में 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का भूखण्ड संख्या–3/171 उनके पक्ष में आवंटित किया जा चुका है जिसकी सूचना आवंटी को प्राधिकरण कार्यालय के पत्रांक–511/एस०ओ०जी०, दिनांक 4-7-2000 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

158–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[1ले बुधवार में अता० प्र० सं०–198 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में विद्युत उत्पादन वृद्धि की तुलनात्मक जानकारी

159–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में प्रदेश में विद्युत उत्पादन की नवीन वृद्धि कितने मेगावाट तथा किस प्रोजेक्ट में हुई ? क्या विद्युत उत्पादन में वृद्धि विगत चार वर्षों की विद्युत मांग के सापेक्ष बहुत कम थी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

प्रश्नगत वर्ष में विद्युत उत्पादन की नवीन वृद्धि निम्नवत् है :–

वर्ष	उत्पादन में वृद्धि
1996-97	शून्य
1997-98	शून्य
1998-99	110 मे०वां० टाण्डा प्रोजेक्ट
1999-2000	शून्य

जी हां ।

इसके निम्नलिखित कारण थे :–

1–धनाभाव के कारण 2x500 मे०वा० अनपारा "सी" परियोजना पर कार्य नहीं प्रारम्भ किया जा सका ।

2–धनाभाव के कारण जल विद्युत परियोजनाओं (लखवाड़, व्यासी, श्रीनगर विष्णु प्रयाग) का कार्य पूरा नहीं किया जा सका ।

जनपद अल्मोड़ा के जलना-पलना पेयजल योजना में हुए घोटाले की जांच सतर्कता विभाग से कराने की मांग

160–श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र बारामण्डल, जनपद अल्मोड़ा के जलना-पलना पेयजल योजना के सुधार पर 41 लाख रुपया से कराये जा रहे निर्माण कार्य, मानक के अनुरूप नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना में हुए सरकारी धन के घोटाले की जांच सतर्कता विभाग से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

जी हां ।

वर्तमान में सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत नेहरू इन्क्लेव में आवंटियों को पूर्ण विकसित आवास उपलब्ध कराने की मांग

161–मेजर जगतपाल सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नेहरू इन्क्लेव में अर्ध निर्मित आवास, पूर्ण निर्मित आवास के मूल्य पर आवंटियों को आवंटित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अर्ध निर्मित आवासों का पूर्ण निर्माण कराने के उपरान्त आवंटियों को आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

नेहरू इन्क्लेव स्थित फ्लैटों को पूर्ण निर्मित मूल्य पर आवंटित किया गया था परन्तु स्थानीय किसानों एवं सेना से विवाद के कारण कुछ फ्लैटों का पूर्ण विकास कार्य नहीं हो सका । ऐसे आवंटी जिनके फ्लैट पूर्ण नहीं हैं उनको विकसित फ्लैटों में बिना परिवर्तन शुल्क लिये परिवर्तित कर भौतिक कब्जा दिया जा चुका है ।

(ख) भारतीय सेना से भूमि स्वामित्व संबंधी विवाद पर मा० उच्चतम न्यायालय ने भारतीय सेना की विशेष अनुमति याचिका पर स्थगनादेश पारित कर रखा है ।अपूर्ण फ्लैट को सेना से चल रहे वाद के निपटने के बाद ही पूर्ण किया जा सकेगा, इसलिए वर्तमान में यह कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

गोकुल नगर पालिका, मथुरा को दैवी आपदा राहत कोष से प्राप्त धन को व्यय करने की समय सीमा बढ़ाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

162–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोकुल नगर पालिका मथुरा को मिले दैवी आपदा राहत कोष से नाला-नाली निर्माण हेतु 5 लाख रुपये की धनराशि के खर्च की समय सीमा बढ़ाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या सी०एम०वि०को०/एम–/33803/ मथुरा/2000 दिनांक 11-5-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

शासनादेश संख्या–1931/9-5-2000, दिनांक 2-6-2000 द्वारा दिनांक 31-7-2000 तक तथा पुनः शासनादेश सं०–2909/9-5-2000 दिनांक 19-8-2000 द्वारा 31-12-2000 तक व्यय किये जाने की समय सीमा बढ़ायी गयी है ।

जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के पांच गांवों का विधायक कोटे के अन्तर्गत विद्युतीकरण का प्रकरण

163–श्री योरखनाथ पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में सभी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में पांच-पांच गांव विद्युतीकरण हेतु आदेशित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के पांच गांवों में खम्भों एवं सामान की कमी के कारण विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार खम्भों, तार तथा सामान की आपूर्ति कर विद्युतीकरण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । प्रदेश में सभी विधायकों के निर्वाचन क्षेत्रों में वर्ष 98-99 एवं 99-2000 के पांच-पांच गांव विद्युतीकरण हेतु आदेशित किये गये हैं । जनपद संत रविदास नगर के ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत 1998-99 के लिए मा० विधायक द्वारा चयनित पांच ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है, जिसकी स्थिति निम्नवत् है :—

क्र०	ग्राम/ब्लाक का नाम	विद्युतीकरण की तिथि
1	कला तुलसी (डीघ)	31-3-99
2	कलिक मवइया (डीघ)	31-3-99
3	महदेव (औराई)	31-3-99
4	मोहनपुर (ज्ञानपुर)	31-3-99
5	चक सारनाथ (ज्ञानपुर)	31-7-99

इसी प्रकार वर्ष 1999-2000 के लिए चयनित पांच ग्रामों में से 4 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । मात्र एक ग्राम बेरवा पहाड़पुर ब्लाक डीघ का विद्युतीकरण हेतु शेष है, जिसमें एच० टी० लाइन तथा ट्रांसफार्मर स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो चुका है । लगभग 18 खम्भों के अभाव में एल० टी० लाइन का कार्य लम्बित है । इसके लिए प्रयास जारी है और सामान प्राप्त होते ही कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा । वर्ष 99-2000 के लिए चयनित ग्रामों के विद्युतीकरण की स्थिति निम्नवत् है :–

क्र०	ग्राम/ब्लाक का नाम	विद्युतीकरण की तिथि
1	दशरथपुर (बयांव)	3/2000
2	शिवपरमपुर (ज्ञानपुर)	3/2000
3	नारेपार (डीघ)	3/2000
4	डीघ उपरवार (डीघ)	3/2000
5	बेरवा पहाड़पुर (डीघ)	कार्य प्रगति पर

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मा० विधायक द्वारा चयनित 10 ग्रामों में से 9 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । शेष एक ग्राम के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है और इसे शीघ्र पूर्ण कर लिये जाने की सम्भावना है ।

जनपद अल्मोड़ा के छाना खरकोटा पेयजल योजना में किये गये धन के दुरुपयोग की जांच सतर्कता विभाग से कराने की मांग

164–श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र बारामण्डल अल्मोड़ा के छाना खरकोटा पेयजल योजना में लाखों रुपया व्यय होने के बाद भी पाइप लाइन खुली होने व मानक के अनुसार दबाई न जाने के कारण क्षेत्र वासियों को वर्तमान में पेयजल सुलभ नहीं हो पा रहा है ? यदि

हां, तो क्या सरकार उक्त योजना में हुये सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच सतर्कता विभाग से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रदेश में सार्वजनिक संस्थाओं को नजूल भूमि का पट्टा दिये जाने विषयक नीति की जानकारी

165–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी व्यक्ति/संस्था की नजूल भूमि पट्टे पर देने की शासन की कोई नीति है ? यदि हां, तो किस आधार पर देने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्या ऐसे पट्टों के निरसन की कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

शासनादेश संख्या–2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 01-12-98 के प्रस्तर–6 के अनुसार शासन की नीति केवल ऐसी सार्वजनिक/चैरिटेबुल संस्थाओं की नजूल भूमि का पट्टा दिये जाने की है जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत तत्समय तदुनसार आयकर से मुक्त की गयी हो । यदि आयकर अधिनियम के अन्तर्गत छूट समाप्त हो जाती है तो पट्टा भी निरस्त कर दिया जायेगा । पृथक-पृथक व्यक्ति को पट्टा देने की शासन की नीति नहीं है ।

सार्वजनिक संस्थाओं को उनके द्वारा की जा रही सामाजिक सेवा के आधार पर भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जिन्हें अधिमूल्य तथा वार्षिक किराये में पृथक-पृथक छूट प्रदान करते हुए कतिपय शर्तों के अधीन पट्टा दिये जाने की व्यवस्था है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा के पेठशाल पेयजल योजना तथा सल्ला बाराकोट पेयजल योजना में किये गये धन के दुरुपयोग की जांच का प्रकरण

166–श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र बारामण्डल, अल्मोड़ा के पेठशाल पेयजल योजना व सल्ला बाराकोट पेयजल योजना में लाखों रुपया व्यय होने के बाद भी पाइप लाइन खुली होने तथा मानक के अनुसार दबाई न जाने के कारण क्षेत्रवासियों को पेयजल [illegible] नहीं हो पा रहा है ? क्या सरकार उक्त दोनों योजनाओं में हुये सरकारी धन के घोटाले की जांच सतर्कता विभाग से करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

अध्यक्ष, नगर पंचायत गोवर्धन, जनपद मथुरा द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

167–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष नगर पंचायत, गोवर्धन, जनपद मथुरा के द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–2/27472/मथुरा/99, दिनांक 6-11-99 प्रमुख सचिव, सचिव, नगर

विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां।

सम्पूर्ण प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, मथुरा से कराये जाने पर श्रीमती सरोज शर्मा, अध्यक्ष, नगर पंचायत गोवर्धन, जनपद मथुरा को जांच में दोषी पाया गया। एतद्नुसार श्रीमती शर्मा को शासकीय ज्ञाप सं०–3362/9-1-2000-67च/98, दिनांक 19-8-2000 द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष पद से पदच्युत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के टाउन एरिया रामनगर में जलापूर्ति सुनिश्चित करने एवं दोषी को दण्डित करने की मांग

168–श्री सरवर अली–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के टाउन एरिया, रामनगर में चार वर्ष पूर्व बनी पानी की टंकी की पाइप लाइन बगैर चले ही खराब हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिए दोषी को दण्डित करते हुए उक्त पाइप लाइन ठीक कराकर जलापूर्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं। नगर पंचायत, रामनगर, जनपद बाराबंकी की पेयजल योजना को फरवरी, 1999 में चालू कर दिया गया था। जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण में कतिपय स्थानों पर पानी की लीकेज पायी गई जिसे दूर कर सुचारु रूप से पेयजल आपूर्ति करने तथा जांच कर दोषी कर्मियों को दण्डित करने के निर्देश उ० प्र० जल निगम को दिये गये हैं।

नगर पंचायत खड्डा कुशीनगर के वार्ड संख्या–6 के निवासियों के घर की छतों से उच्च शक्ति के विद्युत तारों को हटाने की मांग

169–श्री दीपलाल भारती–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) के वार्ड संख्या–6 में मंजूश्री टाकीज के पास मुहल्लेवासियों के छतों/घरों के ऊपर से 11000 वोल्ट के विद्युत तार गुजर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त उच्च शक्ति का विद्युत तार हटाकर सड़क के किनारे से ले जाने की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

उक्त उच्च शक्ति का तार हटाकर सड़क के किनारे ले जाने के संबंध में जमा योजना के अन्तर्गत कार्य किया जाना प्रस्तावित है। लाइन हटाने में होने वाले व्यय का प्राक्कलन अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, खड्डा, जनपद कुशीनगर को भेजा जा चुका है। धनराशि प्राप्त हो जाने पर कार्य सम्पन्न करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

राजकीय एलोपैथिक औषधालय, दन्या, विकास खण्ड धौला देवी, जनपद अल्मोड़ा के निर्माण की प्रगति की जानकारी

170—श्री रघुनाथ सिंह चौहान–

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड धौला देवी के ग्राम दन्या में जल निगम की शाखा सी०एन०डी०एस० द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण किस स्तर तक कराया जा चुका है और अभी कितना शेष है ? निर्माण में अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ? क्या निर्माण कार्य रोक कर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भवन सामग्री एवं धन का दुरुपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा निर्माण कार्य की टी०ए०सी० से जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

दन्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण नहीं वरन् राजकीय एलोपैथिक औषधालय का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण की स्थिति निम्न प्रकार है :–

1-हास्पिटल के मेन भवन–लिन्टल तक कार्य पूर्ण (35 प्रतिशत)

2–चिकित्सालय आवास–लिन्टल लेबल तक पूर्ण (45 प्रतिशत)

3–श्रेणी प्रथम का आवास–स्लेब लेवल तक पूर्ण (60 प्रतिशत)

शेष कार्य उपरोक्त प्रगति के अतिरिक्त है। उपरोक्त कार्य में कुल रुपये 26,49,331.10 पैसे व्यय किया जा चुका है।

उक्त भवन चिकित्सा विभाग को अभी हस्तान्तरित नहीं हुआ है। फलस्वरूप भवन सामग्री व धन के दुरुपयोग का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मिर्जापुर, ब्लाक लालगंज के ग्राम पतुलकी में ट्रांसफार्मर लगाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

171–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव/प्रवक्ता शशिभूषण दूबे का प्रत्यावेदन श्री अखिलेश सिंह, विधायक की अनुशंसा सहित दिनांक 13 अक्टूबर, 1998 जो मिर्जापुर जिले के लालगंज ब्लाक के पतुलकी ग्राम में हाई पावर ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में था, मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

मिर्जापुर जिले के लालगंज ब्लाक के ग्राम पतुलकी के 11/0.4 के०वी० 63 के०वी०ए० का ट्रांसफार्मर लगाने एवं 1.84 कि०मी० एल०टी० लाइन बनाने का कार्य प्रगति पर है। धन एवं सामग्री की उपलब्धता के अनुसार यह कार्य अक्टूबर, 2000 में पूर्ण होना संभावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

172–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[1ले बुधवार में अता० प्र० सं०–177 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखनऊ, आलमनगर के अशोक विहार कालोनी में व्याप्त गन्दगी की सफाई के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

173–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि डा० मंगलसेन कोरी, सदस्य, विधान परिषद् का पत्र दिनांक 28 फरवरी, 2000 जो अशोक विहार, आलमनगर, लखनऊ में व्याप्त भीषण गन्दगी को हटाये जाने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां,तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां

संदर्भित क्षेत्र की सफाई आवश्यकतानुसार नगर निगम द्वारा करा दी गयी है किन्तु इस क्षेत्र में नियमित सफाई कर्मियों की व्यवस्था नहीं है । संविदा सफाई कर्मियों से सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां के ग्राम सॉप खेड़ा तथा ग्राम पंचायत रहुला मजरा मानीपुर के विद्युतीकरण की मांग

174–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सॉप खेड़ा में तथा ग्राम पंचायत रहुला का मजरा गनीपुर में बिजली की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां । ग्राम सॉप खेड़ा में तथा ग्राम पंचायत रहुला का मजरा मानीपुर में बिजली की व्यवस्था नहीं है ।

किसी भी योजना में सम्मिलित न होने तथा चयनित न होने के कारण विद्युतीकरण करना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है ।

जनपद हरदोई के निर्वाचन क्षेत्र मल्लावां के ग्राम अटवा अली मर्दानपुर में एल० टी० लाइन के विस्तार की जानकारी

175–डा० धर्मज्ञ मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अटवा अली मर्दानपुर के 55 खम्भों में इन्सलेटर व क्लैम्प तथा अर्थिंग के तार नहीं लगाये गये हैं ? क्या वहां पर तीन गड्ढे खुदे पड़े हैं जिनमें खम्भे नहीं गाड़े गये तथा 10 खम्भों पर तार ही नहीं लगाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जनपद हरदोई में मल्लावां–91 निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम अटवा अली मर्दानपुर में एल०टी० लाइन का विस्तार किया गया है तथा सभी खम्भों पर इन्सलेटर क्लैम्प व तार लगाने का कार्य पूर्ण हो गया है ।

यहां ऐसा कोई गड्डा खुदा हुआ नहीं पड़ा है जिसमें कोई खम्भा खड़ा किया जाना है। सभी खम्भों पर तार लगाने का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा ग्राम में विद्युत आपूर्ति सामान्य है।

कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

यू० पी० पावर कारपोरेशन लि० के अन्तर्गत चेकई प्लेट घोटाला तथा फर्जी टावर पेंटिंग की जांच के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

176–श्री हरदेव सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री नन्द लाल जायसवाल प्रदेश कोषाध्यक्ष, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ एवं श्री विनोद कृष्ण सिंघल सभासद एवं मुख्य सचेतक भा०ज०पा० सभासद दल का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 1-10-99 एवं 8-11-99 जो चेकई प्लेट घोटाला एवं फर्जी टावर पेन्टिंग से सम्बन्धित था, पुलिस अधीक्षक, लखनऊ एवं प्रमुख सचिव (गृह) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

प्रश्न में संदर्भित गृह विभाग के माध्यम से ऊर्जा विभाग में प्राप्त हुआ है।

पत्र जांच हेतु अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० को संदर्भित किया गया है। वैसे पत्र में अन्तर्निहित प्रकरण के कुछ बिन्दुओं पर विभागीय जांच एवं अन्य बिन्दुओं पर राज्य सतर्कता अधिष्ठान से जांच के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्रत्येक शहर में राष्ट्रीय मार्ग पर खड़ी टैक्सियों से टोकन/टीका शुल्क वसूली पर रोक लगाने की मांग

177–श्री सीताराम निषाद–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के प्रत्येक शहर/कस्बा आदि में टैक्सी स्टैण्ड हेतु महानगर पालिका/नगर पालिका परिषद् द्वारा नीलामी की जाती हैं ? यदि हां, तो क्या ठेकेदारों द्वारा राष्ट्रीय मार्ग पर खड़ी टैक्सियों से टोकन/टीका शुल्क रु० 50 से 80 प्रत्येक टैक्सी धारकों से प्रतिदिन वसूल किया जाता है ? यदि हां, तो किस नियम/विधि के अनुसार ? क्या सरकार इस पर रोक लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुख्य मंत्री सचिवालय से गायब पत्रों की सी० बी० आई० से जांच के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

178–श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय ब्रजभूषण सिंह कुशवाहा, एम० एल० सी० का पत्र दिनांक 14-3-2000 जो कि मुख्य मंत्री सचिवालय से गायब पत्रों की सी० बी० आई० जांच के संबंध में था, मा० मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां।

प्रश्न में संदर्भित पत्र उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ को भेजते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

विभिन्न सूचनाओं को उठाने का प्रयास (क्रमागत)

(विपक्ष के अनेक सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया अपने-अपने आसन पर बैठ जायं।

(इसी मध्य श्री कौकब हमीद, कुंवर रतन जीत प्रताप नारायण सिंह, श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री जगदीश नारायण राय, श्री राम नक्षत्र तथा श्री राम ललित चौधरी, श्री विनोद मणि तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लोकदल आदि पार्टियों के अनेक सदस्य वेल में आकर नारे लगाने लगे।)

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सदन की कार्यवाही चलने दें। मैं अभी व्यवस्था दे देता हूं। मैं सभी को सुन लूंगा। सभी माननीय सदस्यों की सूचनाओं पर मैं सबको अवसर दूंगा। कृपया बैठ जायं।

(तत्पश्चात् सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर चले गये)

कई माननीय सदस्यों की सूचनाएं नियम–311 और 56 में प्राप्त हुई हैं। जाहिर है कि सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी सूचना पर बोलना चाहेंगे। अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे। नियम 311 और 56 में गन्ना, पड़रौना और मऊ जैसे विषयों को उठाया गया है। मैं सबको अवसर दूंगा। मैं 311 को 56 के साथ ले लूंगा और जिनके विषय थोड़ा अलग हैं उनको नियम 56 में क्रम के अनुसार ले लिया जायेगा। पहले नियम–301 की सूचनाएं ले लेते हैं उसमें 5-6 मिनट लगेगा। उसके बाद फिर नियम 311 के तुरन्त बाद 300 ले लिया जायगा। अगर सदन सहमत हो तो एक सूचना श्री विनोद मणि जी की बाढ़ के सम्बन्ध में है उसको चयनित किया गया है उसको भी ले लिया जायेगा। इसे पड़रौना और मऊ के बाद ले लेंगे। श्री कौकब हमीद और मौर्या जी की एक ही सूचना है उसको नियम–301 के बाद ले लेंगे। हम इसे 23 तारीख में कर देते हैं। आशा है सदन मुझसे सहमत होगा।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, पहले बाढ़ पीड़ितों की समस्या को ले लें। 94 लोगों की इसमें मौत हो गयी है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसको ले लूंगा। कृपया सदन की कार्यवाही चलने दें। मैं सारी सूचनाओं को ले लूंगा। पर्याप्त समय है।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, हमारा प्रदेश का पुनर्गठन का प्रस्ताव है। आपने 23 तारीख को उसे लेने का निर्णय ले लिया है। आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। आपसे केवल इतना निवेदन है कि 23 तारीख को जीरो आवर के बाद आप उसे ले लें।

श्री अध्यक्ष–

आपसे और नेता प्रतिपक्ष से परामर्श करके समय निर्धारित कर दूंगा । ठीक है, आपसे परामर्श कर लूंगा ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत दिनों के बाद सदन प्रारम्भ हुआ है । हम लोगों ने बहुत मेहनत करके विभिन्न प्रश्न उपस्थित किये । प्रश्न प्रहर में प्रश्न भी लगे थे और जनता से जुड़े हुए प्रश्न थे । लेकिन क्या कारण है माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण रहे होंगे, यह मैं मानता हूं लेकिन उनके पास तो पूरा शून्य प्रहर पड़ा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री चौधरी जी,आप बहुत पुराने सदस्य हैं । क्या कारण है,जब अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था दे दी जाती है तो फिर क्या कारण है नहीं पूछा जाता है ?

श्री जन्मेजय सिंह–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है चीनी मिल के बारे में ।

श्री अध्यक्ष–

मैं उसे सुन लूंगा ।

नवनिर्वाचित सदस्य श्री अनिल कुमार यादव द्वारा शपथ ग्रहण

श्री अध्यक्ष–

श्री अनिल कुमार जी उप चुनाव में निर्वाचित होकर आये हैं । उनकी सदन में शपथ होनी है । मैं मार्शल को निर्देश देता हूं कि वह माननीय सदस्य को लेकर आयें ताकि उनकी शपथ हो जाय ।

(उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य को सदन में लाया गया)

(श्री अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित सदस्य श्री अनिल कुमार को माननीय सदस्य के रूप में शपथ दिलायी ।)

श्री अध्यक्ष–

आपको बहुत-बहुत बधाई ।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 20 अक्टूबर, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत कुल 47 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गईं । पहली सूचना श्री भोला शंकर मौर्य जी की है, दूसरी सूचना श्रीमती माया प्रसाद जी की है, तीसरी सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद जी की है, चौथी सूचना डा० वकार अहमद शाह जी की है, पांचवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय जी की है, छठवीं सूचना श्री भाई लाल की है, (श्री भाई लाल जी का नाम पुकारे जाने पर वे अनुपस्थित थे ।) सातवीं सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है । प्रतीक्षा सूची में से डा० धर्मज्ञ मिश्र की सूचना ली जाती है ।

(सदन की सहमति से संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गईं)

जनपद बदायूं के जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मूसापुर के प्रधानाचार्य द्वारा किये गये कथित घोटालों की जांच कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोला शंकर मौर्य–

[महोदय, बदायूं जनपद के अन्तर्गत जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मूसापुर, तहसील–बिल्सी के प्रधानाचार्य श्री रामवीर शर्मा के द्वारा उक्त विद्यालय को अपनी निजी सम्पत्ति बनाने एवं अधिनियम (शिक्षा) एवं प्रशासनिक योजना का खुला उल्लंघन करना तथा धोखाधड़ी करके अपनी जन्मतिथि बदल कर पांच साल अधिक सेवा विस्तार करा लिया है, जो कि एक अपराधिक कृत्य तो है ही साथ-साथ इन्होंने नियम विरुद्ध श्री ब्रजवासी शर्मा अध्यापक तथा अपने सगे पुत्र की नियुक्ति चपरासी के पद पर रखना तथा प्रबन्ध समिति में प्रशासनिक योजना के प्राविधानों के विपरीत अपने निजी सम्बन्धियों को ही सदस्य बनाया है तथा मृतकों को भी सदस्य बनाया है तथा और भी बहुत सी गम्भीर अनियमितताएं की हैं। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक है तथा जनहित की होने के कारण इसकी जांच राज्य स्तर के अधिकारी द्वारा कराया जाना समीचीन होगा।

अतएव इस तात्कालिक एवं लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के अपराधिक कृत्यों की जांच राज्य स्तर के अधिकारी से कराकर प्रधानाचार्य के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करायी जाय।]

जनपद लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत सखा के लेखपाल द्वारा फर्जी किसान बही दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती माया प्रसाद–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना लाना चाहती हूं।

मेरे जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील सदर के परगना श्रीनगर की ग्राम पंचायत सरवा में फर्जी किसान बही लेखपाल द्वारा साजिशन वितरित कर घोर अनियमितता की गयी है जिसमें दर्जनों किसानों जो कि दलित वर्ग के हैं के साथ अन्याय किया गया है। यह किये बिना किसान बही के वितरण से भूमि की पैमाइश से किसानों को आपस में लड़ाने का काम किया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया किसानों में व्याप्त आक्रोश को दृष्टिगत रखते हुए इसकी जांच उच्च अधिकारियों से कराकर दोषी जनों को दण्डित करने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

जनपद बांदा में केन नहर की शाखा मवई बुजुर्ग माइनर एवं भरखरी माइनर में पानी न छोड़ने से सिंचाई के अभाव में किसानों को हो रही असुविधा के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा में केन नहर की शाखा मवई बुजुर्ग माइनर व भरखरी माइनर में पानी न छोड़े जाने के कारण किसान परेशान हैं। सिंचाई के अभाव में खेत बुवाई से वंचित हैं। जिलाधिकारी बांदा को पत्र लिखकर दि० 16-10-2000 को एक दर्जन किसानों के साथ पानी उपलब्ध कराने की मांग की गई, जो अंश मात्र पानी माइनर में छोड़ा गया उसे हेड में ही बड़े किसानों द्वारा रोक लिया गया है। यदि पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़कर हेड

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से कुलावा बंदी कर टेल तक पानी नहीं पहुंचाया जाता तो हजारों बीघे जमीन परती पड़ी रह जायगी, जिससे किसान आन्दोलित हो सकते हैं।

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करें।]

जनपद बहराइच के ग्राम रमपुरवा मटेही में कैलाशपुरी विद्युत सब स्टेशन के केबिल को ठीक कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० वकार अहमद शाह–

[मान्यवर, ग्राम रमपुरवा मदेही, थाना सुजौली, जनपद–बहराइच में गिरजा बैराज पर बने कैलाशपुरी सब स्टेशन पर लगा 33 के०वी० केबिल वर्ष 1995 से खराब है। इससे पूर्व जब केबिल खराब हो गई थी उसे बदला गया था परन्तु वह केवल 24 घंटे ही चली थी और पुनः खराब हो गयी थी तबसे आज तक केबिल खराब है। इससे संबंधित किसानों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है।विद्युत विभाग को लगातार इसे ठीक कराने हेतु जनता द्वारा लिखा पढ़ी की जा रही है परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला।

अतः जनता की गम्भीर समस्या की जांच कराकर तत्काल केबिल लगवा कर विद्युत दिलाने की व्यवस्था की जाय ताकि जनता की परेशानी दूर हो सके।]

जनपद जौनपुर के मुफ्तीगंज एवं गौरा बादशाहपुर बाजारों में जल निकासी हेतु नाली बनवाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय–

[महोदय, जनपद जौनपुर के राजमार्ग जौनपुर केराकत, आजमगढ़ मार्ग पर दो प्रसिद्ध बाजार मुफ्तीगंज एवं गौरा बादशाहपुर पड़ते हैं। वहां पर घनी आबादी है, सड़क के दोनों तरफ दुकानें हैं दोनों बाजारों में पानी निकालने की समुचित व्यवस्था नहीं है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि राज्य सेक्टर से उक्त दोनों बाजारों में धन स्वीकृत करने तथा नाली निर्माण की मांग करता हूं।]

प्रदेश के कताई मिल कर्मचारियों को वी० आर० एस० में भुगतान कराने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, प्रदेश की कताई मिलों के मजदूरों को वी० आर० एस० भुगतान हेतु सरकार ने 24 करोड़ रुपये का प्राविधान कर रखा था।

दुर्भाग्यवश बी० आई० एफ० आर० से स्टे आने के कारण उसमें बाधा आई थी। मजूदरों/अधिकारियों की अपील पर ए० आई० एफ० आर० ने दि० 12-10-2000 को बी० आई० एफ० आर० के स्टे को निरस्त कर कर्मचारियों के वी० आर० एस० देने की सरकार को छूट दे दी।

जब ए०आई०एफ०आर० का आदेश हो गया, सरकार ने स्वयं वी०आर०एस० का मन बना रखा था, तो तत्काल भुगतान होना चाहिये।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कताई मिल के कर्मचारियों के बी० आर० एस० में भुगतान करने की मांग करता हूं ।]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मण्डी उप समितियों में सुविधाओं के अभाव में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[मान्यवर, शासन को अवगत कराना है कि जनपद हरदोई के 91–मल्लावां विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत माधौगंज कृषि उत्पादन मण्डी समिति स्थापित है । उसके अन्तर्गत उप मण्डी समिति बिलग्राम, मल्लावां, अटवाकुरसठ तथा नाऊपुरवा उप मण्डी समितियां स्थापित की गयी हैं । परन्तु उप मण्डी बिलग्राम में तो थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है तथा अटवाकुरसठ मण्डी का अभी तक निर्माण ही नहीं हुआ है । नाऊपुरवा में मण्डी का निर्माण करा दिया गया परन्तु वहां आमदनी के नाम पर शून्य है ।

माधौगंज कृषि उत्पादन मण्डी की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है और कार्यालय तथा दुकानें भी मण्डी समिति की बाउण्ड्रीवाल के अन्दर हैं । माधौगंज कृषि उत्पादन मण्डी प्रतिवर्ष लाखों रुपये की आमदनी करती है परन्तु किसानों द्वारा जो आमदनी करायी जाती है उसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है, इतनी पुरानी कृषि उत्पादन मण्डी होने के बावजूद वहां पर किसानों के विश्राम गृह की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है अर्थात् किसान विश्राम गृह का निर्माण कार्य नहीं कराया गया है और न ही पानी पीने की समुचित व्यवस्था है । किसान बैलगाड़ी के द्वारा गल्ला, आलू आदि सामग्री लाते हैं बैलगाड़ी में आने वाले बैलों को बांधने के लिए चुन्नी की व्यवस्था नहीं है ।

इसके साथ ही व्यापारियों के सामने भी काफी समस्यायें हैं, व्यापारियों को जो दुकानें बनायी गयी हैं उनको आवंटन हो चुका है और लाइसेंसधारी को दुकानें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं । इसके कारण दुकानदारों का माल असुरक्षित रहता है और उनको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है ।

माधौगंज कृषि उत्पादन मण्डी में कृषकों तथा व्यापारियों का ध्यान न रखते हुए अभी तक भारतीय स्टेट बैंक की शाखा स्थापित नहीं की गयी है, जिसके कारण आये दिन किसान, व्यापारी लुटता रहता है और उसके साथ राहजनी की घटनायें आये दिन हो जाती हैं । व्यापारी भारतीय स्टेट बैंक बिलग्राम शाखा से धन लाते हैं, इसके कारण भी किसानों का भुगतान समय से नहीं हो पाता है । मण्डी के अन्दर जो रोड बनी हुई है उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, जिससे किसानों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

चूंकि यह लोक महत्व का अविलम्बनीय प्रश्न है तथा कृषि एवं व्यापारियों से सीधा जुड़ा हुआ है इसलिए सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है । इस महत्वपूर्ण एवं जनहित के प्रश्न पर तत्काल कार्यवाही करके जनता को लाभ पहुंचाने की व्यवस्था शासन द्वारा शीघ्र कराये जाने के निर्देश निर्गत कर दिये जायं ।]

श्री अध्यक्ष–

प्रतीक्षा सूची में श्री श्रीराम पाल की सूचना तथा अन्य जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :–कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री राम औतार शाक्य, श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर, डा० पूर्णमासी पंकज, श्री राम चन्द्र यादव, श्री दद्दू प्रसाद, श्रीमती उर्मिला देवी तथा श्री अरुणवीर सिंह ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री अध्यक्ष–

जैसा मैंने कहा था कि नियम–300 की सूचनाओं को बाद में ले लेंगे । तो हम उन्हें बाद में लेंगे ।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अध्यादेश, 2000

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)–

मान्यवर,मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2000

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (निरसन) अध्यादेश, 2000

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (निरसन) अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2000

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2000

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2000

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2000 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2000†

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संसदीय कार्य अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 1850/17-सं-1–2000-42सं/99, दिनांक 3 जून, 2000 द्वारा प्रकाशित "उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों को

---

† छापी नहीं गयी ।

भवन निर्माण या वाहन क्रय हेतु अग्रिम) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2000'' को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2000 †

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संसदीय कार्य अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 1851/17-सं-1–2000-42सं/99, दिनांक 3 जून, 2000 द्वारा प्रकाशित ''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2000''को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) नियमावली, 1994 †

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर,मैं आपकी अनुमहति से गृह (पुलिस) अनुभाग–9 की अधिसूचना संख्या 2472/छः-पु०-9-4(5)/89, दिनांक 27 जुलाई, 1995 द्वारा प्रकाशित ''उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) नियमावली, 1994'' को विलम्ब के कारणों सहित विष अधिनियम, 1919 की धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2000†

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संसदीय कार्य अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या 27541/17-सं-1–2000-8सं/93, दिनांक 21 सितम्बर, 2000 द्वारा प्रकाशित ''उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2000'' को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक, 2000

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–सदन के पटल पर रखा गया)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) विधेयक 2000, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–सदन के पटल पर रखा गया)

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति सदन द्वारा स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का उत्तर

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 23 मार्च, 2000 को विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति धन्यवाद प्रकट करते हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय के उत्तर को मैं, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 19(8) के अन्तर्गत पढ़कर सुनाता हूं। जो पत्र आया है वह यह है–सूरजभान, राज्यपाल, राज भवन, लखनऊ। प्रिय महोदय, आपके पत्र संख्या 1749/अविस०/2000/17 अप्रैल, 2000 के लिए धन्यवाद। आपके द्वारा विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी मैं अपना धन्यवाद देना चाहूंगा। सादर।

भवदीय,

सूरजभान।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 16 मई, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 मई, 2000 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 मई, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 मई, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 मई, 2000 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 मई, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 मई, 2000 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 मई, 2000 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 मई, 2000 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2000 का उत्तर प्रदेश का सत्ताईसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या 16 और 17 में कुछ नहीं है ।

श्री लालजी वर्मा–

मेरा एक औचित्य का प्रश्न है, मान्यवर, 15 मई, 2000 का कार्यवृत्त है.....

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

इसे समाप्त होने दें, दोनों मद से संबंधित हो तो अलग बात है । मैं मद संख्या–18 में कार्य-मंत्रणा की सिफारिश पढ़ दूं उसके बाद कह लें ।

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 18 एवं 19 अक्टूबर, 2000 की बैठकों में विधान सभा के दिनांक 19 अक्टूबर से 24 अक्टूबर, 2000 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :–

अक्टूबर, 2000

19 गुरुवार	निधन के निर्देश (प्रश्नकाल नहीं होगा) ।
20 शुक्रवार	1—असरकारी दिवस (आधा दिन) ।
	2—अपराह्न 5.00 बजे

वित्तीय वर्ष 2000–2001 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण ।

3—(1) श्री बाल चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश के भू-गर्भ जल स्तर में हो रही गिरावट पर नियंत्रण हेतु भू-गर्भ विशेषज्ञों की एक स्थायी समिति गठित की जाय ।"

(2) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं चर्चाधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :—

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय ।"

(3) श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा :—

"इस सदन का यह सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में किसानों तथा मजदूरों के हित को दृष्टिगत रखते हुए सरकार की वर्तमान गन्ना एवं चीनी उद्योग नीति में परिवर्तन किया जाय ।"

(4) उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1998-99) का विशेष प्रतिवेदन,जो उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि० के कार्य-कलापों के संबंध में है और जिसे 26 फरवरी, 1999 को सदन में प्रस्तुत किया गया, पर प्रक्रिया नियमावली के नियम 216 (4) के अन्तर्गत डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री केशो मेहरा, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री (मेजर) जे० पी० सिंह, श्री अतुल कुमार, सदस्यगण, विधान सभा की मांग दिनांक 26 फरवरी, 1999 पर आधे घण्टे की चर्चा ।

21 शनिवार
22 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

23 सोमवार — 1—वित्तीय वर्ष 2000-2001 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार और मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण (आधा दिन) ।

2—विधायी कार्य (आधा दिन) ।

24 मंगलवार — विधायी कार्य ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

दिनांक 15 मई, 2000 के कार्यवृत्त में नियम–103 के प्रस्ताव पर जारी चर्चा को अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपका ध्यान 15 मई, 2000 का जो कार्यवृत्त छपकर मिला है इस ओर दिलाना चाहता हूं पेज–8 पर दिया गया है कि नियम–103 के अन्तर्गत श्री लालजी वर्मा, श्री बी० आर० वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय, डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय सदस्यगण विधान सभा द्वारा अभिसूचित तथा श्री लालजी वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा किसी सदस्य द्वारा रुचि न लेने के कारण अस्वीकार हुई । श्रीमन् चर्चा में रुचि नहीं ली इसके कारण चर्चा अस्वीकार नहीं हो सकती है । प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है कि–"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्य/सदस्यों द्वारा राज्यसभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाये ।" इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है चर्चा समाप्त हो सकती है किसी सदस्य ने अभिरुचि नहीं ली तो चर्चा समाप्त करके मतदान कराया जाना चाहिए था, यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है । इसलिए मैं चाहूंगा इस विषय पर, 27 अप्रैल, 2000 को प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत हो चुका है तो यह

समाप्त नहीं हो सकता है। सिर्फ हां और नहीं कराया गया। इसलिए मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इसको समाप्त न किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

मैं संबंधित अभिलेख निकलवा लेता हूं और देख लेता हूं और उसके बाद व्यवस्था दूंगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा भी एक औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम–311 के बाद ले लूंगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अभी आपने एक औचित्य का प्रश्न सुना है, मेरा भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना पहले से आ गयी है और मैंने व्यवस्था दी है कि नियम–300 की जितनी भी सूचनाएं है वह नियम–311 के बाद सुन लूंगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपने एक ले लिया है। सिर्फ 15 मिनट का समय लगेगा।

श्री अध्यक्ष–

अभी आप चलने दें। यह सदन कितने दिन चलेगा और कितनी बैठकें होंगी इससे संबंधित है और यह बार-बार प्रश्न आया है। मैं बाद में सुन लूंगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, 311 के बाद लेने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 †

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–19 में कुछ नहीं है। अब मैं मद संख्या–20 लेता हूं।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

† दिनांक 3 नवम्बर, 2000 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् विधेयक, 2000†

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् विधेयक, 2000 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं मद संख्या–24 ले रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, पहली सूचना पड़रौना की है, इसको ले लिया जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, नियम–311 में किसकी-किसकी सूचना आयी है, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष–

जितनी भी नियम–56 और 311 की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, मैं उनका नाम क्रमवार पढ़ देता हूं। यह उसी क्रम के अनुसार ली जायेंगी।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा एक अनुरोध सुन लें। मान्यवर, यह हमारी परम्परा रही है कि जिलों संबंधित क्षेत्र की घटना हो उसको प्राथमिकता दी जाती है। मान्यवर, पडरौना पर चर्चा होने जा रही है पडरौना से श्री आर० पी० एन० सिंह विधायक हैं इनको दो मिनट कृपया सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं सूचनाओं से संबंधित सदस्यों के नाम पढ़े दे रहा हूं यदि किसी माननीय सदस्य का नाम छूटा है तो मुझे सूचित कर देंगे।

आज दिनांक 20-10-2000 को नियम–311 में प्राप्त 4 सूचनाओं को नियम–56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम–56 के अन्तर्गत कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयीं।

नोट† दिनांक 3 नवम्बर, 2000 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

पहली सूचना श्री विनोद मणि, श्री रामचन्द्र यादव व डा० धर्मज्ञ मिश्र की प्रदेश में विशेषतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की विभीषिका से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । दूसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री लालजी वर्मा, श्री मुख्तार अंसारी, श्री राम अचल राजभर, श्री राम ललित चौधरी, श्री मुराद लारी, श्री बुनियाद हुसैन अंसारी, श्री धनीराम वर्मा, श्री अम्बिका चौधरी, डा० अशोक बाजपेयी, श्री वसीम अहमद, श्री गौरी शंकर, श्री उदयराज यादव व श्री रामजग की मऊ शहर में दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के अवसर पर भड़की हिंसा से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । यह सूचनायें नियम–56 और नियम–311 में प्राप्त हुई हैं । अगली सूचना श्री श्रीराम पाल की बुंदेलखण्ड के जनपदों में नहरों व राजकीय नलकूप न चलने से किसानों में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । अगली सूचना श्री राम सेवक सिंह की प्रदेश के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में स्वीकृत रिक्त पदों के सापेक्ष शासन के आदेश से कार्यरत अतिथि प्रवक्ताओं का स्थायी समायोजन किये जाने के संबंध में है । अगली सूचना श्री अम्बिका चौधरी, डा० वकार अहमद शाह, श्री विश्वनाथ, श्री राधेश्याम सिंह, श्री रामप्यारे सिंह, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर तथा कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री अम्बरीष कुमार तथा श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री रामजग, तथा श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री आर० पी० एन० सिंह, श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री राम अवतार मिश्र, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, डा० अम्मार रिजवी, श्री राजपाल त्यागी, श्री अफरोज अली खां, श्री मुहम्मद मुकीम, श्री विजय प्रकाश, श्री काजिम अली, श्री जगदम्बिका पाल, श्री चेतराम, श्री लोकपति त्रिपाठी व एक अन्य सदस्य के हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं हैं, माननीय सदस्यों की सूचनायें पड़रौना में गन्ना बकाये की मांग कर रहे किसानों पर हुए गोली कांड से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । ये सूचनायें नियम–56 और नियम–311 में प्राप्त हुई हैं । इसी विषय पर श्री रघुवर दयाल वर्मा की अलग से सूचना प्राप्त हुई है । अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य की प्रदेश में छात्रों की फीस बढ़ाये जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । अगली सूचना श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्रान्तर्गत धान की खरीद की समुचित व्यवस्था सरकार द्वारा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । अगली सूचना श्री दद्दू प्रसाद की वन विभाग द्वारा लघु वन उपज के संग्रह तथा बिक्री का अधिकार जंगल में निवास करने वाले आदिवासियों से वापस लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । अगली सूचना श्री भीम प्रसाद सौनकर की जनपद अम्बेदकर नगर के पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्रीय विधायक के साथ सौम्यता पूर्ण व्यवहार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

नियम–311 की जो शेष सूचनायें हैं उनको बाद में सुन लूंगा ।

पड़रौना और मऊ की सूचनाओं पर बहुत से माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं इसलिए पहले इन सूचनाओं को सुन लेता हूं । विनोद मणि जी की सूचना को इसके बाद सुन लूंगा । पड़रौना की सूचना पर माननीय नेता प्रतिपक्ष के हस्ताक्षर हैं इसलिए पहले माननीय नेता प्रतिपक्ष बोल लें, उसके बाद श्री सिंह को सुन लूंगा ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, जिसके क्षेत्र का प्रकरण होता है उसे पहले मौका मिलता है । ये नये सदस्य हैं । ये 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोलेंगे । आपने उनका नाम भी पुकार लिया है । मैं चाहूंगा कि श्री आर० पी० एन० सिंह जी को पहले बुलवा लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष का हम लोग सम्मान करते हैं ।

(कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

माननीय नेता प्रतिपक्ष आपके भी नेता हैं, उनके तुरन्त पश्चात् मैं आपको सुन लूंगा ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मैं नेता प्रतिपक्ष से प्रार्थना करूंगा कि वह 2 मिनट इन्हें अपनी बात कह लेने दें ।

(कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह सदन के फ्लोर पर बैठ गये ।)

श्री राधेश्याम सिंह–

मान्यवर, पडरौना गोली काण्ड में सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी हुई है इसलिए पहले मुझे बोलने का अवसर दिया जाय ।

(व्यवधान)

(समाजवादी पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और राधेश्याम सिंह जी को पहले सुने जाने की मांग करने लगे ।)

श्री अध्यक्ष–

आपके दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष को सुनने के लिए मैने आमंत्रित किया है जब आप अपने दल के नेता को बोलने में व्यवधान उत्पन्न करेंगें तो कैसे काम होगा ? आप लोग अपने-अपने आसन पर जांय ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए सभी सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गये ।)

नेता प्रतिपक्ष का एक सम्मान होता है । मैंने उनको आमंत्रित किया है पहले उनको सुन लेंगे फिर आप लोगों को भी सुन लेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इन्हें सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं उनके तुरन्त बाद आपको अवसर देता हूं ।

(कुं० रतनजीत प्रताप नारायण सिंह पुनः सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

यह उचित नहीं है ।

(समाजवादी पार्टी के भी अनेक सदस्य, श्री राधेश्याम सिंह को पहले सुने जाने की मांग करते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रतिपक्ष के नेता को प्राथमिकता दे रहा हूं, वह भी आपको स्वीकार्य नहीं है ।

(सदन के फ्लोर पर आये हुए समाजवादी पार्टी के सदस्य अपने-अपने आसन पर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पहले इन्हें सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

कौन पहले बोले और कौन बाद में बोले अगर इस पर विवाद होगा तो यह बहुत दुखद स्थिति है ।

(अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये ।)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह किसी दल की बात नहीं है । इनके क्षेत्र में गोलीकाण्ड हुआ है । ये नये सदस्य हैं । कभी बोले नहीं हैं । इनकी उपस्थिति में यह घटना हुई है । जिसकी उपस्थिति में घटना हुई हो जिसके क्षेत्र में घटना हुई हो, जो नये सदस्य हैं, सब लोग उनको सुनना चाहते हैं । अगर उनके अधिकारों का हनन होगा तो यह सदन उनको बर्दास्त नहीं करेगा और हम सब उसका विरोध करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने एक व्यवस्था दे दी । सदन की कार्यवाही चले और सब माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करें, लेकिन पहले मैं, पहले मैं, के कारण व्यवधान हो रहा है । वैसे तो मैंने पहली सूचना विनोदमणि जी की क्यमिस की थी । माननीय नेता विपक्ष आपके भी नेता हैं ।

(कांग्रेस पार्टी के सेल में आये सदस्यों द्वारा पुनः अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

मैं सदन को 1 बजकर 15 मिनट तक स्थगित करता हूं ।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही 1 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 1 बजकर 15 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 1 बजकर 30 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है । 1 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

* नेता विरोधी दल (श्री अनीरुद्ध शर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जनपद कुशीनगर की 2 चीनी मिलें पड़रौना और कठकुइयां की मिलें कम्पनी को बेच दिया गया है । वहां पर गन्ना मूल्य के भुगतान के लिये किसान संघर्ष कर रहे हैं । वहां पर मजदूरों पर बर्बर लाठीचार्ज किया गया है और गोली चलायी गयी है जिसमें किसान मारे गये हैं । इस संबंध में हमारे साथी क्षेत्रीय विधायक पडरौना श्री राधेश्याम जेल गये । हमारी पार्टी इसके लिये संघर्ष करती रही है और जब तक समस्या का हल नहीं होगा तब तक संघर्ष करेगी । इस समस्या के बारे में पहले श्री आर० पी० एन० सिंह बोल लें और फिर श्री राधेश्याम जी बोल लें और उसके बाद मैं बोलूंगा ।

* कुं० रतनजीत प्रताप नारायण सिंह–

अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस कांड पर मुझे बोलने का मौका दिया । मैं नेता विरोधी दल का आभारी हूं जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं आपके माध्यम से इस गूंगी बहरी सरकार से पूछना चाहता हूं कि 29 अगस्त को पड़रौना में मजदूरों और किसानों पर गोलियां चलायी गयीं । वहां पर मजदूर किसान 2 साल से इस मुद्दे को लेकर पड़रौना, कठकुइयां, गौरीबाजार मिल पर बकाये को लेकर आंदोलित थे । 29 अगस्त को साढ़े 10 बजे के करीब जब वह लोग तिलक चौक पर शांतिपूर्ण ढंग से बैठे थे तो कुछ मजदूर ट्रेन रोकने गये । इस पर सबसे पहले वहां के अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने न तो लाठी चार्ज किया और न टियर गैस चलायी, सबसे पहले 5 मिनट के अंदर गोली चलाना शुरू कर दिया । (शेम-शेम की आवाजें) तिलक चौक पर हजारों की संख्या में लोग बैठकर शांति पूर्वक ढंग से आंदोलन कर रहे थे । तत्काल गोली चलाने से एक गरीब किसान भुल्लन की मृत्यु हो गयी और तमाम लोग गोलियों से घायल हो गये और वह अस्पताल में भर्ती हैं । गोलियां 2 घंटे तक चलीं जबकि लोग अपने घरों में घुस चुके थे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(इस समय 1 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए ।)

तत्काल बाद कर्फ्यू लगाया गया । उसके बाद सरकार ने पुलिस के सहारे से इस आन्दोलन को तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी, कई लोगों को गिरफ्तार किया । जो शांतिप्रिय ढंग से बैठे हुए थे उन पर 302, डकैती और लूट के मुकदमें लगाये । मेरी मांग है कि सबसे पहले उन आपराधिक मुकदमों को सरकार तुरन्त वापस ले । आज तक पड़रौना, कटकुइयां और गौरी बाजार में न तो यहां के मुख्य मंत्री गये हैं न ही गन्ना मंत्री । जो लोग घटनास्थल पर नहीं थे उन गरीब लोगों पर आपराधिक मुकदमें लगाये गये, सबसे पहले उसे हटाया जाये । जिन अधिकारियों ने गोली चलाने के आदेश दिये, जिन पुलिस कर्मियों ने गोली चलायी, उन्हें तत्काल निलम्बित किया जाये और उनको वहां से हटाया जाये और उन पर 302 का मुकदमा दर्ज कराया जाये । यह समस्या गन्ने की पड़रौना, कठकुइयां और गौरी बाजार की नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की है । जब मा० अटल बिहारी बाजपेई गोरखपुर आये थे तो उन्होंने वायदा किया था कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो गन्ने की समस्या 15 दिन के अन्दर समाप्त कर दूंगा । 15 दिन से जयादा वह प्रधनमंत्री रह चुके हैं परन्तु आज तक उन्होंने इस क्षेत्र के लिये कुछ नहीं किया है । पहले यह सरकार हमेशा कहती रही कि बी० आई० एफ० आर० में दर्ज है, न्यायालय में है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते । आज बी० आई० एफ० आर० में मुकदमा नहीं है उन्हें मुक्त कर दिया गया है । भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सांसदों ने पडरौना के समाचार-पत्रों में कहा है कि अब तो बी० आई० एफ० आर० से हट गयी है और सरकार इसको तत्काल चलायेगी लेकिन अभी तक सरकार का न तो कोई बयान आया है न ही कुछ कहा है । मान्यवर, पड़रौना, कठकुइयां और गौरीबाजार का 18 करोड़ रुपया किसानों के भुगतान का बाकी है । मजदूरों का 5 करोड़ रुपया बाकी है । वहां पर 7 मजदूरों की भुखमरी से मृत्यु हो गयी है परन्तु इस गूंगी-बहरी सरकार का आज तक गन्ना किसानों के बारे में, उन मजदूरों के बारे में कोई बयान नहीं आया । उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ आश्वासन दे चुके हैं । मुख्य मंत्री जी आश्वासन दे चुके हैं । वहां के सांसद आश्वासन दे चुके हैं । हमेशा यह कहा जाता था कि बी० आई० एफ० आर० में मुकदमा दर्ज है जब तक न्यायालय में है हम कुछ नहीं कर सकते । पड़रौना, कठकुइयां फैक्टरी चलने के लिये तैयार है, सरकार उसे तत्काल चलाये । जो भुगतान बाकी है उसे दे, जो आपराधिक मुकदमें दर्ज किये गये हैं उसे वापस लिया जाये । भुवल्लन जिसकी मृत्यु हो गयी है सरकार उसके परिवार को तत्काल 10 लाख रुपये दे, जिसको गोली लगी है उनको तत्काल एक-एक लाख रुपया दिया जाये । दो लोगों की टांगे कट चुकी हैं, बन्द चीनी मिलों को तत्काल चलाया जाये और किसान-मजदूरों का बकाया भुगतान तत्काल किया जाये ।

* श्री राधेश्याम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । यह किसान विरोधी सरकार, मजदूर विरोधी सरकार से आज पूरा पूर्वांचल का किसान मर्माहत है । पड़रौना की घटना को सकरा ने गम्भीरता से लिया होता तो यह घटना नहीं घटती । पड़रौना, कटकुइयां और गौरी बाजार के किसानों और मजदूरों पर 4 जनवरी, 2000 को लाठीचार्ज किया गया जबकि उस दिन यहां उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सामने हम लोग आंदोलन कर रहे थे और उसी दिन 4 जनवरी, 2000 को 11 बजे से 2.30 बजे तक विधान सभा की कार्यवाही नहीं चली थी और उस समय मुख्य मंत्री जी यहां सदन में मौजूद थे । मान्यवर, उस दौरान मुझे और माननीय विश्वनाथ विधायक को गिरफ्तार किया गया । यदि उसी समय इस सरकार ने मजदूरों और किसानों के आन्दोलन को गम्भीरता से लिया होता तो यह पडरौना काण्ड नहीं होता । लेकिन सरकार के लिए यह कोई नई बात नहीं है । चूंकि 1992 में जब यह सरकार थी तो रामकोला के मजदूरों और

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किसानों द्वारा भुगतान मांगने पर इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन पर गोली चलवाई थी। मान्यवर, आज पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पडरौना के गन्ना किसानों पर, जो भीख नहीं मांग रहे हैं बल्कि अपने गन्ने का बकाया मूल्य मांग रहे हैं तो उन पर यह सरकार गोली चलवा रही है। मान्यवर, नेता सदन से मैं कहना चाहता हूं कि आप उन किसानों के दर्द को समझें, जिन्हें तीन-तीन वर्षों से गन्ने का मूल्य और मजदूरों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। जिससे उनके परिवारों से पूछा जाय तो वह कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, जिससे व अपने लड़के और लड़कियों की शादी कैसे करें ? इसलिए यह गम्भीर मामला है। मान्यवर, पडरौना के मजदूर और किसान संयुक्त रूप से 16 अगस्त से आन्दोलन किया और मशाल जुलूस निकाला तथा 22 अगस्त को जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव किया और अनशन पर बैठे और जिलाधिकारी ने इसको गम्भीरता से लिया तो उसका मंत्री के दबाव में स्थानान्तरण कर दिया गया और किसानों तथा मजदूरों की आवाज को दबा दिया गया जिससे 29 तारीख को यह घटना घटी। मान्यवर, वहां के मजदूर और किसानों को जब अनशन पर बैठे और हफ्तों बीत गये और कार्यवाही नहीं हुई तो उन्होंने तय किया कि 29 अगस्त को रेल रोकेंगे। यह मांग प्रशासन के सामने पहुंची और वे शांति पूर्वक आन्दोलन कर रहे थे लेकिन एस० डी० एम० ने उन पर लाठी और गोली चलवाया जिससे एक नौजवान भुल्लन गुप्ता मारा गया और दो लोगों को गोलियां लगीं जो मेडिकल कालेज में भर्ती हैं। मान्यवर, यदि मुख्य मंत्री जी ने इस घटना के बाद भी इस पर गम्भीरता से विचार किया होता तो आज कठकुइयां, गौरी बाजार और सरदार नगर का मजदूर और किसान आन्दोलित न होता। बड़े शर्मा की बात है कि यह सरकार उन मजदूरों और किसानों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है जिससे पडरौना कांड हुआ, वहां गोली चली। मान्यवर, वहां के मजदूरों और किसानों द्वारा अपना बकाया मांगने पर जो कि दो करोड़ रुपये का बकाया है, उन पर लाठी और गोली चलायी गयी। मान्यवर, इस घटना की जांच किस अधिकारी से करायी जा रही है। मेरी जानकारी में है कि इसमें सरकार द्वारा लिपा-पोती की जा रही है मेरी मांग है कि पडरौना कांड की न्यायिक जांच करायी जाय और जिन किसानों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज हैं उन्हें वापस लिया जाय। पडरौना, कठकुइयां व सरदार नगर की बन्द चीनी मिलों को चलाया जाए जो नौजवान भुल्लन मारा गया है उसके परिवार वालों को 10 लाख रुपये मुआवजे में दिये जाएं तथा वहां के सी०ओ० और एस०डी०एम० के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए तथा वहां के सी० ओ० और एस० डी० एम० के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। इस बेशर्म सरकार ने उन दोषी अधिकारियों का अभी तक स्थानान्तरण तक नहीं किया है। मैं मांग करता हूं कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। नेता विरोधी दल व अन्य नेतागण जो पडरौना गये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं तथा मांग करता हूं कि बन्द चीनी मिलों को चलाया जाए तथा बकाए गन्ना मूल्य का भुगतान दिया जाए।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर,मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण कार्य-स्थगन के प्रस्ताव पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। जनपद कुशीनगर की पडरौना, कठकुइयां गौरी बाजार व बिहार में एक चीनी मिल मरौरा यह चारों चीनी मिलें एक ही ग्रुप एक ही कम्पनी की हैं इसलिए चारों चीनी मिलों को एक साथ जोड़ दिया गया। पडरौना चीनी मिल घाटे में नहीं थी इसको बेचने की साजिश की गई और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी शामिल है यह मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं। अपने एक मंत्री को फायदा पहुंचाने के लिए एक कम्पनी गंगोली इन्टरप्राइजेज की चारों मिलें बेच दी। जब समझौता हुआ था तो यह तय हुआ था कि जितना मजदूरों का वेतन और गन्ना किसानों का बकाया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है उसका भुगतान किया जाएगा वह भुगतान किये बिना पडरौना चीनी मिल व दूसरी चीनी मिलों के गोदाम में जो चीनी रखी है उसकी एक बोरी नहीं निकाली जाएगी लेकिन इन गोदामों की करोड़ों की चीनी वहां से निकाल ली गई इस संबंध में मैं भी गिरफ्तार हुआ था, तथा गोरखपुर जेल में बन्द किया गया जब मैंने गरीब मजदूरों और किसानों के हित में आवाज उठाई । जब चीनी मिल बन्द की जाती है तो सामान्य कारण यह बता दिया जाता है कि मशीनें पुरानी हो गई थीं लेकिन पडरौना व अन्य चीनी मिलों में नई मशीनें लगी हुई हैं उसका आधुनिकीकरण हो चुका था । इन मशीनों के रहते उनके घाटे में जाने का कोई सवाल ही नहीं है । इन चारों मिलों को बेचने के पीछे मजदूरों की मजदूरी लूटने व गन्ना किसानों का भुगतान न करना पड़े यह साजिश है । इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिम्मेदार है जो 16 अगस्त को कार्यक्रम चल रहा था उसकी पहले ही सूचना दे दी गयी थी । यह भी घोषणा की गई थी कि मजदूरों की मजदूरी व किसान के बकाये का भुगतान न किया गया तो 29 अगस्त को चक्का जाम व रेल रोको कार्यक्रम का आयोजन किया जायेगा यह लोकतांत्रिक अधिकार है । इस आन्दोलन में वहां के मजदूर, सब्जी बेचने वाले व छात्र शामिल थे । इस तरह से पूरी जनता इस आन्दोलन में शामिल थी । यह सरकार असंवेदनशील है इसके कान पर जूं नहीं रेंगती । आज यहां पर नेता सदन मौजूद हैं । आपके इसी रुख के कारण सरकार की उदासीनता के कारण, इस लूट में भागीदारी के कारण उस निर्दोष भुल्लन की जान गई है यह इन्हीं चार चीनी मिलों का ही मामला नहीं है । आगे भी और चीनी मिलें बेचने का इनका इरादा है । मैं मांग करता हूं कि प्रदेश की बन्द चीनी मिलों को चलाया जाय । गन्ना मजदूरों का जो भी पैसा बकाया है उसे दिया जाय । जिन लोगों को गोली लगी है उनको एक-एक लाख और मृतक के परिवार वालों को 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाय । मान्यवर, 1 तारीख को हमारी पार्टी के प्रमुख महासचिव श्री शिवपाल, श्री अहमद हसन व श्री रामशरण दास हमारे नेता विपक्ष के नेतृत्व में गिरफ्तारी हुई । मेरी स्वयं सहित कई माननीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी इस सरकार का रवैया ठीक नहीं हुआ । माफियागिरी में फंसी यह सरकार किसानों, मजदूरों का भला कैसे कर पायेगी ? चूंकि यह सदन का पहला दिन है इसलिए तात्कालिक और लोकमहत्व का इससे बड़ा प्रश्न कोई नहीं हो सकता । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पीठ से इस सरकार को निर्देशित करें कि जिन अपराधियों के कारण यह काण्ड हुआ उनको सजा दी जाय । किसानों को बर्बाद करने की साजिश का पर्दाफाश किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

इससे पहले बाकी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करें । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी ने जो एक व्यवस्था दी है उसी के अनुसार चला जाय । सभी माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो यथासंभव प्रयास करें कि अपने आप को संक्षिप्त करते हुए कम समय में अपनी बात कहें ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर,मैं उन सभी माननीय सदस्यों की बात से सहमत हूं जो इस विषय पर बोले । इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि गोली चलाने की कोई वजह प्रशासन के पास नहीं थी । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जब वे अपना जवाब दें तो मेरे इन दो सवालों के जवाब दें कि जब कभी आपकी यह सरकार आती है तो गन्ना किसानों को गोली के अलावा कभी कुछ नहीं देती है । इससे पूर्व 1991 में जब आपकी सरकार आई तो रामकोला काण्ड हुआ और इस बार पडरौना में किसान मारे गये। मैं कहना चाहता हूं कि आप बिना नीति के सरकार चला रहे हैं यदि कोई नीति है तो आप बतायें ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आपकी सरकार को 4 साल हो गये हैं । आपने अब तक कितनी चीनी मिलें चलवाई । मैं बता देता हूं आपकी 32 चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं । कौन सी नीति है आपकी ? आप कहां सफल हैं ? आपकी सरकार तो बेचू सरकार है । उधर किसानों को पैसा नहीं दिया जाता है और आपके मंत्री 10-10 हजार, 1-1 लाख रुपये जेब खर्च के रूप में ले रहे हैं । एक तरफ किसानों पर गोलियां चलाई जाती हैं और दूसरी तरफ चीनी मिलों को बन्द किया जाता है । अगर आपकी सरकार किसानों की पक्षधर है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं एक भी चीनी मिल चलाई गई, बेंची क्यों गई ? आपको किसानों से कौन सी नफरत है जो गन्ना किसानों को गोली के अलावा कुछ नहीं मिलता । माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश है कि जिन लोगों का बकाया है उनका बकाया ब्याज सहित दिया जाय । जब आप जवाब देने खड़े हों तो बतायें कि कितना बकाया आपने ब्याज सहित दिया है । कितना रुपया किसानों का बकाया है, इसे भी आप बतायें । जौनपुर में अगर कोई किसान 1400 रुपये नहीं देता है तो उसे मछली शहर में गोलियों से भून दिया जाता है । अगर आप किसान का पैसा नहीं दे सकते हैं तो आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है । नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्य मंत्री जी आपकी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए । आपको किसान से क्षमा मांगनी चाहिए । मैं आपके इस्तीफे की मांग करता हूं। आप किसान पर तो हमदर्दी करें । जैसा हमारे सदस्य श्री आर० पी० एन० सिंह जी ने कहा है । मृतक आश्रितों को 10 लाख रुपये दिये जायं और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 1 लाख रुपये दिया जाय। इस प्रकरण की माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के एक सिटिंग जज से इसकी निष्पक्ष जांच [illegible] जाय । अब आप तो जा ही रहे हैं इसलिए जाते-जाते किसानों का जो बकाया [illegible] आपने [illegible] [× × ×] कर रखी है, इसे आप रोकें । [× × ×] अब [illegible] करिये । कार्य-स्थगन का यह प्रस्ताव अविलम्बनीय है, लोकमहत्व का है, इसलिए आप इसे चर्चा के लिए स्वीकार करें ।

श्री अधिष्ठाता–

जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर नोटिस पर हैं, पहले उनको बुलवा लूं । उसके बावजूद भी अगर कोई माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे तो उनको यथासम्भव अवसर दिया जायेगा। सदन की आम परम्परा यह रही है कि जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं, उनको अवसर मिलना ही चाहिए फिर दूसरे माननीय सदस्यों को अवसर दिया जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी से वार्ता हुई थी । पार्टी के विधायकों की संख्या के अनुसार अवसर दिया जायेगा । 15 सदस्यों की पार्टी के विधायक को भी वही अवसर दिया जा रहा है, एक सदस्य की पार्टी को भी वही अवसर दिया जा रहा है, 60 सदस्यों की पार्टी को भी वही अवसर दिया गया । कम से कम आपकी व्यवस्था इस पर होनी चाहिए । किसी को तो आप लगातार अवसर दिये जा रहे हैं । बीच में आपने छोड़ दिया, यह अच्छी बात नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, इसी विषय पर नियम 311 के अन्तर्गत बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों ने दस्तखत करके नोटिस दी है । बहुजन समाज पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को नहीं बुलवाया गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने यह कहां कहा कि बहुजन समाज पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को नहीं बुलवाया जायेगा । मैं तो केवल इतना कह रहा था कि सदन की सामान्य परम्परा यह रही है कि नोटिस पर जिसके हस्ताक्षर होते हैं, उनको अवसर दिया जाता है । आप उत्तेजित न हों ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बी० आर० वर्मा–

हमारे दस्तखत हैं । आपकी क्या व्यवस्था है ? आपने पहले कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य को बुलवाया, फिर समाजवादी पार्टी के दो सदस्यों को बुलवाया, फिर आपने कांग्रेस पार्टी के नेता को बुलवाया । हमने नोटिस दी है, उस पर दस्तखत भी हैं परन्तु बहुजन समाज पार्टी को आपने नहीं बुलवाया ।

श्री अधिष्ठाता–

आप एक मिनट का अवसर दें । यह जो नोटिस हैं इसमें जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं, मैं उनके नाम पढ़ दूं । अम्बिका चौधरी.....

श्री लालजी वर्मा–

एक साथ सारी नोटिस ली जाती है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया बैठें तो ।

श्री लालजी वर्मा–

हमारे उस नोटिस पर हस्ताक्षर नहीं हैं लेकिन मैंने इस विषय पर अलग से नोटिस दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसमें किसी दल विशेष के माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं । कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । इसके बावजूद भी यदि कोई माननीय सदस्य कहता है कि मेरे भी थे मेरा नाम छूट गया है तो उसका संज्ञान ले लिया जायेगा । मैं जिन सदस्यों के नाम हैं पढ़ देता हूं । डा० वकार अहमद शाह, श्री विश्वनाथ, श्री राजाराम, श्री दुर्गा प्रसाद, श्री योगेन्द्र सिंह, कुं रेवती रमण सिंह, श्री अम्बिका चौधरी,श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री राम जग, श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री अरविन्द सिंह, श्री अखिलेश कुमार सिंह, श्री राम औतार शाक्य, डा० अम्मार रिजवी, श्री राजपाल त्यागी, श्री अफरोज अली खां, श्री विजय प्रकाश, श्री काजिम अली, श्री जगदम्बिका पाल एवं श्री रघुवर दयाल वर्मा.....

श्री बी० आर० वर्मा–

हमारी भी नोटिस है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें । मैंने उन माननीय सदस्यों के नाम पढ़े, जिनके नोटिस पर हस्ताक्षर हैं । इसके बावजूद जैसा कि दलों के माननीय नेताओं का, माननीय अध्यक्ष जी के साथ, जो विचार-विमर्श हुआ उसके क्रम में जो दूसरी नोटिस थी । जैसी जो इच्छा जाहिर की गई थी इसलिये मैंने स्वतः .....

श्री बी० आर० वर्मा–

आपकी कोई कृपा नहीं चाहिए । आपकी कृपा से जरूर हम सदन में बोलते हैं । लेकिन जब एक व्यवस्था है माननीय अधिष्ठाता जी कि जब कोई विषय आता है तो उससे संबंधित सभी नोटिस को लिया जायेगा तो.....

श्री अधिष्ठाता–

आपके नाम से कोई नोटिस नहीं है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मैंने समय से नोटिस दिया है जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भी हस्ताक्षर हैं । मेरे पास नोटिस की कापी है । 10–12 सदस्यों के हस्ताक्षर से नोटिस दिया है ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी जो नोटिस है वह मऊ शहर में दूर्गा पूजा के दौरान विसर्जन के दौरान हुई घटना के सम्बन्ध में है । आपकी नोटिस इस विषय पर नहीं है, जिस विषय का उद्धरण दिया गया । उस विषय पर आपकी नोटिस नहीं है । बावजूद इसके मैंने आपसे कहा कि मेरा यथासम्भव प्रयास होगा कि जिनके हस्ताक्षर नहीं हैं और दलों के नेता जिन वरिष्ठ सदस्यों के लिए कहेंगे उनको बोलने का अवसर दिया जायेगा । लेकिन यह सरासर अनुचित है किसी दूसरे नोटिस का सहारा लेकर इस तरह किया जाये कि इस विषय पर हमारा नोटिस है । इस विषय पर आपका कोई नोटिस नहीं है लिहाजा इस विषय पर इस तर्क को खारिज करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जो सूचना दी गई है उसमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है .....

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई बात नहीं हुई, जिस तरह से किया जा रहा है यह कोई अच्छी बात नहीं है ।

(बहुजन समाज पार्टी के श्री राजाराम पाल, श्री रामललित चौधरी, श्री मुराद लारी तथा श्री मुख्तार अंसारी आदि अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए और नारे लगाने लगे)

माननीय मौर्य जी कृपया अपने माननीय सदस्यों को आसन ग्रहण करने के लिए कहें ।

(घोर व्यवधान)

आप अपने स्थान पर जाएं, तो मैं व्यवस्था दूं । आप जो कुछ कहना चाहते हैं, कृपया अपने स्थान पर जाकर कहें ।

(सदन के फ्लोर से सदस्यगण नारे लगाते रहे)

(घोर व्यवधान)

(बसपा के अनेक सदस्यगण सदन के फ्लोर पर खड़े नारे लगाते रहे)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग कृपया अपने स्थान पर जायें । यह उचित नहीं है । माननीय मौर्य जी कृपया अपने माननीय सदस्यों से कहें कि वे अपने स्थान पर वापस जायें । हम आपको अवसर दे रहे हैं ।

(सदन में आये हुए सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गये)

माननीय मौर्य जी मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि इस नोटिस पर पहले ही माननीय अध्यक्ष जी ने विचार विमर्श के पश्चात् सभी दलों के माननीय नेतागणों से यह निर्णय लिया था कि इस पर यथासम्भव सभी माननीय सदस्यों को विचार रखने का अवसर दिया जायेगा । यह विवाद का विषय नहीं है कि किसके हस्ताक्षर हैं और किसके हस्ताक्षर नहीं हैं मैं तो यह अनुरोध कर रहा हूं कि इन-इन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । मैंने यह कदाचित नहीं कहा कि शेष माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर नहीं दिया जायेगा । इसमें माननीय अध्यक्ष जी विनिश्चय कर चुके हैं कि अधिकांश सभी इच्छुक माननीय सदस्यों को अवसर दिया जायेगा और इसमें विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है । मैंने सदन के सम्मुख उनके नाम पढ़े जिनके हस्ताक्षर थे ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं बड़े ही आदरपूर्वक, विनम्रतापूर्वक यह कहना चाह रहा हूं । मान्यवर, आप तो उत्तरांचल चले जायेंगे । हम आपके अतिथि होंगे । आप ऐसी परम्परा छोड़कर क्यों जा रहे हैं । माननीय वर्मा जी ने बहुत साफ पढ़कर सुनाया.....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय तिवारी जी, इसकी आवश्यकता नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार–

पडरौना में गन्ना किसान गोली का शिकार हुए तो इसमें इन्हें बोलने का अधिकार है । आप इन्हें बोलने का अवसर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं इस पीठ से कि जो हम लोगों ने नोटिस दी है वह आपके सम्मुख मौजूद है कि नहीं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप स्वयं भिज्ञ हैं । मैंने आपसे कहा कि मैंने जो नोटिस अस्वीकृत हुई उसको पढ़ा और जो स्वीकृत हुई उस सूचना को पढ़ा । परन्तु यह बात बहुत प्रासंगिक इस संदर्भ में इसलिए नहीं है कि सभी दलों के नेताओं से माननीय अध्यक्ष जी ने विचार विमर्श के पश्चात् यह विनिश्चय किया कि सभी इच्छुक माननीय सदस्यों को बात कहने का अवसर दिया जायेगा । तो लिहाजा अब इस प्रश्न की कोई प्रासंगिकता नहीं है कि यह पर्टिकुलर नोटिस इनलिस्ट हुई कि नहीं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

अधिष्ठाता महोदय के निर्देश आ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की इस पर नोटिस नहीं है ।

पडरौना में गन्ना किसान गोली का शिकार हुए हैं । एक व्यक्ति की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी और सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हैं । चीनी मिल मजदूर वेतन और पेंशन को लेकर आन्दोलित हैं । अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर समस्त कार्यवाही स्थगित कर चर्चा कराने की कृपा करें। यह नोटिस जो हमारी है उसकी भाषा है ।

मान्यवर, आप हमारी नोटिस को मानते हैं कि नहीं यह कृपया स्पष्ट करने का कष्ट करें ।

श्री अधिष्ठाता–

इससे कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है । जो हेडिंग दी गयी उसके आधार पर नोटिस इनलिस्ट हुई । आपकी नोटिस दूसरे विषय पर थी, आपकी नोटिस इसी विषय पर थी, इसमें विवाद की अब कोई स्थिति तो है नहीं, जो आपकी नोटिस थी जिसमें आपके हस्ताक्षर हैं, माननीय इन्द्रजीत सरोज और अन्य माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं यह नोटिस मऊ में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, वह हमारी नियम 56 में नोटिस है । यह नियम 311 की नोटिस है ।

श्री अधिष्ठाता–

हम सचिवालय से इस बात की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो मैंने कहा कि जो तथ्य मेरे सामने हैं उसमें नियम–311 की इसी विषय पर नोटिस है, यह नोटिस नियम 56 की है, जो कनवर्ट हो गयीं । अब आपकी नोटिस इसमें किस वजह से नहीं आ पायी । अब जैसा कि मैंने कहा कि उसकी प्रासंगिकता अब इसलिए नहीं है कि आप यह तय कर चुके हैं कि सभी दल के सभी इच्छुक सदस्यों को बोलने का समय दिया जायेगा । अगर कहीं त्रुटि है, तो उसको दिखवा लिया जायेगा ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जो नियमावली में हमें अधिकार दिया गया है उस अधिकार का उपयोग करना चाहते थे। सभी को बोलने का मौका दे रहे हैं, यह आपकी उदारता है। हमारी भी नोटिस थी।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने कहा कि हम इसे दिखवा लेते हैं कि यह नोटिस रिकार्ड में क्यों नहीं आयी ?

श्री बी० आर० वर्मा–

हमने ठीक 9.10 या 9.15 बजे पर नोटिस दिया था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात पर आपसे अनुरोध करूंगा कि चूंकि यह पडरौना और गौरी बाजार उसी से लगा हुआ विधान सभा क्षेत्र है और हमारे माननीय विधायक वहां से हैं जन्मेजय सिंह, तो वह पहले अपनी बात को रखेंगे।

(इस समय 2 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, अभी अधिष्ठाता जी ने एक व्यवस्था दे दी तो उस पर आप बोलेंगे।

(व्यवधान)

आप बोल रहे हैं तो बोल लीजिये।

* श्री जन्मेजय सिंह–

मान्यवर, गौरी बाजार, कठकुइयां पडरौना विगत कई वर्षों से बन्द है जिसमें राज्य सरकार के गौरी बाजार, कठकुइयां, पडरौना को चलाने के निर्देश हैं। मैं चाहता हूं कि गौरी बाजार चीनी मिल को चलाया जाय। अगर नहीं चलाया जाता है तो वहां की जनता, किसान तथा ग्रामीण सभी लोग आक्रोशित हैं और वहां घटना पडरौना से ज्यादा घट सकती है। आपसे निवेदन है कि पडरौना, कठकुइयां चलती है तो गौरी बाजार चीनी मिल को भी चलाया जाय।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आपसे और खासकर माननीय हुकुम सिंह जी से अनुरोध है कि यह बहुत गम्भीर और चिन्तनशील मसला है। मान्यवर, माननीय सदन के सामने पडरौना में वेतन की मांग करने वाले भूखे लोग और गन्ना बकाया की मांग करने वाले निहत्थे किसान लोगों पर जिस बर्बरता से गोली चलाई गई यह बहुत ही चिन्ता की और खेदजनक बात है। इसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें लोगों को इकट्ठा होकर अपनी मांग करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है ? निहत्थे लोगों पर पुलिस को गोली चलाने का क्या कोई अधिकार प्राप्त है कि गोली चलाओ और उनकी हत्या कर दो ? श्रीमन्, मैं बताना चाहता हूं कि 1957 में केरल के मुख्य मंत्री श्री पट्टमथानू पिल्लई थे वहां सोशलिस्ट पार्टी की सरकार थी, सोशलिस्ट पार्टी के मुख्य मंत्री थे और वहां इसी तरह से एक श्रमिकों के जुलूस पर गोली चला दी गयी थी जिसमें 2 श्रमिकों की मौत हो गयी थी उस समय डा० राम मनोहर लोहिया जेल में थे उन्होंने वहीं से निर्देश दिया कि निहत्थे श्रमिकों पर अकारण गोली चलाई है इसलिए आप त्याग-पत्र दें। श्रीमन्, लोकतंत्र के मायने हैं कि हम लोग इकट्ठा होकर मांग करेंगे लेकिन उन पर गोली चलाई जाय, यह बहुत ही सोचनीय प्रश्न है। इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदन को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि क्या सरकार इस तरह की हरकत करके लोकतंत्र में लोगों की आवाज को दबाने का काम करेगी । अगर यह काम करेंगे तो यह लोकतंत्र की सफलता का परिचायक नहीं बनेगा । श्री हुकुम सिंह जी आप तो इस बात के पक्षधर हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर गोली नहीं चलेगी लेकिन जो परिस्थितियां प्रशासन ने पैदा कर दी हैं चाहे राजनीतिक लोग हों या मजदूर हों, प्रशासन सरकार का कहना मानता है । आज पडरौना में क्या हुआ जिन लोगों के ऊपर गोली चली उन्हीं के ऊपर मुकदमा ठोंक दिया गया कि तुम पुलिस प्रशासन पर पत्थर चला रहे थे । उन पर 307 का मुकदमा ठोंक दिया गया है और यह शासन उसी की पुष्टि करे तो यह बहुत बड़ी चिन्ता का कारण है । इस बात पर हमें गम्भीरता से विचार करना होगा कि क्या ऐसी परिस्थिति में इस लोकतंत्र को बचाने के लिए निरीह नागरिकों को बचाने के लिए शासन को क्या सोचना है ? प्रशासन को क्या सोचना है ? इस पर माननीय सदन में विचार किया जाना चाहिए ।

(इस समय 2 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अम्बरीष कुमार पीठासीन हुए)

यह विचारणीय विषय है । हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे । आज लोकतंत्र के इतने वर्षों में, आजादी के इतने वर्षों में क्या कोई मौलिक परिवर्तन कर गोली चलाने की इस बर्बरता पर लगाम लगाई जा सकती है ? इसको नियंत्रण किया जा सकता है ? यह प्रश्न आज हमारे आपके सबके सामने है । मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां आज इस मुल्क में पैदा हो रही हैं, चीनी मिल नहीं चल रही है, लोग भूखों मर रहे हैं, भुगतान नहीं हो रहा है और रास्ता चलता भुल्लन गोली से मारा जाता है । एक सदस्य ने यहां तक कह दिया कि वह ईंट मार रहा था । मैं कहना चाहूंगा कि बिना देखे ऐसी बात कह देना अनुचित बात है । इन सब चीजों पर संवैधानिक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए । यहां के जितने लोग हैं, जितने घायल हुए हैं, उन सबको मुआवजा मिले और ऐसा विधायक जी ने कहा कि जो मारा गया है, उसको 10 लाख और घायलों को 1-1 लाख का मुआवजा तथा प्रशासन के खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए । साथ ही इस स्थिति का भी परीक्षण किया जाय कि निहत्थों पर गोली जिन्होंने चलवाई, उनके खिलाफ मुकदमें की कार्यवाही हो । यही मैं अनुरोध आपसे करना चाहता हूं । आपका बहुत-बहुत आभारी हूं । धन्यवाद ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने पडरौना गोली कांड पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं 2-3 बातें इसके संबंध में कहना चाहता हूं । यह घटना 29 अगस्त, 2000 को हुई, जिसमें भुल्लन नाम के एक नौजवान की मृत्यु हुई और दर्जनों लोग उक्त पुलिस फायरिंग में घायल हुए । श्रीमन्, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आपको जहां संवेदनशील और लोकहितों के प्रति सजग बताती है । ऐसी सरकार को इस बात की छान-बीन करानी चाहिए कि क्या पडरौना में वह सारी परिस्थितियां विद्यमान हो गई थीं, जिसमें गोली चलाना आवश्यक हो गया था । मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि स्थानीय पुलिस बगैर गोली चलाये भी हालात पर काबू पा सकती थी, लेकिन श्रीमन्, वहां पुलिस द्वारा अनावश्यक गोली चलाई गई, जिसमें एक आदमी की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गये । वहां के लोगों ने प्रदेश सरकार से मांग की कि यदि वह इस घटना में दूध का दूध और पानी का पानी अलग करना चाहती है तो उसको बिना विलम्ब किये न्यायिक जांच की घोषणा कर देनी चाहिए, लेकिन प्रदेश की सरकार ने ऐसा न कर अपनी संवेदनहीनता का परिचय दिया है । सबसे सनसनीखेज बात यह है कि प्रदेश मंत्रि-मण्डल के 2-3 माननीय मंत्रियों ने इस घटना के संबंध में परस्पर विरोधी बयान दिये हैं । माननीय गन्ना मंत्री जी ने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश की सरकार बी०आई०एफ०आर० में प्रबन्ध तन्त्र के विरुद्ध आर० सी० जारी करने हेतु अनुमति लेने के लिये गई है क्योंकि उपरोक्त प्रबन्ध तंत्र ने मिल मजदूरों और गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान अनुबंध की शर्तों के अनुसार नहीं किया है । एक दूसरे

माननीय मंत्री जिनका संबंध प्रबंध तंत्र से है, ने बयान दिया कि कौन कहता है कि अनुबंध में इन बातों को स्वीकार किया गया है कि बिना मिल चले मजदूरों तथा किसानों का भुगतान कर दिया जायेगा । इसी प्रकार प्रदेश सरकार के इन मा० मंत्रियों ने एक ही संविधान की शपथ लेकर, एक ही माननीय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में रहते हुये, परस्पर विरोधी बयान देकर मामले को और उलझा दिया है, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि उनकी सरकार संवेदनशील है और लोकहितों के प्रति वह सजग भी है । मैं निवेदन के साथ यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की संवेदनशीलता इस बात से उजागर होती है कि इतनी बड़ी दुर्घटना वहां हुई, वहां पुलिस जुल्म के विरुद्ध काफी दिनों से लोग आन्दोलित हैं, पुलिस द्वारा गोली चलाई गयी जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा दर्जनों घायल हुए बावजूद उसके माननीय मुख्यमंत्री जी पडरौना गये तक नहीं । यदि वह स्वयं जाकर देखे होते तो वह न्यायिक जांच की घोषणा करने में विलम्ब नहीं करते या दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश देने में देर नहीं करते । आज केवल न्यायिक जांच करा देने या दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाई करा देने से मजदूरों तथा किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा । इस समस्या का समाधान तब होगा जब वर्तमान में उन दोषपूर्ण नीतियों में परिवर्तन हो जिन के चलते ये चीनी मिलें बन्द हैं और जिन अवरोधों के कारण ये चीनी मिलें चल नहीं पा रही हैं, उनको दूर किये बिना समस्या का समाधान नहीं होगा । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, केवल पडरौना में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें आजादी के पूर्व की हैं तथा उनकी पेराई क्षमता बहुत कम है, उनका विस्तारीकरण किये बिना न तो इनसे लाभ कमाया जा सकता है और न ही इन मिलों में चीनी उत्पादन के लागत खर्च को घटाया जा सकता है । मान्यवर, चीनी मिलों पर किसानों का जो बकाया है उसके भुगतान की व्यवस्था प्रदेश सरकार को करनी चाहिए । पडरौना चीनी मिल पर 12 करोड़ 34 लाख, कटकुंइया चीनी मिल पर 5 करोड़ 61 लाख और गौरी बाजार चीनी मिल पर किसानों का 1 करोड़ 65 लाख रुपये बकाया है । आज तक इन मिलों का प्रबन्ध तन्त्र बी०एफ०आई०आर० की शर्तों की अवहेलना करता रहा है । इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा जब तक पूर्वांचल की इन बन्द मिलों को चलाने के लिए प्रदेश सरकार स्पेशल पैकेज नहीं देती । मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर पूर्व में पद स्थापित एक जिलाधिकारी ने समस्या के समाधान हेतु काफी परिश्रम किया । तत्कालीन जिलाधिकारी आर० के० सिंह द्वारा किसानों, मजदूरों के बकाया भुगतान के लिए प्रबन्ध तंत्र पर दबाव बनाया गया था किन्तु उन्हें वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया । प्रदेश सरकार इससे कलंकित हुई है । जो जिलाधिकारी किसानों के बकाया भुगतान के प्रति सजग था किन परिस्थितियों में उस जिलाधिकारी को स्थानान्तरित किया गया ? यह भी जांच की परिधि में होना चाहिए । बिना विलम्ब किये इस घटना की माननीय उच्च न्यायालय के किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराने की घोषणा मा० मुख्य मंत्री जी को करनी चाहिये । दूसरी बात उपरोक्त गोलीकाण्ड के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों और फायरिंग का आदेश देने वाले मजिस्ट्रेट के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और तत्काल आवश्यक कार्यवाई होनी चाहिये । माननीय मुख्य मंत्री जी को बिना विलम्ब किये इस गोली काण्ड में मृतक भुल्लन के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देनी चाहिये और उसके परिवार को समुचित मुआवजा देना चाहिये ।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वर्ष 1992 में बकाया गन्ना मूल्य को लेकर रामकोला चीनी मिल पर आंदोलनकारी किसानों पर गोली चलायी और एक किसान की घटनास्थल पर मृत्यु हो गयी थी और सैकड़ों लोग घायल हुये थे । आज पड़रौना में गोली चली और भुल्लन नाम के किसान की घटना स्थल पर मृत्यु हो गयी और सैकड़ों की तादाद में लोग घायल हुये हैं । उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है । सवाल यह पैदा होता है कि इस भारतीय

जनता पार्टी की सरकार में बराबर किसानों के ऊपर गोलियां क्यों चलती हैं ? चाहे गेहूं के मूल्य की बात हो, धान के मूल्य की बात हो, आलू के मूल्य की बात हो या गन्ने के मूल्य की बात हो किसानों पर गोलियां क्यों चलती हैं ? अगर इसकी गहराई में जायं तो यह स्पष्ट हो जायगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा किसान विरोधी रही है । सरकार ने चाहे गेहूं, चाहे गन्ना, चाहे आलू, चाहे प्याज किसान हो सरकार ने उपेक्षा की है । इस सरकार ने हमेशा गन्ना किसानों और चीनी मिल मजदूरों की उपेक्षा की है । चाहे विधान सभा के बाहर हो या विधान सभा के अंदर हो, सरकार द्वारा सुधारात्मक आंकड़े, फर्जी आंकड़े पेश किये जाते हैं । आज चीनी मिलों पर लगभग 1999-2000 का 1 अरब रुपये का बकाया है । कारपोरेशन की मिलों पर 27 करोड, सहकारी चीनी मिलों पर 28 करोड़ और निजी चीनी मिलों पर 45 करोड़ रुपये, करीब 100 करोड़ रुपये बकाया है इस प्रदेश में । पिछले साल यह बकाया 97 करोड़ रुपये का था । जो चीनी मिलें बंद हैं उन पर 52.59 करोड़ रुपये बकाया है । जो सहकारी गन्ना समितियां हैं उनके ऊपर 30 करोड़ रुपया बकाया है । कुल मिलाकर लगभग पौने 2 अरब रुपये का बकाया है । जब इस बकाये को लेकर किसान आंदोलन करते हैं तो सरकार उन पर गोलियां चलाने का काम करती है । किसान अपने खून पसीने की कमाई को कैसे प्राप्त करेगा यह सरकार बताने का कष्ट करे ? पडरौना में जो गोली कांड हुआ है उसमें दोषी लोगों को सजा मिलनी चाहिए और जो मृतक भुल्लन है उसके परिवार के लोगों को 10 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिये और उसके आश्रितों को नौकरी देनी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं ।

* श्री रामजग–

अधिष्ठाता महोदय, आज एक गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है । पडरौना में गन्ना किसान अपने गन्ने का मूल्य मांग रहे थे और मजदूर लोग अपना वेतन चाहते थे । लोकतंत्र में हर व्यक्ति को शांतिपूर्वक मीटिंग करने का अधिकार है । इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं । किसानों और मजदूरों के विरोध के चलते आज किसानों, मजदूरों की दुर्दशा हो रही है । गरीब किसान अपना गन्ना पैदा करता है और चीनी मिलों को देता है, वही उसकी जीविका का सहारा है । अगर किसान को गन्ना मूल्य नहीं मिलेगा तो वह दवा, बच्चों की पढ़ाई और अपनी रोजी रोटी कैसे चलायेगा ? इस सरकार में जौनपुर के मछली शहर में 1600 रुपये के बकाये पर एक गरीब किसान की हत्या हो गयी । पडरौना में अगर किसान अपना गन्ना मूल्य और मजदूर अपना वेतन चाहते थे और शांतिपूर्वक अपना कार्यक्रम कर रहे थे तो सरकार की जिम्मेदारी यह बनती थी कि वह उनकी समस्याओं का समाधान करती । मान्यवर, इस सरकार ने किसान विरोधी नीतियों के कारण गोली चलवायी, जिसके कारण एक किसान मरा । यह सरकार पूरे प्रदेश में चीनी मिलों को बन्द करवा रही है । आधे से अधिक चीनी मिलें बन्द हो गयीं । पूरे प्रदेश में एक भी चीनी मिल को स्थापित नहीं किया तो फिर इन्हें चीनी मिल बन्द करने का क्या अधिकार है ?

श्री अधिष्ठाता–

घटना से सम्बन्धित तथ्यों पर हीं अपने विचार रखें ।

श्री राम जग–

मान्यवर, पड़रौना में किसानों का हृदय कांप उठा है । यह सरकार संवेदनहीन है । आज तक गन्ना मूल्य के बकाये का भुगतान नहीं दिया, न ही जनता से कोई वायदा किया कि बन्द चीनी मिलों को खोलेंगें । जो मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं उनको वेतन देंगें और उन्हें काम पर लगायेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी और गन्ना मंत्री जी बैठे हैं । जब पूरे प्रदेश और देश के नेता पड़रौना जा रहे थे माननीय

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुख्य मंत्री जी को फुर्सत नहीं मिली कि वह वहां जायें । जिस दिन घटना होती है, इस मंत्रि-मंडल के एक कैबिनेट मंत्री मौजूद थे । वहां पर सुनियोजित ढंग से घटना घटायी गयी । मान्यवर, इस घटना की हाईकोर्ट के वर्तमान जज से न्यायिक जांच करायी जाये और जांच से पूर्व 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए । मृतक किसान के परिवार को कम से कम 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाये, जो घायल हुये हैं उनको एक-एक लाख रुपये की सहायता दी जाये । इतनी बड़ी घटना के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं है । किसानों पर जो मुकदमें कायम हुये हैं वह वापस लिया जाये । यह सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद मुख्य मंत्री जी वहां नहीं जाते हैं, उनको एक दिन भी मुख्य मंत्री की कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है ।

* श्री राम नरेश यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, पड़रौना में किसानों और मजदूरों पर जो अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे उनके ऊपर जिस प्रकार से बर्बर लाठीचार्ज हुआ, गोली चलायी गयी, एक व्यक्ति मरा । इसके बावजूद इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी और आज तक जिन प्रश्नों को लेकर और मांगों को लेकर सारे किसान और मजदूर शांतिपूर्ण ढंग से संघर्षरत थे उन मजदूरों का न तो वेतन देने की बात हुई न तो किसान जिसका बकाया पड़ा हुआ है उसके देने की बात की गयी । मान्यवर, पूर्वांचल का इलाका गन्ने पर निर्भर है । पड़रौना, कटकुईयां और गौरीबाजार ये मिलें बहुत पुरानी हैं । पहले बी०आई०सी० कम्पनी के अन्तर्गत थी बाद में नेशनल टेक्सटाईल कारपोरेशन के अन्तर्गत आयी, रुग्ण होने के बाद बी०आई०एफ०आर० के अन्तर्गत गयी । जब यह सरकार नई मिल लगाने की व्यवस्था नहीं कर रही है तो जो चल रही है उनको बन्द करने की कोशिश क्यों कर रही है ? इन मिलों को निजी प्रबन्धतंत्र के हाथों में देने की बात आयी । श्रीराम इण्डस्ट्रियल संस्थान 40 रुपये प्रति शेयर देने को तैयार थी । गंगोत्री इण्टरप्राइजेज, जो इस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के द्वारा संचालित है, 2 रुपये शेयर के हिसाब से क्यों देने का फैसला किया गया ? इसलिये किया गया जिससे उनको लाभ पहुंच सके । इस दिशा में एक बात कहना चाहूंगा । इस सारे मामले की जांच कराने की जरूरत है । माननीय मुख्य मंत्री जी और गन्ना मंत्री जी बैठे हैं । जो जनरल मैनेजर उस समय फैक्टरी का काम देख रहा था, निजी प्रबन्ध तंत्र के हाथ में था, वही जनरल मैनेजर के रूप में क्यों काम कर रहा है ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उनकी साजिश से काम हो रहा था और तब भी निजी प्रबन्धतंत्र को देने का काम हुआ । मान्यवर, मिल की 46,000 बोरे चीनी बेच दी गयी किन्तु किसानों और मजदूरों के बकाये के भुगतान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । 4-5 महीनों से वहां यह संकट था जिसकी जानकारी सरकार को करा दी गयी थी लेकिन फिर भी सरकार के ऊपर जूं नहीं रेंगी और वहां के किसानों और मजदूरों के बकाये का पैसा दिलाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी उल्टे वहां के मजदूर और किसान जो संघर्ष कर रहे थे उन पर गोली चलायी गयी जिससे एक व्यक्ति मारा गया और सैकड़ों घायल हुए और उनके खिलाफ फर्जी मुकदमें दायर किये गये । मैं जानना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में 40 रुपये के शेयर दो रुपये में निजी प्रबन्धतंत्र को देने की बात हुई ? जो जनरल मैनेजर पहले वहां था, वही जनरल मैनेजर यहां कैसे आ गया ? इसलिए मैं चाहता हूं कि उसके खिलाफ जांच करायें ? सरकार से मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन मिलों पर किसानों का कितना बकाया है ? मान्यवर, यह संवेदनहीन सरकार जन-जागरण यात्रा निकाल रही है लेकिन दूसरी तरफ मजदूरों और किसानों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है । मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इन किसानों और मजदूरों को बकाये का सरकार कब तक देने की व्यवस्था करेगी ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, इस घटना के बाद बी० आई० एफ० आर० से मामला हट गया तो क्या सरकार इन मिलों को चलाने की व्यवस्था करेगी ? मैं चाहता हूं कि सरकार इन मिलों को चलाये क्योंकि किसान कहां जायेगा ? मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सरकार इन मिलों को चलाये । मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इन मिलों को सरकार कब तक चलायेगी और बकाये का भुगतान कब तक करेगी ?

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो मजदूर और किसान शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे और अपनी मांग कर रहे थे तो किन परिस्थितियों में उन पर गोली चलायी गयी जिससे एक व्यक्ति मारा गया और कई लोग घायल हुए ? मुझे भी गिरफ्तार किया गया था लेकिन अपने साथियों के साथ मुझे भी 6 घंटे बाद छोड़ दिया गया था । इसलिए यह बड़ी दुखद घटना है जिसकी प्रशासनिक स्तर पर जांच कराना ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस घटना की निष्पक्ष जांच हो जिसके लिए हाईकोर्ट के जज द्वारा जांच करायी जाय । इसके साथ ही मिलों को बेचने का फैसला न करें और सरकार इन्हें स्वयं चलायें । मैं यह भी चाहता हूं कि किसानों के विरुद्ध जो फर्जी मुकदमें दायर किये गये हैं उन्हें वापस लिया जाय । मान्यवर, इस घटना में जो व्यक्ति मारा गया है उसके परिवार को दस लाख रुपये देने की व्यवस्था की जाय और जो एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है उसके इलाज और सी० टी० स्केन कराने की व्यवस्था के साथ ही घायल लोगों को एक-एक लाख रुपया देने की व्यवस्था की जाय । मान्यवर, फैक्ट्री को बेचा जा रहा है, जिसे एक मंत्री लेने के चक्कर में है उसको रोका जाय ।

* श्री विश्वनाथ–

अधिष्ठाता जी पडरौना के महत्वपूर्ण प्रकरण पर आपने बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद । यह पडरौना का प्रकरण सरकार के संज्ञान में भले न हो । संज्ञान में कैसे यह बात होगी ? यह गूंगी बहरी सरकार है और संवेदनहीन सरकार है इसलिए उसके संज्ञान में यह बात कैसे होगी ? दो साल पहले से यह आन्दोलन चल रहा था और वहीं की जनता द्वारा गन्ना किसानों द्वारा चलाये हुए आन्दोलन में वहां के भाजपा के क्षेत्रीय एम० पी० और मैं दोनों शरीक हुए थे । दोनों तीन दिन तक गोरखपुर जेल में रहे । उसके बाद कर्मचारियों के आन्दोलन में हम और राधेश्याम सिंह दोनों लोग गिरफ्तार हुए । इसी गन्ने के मूल्य के भुगतान के संबंध में हम लोग बहस के लिए आये थे । शोर सुनकर उधर गये तो लोगों पर लाठी चार्ज हो रहा था हम लोग अपने को रोक नहीं सके और चले गये हम और हमारी पार्टी के लोग तथा किसान संगठन इस समस्या को लेकर यहां से लेकर प्रधान मंत्री के स्तर तक जूझते रहे हैं लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया । इन मिलों को चलाना तो दूर अपने ही एक कबीना मंत्री की कम्पनी को औने पौने दाम में बेच दिया । वहां पर मिलों के मजदूरों को वेतन नहीं मिला । गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान नहीं हुआ । इन मिलों पडरौना, कठकुइयां, गौरी बाजार की मिलों पर गन्ना किसानों का चार साल पहले का बाकी है किसान के ऊपर अगर 10 रुपया, 20 रुपया बकाया होता है तो उनको बन्द किया जा रहा है जेलों की शलाखों में डालने का काम किया जा रहा है लेकिन किसी मिल मालिक को बन्द करने का काम नहीं किया जाता । उनको शलाखों में डालने का काम नहीं किया जाता । जो लोग अहिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, धरने पर बैठे थे, उनको तो जेल में बन्द किया गया । जो लोग गोली चलाए उनको कुछ नहीं किया गया यह इस सरकार का गजब का कलेजा है। गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी । जो लोग वाजिब मांग कर रहे थे, मजदूरी की मांग कर रहे थे, बकाया मूल्य की मांग कर रहे थे उनको मौत का शिकार होना पड़ा । गोलियां और लाठियां खानी पड़ी । महीनों अस्पताल में रहना पड़ा । यह बेशर्म सरकार है इसमें मानवीय मूल्यों की कोई परवाह नहीं है । इसने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का काम किया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(इस समय 2 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

अगर इस सरकार में थोड़ी भी हयादारी हो थोड़ी भी ईमानदारी हो और किसानों के प्रति थोड़ी भी संवेदना और स्नेह हो, तो गन्ना किसानों को उनका मूल्य दिलवाया जाय । मिलों को संचालित करवाया जाय । मजदूरों की तनख्वाह दिया जाय । मुझे याद है आपके कैबिनेट मिनिस्टर बाढ़ के समय वहां गये थे । उस समय श्रमिकों ने, गन्ना मजदूरों ने उनसे कहा था हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमें हमारी तनख्वाह और गन्ने का मूल्य दिलवा दीजिए । हम खुशहाल हो जायेंगे । हमारी बेटियों का ब्याह नहीं हो पा रहा है, बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा है । जब किसान को यह एहसास हुआ कि उनके बच्चों को दो जून की रोटी नहीं मिल पा रही है, उनके तन पर कपड़े नहीं हैं । उनके बच्चों तक को सड़क पर आकर भीख मांगनी पड़ रही है, तब उन्होंने आन्दोलन किया । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस सरकार को निर्देशित करें कि गन्ना किसानों को उनका मूल्य दिया जाय, मजदूरों को उनकी तनख्वाह दी जाय इस घटना में जिन लोगों की मृत्यु हुई है भुल्लन शाह की उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपये और जिनकी टांग कटी है उनको 1-1 लाख रुपया दिया जाय । उनके बच्चों को नौकरी में लिया जाय । अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद । मैं इस लोक महत्व और अविलम्बनीय प्रश्न पर बल देता हूं ।

श्री रामप्यारे सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । बड़े खेद और दुख के साथ कहना चाहता हूं कि यह सरकार की एक सोची समझी साजिश है । अगर कहीं एक दो लाख रुपये का भी ठेका दिया जाता है तो पुलिस अधीक्षक से जांच कराई जाती है कि अमुक आदमी कैसा है, तब जांच पड़ताल के बाद ठेका दिया जाता है । यदि यह सोची समझी साजिश न होती तो ऐसे व्यक्तियों को मिलें नहीं बेची जातीं जिनसे श्रमिकों, किसानों की हिम्मत भी न हो कि पैसा मांग लें । इससे सरकार को भी पैसे देने से छुटकारा मिल जाता । जब किसानों को अपने खेत बेच कर अपने परिवार के बीमार लोगों का इलाज कराना पड़ा । तब किसान आन्दोलित हुआ, इसी तरह जब मजदूरों के बच्चों को रोटी भी नसीब नहीं हुई तब मजदूर आन्दोलित हुआ । शान्तिमय ढंग से आन्दोलन कर रहे थे लेकिन इस सरकार ने जिसके पास संवेदनशीलता है ही नहीं, उन पर गोलियां चलवाईं । हमने इतिहास में पढ़ा था जिन लोगों ने कर्ज लिया हो उन पर तो न देने पर कर्जदार लाठी बरसाता था लेकिन इस प्रकार की घटना तो कभी नहीं सुनी पढ़ी कि कोई अपना ही पैसा मांगने जाय तो उस पर गोलियां बरसाई जायं । जब मैं वहां घटना स्थल पर गया तो हम लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया । हम लोग तो उनकी मदद करने जा रहे थे । यह पता लगाने जा रहे थे कि कितने लोग मरे हैं कितने मार खाकर चारपाई पर पड़े हैं । मैं अपने नेता मुलायम सिंह यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं उस समय वह अमेरिका में थे फिर भी वहीं से उन्होंने इस घटना पर अपनी चिन्ता व्यक्त की । मैं राधेश्याम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने सत्यता को बयान किया तथा संघर्ष किये । जो छात्र मारा गया है उसके परिवार वालों को 10 लाख दिया जाय जो घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपया दिया जाय और शिक्षा के अनुसार उनको सरकारी नौकरी में लिया जाय । यह प्रश्न लोक महत्व का है अविलम्बनीय है, सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस सदन में एक गम्भीर विषय पर चर्चा हो रही है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसानों पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । आज पूरे प्रदेश में किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं । एक भी गन्ना किसान बकाये के भुगतान की मांग करता है उसके ऊपर गोलियां चलायी जाती हैं, उसे मारा जाता है और उसे जेलों में ठूंसा जाता है और सरकार उसे अपनी प्रतिष्ठा समझ रही है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की हिमायत की बात करती है और

किसान यात्रा निकालती है। आज की स्थिति में किसान रो रहा है और खाने के लिए वह तरस रहा है। आज किसान जब धान उत्पादित करके अपने घर पर लाया और सरकार ने 540 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से क्रय करने की घोषणा की तो उसके बाद भी आज ढाई सौ रुपये और तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से वह अपना धान बेच रहा है। प्रदेश का किसान जो अपना धान प्रदेश के बाहर बेचने का काम करता था, उन पर भी प्रतिबन्ध लगाकर उसका शोषण किया जा रहा है। आलू का किसान जो आज उत्पादन कर रहा है उसकी उत्पादन लागत 300 रुपये प्रति क्विंटल आ रही है।

श्री अध्यक्ष–

आप पडरौना तक ही अपने को सीमित रखें।

श्री लालजी वर्मा–

आज कोल्ड स्टोरेज में उसे 135 से 140 रुपये पड़ता है। आज उसका आलू बिक नहीं पा रहा है। लोग आलू खरीदने कोल्ड स्टोरेज नहीं जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में किसान का शोषण हो रहा है। आज उसकी उत्पादन लागत बढ़ रही है। डीजल के दाम बढ़ा दिये गये, रासायनिक उर्वरकों के दाम बढ़ा दिये गये परन्तु किसान आज जो उत्पादित कर रहा है, उसे वह कौड़ियों के दाम बेच रहा है। यह सरकार किसान विरोधी है। इस सरकार में जरा भी शर्म और हया नहीं है। इसे सत्ता में रहने का जरा भी हक नहीं है। वह किसान जो अपना पेट काटकर प्रदेश और देश की जनता का पेट भरता है और उसे कपड़ा पहनाने का काम करता है, वह आज नंगा घूम रहा है, उस पर गोलियां चलायी जा रही हैं। पडरौना इसका ज्वलंत उदाहरण है। आज निश्चित रूप से किसानों की दिन-प्रतिदिन हालत बदतर होती जा रही है। यह सूचना ग्राह्य करने योग्य है, तात्कालिक है और जनता से जुड़ी है, इसलिए इस पर चर्चा करायें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आभारी हूं। पडरौना में जो किसान अपने गन्ने के मूल्य का बकाया लेने के लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे थे और मिल मजदूर जो अपने वेतन के बकाये को लेने के लिए धरना-प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चलाने का काम किया। एक व्यक्ति मारा गया और एक अस्पताल में भरती है। एक की टांग कट गई है। मान्यवर, आज किसानों की आमदनी का जरिया सिर्फ गन्ने की फसल है। चाहे आजमगढ़ का किसान हो या पडरौना का, पूर्वांचल के किसी भी जिले का किसान हो आज उनकी मुख्य रूप से आमदनी गन्ने की फसल से ही होती है। आज गन्ना मूल्य का बकाया मिलों पर है। पिछले दो तीन साल का बकाया करोड़ों रुपये का है जो कि सरकार ने नहीं दिया है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले किसान हैं जिसका पैसा मिलों पर बकाया है वे अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पाये हैं। हम लोग पडरौना गये थे हमारे विधायक साथी बलराम यादव और राम प्यारे जी भी गये थे। हम लोगो को वहां जेल में बन्द कर दिया गया। यह जो वहां पर गोली चली है जो कांड हुआ है मैं मांग करता हूं कि जो मारा गया है उसके परिवार को 10 लाख रुपये दिया जाय जिसकी टांग कटी है उसको पांच लाख और जो घायल हुए हैं उनको एक-एक लाख रुपया दिया जाय। इसके साथ ही साथ मैं इस कांड की न्यायिक जांच हाई कोर्ट के जज से करवाने की मांग करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आज सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय।

संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के प्रेसीडेंट का स्वागत

श्री अध्यक्ष–

हमारे बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिथि आये हैं। उनका जो अपर हाउस है, सीनेट कहलाता है। उसके प्रेसीडेंट होते हैं जैसे हमारे यहां स्पीकर होते हैं। उनके प्रेसीडेंट यहां मौजूद हैं। हम उनका स्वागत कर लें। इस समय वे यहां की कार्यवाही देख रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं।

(तालियां बजायी गई)

नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, पडरौना में जो घटना हुई उसका कारण क्या है, उसी पर हम अपने बात को रखते हुए कहना चाहते हैं। आज पडरौना में ही नहीं, उत्तर प्रदेश की अधिकतर चीनी मिलें बन्द हो चुकी हैं और कुछ बन्द होने की कगार पर हैं। आखिर इसका कारण क्या है ? गन्ना किसान अपना गन्ना मिलों को देता है और मिल उसके गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पा रही है। जब उसके गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा है। इसमें मेन कारण यह है कि जब भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो मिल मालिक बाध्य होकर चीनी मिलें बन्द कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसानों का नकदी फसल के रूप में गन्ना मुख्य फसल है इसलिये वे गन्ना मूल्य का जो मिलों पर बकाया है उसकी मांग कर रहे हैं और इस मांग पर उनके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हैं। इस समस्या का निवारण नहीं हो पा रहा है, चीनी मिलें बन्द होती चली जा रही है। गन्ना किसान अपनी नकदी फसल गन्ना का मूल्य पाने से वंचित रह जा रहा है। इस तरह से तो आगे आने वाले समय में सारी की सारी चीनी मिलें बन्द हो जायेंगी। मुझे तो लगता है कि जो विश्व व्यापार समझौता हुआ है उसमें 715 वस्तुओं के ऊपर से भारत सरकार ने प्रतिबन्ध हटा दिया है जिसमें चीनी भी एक उत्पाद है। इसके कारण कोई भी देश हमारे देश में चीनी लेकर बेच सकता है बिना किसी रोक टोक के बेच सकता है। उनकी चीनी मिलें अधिक अच्छी आधुनिक तकनीकी की हैं। उनकी चीनी मिलें मिलें नहीं हैं, वे शुगर काम्प्लेक्स हैं। वहां चीनी मिल में कई चीजें बन जाती हैं। ब्राजील में पावर एल्कोहल से गाड़ियां चलाई जाती हैं। मुझे खुशी है कि इस सरकार ने भी फैसला किया 10 प्रतिशत पावर एल्कोहल के रूप में पेट्रोल और डीजल में मिलाने की शुरुआत की है। ऐसा प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है। कानपुर में जो सीयर इन्स्टीट्यूट की गाड़ियां हैं वह पावर एल्कोहल से चलती हैं। आपने 10 प्रतिशत क्यों शत प्रतिशत का प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा है ? कागज, रंग, पेंट और तमाम केमिकल दवा के रूप में यूज हो सकेंगे। तो चीनी जो है वह दुनिया के तमाम देशों में जाएगी। टरबाईन लगा होने पर बिजली उत्पादित होगी तो बिजली उत्पादित हो उसको आप गांव में दे दीजिए, इससे राजस्व की भी प्राप्ति होगी। जितने दिन चीनी मिलें चलती हैं चीनी मिलें जो बिजली उत्पादित करें उसको आप अगर आसपास के गांव में सप्लाई करेंगे तो बहुत फायदा होगा। तो आपसे कहना है कि शुगर मिल की जगह आप शुगर काम्पलेक्स बना दें। अगर तब 100 रुपये कुन्तल भी गन्ना खरीदा जाएगा और एक रुपये कुन्तल चीनी बेची जाएगी तो भी चीनी मिलें फायदे में रहेंगी। इस तरह से यह सरकार समस्या का निदान कर सकती है। जितनी पुरानी मिलें हैं जिनसे रिकवरी कम है जिनको अगर चलाया जाए तो वह लाभकारी नहीं हो सकती हैं उनकी जगह शुगर काम्पलेक्स बना दें तो वह लाभकारी होंगी। उत्तर प्रदेश को जो आप उद्योग प्रदेश बनाना चाहते हैं विश्व व्यापार समझौते के तहत प्रतिबन्ध हटता है इसमें आपको देखना पड़ेगा आपके यहां दो तरह के उद्योग हैं एक तो गन्ने पर आधारित चीनी मिलें हैं और एक पेपर मिल है, आपकी गन्ना मिलें बन्द हो रही हैं आपकी 60 परसेन्ट पेपर मिलें बन्द हो रही हैं विश्व व्यापार समझौते के तहत यदि प्रतिबन्ध हटा तो हाई टेक्नालाजी उत्पादन करेंगी और चीनी सस्ती देंगी तो क्या आपकी चीनी बिक पायेगी। उत्तर प्रदेश उद्योग प्रदेश नहीं बन पाएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग प्रदेश बन जाए, इसलिए हमारी पीड़ा है, हमारी व्यथा है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करें। आपसे निवेदन है कि आप इस महत्वपूर्ण विषय को ग्राह्य करते हुए समय निर्धारित कर दें। 10 दिन निर्धारित कर दें ताकि इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा हो सके।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अध्यक्ष महोदय, कई सम्मानित माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। मैं इस घटना पर ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन मैं आग्रह करता हूं कि यह एक गम्भीर विषय है। यह एक चिन्ता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का विषय है । माननीय मुख्य मंत्री जी को शायद स्मरण हो या और भी माननीय सदस्यों को स्मरण हो कि उत्तर प्रदेश आजादी के कई साल बाद तक गन्ना उत्पादन में, चीनी में नम्बर एक पर था लेकिन आज उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद दूसरे नम्बर पर आ गया है । रामकोला की घटना आज से आठ-दस साल पहले घटी थी । पडरौना की घटना घटी ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मा० रेवती रमण जी आप अपनी सूचना ठीक कर लें । आज की तारीख में इसी सरकार में वर्षों बाद चीनी उत्पादन अपने राष्ट्र में सबसे ज्यादा अग्रणी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर,मैं डंग साहब का आभारी हूं लेकिन एक साल में कोई फर्क नहीं पड़ता है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, इसी सरकार में हो पाया है । पहले बहुत सी सरकारें आयीं लेकिन नहीं कर पायीं । मैं आशा करता था कि कुंवर साहब विशाल हृदय का परिचय देते हुए बधाई देते और यह कहते कि इसी प्रकार का काम आप आगे चलाते रहेंगे । लेकिन इन्होंने यह नहीं कहा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, बधाई हम देते जब यह पडरौना और रामकोला में गोली नहीं चलवाते । यह आपकी ही सरकार को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने दोनों जगह गोली चलवायी ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

चुर्क और चुनार में क्या हुआ उसको भी याद कर लें ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, पूर्वांचल का सबसे बड़ा उद्योग चीनी उद्योग है और पूर्वांचल का चीनी उद्योग मरता जा रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जी आप यह चाहते हैं कि प्रदेश में उद्योग लगें और वहीं दूसरी तरफ यह उद्योग बन्द होते जा रहे हैं । अगर पूर्वांचल के सब चीनी उद्योग बन्द हो जायेंगे तो वहां दूसरा कोई उद्योग नहीं है । वहां चीनी मिलों के अलावा कल कारखाने एक भी नहीं है । मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप जो इन्हें प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे हैं पहले आप यह दिखवा लें कि उसकी माली हालत क्या है ? आपने बेच दिया और उस चीनी मिल का मजदूरों का बकाया है वह नहीं दिया और वह कल पुर्जे बेचने का काम कर रहे हैं । इसीलिए उनको आक्रोश हुआ और वह विवश होकर निकलकर आये और आपने उनके ऊपर गोली चलवा दी । इस गोली से भुल्लन नामक नामक व्यक्ति मर गया । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह एक गंभीर प्रश्न है इस पर केवल चर्चा ही न करायी जाय बल्कि इसका निराकरण भी किया जाय । अभी माननीय वर्मा जी ने कहा कि शुगर काम्प्लेक्स बना दिये जायें । आप क्या करें यह देखें इसका एक वायबिल अल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा जिससे हमारे प्रदेश को और खासतौर से पूर्वांचल को बचाया जा सके । मेरा आपसे अनुरोध है कि इसे आप ग्राह्य करें और इस पर चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष–

मेरा एक अनुरोध है कि एक बजकर तीस मिनट पर इस विषय को लिया गया था । माननीय वर्मा जी आपने बोल लिया है ?

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

नहीं मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसके बाद आप बोल लीजियेगा । इस विषय को हम पौने चार बजे तक समाप्त कर देंगे ।

नोटः–* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(इस समय 3 बजकर 20 मिनट पर अधिष्ठाता डॉ० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए ।)

* श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर–

मान्यवर, पडरौना कांड के बारे में गन्ना किसानों के पेमेंट को लेकर के सरकार ने गोलियां चलायीं । मान्यवर, यह सदन चल रहा था माननीय गन्ना मंत्री ने पेमेंट की बाबत कहा था कि मई, जून, जुलाई तक के सारे गन्ने के मूल्य का पेमेंट कर देंगे परन्तु सदन की बात अनदेखी मानी गयी । किसान उससे उत्तेजित हुआ और गन्ने का पेमेंट लेने के लिये वह अपनी शक्ति का प्रयोग किया, आंदोलन शुरू किया इस पर सरकार ने गोली चलवायी । यह पेमेंट किया होता अगर उस समय की बात पेमेंट में बदल जाती तो गोली न चलती । आज 302 का मुलजिम गन्ना मंत्री को होना चाहिये । सरकार और मुख्यमंत्री को होना चाहिये, न कि किसानों को । पडरौना में और पूरे देश में किसान गन्ना पैदा करता है । गन्ने से जो शराब, दवा आदि बनती है उन सबका पेमेन्ट हो जाता है । लेकिन जो गन्ने के रस से सामान पैदा होता है उस सामान का, गन्ने के मूल्य का सरकार पेमेंट नहीं करती है । एक-एक मंत्री 70-70 हजार रु० निकालकर के रोजमर्रा के काम में दिखाता है, अपना खर्चा दिखाता है और वहीं यह सरकार गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान करने में असमर्थ हो गयी है । आज 10 करोड़ रु० बकाया है 2–2 करोड़ रु० देना ऊंट के मुंह में ज़ीरे के समान है । आज 302 का मुलजिम कौन होगा यह सरकार तय करे ? कठकुईयां शुगर फैक्ट्री, पडरौना शुगर फैक्ट्री है, गौरीबाजार की शुगर फैक्ट्री का आज सवाल है, जो गौरीबाजार शुगर फैक्ट्री है, जो खरीदने वाले सबसे बड़े माफिया हैं वह क्या कर रहे हैं कि सामान बेच दिया, चीनी का बुरादा बेच दिया गया है, कहते हैं कि 6 करोड़ रु० अभी बकाया है । अब क्योंकि सरकार चलानी है तो उनको बनाये रखना होगा । जो किसानों का भुगतान है उसके लिये सरकार गंभीर हो जिन लोगों पर गोली चली है जो भुल्लन मारा गया उसके परिवारीजनों को 10 लाख रु० और जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 5-5 लाख रु० और जो घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रु० मुआवजा दिये जाने की मांग करता हूं । गन्ना किसानों का पेमेंट कराने की जिम्मेदारी आपकी है, वह पेमेंट आप करायें । बाकी सभी प्रतिपक्ष के नेताओं ने जो बातें रखी हैं उनसे अपनी सहमति देता हूं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

श्रीमन् आज पड़रौना में गन्ना मूल्य के बकाये की बात को लेकर के किसानों पर गोलियां चलायी गयीं । भुल्लन जो 18 वर्ष का नौजवान था, किसान का बेटा था, वह भी गोली का शिकार हुआ । एक पटेल जो मात्र 13 वर्ष का था गंभीर रूप से घायल हुआ । (व्यवधान) यह सब उत्तर प्रदेश के किसान विरोधी नेताओं के कारण हो रहा है । मान्यवर, समय-समय पर इस तरीके से चाहे वह पडरौना के किसानों पर गोलीकांड हो चाहे वह रामकोला के किसानों पर गोलीकांड हुआ हो और किसान लोग मारे गये हैं यह मात्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसान विरोधी रवैये के फलस्वरूप यह घटनायें घटी हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में पड़रौना की घटना की पुनरावृत्ति न हो इसलिये इसमें बहुत ही गम्भीरता से इस अहम मुद्दे को सरकार को उठाना चाहिए, विचार करना चाहिए कि जो नीति कम से कम तय करते हैं उस नीति का क्रियान्वयन तो सही ढंग से होना चाहिए । मात्र पडरौना कठकुइयां, गौरी बाजार जो अगल बगल की चीनी मिले हैं जहां पर किसानों का गन्ना जाता है मात्र इन्हीं तीन मिलों पर 18 करोड़ रुपया बकाया है । अगर सरकार इन गन्ना बकाया का भुगतान समय-समय पर सुनिश्चित करती तो यह स्थिति नहीं आती जब किसान के बेटे दवा के अभाव में मरेंगे, फीस के अभाव में पढ़ाई रुकेगी और पैसे के अभाव में उनकी रोटी छिनेगी तो स्वाभाविक है कि आन्दोलन सड़क पर आयेगा । अगर किसान की रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा आदि की व्यवस्था नहीं करेंगे तो स्थिति बड़ी विषम हो जायेगी । इस तरीके से केवल गन्ना किसान ही नहीं परेशान है बल्कि सारे के सारे उत्तर प्रदेश के किसान चाहे गन्ना से संबंधित हों, चाहे गेहूं से संबंधित हो, चाहे चावल से संबंधित हों, चाहे आलू से संबंधित हो, सभी किसान परेशान हैं । मान्यवर, यह सरकार कहने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के लिए तो घोषित कर देगी जैसा माननीय गन्ना मंत्री कह देते हैं कि हम किसानों का पिछला भुगतान करा देंगे और कभी-कभी फर्जी आंकड़ों के माध्यम से श्रीमन् को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इतना भुगतान कर दिया । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से धान की खरीद निर्धारित है मोटा 510 रुपये में और बारीक 540 में लेकिन खरीद होती है मोटा 310 में और बारीक 410 में और रसीद बनाकर देते हैं मोटे की 510 की और 540 बारीक की जबकि हकीकत यह है कि खरीद करते हैं 310 में और 410 रुपये में । मान्यवर, इसी तरीके से यह गेहूं के दाम तय करते कि हम इसको 580 रुपये में खरीदेंगे । सरकारी मूल्य तय होता है लेकिन मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीदने के लिए एक भी क्रय केन्द्र नहीं है । 580 तो बहुत दूर 500 रुपये में भी किसान का गेहूं खरीदने वाला कोई नहीं है । आलू आज किसानों का मिट्टी के भाव बिक रहा है लेकिन बीज के लिए 1200 रुपये कुन्तल में खरीदना है, सरकारी योजना के तहत होकर खरीदना है ।

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता पर बोले ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आज तो गन्ना किसानों के चलते गोलीकाण्ड हुआ है कल अगर इन पर अंकुश न लगाया गया, इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो कल धान की बावत गोली काण्ड होगा परसों गेहूं की बावत गोली काण्ड होगा और फिर आलू को लेकर गोली काण्ड होगा । हम केवल यह कहना चाहते हैं कि पडरौना काण्ड की पुनरावृत्ति न हो इसीलिए सरकार को इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए । मान्यवर, इसी परिपेक्ष्य में, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं, किसान विरोधी जो नीतियां हैं इस पर सरकार को सोचना चाहिए । यह कृषि प्रधान देश है इस कृषि प्रधान प्रदेश में किसानों पर गोली चलाई जाये, किसानों के साथ अन्याय हो, किसानों की आवाज को गोली की बौछार से दबाया जाय, यह अच्छी बात नहीं है कि इस तरीके से जो आज कहर बरपा किया जा रहा है, इससे किसानों में आज बहुत बड़ा जनाक्रोश है । इस लोक महत्व के विषय को गम्भीरता से लेते हुए, सदन के सभी कार्यों को स्थगित कर चर्चा कराने का आप कष्ट करें । साथ ही इस प्रकार की पीठ से हिदायत होनी चाहिए जिससे भविष्य में इस तरह की घटना न घटे । साथ ही साथ यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे शहीद की मृत्यु पर 10 लाख और 20 लाख का मुआवजा मृतक परिवार की परिवरिश के लिए दिया जाता है, उसी प्रकार किसी भी किसान आन्दोलन में अगर सरकार के इशारे पर गोली चलाई जाती है और कोई किसान शहीद होता है तो उस किसान के परिवार को भी शहीद की तरह 10 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए । साथ ही साथ इन घटनाओं के जो दोषी हैं, चाहे वह सी० ओ० हों, चाहे अन्य पुलिसकर्मी हों, चाहे वह मजिस्ट्रेट हो, यदि उसने कहीं पर गोली चलवाई है तो उनके खिलाफ भी 302 का मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से अपनी बातों को समाप्त करते हुए पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि इस लोक महत्व के विषय पर सारे कार्यों को रोककर चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । आलू, बाजरा, मक्का के बारे में विचार कर चुके । नियम 311 के अन्तर्गत हमारा भी एक नोटिस था, आलू, लहसुन, गेहूं, बाजरा के बारे में । इस पर माननीय अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी थी कि नियम 56 के बाद सुन लेंगे । अब चूंकि विषय आ गया है, इसलिए 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा इससे सदन का समय बच जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी एक नोटिस और है, प्रदेश के छात्रों की फीस बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में। एक दिन में दो-दो नोटिसों पर बोलने की परम्परा नहीं है, आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री राम औतार शाक्य–

यह तो नियम–56 की बात है।

श्री अधिष्ठाता–

देखिये ऐसा है, नियम–311 की जितनी सूचनाएं थी, उसमें 4 सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है और नियम 56 में आपकी नोटिस पहले से है। दो नोटिस पर एक दिन में बोलना ठीक नहीं है। यह नियमावली के विपरीत है।

श्री गोपाल कृष्ण–

हमारी भी एक नोटिस है।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–311 की 4 सूचनाएं जो परिवर्तित कर दी गई हैं, हम उस पर सुन रहे हैं।

* श्री धनीराम वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने पडरौना किसानों पर जो गोलीकांड हुआ है, उसके संबंध में अपने विचार व्यक्त किये। मैं आपके माध्यम से माननीय गन्ना मंत्री जी से, माननीय मुख्य मंत्री जी से,जो भी इसका उत्तर दें, उनसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह निश्चित तरीके से यह आश्वासन दें कि क्या किसानों के गन्ना का जो बकाया है, का भुगतान दो महीना, 4 महीना, 6 महीना में कर दिया जायेगा या यह कहकर टाल दिया जायेगा कि प्रदेश के 98 प्रतिशत, 97 प्रतिशत गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया है। श्रीमन्, मैंने पहले ही कहा था, जब चर्चा शुरू की थी कि इस विषय पर यह सरकार किसान विरोधी है। किसान पर निर्मम लाठीचार्ज और गोली चलाई गई। समाजवादी पार्टी ने आगे आकर किसानों की लड़ाई को लड़ा है और जेल भी गये हैं और यह कह दिया है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होता है, जब तक गन्ना किसानों का बकाया नहीं मिलता है, इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी जारी रखेगी। उसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं, श्रीमन् सरकार यह उत्तर दे। सरकार की तरफ से उत्तर आना चाहिए कि क्या किसानों ने मजबूर होकर धरना और प्रदर्शन नहीं किया ? जब किसान मजबूर हो गया, अनेक बार विधान सभा के सामने धरना दिया मजदूरों ने अपने बकाये के भुगतान के लिए, चीनी मिलों को चलाने के लिए, किसानों ने बकाया भुगतान के लिए, लेकिन इस सरकार की कान पर जूं नहीं रेंगी। श्रीमन्, यही नहीं जब किसानों ने यह देख लिया कि न उनकी मजदूरी मिलने वाली है और न बकाया गन्ने का मूल्य मिलने वाला है और जो सबसे बड़ी अहम समस्या है वह मिल भी नहीं चलने वाली है, जिसमें वह मजदूर काम करे, किसानों का गन्ना पेरा जा सके। इस पर उत्तर आना चाहिए। क्या खरीदने वाले लोगों ने जिन्होंने एक कम्पनी बना रखी है उन्होंने चीनी मिल के पुर्जों को नहीं बेचना शुरू कर दिया था ? क्या शुगर बनाने में जो मैटीरियल प्रयोग होता है उसको बेचना नहीं शुरू कर दिया था ? क्या उन्होंने मिल के वृक्षों को काट-काट कर नहीं बेचना शुरू कर दिया है ? जब किसानों और मजदूरों ने यह समझ लिया कि इस सरकार ने इन मिलों को ऐसे हाथों में बेंच रखा है जो इस मिल को नहीं चलायेंगे, उसका पैसा भी नहीं मिलेगा और आगे आने वाला भविष्य भी अंधकारमय है। पूर्वांचल में बाढ़ें आती हैं, ज्वार, बाजरा, मक्का नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो सकता है । धान भी गहरे स्थान पर नहीं हो सकता है लेकिन गन्ना बाढ़ में भी बच जाता है इसलिए इस गन्ने को पैदा करके वहां का किसान किसी तरह से अपनी जीविका चलाता है । जब उसने यह देखा कि भविष्य में उसकी जीविका भी चलने वाली नहीं है और भुगतान भी नहीं होगा तो फिर मजबूरी में रेल रोको आन्दोलन इस आशय से यहां शुरू किया गया कि सरकार जो बहरी और गूंगी है, जो सो रही है किसी तरह से उसको जगाया जाए । श्रीमन्, बड़े दुःख की बात यह है कि पडरौना चीनी मिल गेट और उससे 50 मीटर की दूरी पर ही, मैंने स्वयं देखा है, एक सकरी, घनी गली में जब यह जुलूस पहुंचता है तो इस सरकार में बैठे हुए एक मंत्री के इशारे पर जो डाक बंगले में बैठे हुए थे, किसानों को दबाने के लिए, मजदूरों को दबाने के लिए, उनको डराने-धमकाने के लिए गोलीकाण्ड करवा देते हैं । पहले आंसू के गोले छोड़ना चाहिए था और उसके बाद लाठी चार्ज करवाना चाहिए था और तत्पश्चात् अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो गोली काण्ड करवाना चाहिए था लेकिन यह कुछ नहीं किया, 50 मीटर दूर ही आगे चले थे कि उन्होंने गोली काण्ड करवा दिया । श्रीमन्, मैं मांग करता हूं कि जिन्होंने इन चीनी मिलों को खरीदा है अगर वह चीनी मिलों को नहीं चलाते हैं जैसा कि उन्होंने वादा कर रखा है कि मिलों को खरीद कर चलायेंगे और गन्ने के मूल्य का भुगतान होगा तो यदि यह वादा उन्होंने किया है तो सरकार इस वादे को उजागर कर दे कि यह वादा किया गया है या नहीं । यदि वादा किया गया है और उसका परिपालन नहीं करते हैं तो वादे को पूरा करवाने के लिए सरकार सख्त हिदायत करे । गन्ना किसानों के भुगतान के लिए, मिल मजदूरों के वेतन के भुगतान के लिए सरकार एक समयबद्ध योजना बनाये और किश्तवार भुगतान करे । मैं नहीं कहता कि सरकार एक साथ कुल पैसा दे दे । सरकार दिवालिया है, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को समय से वेतन नहीं दे-पा रही है इसलिए सरकार 6 महीनों में हर महीने किश्त के रूप में बकाये का भुगतान करे और 6 महीने में बकाये को अदा कर दे । इसके साथ ही साथ सरकार मिल चलवाना शुरू कर दे और कर्मचारियों व किसानों पर जो आपराधिक मुकदमें कायम हैं उनको वापस ले । मजदूर और किसान जो अपनी रोजी रोटी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसके लिये किसान और मजदूर दोषी नहीं हैं उसके लिए सरकार दोषी है । जिन लोगों ने उन पर गोली चलायी है और जिन लोगों ने गोली चलवायी है उनके ऊपर 302, 304, 307 के मुकदमें कायम होने चाहिए और इसकी जांच किसी वर्तमान हाईकोर्ट के जज से करवा दी जाय तो सारा मामला साफ हो जायगा । मैं यह भी कहना चाहता हूं यह सरकार नितांत संवेदनहीन है और किसानों तथा मजदूरों की विरोधी है । इस सरकार ने किसान को अपने उत्पाद मिट्टी के मोल बेचने पर मजबूर कर दिया है और दूसरी तरफ किसान की जरूरत की चीजों खाद, डीज़ल के दाम बढ़ा दिये गये हैं । इस सरकार के समय में किसान बरबाद हो गया है और वह कभी खुशहाल नहीं हो सकता है । इसलिए जब भी इलेक्शन होगा, मैंने पहले भी कहा था कि सोरों के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जमानत नहीं बचेगी और ज़मानत नहीं बची । आज कल, परसों, कभी इलेक्शन करा लें । आपको 50–60 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपने को ग्राह्यता तक सीमित रखिये ।

श्री धनीराम वर्मा–

मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई आदमी मरने के पहले अच्छे काम करता है तो उसके मरने के बाद उसका नाम लिया जाता है । सरकार मर रही है अगर मरते समय ही सरकार अच्छा काम कर दे और गन्ने के मूल्य का बकाया, मजदूरों का वेतन और मिलों को चलवा दे तो बहुत बड़ा काम हो जायेगा । वहां पर जो 18 साल का युवक मारा गया है उसके परिवार वालों को 10 लाख रुपया हर्जाना दिया जाय और जो घायल हैं जिनके पैर कट गये हैं उनको एक-एक लाख हर्जाना दिया जाय । किसानों

पर जो आपराधिक मुकदमें हैं सरकार उनको वापस ले । अन्त में मैं इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सारे नियमों को रोक कर इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

श्री गोपाल कृष्ण–

माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे भी दो मिनट में सुन लें । मेरी भी नियम 311 में नोटिस है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं व्यवस्था दे चुका हूं, आप बैठ जाइये । माननीय गन्ना मंत्री जी अपनी बात रखें ।

गन्ना विकास एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं कई सम्मानित सदस्यों ने पडरौना, कठकुइयां एवं गौरी बाजार चीनी मिलों के गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में यहां पर बातें रखीं । मैं सारे तथ्यों को सदन के सामने रखना चाहूंगा । मान्यवर, आप अवगत हैं कि पडरौना कठकुइयां और गौरी बाजार वी० आई० सी० की मिले थीं । जो सिक हो गयी थी । उसे वी० आई० एफ० आर० के अन्तर्गत 23-12-98 को गंगोत्री इण्टरप्राइजेज को एक पैकेज के तहत उसे दिया गया । इन तीन मिलों के ऊपर किस पीरियड में कितना गन्ना मूल्य भुगतान बाकी था । कौन लोग सत्ता में थे । 1994-95 में गौरी बाजार पर एक करोड़, चलीस लाख इक्यावन हजार रुपया गन्ना मूल्य बाकी था उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी । 1995-96 एवं 1996-97 में बी० एस० पी० की सरकार थी और राष्ट्रपति शासन रहा उस समय का 24 लाख 84 हजार रुपया बाकी है । 1996-97 का पडरौना पर 1 करोड़ 29 लाख, 73 हजार रुपया बाकी है । कठकुइयां का एक करोड़ 79 लाख 62 हजार रुपया बाकी है । मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो, हम सबका संकल्प होना चाहिए कि हमारे प्रदेश के गन्ना किसानों का हित सर्वोपरि है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय राम प्रकाश गुप्त जी जब मुख्य मंत्री हुए थे उस समय हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर 5 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य बढ़ाया था । कई माननीय सदस्यों ने गन्ना मूल्य के भुगतान के संबंध में बात कही है, उसके बारे में अवगत कराना चाहूंगा । वी० आई० एफ० आर० के अन्तर्गत तीनों मिलें हैं उत्तर प्रदेश सरकार के नाते हम बहुत कुछ कार्रवाई नहीं कर सकते ।

मान्यवर, जब एक समझौते के अन्तर्गत, एक पैकेज के अन्तर्गत इन चीनी मिलों को गंगोत्री इण्टरप्राइजेज को दिया गया तो गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य, मजदूरों के वेतन का भुगतान करना था और यह समझौते में था । जब समझौते का पूरी तरह से पालन नहीं हुआ तो 15-4-2000 को वी० आई० एफ० आर० से उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया कि बी० आई० एफ० आर० कार्यवाही करें और इसके लिए 30-6-2000 को रिमाइण्डर भेजा गया कि इस पर कार्यवाही की जाये । उसके बाद जब पडरौना में घटना घट गयी तो 31-8-2000 को स्पेशल पिटीशन दाखिल किया और 28-9-2000 को गंगोत्री पैकेज को निरस्त कर दिया गया है । अब पुनः विज्ञापन हो रहा है । सरकार का प्रयास होगा कि किसी तरह से मिल चले, जिससे किसानों का हित संरक्षित हो सके । इस तरह से हमारी सरकार का प्रयास है । अभी मा० सदस्यों ने कहा कि पिछले समय में कुछ चीनी मिलें बन्द हुईं, नई प्रारम्भ नहीं हुईं । मैं जानकारी देना चाहूंगा कि 1999-2000 में उत्तर प्रदेश में 4 नई चीनी मिलें प्रारम्भ हुई हैं । इस वर्ष 2000-2001 में दो नई चीनी मिले प्रारम्भ होने जा रही हैं । हम लोगों की सरकार के समय में चिल्वरिया मिल पर 5 करोड़ 84 लाख 33 हजार रुपया बाकी था । हमने चिल्वरिया मिल पर दबाव बनाया, हमारे दबाव के कारण से 100 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान उस मिल ने कर दिया । अब इस वर्ष वहां पेराई प्रारम्भ होने जा रही है और उस मिल में किसानों का गन्ना खरीदा जायेगा । मान्यवर, कप्तानगंज चीनी मिल पर पुराना बकाया 15 करोड़ रुपये थे जिसे सरकार के दबाव के कारण 1998-99 में गन्ना किसानों को 5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया ।

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य शांत रहें।

सदन की कुछ स्वस्थ परम्परायें हैं। यदि कोई प्रश्न पूछना है, यदि कोई उत्तर देना है तो पीठ के माध्यम से दें और यदि आमने-सामने उत्तर और प्रश्न करने लगेंगे तो सदन की मर्यादा अक्षुण नहीं रहेगी। इसलिए मंत्री जी को अपनी बात कह लेने दें। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात सीधे कहा है जो ठीक कहा है लेकिन जिस ग्राह्यता पर सुन रहे हैं यदि मंत्री जी अपने को सीमित रखेंगे और सीमित बात कहेंगे तो अच्छा होगा।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि वर्ष 1999-2000 में 2.30 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है और 2.69 करोड़ रुपये का भुगतान आगे हो जायेगा। मिलें चालू हो गयी हैं। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि सरकारी चीनी मिल और चीनी निगम संघ पर वर्ष 1999-2000 के पहले का कोई भुगतान शेष नहीं है और सरकार ने किसानों को पूरा भुगतान कराया है।

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है तो मैं बताना चाहता हूं कि आपके सहयोग से इस बार उत्तर प्रदेश ने चीनी उत्पादन में एक रिकार्ड बनाया है। मान्यवर, इस बार 487 लाख टन गन्ना पेरा गया है और 45.56 लाख टन चीनी का सर्वाधिक रिकार्ड उत्पादन उ० प्र० में हुआ है।

मान्यवर, जहां तक गन्ना किसानों के हित की बात है तो मैं कहना चाहता हूं कि जिन क्षेत्रों की चीनी मिलें बन्द हो गयी तो उस समय भी गन्ना किसानों के हित को संरक्षित रखा गया है और सारे गन्ने को चालू मिलों की ओर डाइवर्ट कर दिया गया। पिछले वर्ष कुछ क्षेत्रों में गन्ना पेरने से रह गया था जिसके संबंध में निर्देश दिये गये थे कि सरकारी चीनी मिलों को तब तक चलाया जायेगा जब तक किसानों का सारा गन्ना पेर न लिया जाय इस तरह का प्रयास उ० प्र० में किया गया है। मान्यवर, 11 चीनी मिलें निगम की बन्द हो गयी थीं लेकिन हमारी सरकार द्वारा पैसा स्वीकृत किया गया और कहा गया कि बी० आई० एफ० आर० में यदि कोई आ जायेगा तो उन मिलों को चलाया जायेगा।

मान्यवर, पिछले 4 वर्षों में जो भुगतान किया गया है उसके संबंध में, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 1996-97 में 15 अक्टूबर तक 7.15 प्रतिशत गन्ना मूल्य अवशेष था (व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैंने अपनी बात कहने के पहले सारे प्रदेश की गन्ना मिलों की हालत क्या है और उन पर कितना बकाया है ? मान्यवर,मैं इस पर उत्तर नहीं सुनना चाहता हूं। मान्यवर, पडरौना, कठकुइयां और गौरी बाजार की यहां पर चर्चा है। मैं आश्वासन चाहता हूं कि मंत्री जी उसी तक अपने को सीमित रखें। क्या इन तीनों मिलों के किसानों के गन्ना भुगतान को, मजदूरों की मजदूरी को 6 माह के अन्दर किश्तवार भुगतान हर माह कर दिया जायेगा। जो निर्दोष लोगों पर मुकदमें दर्ज हुए हैं उनको क्या वापस लेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी नेता प्रतिपक्ष ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं, इन बिन्दुओं पर भी उत्तर दे दें।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, जो माननीय सदस्यों ने सवाल उठाए हैं उनका जवाब देना मंत्री होने के नाते मेरा दायित्व है ।

* श्री धनीराम वर्मा–

मंत्री जी हमारे द्वारा रखे गये बिन्दुओं पर जवाब नहीं दे रहे हैं । यह किसान विरोधी हैं । इस संबंध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर नेता प्रतिपक्ष ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, 16 अक्टूबर तक 4,089 करोड़, 85 लाख का भुगतान करना था जिसके अगेंस्ट 3,989 करोड़, 82 लाख का भुगतान यानी 97.55 प्रतिशत बकाये का भुगतान हो चुका था ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

यहां पर माननीय सदस्यों ने जो बिन्दु उठाए हैं पडरौना, कठकुइयां, गौरी बाजार जो बन्द हैं उन पर किसानों का जो बकाया है, उस संबंध में जवाब आना चाहिए । जो किसान मारा गया है, उस घटना पर जवाब नहीं दे रहे हैं । यह लीपा पोती कर रहे हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

एक कठिनाई है, जब मैंने आग्रह किया था कि माननीय सदस्य ग्राह्यता तक ही अपने को सीमित रखें उस समय ध्यान नहीं दिया गया और वक्ताओं ने अन्य बातों का भी उल्लेख किया । अब यदि मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को प्रतिरोध नहीं करना चाहिए । मंत्री जी आप अपने को सीमित रख सकें तो अच्छी बात है । अगर वक्ताओं के प्रश्नों का उत्तर देना चाहें, तो संक्षेप में अपनी बात रखें । क्योंकि सदन का समय बहुमूल्य है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, गन्ने का विषय टेक्निकल है । दो तीन बिन्दु जो उठाए गये हैं मुकदमों, गोली काण्ड आदि के बारे में, मैं उत्तर दे दूंगा ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि जब गौरी बाजार मिल बन्द हुई तब हमारी सरकार नहीं थी । सपा की सरकार थी । हमारी सरकार के रहते अब तक 890 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया जा चुका है । अभी हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री बरखू राम वर्मा जी ने कहा था कि माननीय मंत्री होने के नाते क्या किया आपने ? तो मान्यवर, मैं उनको बताना चाहता हूं कि इस वर्ष तक 111 चीनी मिलें होंगी । उन्होंने कहा कि भुगतान कैसे हो इसकी कोई नीति है आपके पास ? तो मैं उनको यह भी बताना चाहता हूं कि इस बार 220 लाख क्विंटल शीरे का उत्पादन हुआ, 42 आसवनियां हैं उसमें 50 प्रतिशत का उपयोग हो रहा है तथा एल्कोहल बनता है । हमने केन्द्र सरकार से इस संबंध में बात की। श्री शान्ता कुमार से दो बार मिला और मैं सदन को बड़ी प्रसन्नता के साथ बताना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हमारी मदद करेंगे कैसे ? वह भी मैं बताता हूं । शीरे से एनहाइड्रस एल्कोहल का प्रोडक्शन होगा जिसकी इटेंसिटी 99% है । पेट्रोल में मिलाकर इससे वाहन चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है इससे शीरे का समुचित उपयोग हो सकेगा ।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और किसानों के विकास की दृष्टि से भी और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने की दृष्टि से भी यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि द्वितीय विश्व महायुद्ध में पेट्रोल यही एल्कोहल मिलाकर लड़ा गया था। आप विधान पुस्तकालय की लाइब्रेरी में देख ले। इसका पावर 5–10 नहीं 30 प्रतिशत तक है। इस दृष्टि से मेरा आग्रह है कि 30 प्रतिशत तक की रिकमेण्डेशन भेजी जाय।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, जिस बात को आपने मंत्री जी के ध्यान में लाया है उस पर थोड़ा और बल देता हूं। जो कानपुर में शुगर इंस्टीट्यूट है वहां की गाड़ियां पावर एल्कोहल से क्यों नहीं चलाई जाती और 5–10 नहीं ज्यादा प्रतिशत होना चाहिए।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, यह प्रयोग एक नहीं अनेक देशों में सफल रहा है। परन्तु यदि 30 प्रतिशत की मिलावट की जाती है तो गाड़ियों के इंजन को बदलना होगा और 5–10 प्रतिशत में गाड़ी के इंजन को बदलने या मोडिफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिस दिन केन्द्र सरकार हमें इसकी अनुमति दे देगी, उसके तीन माह के अन्दर हम इसे प्रदेश में लागू करवा लेंगे।

* श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। 2-4 बिन्दुओं के बारे में जिज्ञासा जाहिर की गयी है। यह ठीक है कि मृतक के परिवार को अनुग्रह धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सारा प्रकरण वर्तमान में जांच में हैं। दो लाख रुपये घटना के बाद मृतक के परिवार वालों को चेक के रूप में दे दिया गया है। जो घायल हुए थे, उन लोगों को 25-25 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध करा दी गयी है। इसके अतिरिक्त जो न्यायिक जांच कराये जाने की बात कही गयी है, सभी को पता है कि इसमें कितना विलम्ब होता है। कितनी जटिल प्रक्रिया है। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है। कोई ऐसी घटना घटित हुई, क्या वहां का स्थानीय प्रशासन इसके बारे में सजग नहीं था या उन्होंने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, इस सारे प्रकरण की जो हमारे राजस्व परिषद् के जुडीशियल मेम्बर हैं और बहुत ही वरिष्ठ हैं श्री मुखर्जी, उनको सौंप दिया गया है, वह इसकी जांच कर रहे हैं। उनकी जो भी रिपोर्ट आयेगी, उसके अनुसार राज्य सरकार कार्यवाही करेगी। मान्यवर, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह भी है कि चाहे वह किसानों का बकाये का मामला हो, मजदूरों के बकाये का मामला हो, इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है लेकिन उस आवाज को उठाने के साथ-साथ जो जिम्मेदार राजनैतिक दल हैं, उनके भी कुछ दायित्व हैं। चाहे किसान अपनी मांग उठायें या मजदूर अपनी मांग उठायें तो हम अपनी राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए स्थिति को बिगाड़ने का प्रयास करें। स्थानीय प्रशासन विवश हो जाय जिससे किसी व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़े। यह उस रोज की घटना है। श्री दीप लाल भारती जी वहां के विधायक हैं, उनकी पत्नी गाड़ी में बैठकर जा रही थी, उस पर विधायक जी की प्लेट लगी हुई थी, एक राजनैतिक दल ने, मैं नाम नहीं लूंगा, बदले की भावना से, जनता को उकसा करके, उनकी बीमार पत्नी जो अपने इलाज के लिए जा रही थी, उस जीप को जला दिया गया। ईश्वर की कृपा से उनकी पत्नी की जान बच गई। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे आन्दोलनों का इस्तेमाल न किया जाय, इस पर भी बैठकर हमें विचार करना चाहिए। मेरे पास उसके चित्र हैं, मैं आपके पास उन्हें भिजवा रहा हूं, केवल इस कारण से कि वह अनुसूचित जाति के विधायक

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं, दलित निर्बल वर्ग के विधायक हैं, उनकी पत्नी बीमार है, आन्दोलन की आड़ लेकर, बदले की भावना से हिंसा की कार्यवाही की जाय और फिर यहां आकर मसीहा बनने की कोशिश करें, इसलिए मेरा आग्रह है कि अपनी राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि हेतु आप अपने दूसरे साधनों का तो इस्तेमाल करें परन्तु कम से कम किसान आन्दोलन में तेल डालकर आग लगाने का प्रयास न करें, यह बंद होना चाहिए। आपका भी अनुभव है, नेता कांग्रेस पार्टी का बहुत अनुभव है, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आखिर आन्दोलनों की रूप-रेखा क्या हो ? आन्दोलनों की रूप-रेखा क्या यह होनी चाहिए कि हम सारे जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दें या फिर हम प्रतीकात्मक तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचा दें। इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिए। नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को यह बताना चाहिए कि आग लगाने, जीप जलाने और हिंसा फैलाने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वह देशद्रोह का काम होगा, वह देशभक्ति का काम नहीं होगा। जिसने भी यह काम किया है, उन्हें पश्चाताप करना चाहिए।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। जो बात यहां पर पूछी गयी थी, उसका किसी का भी उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया। वह दे भी नहीं सकते थे। वह तो बाहरी क्षेत्र के विधायक हैं। उनके लौन में गन्ना भी नहीं बोया जाता है कि गन्ने का सिर किधर होता है और पैर किधर होता है।

श्री अधिष्ठाता–

तिवारी जी, आप किसी प्रश्न के विषय में स्पष्टीकरण चाहें तो पूछ सकते हैं। आपको भाषण देने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आप अनुमति दे रहे हैं स्पष्टीकरण के लिए। मैं पहले माननीय मंत्री जी को स्पष्ट करूंगा तब ही तो यह स्पष्ट कर पायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

वाक्पटुता का सहारा लेकर आप कह रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, वाकपटुता का सहारा लेकर ही तो कोई यहां बैठा है और कोई वहां बैठा है। मान्यवर, मेरा सीधा सा प्रश्न था कि मंत्री जी आज बता दें कि आपके कार्यकाल में जो 4 साल का है पूर्वांचल में कितनी नई चीनी मिलें खुली हैं, उनके नाम बता दें और कितनी चीनी मिलें बन्द हुई हैं ? बड़ा सीधा सा प्रश्न था इसका उत्तर दिलवा दें। दूसरी बात यह कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जूडीशियल जांच के बारे में कि उसमें बड़ा समय लगता है, मुद्दे को टालने का प्रयास होता है उसमें, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इटावा में राम प्रकाश गुप्त जी ने वकीलों के ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ था उसकी जूडीशियल जांच क्यों करने को कहा ? क्यों इसलिये कि मुद्दा टल जाय।

श्री हुकुम सिंह–

वहां पर जूडीशियल जांच की मांग वकीलों ने की थी।

श्री प्रमोद कुमार–

वहां वकीलों ने की थी तो यहां पर यह बैठे हैं। आर० पी० एन० सिंह जो कि उनकी तरफ से जिन पर गोली चली जूडीशियल जांच की मांग कर रहे हैं या तो जूडीशियल जांच को समाप्त कर दिया जाय अन्यथा इस मुद्दे से और बड़ा मुद्दा कोई नहीं हो सकता है जिस पर कि जूडीशियल जांच

की मांग की जाय । तीसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी से मैंने पूछा था कि किसानों का कितना गन्ना मूल्य का बकाया है ? तो वह इन्होंने नहीं बताया । प्राइवेट सेक्टर की चीनी मिलें जो दे रही हैं उनका बता रहे हैं । आपके कोआपरेटिव सेक्टर में, फेडरेशन में कितना बकाया है, यही बता दें । चौथा मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर पडरौना में आप कब शुरू करेंगे ? आखिर आपका कोई समयबद्ध कार्यक्रम है कि नहीं । एक महीने में, दो महीने में या 15 दिन में कर देंगे । कौन सी नीति है कि एक तरफ पाकिस्तान से लड़ाई चली कारगिल की और दूसरी तरफ उनकी चीनी ले रहे हैं ? उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्र से कोई 200 करोड़ का पैकेज नहीं ले पा रहे हैं ।

गृह राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)–

यह काम आपकी सरकार ने किया था ।

श्री कौकब हमीद–

मेरठ कैन्ट के अन्दर बाकायदा रैक लगी है उनको चीनी जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, यह क्या हो रहा है ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाही जी और कौकब साहब मेरा निवेदन सुन लें । कृपया अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री कौकब हमीद–

एक तरफ मातम करते हैं कि हमारे लोग मारे गये और दूसरी तरफ उनकी मदद कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं बारम्बार निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्यगण या माननीय मंत्रीगण आपस में सीधे वार्ता न करें । सदन के कुछ नियम हैं, कुछ गरिमा है, माननीय तिवारी जी मैं समझता हूं कि अभी दो प्रकार की बातें आईं । कहीं कहा गया कि चीनी खरीदी जा रही है, कहीं कहा गया कि चीनी बेची जा रही है तो सही सूचना सदन को दें तो अच्छा रहेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×] एक मंत्री अवहेलना करके खड़े हो गये । गन्ना मंत्री जी बात खत्म नहीं कर पाए, शराब विभाग के मंत्री बोलने लगे ।

(व्यवधान)

(डा० अरविन्द कुमार जैन के खड़े होकर कुछ बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी कृपया बैठ जाएं ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (डा० अरविन्द कुमार जैन)–

यह बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे ।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी, इनको नियंत्रित करें। मुख्य मंत्री जी कृपया इनको नियंत्रित करें। यह आचरण सही नहीं है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

तिवारी जी, कृपा करके इस तरह की भाषा का उपयोग करने से बचें कि [x x x] मैं निर्देश दे रहा हूं यह कार्यवाही से निकाला जाए। यह बात आपको भी शोभा नहीं देती है और पीठ को भी शोभा नहीं देती है।

श्री प्रमोद कुमार–

मुझे पीठ पर गर्व होता है। आप कुछ कह रहे हैं। मंत्री जी खड़े होकर कहते हैं उसके बाद फिर मंत्री जी खड़े होकर ललकारते हैं, बोलते रहते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी ने ललकारा नहीं है। आप अनर्गल बात न करें।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

एक तरफ तो पाकिस्तान से बढ़े दाम पर चीनी खरीदी गई फिर उसको कम दाम पर बेचा गया, यह स्कैन्डल नहीं है ?

(व्यवधान)

(सत्तापक्ष की तरफ से बोलने की आवाज आने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

अब मुझे फिर आपके ऊपर गर्व हो रहा है। मैं बार-बार कह रहा हूं आप पर गर्व है और क्या कहूं ?

(व्यवधान)

मैं स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री जी बता दें पूरे प्रदेश में कोआपरेटिव सेक्टर फेडरेशन में कितना बकाया है ? फेडरेशन चीनी मिल कब तक.....

श्री अधिष्ठाता–

यह पुनरावृत्ति कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

रिपीट कर रहा हूं। पहले भी कहा तो व्यवधान हो गया। न्यायिक जांच अगर इटावा में करा सकते हैं तो कहीं करा सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

फिर रिपीट कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार–

कितनी चीनी मिलें इनके कार्यकाल में बन्द हुई हैं और कितनी पूर्वांचल में खुली हैं यह भी बता दें। ऐसी कौन सी बात है जो यह कभी पडरौना में, कभी रामकोला में गोली चलवा देते हैं ? ऐसी कौन सी कमजोरी है ? पूंजीपतियों के हाथ बड़े हैं ?

नोट :– [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

अब फिर मुझे गर्व हो रहा है। तो आप कभी कहीं गोली चलवा देते हैं, कभी कहीं चलवा देते हैं। प्रशासन अनियंत्रित हो जाता है। ऐसा क्यों है ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

कारपोरेशन और कोआपरेटिव की भुगतान की स्थिति आपको बताना चाहता हूं 16-10-2000 तक कारपोरेशन से 434 करोड़ 46 लाख का भुगतान करना था जिसके विरुद्ध 406.78 करोड़ का भुगतान हुआ है जो कि लगभग 93.63 प्रतिशत है। कोआपरेटिव सेक्टर में 771.68 करोड़ के विरुद्ध 743.55 करोड़ का भुगतान किया जो कि 96.35 प्रतिशत है। शेष 3.65 प्रतिशत है। निजी क्षेत्र में 2883.71 करोड़ के विरुद्ध 2839.51 करोड़ का भुगतान किया जो कि 98.47 प्रतिशत है। दूसरा जो उन्होंने प्रश्न किया कि पूर्वांचल क्षेत्र में कितनी नई चीनी मिलें लगायी गयीं तो गरोड़ा चीनी मिल नई लगी है और बलरामपुर, बभनान आदि चीनी मिलों का विस्तारीकरण हुआ है। जहां तक एक्सपोर्ट की बात कही गयी है आयात शुल्क साढ़े सत्ताइस प्रतिशत था। बाहर की चीनी सस्ती पड़ती है। इसलिए आयातित हुआ करती है। हमने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया। उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर पहले 40 प्रतिशत किया फिर 60 प्रतिशत कर दी। इसके कारण बाहर से चीनी आयातित होना बन्द हो गयी। हमारे पास आज चीनी का पर्याप्त स्टाक है और हमने एक्सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। एक्सपोर्ट करने से, मिल मालिकों को भी पैसा मिलेगा और किसानों के बकाया का भी भुगतान हो जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने नेता प्रतिपक्ष, नेता बसपा, नेता सपा०, कुंवर रेवती रमण सिंह....

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह सरकार किसानों के बकाया का भुगतान नहीं कर रही है.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री आर० पी० एन० सिंह, श्री राधेश्याम सिंह, श्री योगेन्द्र सिंह सेंगर आदि माननीय सदस्यों को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य कर दिया है। अब मैं अगली सूचना जो कि श्री विनोद मणि जी की बाढ़ के संबंध में है, को ले रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [× × ×] यह सरकार यह बता सकने में अक्षम है कि पडरौना चीनी मिल कब तक चलेगी ? इसलिये इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, जो वक्तव्य इस आदरणीय सदन में दिया गया है उससे यह स्पष्ट है कि इनकी नियत पूर्वी उत्तर प्रदेश की बन्द चीनी मिलों को चलाने की नहीं है। पूर्वांचल के लिए पैकेज देने की भी कोई व्यवस्था इनकी नहीं है। गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का सूद सहित भुगतान कराने की प्रदेश सरकार की नियत नहीं है। इसलिये सरकार के किसान विरोधी रुख के विरोध में हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है।

(श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया)

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम जग–

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है, गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान, सूद सहित नहीं करना चाहती है। न्यायिक जांच नहीं कराना चाहती है। यह संवेदनहीन सरकार है। इसकी नीतियां किसान विरोधी हैं इसलिए हम इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री राम जग ने भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

श्री गोपाल कृष्ण–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने भी एक सूचना दी थी।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठ जायें। मैंने विनोद मणि जी का नाम पुकारा है।

* श्री विनोद मणि–

मान्यवर, बाढ़ जैसे गम्भीर विषय पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बलरामपुर, बहराइच, संत कबीरनगर में आये दिन, हर साल बाढ़ आती है और वह पूरी तरह से बरबाद हो जाता है। मान्यवर, इस साल आयी बाढ़ में इन जनपदों के पचासों-हजार गांव पूरी तरह पानी में डूबे थे। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हवाई सर्वेक्षण किया था तथा हमारे क्षेत्र का, फरेन्दा महराजगंज को उन्होंने स्वयं देखा था। लोग छतों पर 15-15 दिनों तक बिना खाये, बिना पिये जिन्दगी से जूझ रहे थे। मान्यवर, पूर्वी उ० प्र० के विनाश का कारण नेपाल से आने वाला पानी है। इस आने वाले पानी के कारण पूर्वी उ० प्र० का विकास पूर्णतः अवरुद्ध हो रहा है। मान्यवर, इस बाढ़ से सड़कें, बिजली और टेलीफोन के कनेक्शन भी इन चार-पांच जनपदों में ध्वस्त हो गये। मुख्य मंत्री जी ने सिद्धार्थनगर में जनसभा में ऐलान भी किया। बात कही गयी कि भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच एक लम्बे अर्से से जो परियोजनायें लम्बित हैं करनाली और बालू बांध परियोजना जिसमें नेपाल सरकार को भारत सरकार से पैसा लेना था, भारत सरकार द्वारा पैसा न दिये जाने के कारण यह परियोजनायें लम्बित हैं। मुख्य मंत्री जी ने घोषणा किया कि हमारी सरकार और दिल्ली की सरकार के बीच वार्ता हुई है। शीघ्र ही इस करनाली परियोजना पर धन देकर कार्य शुरू हो जायगा। धोती, कुर्ता, टोपी आपके हाथ में है। दिल्ली और यहां आपकी हुकूमत है। क्या कारण है कि इन परियोजनाओं पर पैसा नहीं दिया जाता रहा है ? 50 लाख जनता के साथ यह सरकार अन्याय कर रही है।

मान्यवर, 1998 में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे। उन्होंने वहां की पीड़ित जनता को एक हजार की अहेतुक सहायता और 500 रु० की खाद्यान्न और वस्त्र के रूप में सहायता वितरित करायी। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि आज तक वहां बाढ़ पीड़ित जनता को इस सरकार के चलते 85 रु० के चावल के अलावा आज तक कोई आर्थिक सहायता मुहैय्या नहीं करायी गयी है। आप सहायता की घोषणा आज सदन में करें मुख्य मंत्री जी। सिंचाई मंत्री जी यहां अभी नहीं हैं। गोरखपुर, बलरामपुर में राप्ती नदी का जल तबाही मचाता है। नेपाल के छोटे-छोटे नालों का पानी वहां नदी में आ जाता है। मान्यवर, यह जो बन्धे हैं सिंचाई विभाग के वहां पर.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, मेरा प्रश्न तो शलाका में पहले नं० पर चयनित हुआ था । इसको अब सुना जा रहा है । यह महत्वपूर्ण है । पडरौना में जहां एक व्यक्ति की मृत्यु और 5 लोग घायल हैं वहीं इस बाढ़ में 100 से ज्यादा लोग मर गये । आज यह पूर्वी उं० प्र० के अस्तित्व का सवाल है ।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ड्रेनेज खण्ड गोरखपुर और सिंचाई खण्ड महराजगंज इन दोनों विभागों को 5 करोड़ से ज्यादा रुपया पिछले 3 सालों में दिया गया है और यह करमैनी–पनघटिया एवं करमैनी रिगौली बेलसड़ व नगवा लेहड़ा के लिए दिया गया है लेकिन इसके बावजूद गोरखपुर में भयानक तबाही मची है । मैं कहना चाहता हूं कि अगर जरा सी भी नैतिकता है तो आज इन विभागों के अधिकारियों को जिन्होंने लाखों रुपये की लूट की है, की जांच कराये और जांच कराने के बाद उस पर कार्यवाही करें । इसकी घोषणा आज सदन में करें अगर यह नहीं करते हैं तो यह कहें कि लूट और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारा नारा है वह झूंठा है और अगर सही है तो मैं मांग करता हूं कि सिंचाई विभाग के खिलाफ जांच करायें । मेरा आरोप है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ की तबाही के जिम्मेदार यह सिंचाई विभाग के लोग हैं और उसके लिए उनको दंडित किया जाना चाहिए । मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 50 हजार से ज्यादा खपरा के और पक्के मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं और मेरे विधान सभा क्षेत्र में 10 लोग मारे गये हैं और नांव डूबने से 2 पुलिस के जवान मारे गये हैं । गोरखपुर में 10 और सिद्धार्थनगर में 17 लोग मारे गये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि जो किसानों के मकान बाढ़ से गिरे हैं उनके लिए इंदिरा आवास की योजना बनावें और उसमें धन देकर गिरे मकानों को बनाया जाय और दूसरी बात जो एक-एक हजार की सहायता है और 500 रुपये कपड़ा और खाद्यान्न की सहायता है उसे जनता में तुरन्त वितरित कराया जाये और तीसरी बात सिंचाई विभाग के खिलाफ जांच कराकर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाये और चौथी बात कि भारत और नैपाल इन दोनों देशों के बीच जो परियोजनाएं लम्बित हैं, उस पर मुख्य मंत्री जी पहल करें और उन्होंने कहा है कि वे कर भी रहे हैं । मैं इसका स्वागत करता हूं । मान्यवर, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश को बाढ़ से नहीं बचाया गया तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली और पंजाब में मजदूरी करने के लिए विवश हो जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपकी भावना आ गयी है, आप समाप्त करें ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, जो लोग भूख से मर रहे हैं उनके खाने की व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए । मैं अन्त में कहना चाहता हूं कि इसके लिए एक विशेष पैकेज दिया जाय तभी लोगों को रोजगार मिल पायेगा और टूटी सड़कों की मरम्मत हो पायेगी, बिजली के खम्भे ठीक हो पायेंगे, टेलीफोन के तार, खम्भे ठीक हो पायेगें और उस क्षेत्र के विद्यार्थियों की फीस माफ की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ पूरी आशा और विश्वास के साथ कि माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस सवाल पर इस सदन को बतायेंगे ।

श्री राम चन्द्र यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछले दिनों सारा पूर्वांचल बाढ़ से प्रभावित रहा । मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले साल भी हजारों किसानों की फसल मडहा नदी की बाढ़ से बरबाद हुई थी । पिछले साल भी मैंने इस सदन में इस समस्या को रखा था, तब माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने बड़ी गम्भीरता से लेते हुए यह आश्वासन दिया था कि इस समस्या के निदान के लिए कार्यवाही करायेंगे । बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस वर्ष फिर सितम्बर माह में मेरे विधान सभा क्षेत्र के तहसील मिल्कीपुर में

भयंकर बाढ़ आई और नाविकों के न लगाये जाने के कारण निरीह नाव वालों की नाव लगा दी गई, जिसके चलते 3 लोग विभिन्न घाटों पर डूबकर मरे । एक सात वर्ष की बालिका, वह भी डूबकर मर गई। मेरे जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर में उप जिलाधकारी, जिनको मैंने पहले भी कई बार सूखे और बाढ़ के संबंध में लिखकर दिया था, ने इसकी रोकथाम के लिए कोई भी चौकी स्थापित नहीं कराई और न नाव की व्यवस्था कराई, जिसके कारण दर्जनों लोग डूब कर मर गये और 50 गांव के किसानों की फसल डूब गई । आज उन किसानों का कोई पुरसाहाल नहीं है । वह भुखमरी की कगार पर हैं, हजारों घर ढह गये, उनको मुआवजा नहीं दिया गया । वहां नुकसान का कोई आंकलन नहीं कराया गया, किसी भी गांव में लेखपाल भी नहीं गये । जैसा कि मैंने अपनी सूचना के माध्यम से आपको और आपके माध्यम से पूरे सदन को संज्ञान में दिया है, क्षेत्र में बाढ़ की इस विभीषिका से मदद के लिए दूर-दूर तक स्थानीय प्रशासन आगे नहीं आया । हमारे विधान सभा क्षेत्र में खासतौर से मंदौली, झवरा ड्रेन के, जो किनारे-किनारे के गांव हैं, वह पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गये, वहां हजारों बीघा जमीन आज भी जलमग्न है । पिछले दिनों में जो भी स्थानीय उप जिलाधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से वहां कार्य कराये गये थे, उसकी वजह से किसानों की तबाही हुई और जो लोग प्रभावित हुए, जो मारे गये, उनको किसी तरह की राहत नहीं दी गई । जो राहत बांटी भी गयी, वह केवल अपनी बचत के लिए 15 दिन बाद राहत राशि दी गई है । इस समय इस मुद्दे को लेकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों में भयंकर असंतोष व्याप्त है । मजदूर, किसान, नौजवान इस मुद्दे पर आन्दोलित हैं । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बाढ़ के सिलसिले में जिस किसी अधिकारी ने लापरवाही बरती है, उसके खिलाफ जांच कराई जाय और जो मडहा नदी के किनारे-किनारे गांव हैं, वहां का सर्वे कराया जाय और मडहा नदी की सफाई की योजनाएं बनायी जायें । मृतकों के जो परिजन हैं, उनको 5-5 लाख का मुआवजा दिलाया जाय । जो गिरे मकान हैं, जिन लोगों के आवास गिरे हैं, उनको आवास आवंटित कराया जाय और इस भीषण बाढ़ से जो फसलों का नुकसान हुआ है, उसका सर्वे कराकर उनको मुआवजा दिलाया जाय तथा राहत राशि वितरित कराई जाय । मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर नेता सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस मामले में विशेष ध्यान देंगे, आपको धन्यवाद ।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस गम्भीर विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आभारी हूं । मान्यवर, 2000 में जो भीषण बाढ़ आई है उससे उत्तर प्रदेश के 42 जिले प्रभावित हुए हैं । हमारे जिले हरदोई, 91 मल्लावां क्षेत्र में 242 गांव प्रभावित हुए हैं । गंगा जी में इतनी भारी बाढ़ आयी थी जिसमें एक महीने तक लोगों के घर पानी में डूबे रहे । वहां एस० डी० एम० और तहसीलदार ने मात्र 10-10 किलो चावल, 2-2 माचिस, 2 लीटर मिट्टी का तेल और 1 किलो नमक देकर समझा दिया इसके अलावा उन्हें आज तक कोई अहेतुक सहायता नहीं दी गयी । हजारों लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए, हजारों लोग बेघर हो गये और आज भी हजारों बीघा जमीन जलमग्न है । हमारे क्षेत्र में 14 ड्रेन ऐसी हैं जिनके द्वारा बाढ़ का पानी आ जाता है । खरीफ की फसल तो पूरी तरह नष्ट हो ही गयी है, रबी की फसल भी वह नहीं बो पायेंगे । जो फसल नष्ट हो गयी है उसका मुआवजा सरकार को देना चाहिए क्योंकि सरकार की नीति है कि यदि कोई फसल किसी दैवी आपदा से नष्ट हो जाती है तो एक हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया जायेगा । 98 में भी बाढ़ आयी थी । लाखों लोग प्रभावित हुए थे, हजारों लोगों का आज तक पैसा नहीं मिला है । इस सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था कि वह जांच करा लेंगे । हमने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा जिसमें उन्होंने आदेश किया है कि जिलाधिकारी हरदोई द्वारा विधायक जी को सूची उपलब्ध करा दी जाये लेकिन आज तक वह सूची प्राप्त नहीं हुई है । हजारों मकान गिर गये हैं लेकिन पैसा नहीं

मिला है । प्रथम सूची जो लेखपाल ने बनायी थी वह सूची उपलब्ध हो जाये तो इससे स्पष्ट हो जायेगा कि कितने मकान गिरे थे, कितने लोगों को आंशिक पैसा मिला और कितने लोगों को पूरा पैसा मिला है लेकिन अभी तक वह सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है । मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह सूची उपलब्ध कराने की कृपा करें ताकि जिनके मकान बाढ़ में गिर गये हैं उनको अनुदान प्राप्त हो सके । 98 से यह मामला आश्वासन समिति में विचाराधीन है । मैं शासन से बराबर मांग करता रहा हूं कि मेंहदी घाट से सड़िया घाट तक बांध का निर्माण कराया जाए । यदि ड्रेनों की सफाई वर्षा ऋतु से पहले हो जाये तो काफी फसलें बच सकती हैं और जलप्लावन नहीं होगा । ऐसा न करने से खरीफ की फसल तो नष्ट होती ही है, रबी की फसलों की बुवाई भी नहीं हो सकती है । यह भी बताना चाहता हूं हमारा क्षेत्र गंगा जी के किनारे बसा है, बाढ़ क्षेत्र में आता है, तार टूट गये हैं, सड़के टूट गयी हैं, पुलिया टूट गयी हैं लेकिन आज तक उनका निर्माण नहीं कराया गया । मैं निवेदन करूंगा शासन से, यदि सरकार किसानों की हिमायती है तो वहां पर जो सड़कें टूट गयी हैं, पुलिया टूट गयी हैं, उसको बनाया जाये । किसानों को आज उनकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है । हरदोई चीनी मिल बन्द हो गयी है उसकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया । वह मिल बिकने जा रही है किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है जो उन्हें नहीं मिल रहा है । किसानों की दुर्दशा हो रही है । किसानों का आलू मिट्टी में मिल गया । यह सरकार किसान विरोधी है और किसानों का हित नहीं कर रही है । मेरा निवेदन है कि मेरे यहां सन् 98 में जो सूची बनायी गयी थी, लेखपालों ने बनायीं थीं और जो तहसीलों में मौजूद है उसके आधार पर जिनके मकान गिर गये हैं, उनको सहायता दी जाय । सरकार के निर्देशों का जिलाधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं । इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाय जिससे गरीबों को अनुदान मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्यगण ने कहा, अपने बहुत ही ओजस्वी भाषण में जानकारी दी । लगभग कई विषयों पर उसकी पुष्टि करते हुए मैं जानकारी देना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में 40 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए जिनमें से महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बलरामपुर, बहराइच, संत कबीरनगर और हरदोई अधिक प्रभावित हुए । इनमें 1817 गांव प्रभावित हुए और 3677264 जनसंख्या प्रभावित हुई । इसमें से 95 मानव जीवन की हानि हुई और 160 पशुओं के जीवन की हानि हुयी । प्रदेश सरकार ने राहत के लिए 3 करोड़ 64 लाख रुपये उपलब्ध कराये । इसमें से महराजगंज को 25 लाख 30 हजार, सिद्धार्थनगर को 76 लाख, गोरखपुर को 1 करोड़ 1 लाख रुपये, बलरामपुर को 71 लाख रुपये, बहराइच को 45 लाख 20 हजार रुपये और संत कबीरनगर को 25 लाख 25 हजार रुपये व हरदोई को 20 लाख 20 हजार रुपये उपलब्ध कराये गये । शासन ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि 15 सौ रुपये आपदा सहायता के रूप में उपलब्ध करायें और धन की कमी होने पर आई० आर०–27 के अन्तर्गत धन प्राप्त कर लें ताकि धन की कमी न होने पाये । मान्यवर, प्रतिवर्ष लगभग यह स्थिति आती है और कुछ जनपदों में बाढ़ आती है । प्रदेश के संसाधनों को देखते हुए हमारा प्रयास रहता है कि बाढ़ के कारण जहां मरम्मत की आवश्यकता, बंधों के रखरखाव की आवश्यकता है, उसको पूरा करें । जहां तक हरदोई की बात है, आपने गत वर्ष चिन्ता जतायी थी और यह कहा था कि वहां सूचियां फर्जी बनायी गयी हैं । मैंने उसकी जांच के आदेश दिये थे जांच का परिणाम आया होगा । आप समय निकाल कर आयें तो मैं उसको आपके सामने रख दूंगा ताकि आप उसकी पुष्टि कर सकें । प्रदेश सरकार अपने स्तर से जो कुछ कर सकती थी, किया और जनपदों को पैसा उपलब्ध कराया जिससे राहत कार्यों को अंजाम दिया गया ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, 32 लाख रुपया महराजगंज को दिया गया है। आपने कहा कि 15 सौ रुपये प्रति परिवार की दर से वितरण करने के निर्देश दिये गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि क्या 10 किलो चावल की कीमत 15 सौ रुपये होती है ? 10 किलो चावल के अलावा एक माचिस भी दी गयी हो। हमारे जिले में और अगर यह बात गलत हो तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात जानना चाहता हूं कि करमैनी–पनघटिया, करमैनी–रिगौली बांधों पर पिछले 3 सालों में कितना रुपया व्यय किया गया है ? सरकार ने जो रुपया दिया था, क्या विभाग द्वारा यह व्यय किया गया है ? अगर नहीं किया गया है तो क्या इसकी टेक्निकल आडिट सेल द्वारा जांच करायेंगे ?

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 1500 रुपया पात्र व्यक्ति को मिलना चाहिए, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। यह नीति आज की नहीं बल्कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब से लागू है। 500 रुपये की सामग्री तथा 1000 रुपया नकद दिया जाता है। हमारे जनपद में यह पैसा आज तक नहीं बांटा गया है। ऐसे जिलाधिकारी जो रिपोर्ट दे देते हैं कि आवश्यकता नहीं है, कार्यवाही होनी चाहिए। प्राक्कलन समिति में यह मामला उठा था और आप (श्री बालचन्द्र मिश्र) उस समिति के चेयरमैन थे, यह मामला आया कि 3 अरब रुपया उत्तर प्रदेश में पड़ा हुआ है, वह रुपया कहां है ? कब बंटेगा ? जो बाढ़ की पुस्तिका है, उसमें लिखा हुआ है कि 500 रुपये की सामग्री और एक हजार रुपये की नकद सहायता दी जायेगी, उसका वितरण करायें। मान्यवर, 1998 में भीषण बाढ़ आयी थी, वर्षा हुई थी वर्ष 2000 में भी भीषण बाढ़ आयी और वर्षा हुई। बाढ़ से उत्तर प्रदेश के 42 जिले प्रभावित हैं। शासन की नीति के अनुसार जो अनुग्रह राशि है उसका वितरण करायें। यह विषय लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है। अतः इस पर चर्चा कराई जाय।

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, मेरी फैजाबाद जनपद की एक सूचना थी, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से केवल दो बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या जो लोग नाव से डूबकर मरे या दीवार से दबकर मरे उनकी सूचना शासन/सरकार को है और उनकी मदद के रूप में सरकार की तरफ से कोई धनराशि आवंटित की गयी ? जिन लोगों ने लापरवाही बरती उनके खिलाफ सरकार कोई कार्यवाही करेगी या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं एक-एक करके जवाब दे देता हूं। माननीय विनोद मणि जी ने जानकारी दी कि क्या 10 किलो चावल की कीमत 15 सौ रुपये है। आपका आरोप है कि केवल 10 किलो चावल उपलब्ध कराया गया। मैंने बताया कि धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। शासन का आदेश था कि 1500–1500 रुपये उपलब्ध कराये जायं। कहीं शिकायत है तो आप थोड़ा विवरण दे दें, तभी जानकारी प्राप्त करने में सहायता हो सकेगी।

जहां तक हरदोई का प्रश्न है, हरदोई में बाढ़ से 54 गांव प्रभावित हुए। मानव जीवन की हानि भी हुई। 30-9-2000 तक 9 लाख 32 हजार 50 रुपये की धनराशि अनुग्रह अनुदान के रूप में वितरित की जा चुकी थी। हमने 20 लाख 20 हजार रुपये उपलब्ध कराये। 1998 का जिक्र किया गया। हमने 1 करोड़ 52 लाख, 3 हजार रुपया उपलब्ध कराया था, जो बाढ़ प्रभावित सहायता थी तत्काल हमने उपलब्ध करा दिये थे और प्रदेश सरकार इन बातों के बारे में हमेशा संवेदनशील रही है और उसका परिणाम यह है कि माननीय मुख्य मंत्री जी का नाम लिया, जितने भी संबंधित मंत्री थे चाहें

सिंचाई मंत्री हो या राहत मंत्री हो, स्वयं स्थानों पर गये, मौकों पर गये, सारा कुछ स्वयं जाकर सर्वेक्षण किया, आदेश भी दिये कि जो-जो कारण हैं उनको दूर किया जाये और बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता दी जाये। यही कर सकते हैं।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, बाढ़ एक महीना पहले समाप्त हो गयी है, और मंत्री जी ने बताया है कि एक-एक हजार रुपया बाढ़ पीड़ितों को सहायता के लिए दिया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसका वितरण आप कब से सुनिश्चित करायेंगे, क्योंकि पीड़ित व्यक्तियों को तत्काल आर्थिक सहायता की जरूरत है?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, शासन की ओर से महराजगंज के लिए 25.20 लाख रुपये उपलब्ध करा दिये गये हैं और अधिकारियों को निर्देश हैं कि नार्म्स के अनुसार सहायता दे दी जाय और पैसे की कमी नहीं आनी चाहिए।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, मंत्री जी का जवाब किसान विरोधी है और उसके साथ ही पूर्वांचल विरोधी है। यह सरकार जन विरोधी है। इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

(शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री विनोद मणि ने सदन का त्याग किया)

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, फैजाबाद में तहसील मिल्कीपुर के विभिन्न गांवों में बाढ़ से मकान गिरे और वहां नाव के डूबने से 5 लोगों की मृत्यु हो गयी जिसमें 2 व्यक्तियों की लाशें नहीं मिली। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जो मानक आपने निर्धारित किया है उसके अनुसार शासन की तरफ से कोई मदद नहीं दी गयी है। जो व्यवस्था बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए निर्धारित है उसके अनुसार जिन अधिकारियों ने लापरवाही बरती है और पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं कराया है क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जहां तक सम्पूर्ण जनपद फैजाबाद का सवाल है वहां मानसून की स्थिति साभान्य है। मिल्कीपुर में वर्षा अधिक थी जिससे वहां बाढ़ थी, इसलिए आदेश थे कि बाढ़ के मानकों के अनुरूप वहां सहायता दी जाय।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैंने नियम 300 के अन्तर्गत एक लोक महत्व की सूचना दिया था।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 और नियम 311 के बाद सुन लेंगे।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मुझे जाना है इसलिए मेरी सूचना को आप सुन लें क्योंकि पुलिस उत्पीड़न के संबंध में है।

श्री अध्यक्ष–

5 बजने वाला है इसलिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत हो जाने के बाद सुन लेंगे। रामचन्द्र जी आपने प्रश्न उठाया, उसका उत्तर संसदीय कार्य मंत्री जी ने दे दिया। अब 5.00 बजे आय-व्ययक प्रस्तुत होना है।

(श्री राम चन्द्र यादव वेल में आ गये)

आप अपने आसन पर जाएं आय-व्ययक प्रस्तुत हो जाए, उसके बाद आपकी बात सुन ली जाएगी।

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, यह गम्भीर बात है।

श्री अध्यक्ष–

आप पहले आसन पर जाएं।

(श्री राम चन्द्र यादव अपने स्थान पर चले गये।)

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2000-2001 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

इसकी प्रतियां वितरित करा दी जाएं।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

नियम–311 की नियम–56 में परिवर्तित एवं स्थगित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

श्री राम चन्द्र जी आपने अपनी बात कह दी उसका उत्तर संसदीय कार्य मंत्री जी ने दे दिया। अगर आपकी कुछ मांगें हैं तो उनको लिखकर दे दें, वह विचार कर लेंगे।

श्री मुख्तार अंसारी–

मान्यवर, मेरी भी सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना है, यह इसके बाद आ जाएगी। यह स्वीकृत है।

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने बाढ़ की समस्या पर पूरे प्रदेश की बात रख दी। हमारे जनपद के बारे में सामान्य तौर पर बताया। हमारी तहसील मिल्कीपुर और विधान सभा क्षेत्र में बाढ़ के कारण जो तबाही और बरबादी हुई है उसकी सूचना मैंने दी है। वहां पर जो फसलें बरबाद हुई हैं उनका सर्वे कराकर पीड़ितों को नुकसान का मुआवजा दिया जाए। यह मैं मांग करता हूं। उनको पिछली बार की ही तरह इस बार भी इंदिरा आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत किये जायं और जो लोग मारे गये हैं, नाव डूबने से या दीवार ढहने से, उनको 2-2 लाख रुपया मुआवजा दिलाया जाय। मैं अनुरोध करता हूं संसदीय कार्य मंत्री जी से कि जब वह अपना उत्तर भाषण दें, तो इन बातों को ध्यान में रख कर अपना स्पष्टीकरण दें।

श्री अध्यक्ष–

अब माननीय नेता प्रतिपक्ष के पश्चात्, मैं मऊ का प्रकरण ले लूंगा ।

नेता, विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, सारे प्रदेश में पुलिसिया जुल्म और ज्यादती चरम सीमा पर है । इसी कड़ी में कानपुर देहात के थाना सूली के अन्तर्गत एक गम्भीर घटना घटित हुई । मैं उस घटना के विस्तार में जाना नहीं चाहूंगा केवल माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जरूर अपेक्षा करूंगा कि जो भी संभव हो सके सहायता और कार्यवाही की जाय । घटना इस तरह से है :– सूली थाना के अन्तर्गत कानपुर देहात में खुमान नवादा गांव के पास एक बिजली की लाइन निकली है और उसी गांव की एक लड़की वहां से गुजरती है जहां पर यह तार टूटा हुआ पड़ा था और उसमें करण्ट आ रहा था और बच्ची उससे झुलस कर घायल हो जाती है और एक साल बाद पुनः 12 सितम्बर को दोबारा उसी विद्युत के तार से उलझकर उसकी मृत्यु हो जाती है । पहली घटना के बाद भी विद्युत विभाग वालों ने उस तार को ठीक से नहीं किया । गांव के लोग बेला और कानपुर रोड पर लड़की के शव को रखते हैं। (इस समय 5 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए ।) चूंकि उस दिन बुढ़वा मंगल था और पनकी मन्दिर से आने जाने वालों की वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गयी और रोड जाम हो गई । जब सूली थाने में पता चला तो पुलिस वहां पर आई और उस शव को वहां से उठाकर ले गई । तत्पश्चात् उसने घरवालों को शव भी नहीं दिया अपने स्तर से ही उसका अन्तिम संस्कार कर दिया । उसी दिन शाम को पुलिस गांव खुमान नवादा और पास के गांव गहरा में आकर पुलिसिया तांडव करती है । झोपड़ियों में आग लगाना, स्त्री बच्चों को मारती और पीटती है । गांव के लोग 13 तारीख की रात को घर छोड़कर चले जाते हैं । जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, विधवायें हैं और विकलांग हैं, गांव में रह जाते हैं । 16 तारीख की रात को पुलिस वाले गांव पर फिर धावा बोलते हैं और लोगों की लोहे की सेफों को तोड़ दिया जाता है, सन्दूक तोड़ दिये जाते हैं, चारपाई तोड़ दी जाती है, बर्तन तोड़ दिये जाते हैं, विकलांग लोगों को मारा जाता है, उनकी बैसाखी तोड़ दी जाती है, यहीं नहीं एक स्त्री जो छत पर लेटी हुई थी, माखन सिंह की पत्नी, जिसका साढ़े आठ महीने का गर्भ था, छत पर पहुंचकर पुलिस उस स्त्री को मारती है और जब वह बेहोश हो जाती है तो गांव के लोग उसे नर्सिंग होम में दाखिल करते हैं और जब उसका आपरेशन होता है तो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि अयोध्या प्रसाद की 18 वर्षीय पुत्री जो करेन्ट लगने से मर गई और अयोध्या प्रसाद जो स्वयं पनकी मेले में उस दिन गया था, वह उस समय वहां था ही नहीं, उसके नाम भी रिपोर्ट लिख दी गई । 19 लोगों के नाम रिपोर्ट लिख दी गई और 40 अज्ञात लोग । इस प्रकार लाखों रुपए की लूट वहां पर की गई । मैं, आपके माध्यम से, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि जिन 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है, उन पर तमाम अपराधिक धारायें लगायी गई हैं, उनके मुकदमे वापस लिये जांय । मुकदमा कायम करना था तो 12 तारीख को करते, तो फिर आपने तोड-फोड़ कैसे की । 16 तारीख को तोड़-फोड़ कैसे की । किसान सीधे-साधे थे, उस गांव में अपराधिक किस्म का कोई भी व्यक्ति नहीं था । सारे किसानों को प्रताड़ित किया गया । स्त्रियों को बेइज्जत किया गया, लड़कियों और बुड्ढों को मारा-पीटा गया । मैंने स्वयं मांग की थी, मैने स्वयं भी देखा, मैने प्रमुख सचिव, गृह और डी०जी०पी० से भी मांग की कि इस प्रकरण की जांच डी०आई०जी० स्तर के किसी अधिकारी से करा दें अगर कोई पुलिस अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसे सजा दी जाय । वहां पर लाखों रुपये की लूट की गई, स्त्रियों, बच्चों और वृद्धों को पीटा गया । उस लड़की के पिता को भी फंसाया गया । इसलिये इन सभी लोगों को छोड़ दिया जाय । लेकिन आज तक उसकी कोई जानकारी नहीं है और न ही उस पर कोई कार्यवाही हो रही है । प्रताड़ित करने की कार्यवाही चल रही है । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि वह सी०बी०सी०आई०डी० या जिस स्तर

से वह चाहें, मैं नहीं कहूंगा कि आप इससे जांच करायें, इसकी आप जांच करवा लें और पुलिस ने जो हद दर्जे के ज्यादती की है, लोगों को बेइज्जत किया है, उनको सजा दी जाय । उनका दोष सिर्फ इतना था कि उन्होंने लड़की का शव लाकर सड़क पर रख दिया । वह केवल दोष हो गया । भीड़ थी, बुढ़वा मंगल था जिसके कारण जिस वजह से भीड़ बढ़ी । गोली और लाठी चली । शाम को लूट-पाट की गई। 16 को भी लूट-पाट हुई और 40 लोगों को अज्ञात बता दिया । लाठी चली, लूट पाट हुई, बरतन तोड़ दिये, दीवार तोड़ दी, छप्पर तोड़ दिये । आप इसकी जांच करवा लें, पुलिस ने बर्बरता का काम किया है। अगर आप सच पायें तो हम तो सी० बी० सी० आई० डी० जांच की मांग करते हैं । वैसे आप जो चाहें जांच करवा लें । जो दोषी पाये जायं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । जो लड़की मरी वह दैवी आपदा से ही मरी । तार टूटा था जिससे चिपक कर वह मरी । उसके घर के लोगों को सहायता दी जाय । पांच लाख रुपये की सहायता दीजिये । मैं यह अपेक्षा करूंगा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से वह अभी आज ही घोषणा करेंगे उस परिवार को सहायता दिये जाने की । वह किसी के मारने से नहीं मरी। वह टूटे बिजली के तार से चिपक कर मरी है जो कि दैवी आपदा में ही आता है । आप जांच करायें वह अयोध्या प्रसाद हो तो । सारे का सारा मामला सही है । सिर्फ बात यहां पर यह है कि प्रधानी पहले दूसरे लोग करते थे अब की वह किसान भी हो गया वह दलित वर्ग का था । यह सोचा गया कि इसको दबाया जाय । इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इस तरह से उसका उत्पीड़न किया गया । मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर बल देते हुए अनुरोध करूंगा कि चूंकि यह अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है इस पर चर्चा कराई जाय ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जिस घटना का जिक्र माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है । मैं जानकारी प्राप्त करके शासन से परीक्षण करवाने के बाद, दस दिन के अन्दर माननीय नेता प्रतिपक्ष को अवगत करा दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं । यह मऊ जनपद की है ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, मेरी सूचना तीसरे नम्बर पर है और इस पर बोलने वाला मैं ही अकेला हूं । मुझे बोल लेने दें।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें । आपकी सूचना नम्बर तीन पर है । नियम–56 की जो सूचनाएं ले रहे हैं उसमें पहली सूचना पर चर्चा हो चुकी है । दूसरी सूचना जिस पर माननीय नेता प्रतिपक्ष बोले हैं, उनको विशेषाधिकार है, उनको अवसर मिला । इसलिए उन्होंने अपनी बात कही । मैं अब दूसरी सूचना ले रहा हूं जोकि मऊ जनपद की है । यह मऊ शहर में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के सम्बन्ध में है ।

(श्री मुख्तार अंसारी के बोलने के लिए खड़े होने पर ।)

माननीय मौर्य जी आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं इस पर ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इनके जिले की है । इनको पहले बोल लेने दें, उसके बाद मैं कह लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है ।

श्री मुख्तार अन्सारी–

मान्यवर, 7 अक्टूबर को मऊ शहर के अन्दर दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन के समय कुछ शरारती तत्वों के द्वारा दुर्गा जी की मूर्ति के पास बम फेंक दिये जाने के कारण जो अफरा तफरी का माहौल हुआ उससे पूरे शहर का माहौल खराब हो गया और मान्यवर, आज 14 दिन हो गये हैं। मऊ शहर जहां 4-5 लाख की आबादी है कर्फ्यू का तांडव चल रहा है। मान्यवर, वहां पर एक घंटे के बाद अकलियत के लोगों को, कुछ शरारती तत्वों द्वारा अकलियत की दुकानों में आ गये वहां उनकी दुकानों में आग लगा दी। उनके गोदामों में, घरों में आग लगा दी गई तो उसके प्रतिरोध में अकलियत के लोगों ने उसका प्रतिवाद किया और संघर्ष बढ़ा। दो घंटे के बाद प्रशासन ने वहां कर्फ्यू लगा दिया और लगातार एक सप्ताह तक वहां पर कर्फ्यू चलता रहा। यह सारा कुछ प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ और मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि एक हफ्ते के बाद भी कर्फ्यू में दो घंटे की ढील दी गई तो हिन्दू और मुस्लिमों ने मिलकर आपस में बैठक की। शांति बैठक की। सब लोगों ने इस बात का फैसला लिया कि अब यहां कोई अशान्ति नहीं होगी, लेकिन नये जिलाधिकारी महोदय, नये एस० पी० महोदय की करतूतों के कारण दस दिन के बाद पुनः दुबारा अकलियतों के घर में तलाशी अभियान छेड़ दिया गया है। रात में बारह बजे के समय अकलियत के घर में सैकड़ों की संख्या में पी० ए० सी० के जवान, सी० ओ० मऊ, एस० ओ० दक्षिणतोला को लेकर घुस गए और बीसों लोगों का ताला तोड़कर मारा पीटा लूटा गया। मां-बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। छोटे-छोटे बच्चों को मारा-पीटा गया। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वहां जो तांडव किया जा रहा है उस पर तत्काल रोक लगाइये। सबसे बड़ी बात है कि इतने दिन से कर्फ्यू लगा होने के कारण छोटे-छोटे बच्चों को दूध के लिये तरसना पड़ रहा है। हजारों जानवर मर रहे हैं। हमारे मऊ में अकलियत की आबादी है वहां जो भैंस हैं, गाय हैं, गधे हैं, सैकड़ों की संख्या में मर चुके हैं। जो बीमार लोग हैं उनको इलाज कराने के लिये अस्पताल नहीं जाने दिया रहा है। तलाशी के लिये बीसों घरों को लूटा गया है उसके विरोध में अकलियत के लोगों ने सड़कों पर उतर कर विरोध प्रकट किया तो एस० पी० और डी० एम० ने हजारों की संख्या में पी० ए० सी० के जवानों को लाकर पचासों लोगों को मारा पीटा जिसमें 70-80 लोगों के हाथ पैर टूट गये हैं। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, इस मामले की न्यायिक जांच कराई जाए। जो जांच कराई जाए उसमें सबसे पहले यह जांच कराई जाए कि दुर्गा जी की मूर्ति जो विसर्जन के लिये ले जाई जा रही थी उस पर किन लोगों के द्वारा बम फेंका गया है, कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने अकलियतों के घरों में आग लगाई, बमों को चलाया है, जब तक यह सच्चाई सामने नहीं आएगी।

मऊ के लोगों के सामने यह बात आईने की तरह सामने आ सके, इसके लिये आप निर्देश दें। मऊ के प्रकरण के बारे में आप न्यायिक जांच करायें अगर आप न्यायिक जांच नहीं करा सकते हैं तो इसी सदन से आठ-दस लोगों का प्रतिनिधिमण्डल मऊ शहर में भेजा जाए। वहां दस-पन्द्रह दिन से कर्फ्यू लगा है। मऊ औद्योगिक शहर हैं मजदूरों की संख्या अधिक है, रिक्शा लोग चलाते हैं, मजदूरी करके पेट भरते हैं। कर्फ्यू के कारण ऐसा माहौल हो चुका है कि जानवर तो जानवर, इंसान मर सकते हैं। अगर आप उन्हीं पुलिस वालों के द्वारा जांच करायेंगे तो जिस सी० ओ०, पुलिस के दरोगा ने मां बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया है, बच्चों को मारा है, लोगों के हाथ पैर तोड़े हैं तो वह कोई जांच रिपोर्ट नहीं दे पायेंगे। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध सरकार से करना चाहता हूं। ....

श्री अधिष्ठाता–

आपकी सारी बात आ गई है।

श्री मुख्तार अंसारी–

यह गम्भीर मामला है जिससे पांच लाख की आबादी प्रभावित है । आज की तारीख में कहीं कर्फ्यू का माहौल नहीं है । हमारे शहर में जिस तरह से तांडव पुलिस के द्वारा किया जा रहा है उसमें आप न्यायिक जांच नहीं करायेंगे तो उसके भयानक परिणाम होंगे और मान्यवर, हर समाज के लोग हिन्दू और मुसलमान सभी लोग इस बात को चाहते हैं कि कर्फ्यू को समाप्त किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । मौर्य जी आप बोलें । मैं इससे पहले कि आप बोलें यह कहना चाहूंगा कि इस सूचना पर काफी माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । उचित रहेगा कि इसमें चूंकि आप बोल रहे हैं एक आध सदस्य और बोलें फिर उसके बाद शासन का पक्ष आ जायेगा ।

श्री मुख्तार अन्सारी–

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो वहां सुरेश प्रजापति मारा गया है उसके परिवार वालों को पांच लाख मुआवजा दिया जाय और जो घायल हुए हैं उनको एक-एक लाख का मुआवजा देने का कष्ट करें । जिन घरों और गोदामों को आग लगायी गयी है उनको पांच-पांच लाख रुपया दिया जाय ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मऊ के हाजीपुर मोहल्ले में 7 अक्टूबर, 2000 को जिस समय दुर्गा जी की मूर्ति के विसर्जन का कार्यक्रम होने जा रहा था वहां पर अचानक कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बम विस्फोट होने से परिस्थितियां बदल जाती हैं, भयावह होती हैं और नतीजा यह होता है कि वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है और उसके फलस्वरूप वहां पर कुछ देर विसर्जन का काम रोका गया । मामला शांत होता है फिर मूर्ति विसर्जित की जाती है । इसके बाद वहां पर कुछ समुदाय के लोग एक कबाड़ी के यहां हल्ला बोलकर आग लगाते हैं जिससे परिस्थिति फिर भयावह होती है और इसके फलस्वरूप वहां पर सुरेश प्रजापति को शरारती तत्व छुरा मारकर हत्या कर देते हैं यह प्रकरण इसलिए गम्भीर है कि कुछ शरारती तत्वों के द्वारा हिन्दू और मुसलमान में विद्वेष की भावना पैदा करके दंगे का रूप दिया जाय । कर्फ्यू घोषित होने के बाद अमन चैन हो इसलिए पुलिस की तैनाती होती है, मामला शांत होता है और शांत होने के बाद इस बात की जांच करनी चाहिए थी कि वह कौन शरारती तत्व था जिसने बम फेंका, वह कौन था जिसने कबाड़ी की दुकान में आग लगायी, वह कौन था जिसने सुरेश प्रजापति को छुरा मारा इस बात की छानबीन होनी चाहिए थी । लेकिन यह नहीं की गयी । हुआ यह कि एक हफ्ते के बाद 16, 17 की रात को कुछ लोगों ने कुछ वर्ग विशेष के लोगों के घरों में घुस कर उन्हें उत्पीड़ित किया, उन्हें लूटा और मारा । उनकी बहन की इज्जत को लूटा । नतीजा यह हुआ कि जो हफ्तों से कर्फ्यू की त्रासदी झेल रहे थे पुलिस की अदूरदर्शिता के कारण फिर वहां भय और आतंक की परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं । आज 17 तारीख से वहां पर कर्फ्यू बड़े पैमाने पर लगा दिया गया है । मऊ में जो मजदूर लोग हैं, दूसरे पेशे के लोग हैं चाहे हिन्दू या मुस्लिम हों सभी समाज के लोगों का आज सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया है । आज वहां लोगों के सामने जीविका का संकट आ गया है । ऐसी परिस्थितियां किन कारणों से पैदा हुईं । जिससे वहां पर दंगे की परिस्थिति आ गयी है वहां पर कर्फ्यू लगा दिया गया है । इसकी गम्भीरता से जांच होनी चाहिए । अच्छा हो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो इसके लिए न्यायिक जांच करायी जाये । जो जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और आर० ए० एफ० के जवान मौजूद थे, वहां पर उन लोगों ने लोगों की रक्षा करने के बजाय बर्बरतापूर्वक लाठी चलायी है । सैकड़ों लोग हताहत हुए हैं, घायल हुए हैं । अस्पताल जाने के लिए उनको मौका नहीं मिल रहा है । मैं मांग करता हूं कि बम की चोट से घायल व्यक्ति को एक-एक

लाख रुपया मुआवजा दिया जाये और सुरेश प्रजापति के परिवारजनों को 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाय और कबाड़ी व्यवसायी जिसके व्यवसाय में आग लगायी गयी उनको 2 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाये । पुलिस कर्मी जिन्होंने 16/17 की रात्रि में शांतिपूर्ण वातावरण को दूषित करने का काम किया उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये । आज लोगों ने सीधे-सीधे उंगली उठाना शुरू किया है कि विधान सभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने हिन्दू मुस्लिम की भावनाओं को फिर से उद्वेलित करके राजनीति की रोटी सेंकने का काम शुरू किया है । मैं न्यायिक जांच की मांग करता हूं । राजनीतिक द्वेष के बलबूते पर हिन्दू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काकर भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक उल्लू सीधा करने का कार्य किया है कि कहीं यह उसकी दोगली चाल तो नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, इसी तरह से 14 अक्टूबर को इकौना श्रावस्ती में 51 मुस्लिम फकीरों की बस्तियां जलायी गयी हैं । अब चूंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं । भारतीय जनता पार्टी हिन्दू मुस्लिम के सौहार्द को बिगाड़ने में लगी है । मऊ का दंगा हमारे सामने है । मैं इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूं ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, 8 अक्तूबर को यह घटना हुई, दुर्गा पूजा के अवसर पर मूर्ति विसर्जन के दौरान बम फेंका गया । मान्यवर, अगर यह समुदायों में वास्तव में झगड़ा है तो दंगे की स्थिति भिन्न होती । मान्यवर, मऊ का हिन्दू मुस्लिम कोई भी यह दंगा नहीं चाहता है सिर्फ यह दंगा सरकार चाहती है । जनाधार सरकार का रसातल की ओर चला जा रहा है । अब इनका साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का नुस्खा रह गया है इनकी अजमाईश में यह लगी हुई है सरकार । दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के समय जिन लोगों ने बम से हमला किया वह वही लोग हैं जो साजिशन इसमें लगे हुए हैं । अल्पसंख्यकों पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहे थे लोगों के घरों पर हमला हुआ । उनके गोदाम जलाये गये । उनकी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया । कर्फ्यू वहां लग गया । अभी मुख्तार अंसारी जी बोल रहे थे, मान्यवर, जो वहां के बुनकर हैं उनका हफ्तों चूल्हा नहीं जला है । एक पीस कमेटी हिन्दू मुसलमान ने मिलकर वहां शांति का माहौल बनाये रहें, और इनकी साजिश पूरी तरह से कामयाब नहीं हुई । इनके मन में कुछ बाकी रह गया है । यह सिर्फ कप्तान और कलेक्टर का मामला नहीं है । इस सरकार की जो मंशा है उसकी जांच होनी चाहिए । 17/18 की आधी रात्रि में नये कप्तान और कलेक्टर गये हैं, मान्यवर, 17/18 की मध्य रात्रि में अल्पसंख्यक समुदाय के जो बड़े सम्मानित लोग हैं जिनके घरों में औरतों के बदन पर जेवर भी हैं और पैसा रुपया भी है तथा बड़ा व्यवसाय करते हैं, जिनके विरुद्ध पूरे जीवन में एक 107 का मुकदमा भी नहीं दर्ज हुआ है । किसी तरह से जिनका अपराधिक इतिहास नहीं है उनके घरों पर छापे डाले गये और कैसे डाले गये, उनके घरों के दरवाजे तोड़े गये और औरतों को बेइज्जत किया गया, लूट हुई और सीधे-सीधे पुलिस की वर्दी पहने लोगों ने लूट का कार्य किया और इसके साथ ही एक 8 साल का बच्चा एहितशामुलहक, उसको पुलिस पकड़ करके ले गयी और मुहल्ला मुस्तफाबाद और लच्छीपुरा में कर्फ्यू निरन्तर जारी है तो जो इसके पीछे मूल साजिश है उसका पर्दाफाश होना चाहिए । आप इस बात का निर्देश सरकार को जारी करें कि जिस निर्दोष की हत्या हुई, उसको 10 लाख का मुआवजा दिया जाय और जिन लोगों के मकान, दुकान, गोदाम जलाये गये हैं उनको समुचित

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मुआवजा मिलना चाहिए और दोषी लोगों को दण्डित किया जाना चाहिए और 17/18 की रात्रि में जिन्होंने लूट और डकैती किया है, उनके खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इसके अलावा न्यायिक जांच कराने की घोषणा करें और यह आज ही घोषणा हो। अगर न्यायिक जांच नहीं हो सकती तो इस सदन की एक समिति बना दी जाय। सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो चलकर इसको देखे। अगर इनमें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत है तो समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमण्डल माननीय नेता विरोधी दल के नेतृत्व में मऊ जा रहा है जो पीड़ित लोगों को हौसला बधाने का कार्य करेगा और इसकी जांच करेगा, अगर इनमें सच्चाई का सामना करने का साहस है तो ये मऊ चलें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इससे सिर्फ मऊ में 5 लाख की आबादी ही नहीं प्रभावित हुई है बल्कि इससे पूरे प्रदेश के साम्प्रदायिक सौहार्द को नष्ट करने की एक गम्भीर साजिश हुई है और इससे पूरे प्रदेश की 16 करोड़ आबादी में आग लगाने का कार्य हुआ है। इसलिए इससे बढ़कर प्रदेश में और कोई ज्वलन्त समस्या नहीं हो सकती है। आज पूरे प्रदेश के अकलियत के लोग, मुसलमान पूरी तरह से सहमे हुए हैं। मान्यवर, जो इनका हिडेन एजेन्डा है, छिपा हुआ एजेन्डा है तो जब इनकी चलीचला की बेला है तो उसको लागू करना चाहते हैं। आज तक ये फर्जी एजेन्डे पर काम करते रहे और अब अपने असली एजेन्डा पर उतारू हो गये हैं। पूरे प्रदेश का साम्प्रदायिक सौहार्द नष्ट न हो इसलिए इस घटना की तात्कालिकता है। एक सेकेन्ड भी सत्ता में बने रहने का नैतिक और संवैधानिक अधिकार नहीं रह गया है।आप निर्देशित करें कि सरकार इस्तीफा दे और जाये, जो सरकार आयेगी वह लोगों की हिफाजत कर लेगी और यदि सरकार के जाने में थोड़ी देर लगती है तो इस मामले की न्यायिक जांच करवा दीजिए या सदन की समिति वहां भेज दीजिये। मैं आपसे मांग करता हूं कि इससे सुनिश्चित लोक महत्व का तात्कालिक और कोई प्रकरण नहीं होगा, अतः सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर आप चर्चा करा दें।

श्री मुराद लारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विगत 7 अक्तूबर को दुर्गा प्रतिमा का जुलूस जा रहा था, कुछ असामाजिक तत्व उस जुलूस के अन्दर जो स्वयं ही, जिस ट्राली पर प्रतिमा रखी थी, उसी पर झोले में बम रखे हुए सवार थे, यह बम स्वयं ही फट जाने से दुर्गा माता की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई और पूरे मऊ शहर के अन्दर जो एक शान्त माहौल था, वह उन असामाजिक तत्वों की वजह से बिगड़ गया। उसके बाद वहां के जो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक थे, उन लोगों ने वहां के माहौल को हिन्दू-मुस्लिम भाइयों को आपस में बैठाकर, बातचीत कराकर के ठीक करने का प्रयास किया। जब माहौल ठीक होने लगा, तो इस प्रदेश की सरकार, जिसे प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जानता है कि जिसकी बुनियाद साम्प्रदायिकता की ईंट पर है, इस सरकार ने वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को वापस बुला लिया और ऐसे व्यक्ति को मऊ का जिलधिकारी बनाकर भेज दिया, जिन्हें कभी भी इस प्रदेश के किसी एक छोटे से जिले का जिलाधिकारी बनने का मौका नहीं मिला। मऊ में जब इस तरह का विषम माहौल था, एक ऐसे अधिकारी को जिलाधिकारी बनाकर भेज दिया जो सम्भवतः आई० ए० एस० भी नहीं हैं, पी० सी० एस० हैं। जिन्हें कभी इससे पहले जिला चलाने का मौका भी नहीं मिला था, अनुभव नहीं था। जब 16/17 तारीख की रात में मऊ कोतवाली के अन्दर हिन्दू मुसलमान भाइयों की पीस कमेटी की मीटिंग माहौल को ठीक करने के लिए हो रही थी, उसी समय दूसरी तरफ वहां के पुलिस अधीक्षक ने अपने कुछ चुनिन्दा एस० ओ० और कुछ पी० ए० सी० के जवानों को लेकर,

सरकार के इशारे पर जो माहौल को ठीक नहीं होने देना चाहते थे, चुनिन्दा लोगों को लेकर मुसलमान भाइयों के घरों के दरवाजों को तोड़कर लूटने का काम कराया। ऐसी गूंगी बहरी, साम्प्रदायिक सरकार को आप सख्ती के साथ निर्देशित करें कि वह इस मामले की न्यायिक जांच कराये और जो भी मृतक के परिवार हैं, चाहे वह हिन्दू हों या मुसलमान भाई हों, सभी को 10-10 लाख का मुआवजा दिया जाय। जो भी इस झगड़े में घायल हुए हैं, उनको एक-एक लाख का मुआवजा दिया जाय। जिन भाइयों का, चाहे वह किसी भी धर्म, सम्प्रदाय से संबंध रखते हों, जिनका कारोबार का नुकसान हुआ है, दुकान नष्ट हुई है, उन्हें भी जांच कराकर मुआवजा दिया जाय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

* श्री राम जग–

अधिष्ठाता महोदय, आज मऊ में कर्फ्यू के 14 दिन हो रहे हैं, आज पूरे मऊ की जनता जिसकी आबादी 5 लाख से ज्यादा है, लोगों का जीना दूभर हो गया है, लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। मान्यवर, जिस दिन दुर्गा मूर्ति का विसर्जन हो रहा था। मान्यवर, आज पूर्वांचल जानता है कि वहां के हिन्दू और मुस्लिम अपना जीवन सौहार्द्र पूर्ण वातावरण में बिता रहे थे, एक साजिश के तहत दंगा भड़काने का काम किया गया है। यह अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने नहीं किया, यह साजिश है। उस दौर में जिस ढंग से दुर्गा मूर्ति के अन्दर बम फटा, मान्यवर, अगर उसकी जांच करा ली गई होती तो उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेता का हाथ पाया जाता, आर० एस० एस० का हाथ था। आज पूरे प्रदेश में चर्चा है कि हिन्दू, मुसलमान दंगा करना नहीं चाहता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसकी आड़ में वोट की राजनीति कर रही है। जिस डी० एम० और एस० एस० पी० ने अपने प्रशासनिक कार्य से यहां के हिन्दू और मुसलमानों में कोई संघर्ष नहीं होने दिया, ऐसे डी० एम० और एस० एस० पी० को वहां से हटा दिया गया और दूसरे डी० एम० जो आई० ए० एस० अधिकारी भी नहीं है, पी० सी० एस० अधिकारी हैं, उन्हें भेजा गया। जो एस० पी० भेजे गये उनके बारे में किसी से छिपा नहीं है। अल्प संख्यकों के घरों में घुसकर तलाशी लेने के बहाने उत्पीड़न करने का काम किया गया है, कर्फ्यू हटा तो वहां पर यह कार्यवाही क्यों की गयी ? 8 साल के बच्चे को पुलिस वाले उठा ले गये। वहां का जो सी० ओ० है जिसने अपनी गोली से 12 वर्ष के बच्चे को मारा था और उस सी० ओ० के द्वारा निश्चित रूप से मऊ में पुलिस को भेजकर दंगा भड़काने की कोशिश की गयी। मऊ के लोग दूध, चावल, आटा, दाल नहीं पा रहे हैं यहां तक की उर्दू के जिला सम्पादक का पास फाड़ा गया, उनका जो परिचय-पत्र था वह भी फाड़ा गया। वहां स्थिति बड़ी बदतर हो गयी है। वहां की जनता शान्तिपूर्ण ढंग से रहना चाहती है लेकिन पुलिस प्रशासन और सरकार वहां की जनता को तबाह करने में लगी है। मान्यवर, आप सरकार को निर्देश दें कि इसमें उच्च स्तरीय जांच करायी जाये। दूसरी बात तत्काल वहां पर से डी० एम०, एस० एस० पी० और अन्य दोषी अधिकारी जो हैं उनको वहां से हटाने की कार्यवाही की जाय। जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार के लोगों को कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाय। मऊ की घटनाओं की जांच के लिए हर दल से एक सदस्य को लेकर एक समिति बनायी जाय जिसको वहां भेजा जाय जो सारी बातों की जांच पड़ताल करे और अपनी रिपोर्ट सदन में दे ताकि निश्चित रूप से दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं।

* श्री उदय राज–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपनें इतने संवेदनशील मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान दिनांक 8 अक्टूबर, 2000 को

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मऊ की घटना की तरफ ले जाना चाहता हूं। मऊ में दुर्गा पूजा का जुलूस विसर्जन के लिए जा रहा था। वहां पर बम विस्फोट हुआ और सुरेश राम प्रजापति नाम का व्यक्ति मारा गया। वहां पर दूसरे सम्प्रदाय के लोग नहीं थे। एक साजिश के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के घरों के अन्दर लूटपाट और आगजनी हुई। पीस कमेटी जिसमें हिन्दू और मुसलमानों ने बैठकर मऊ के माहौल में शांति स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन 17/18 तारीख की रात में पुलिस और पी० ए० सी० ने अल्पसंख्यकों के घरों में घुसकर गुंडागर्दी की। मुस्तफाबाद और लच्छीपुर मोहल्लों में घरों में घुसकर लूटपाट की गयी। 8 वर्ष के लड़के को पकड़कर ले जाया गया जिससे अल्पसंख्यकों में रोष होना स्वाभाविक था। पुलिस ने लाठियां ही नहीं गोली भी चलायीं। तमाम लोगों को मारा पीटा गया, जिससे 300 लोग घायल हुए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह घटना हिन्दू या मुसलमानों द्वारा नहीं की गयी है। वहां का माहौल शांत हो चुका था लेकिन सत्तापक्ष में बैठे हुए भा०ज०पा० के लोग हैं, जो हर मोर्चे पर असफल हो चुके हैं। प्रदेश में समस्यायें बढ़ती जा रही हैं। किसान, मजदूर, छात्रों के मोर्चे, हर मोर्चे पर यह सरकार लगातार विफल होती जा रही है। अपनी विफलता को छिपाने के लिए केवल मऊ में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में दंगा फैलाने का काम किया जा रहा है। मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि 8 तारीख की जो यह घटना है इसकी न्यायिक जांच बैठाने के आदेश दें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी बहुत बड़ा एजेंडा, कार्यसूची बची हुई है। कुछ चर्चाएं हैं जो लगातार टलती आ रही है। माननीय विधायकगण ग्राह्यता को छोड़कर, सब बोल रहे हैं। आप कृपा करके इसको सीमित कर दें ताकि जो बाकी के कार्यक्रम लगे हैं, वह आ जायं।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

डंग साहब तो बहुत विद्वान हैं, यह अपने विरुद्ध सुनना नहीं चाहते, जो इनके कारनामे हैं वह इतने घृणित हैं कि उसको छुपाने के लिए व्यवस्था का प्रश्न ले आये।

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह साम्प्रदायिकता की बात कर रहे हैं इनके शासनकाल में 39 जिलों में कर्फ्यू लगा हुआ था और साम्प्रदायिकता की राजनीति करने वाले दल किस मुंह से यह बात कहते हैं कि हम साम्प्रदायिक दल हैं। हमने हिन्दू और मुसलमान को अलग-अलग नहीं समझा है। यह मुसलमान को वोटर समझते हैं। यह मुसलमानों के पक्षधर हैं। यह न अल्पसंख्यकों के हैं न अन्य जातियों के, यह वोट के पुत्र हैं।

(इस समय 5 बजकर 54 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पुनः पीठासीन हुए।)

श्री वसीम अहमद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे मऊ की घटना पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

एक निवेदन कर दूं, आज अनेक माननीय सदस्यों को जाना है इसलिए समय का सहयोग चाहिए।

श्री वसीम अहमद–

7/8 अक्टूबर की तारीख को जिस तरह से मूर्ति विसर्जन होने जा रही थी सारी मूर्तियां एक जगह इकट्ठी की गयी थी वहां पर किस तरह से बम फटा, कहीं से फेंका नहीं गया जो लोग मूर्ति विसर्जन के लिए गये थे उनके पास से ही बम फूटा। सहारा अखबार में यह बात छपी। बम शरारती तत्वों के पास मौजूद था। जब बम फूटा तो कुछ लोगों को चोटें आयीं। ऐसी हालत में मुस्लिम

साम्प्रदायिक रंग देने के लिए कुछ शरारती तत्वों ने आग लगाने की कोशिश की । एक व्यक्ति सुरेश राम प्रजापति की छुरा भोंककर मृत्यु हुई । मऊ में कर्फ्यू लगा दिया गया । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह हिन्दू न मुसलमान का झगड़ा था बल्कि प्रशासनिक स्तर पर जो बैठे हुए अधिकारी थे उनकी नासमझी की वजह से इतना बड़ा कर्फ्यू मऊ में चल रहा है । वहां पर जो सी० ओ० है वह जहां भी रहा है दंगे हुए हैं, चाहे वह आजमगढ़ में रहा हो, लालगंज या फिर फूलपुर में रहा है दंगा कराने का काम किया है । वही सी० ओ० सिटी श्री प्रद्युम्न सिंह मऊ में हैं । 17/18 तारीख को मुस्लिम घरों में घुसकर पी०ए०सी० और पुलिस के जवानों ने जिस तरह से तांडव नाच किया, मुस्लिम घरों को लूटने का काम किया, महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ करने का काम किया है । मैं साफतौर से कहना चाहता हूं कि वहां पर हिन्दू-मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है बल्कि प्रशासनिक अधिकारी दंगे कराना चाहते हैं । आज तक वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन की एक कमेटी बना दें जो इसकी जांच कर ले इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा । आखिर इसमें कौन दोषी था, कौन नहीं था इसका खुलासा हो जायेगा । निर्दोष लोग कर्फ्यू झेल रहे हैं मान्यवर, यह तात्कालिक और अविलम्बनीय प्रश्न है इसलिये सारे सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये ।

* श्री सुधाकर सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, 7 अक्टूबर, 2000 को मऊ में दुर्गा विसर्जन के अवसर पर बम फटा । यह जांच का विषय है । सुरेश पासी की हत्या हो गयी । कुछ असामाजिक तत्वों ने कबाड़ी की दुकान में बम फेंकर ध्वस्त करने और आग लगाने की कोशिश की । मान्यवर, 5 लाख की आबादी वाला मऊ कस्बा में अमन-चैन बिगड़ गया । जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने चौबीस घंटे में शांति व्यवस्था कायम कर दी लेकिन शासन ने वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को बिना किसी को कान्फीडेंस में लिये जबकि वहां से 3-4 मंत्री हैं, बिना किसी से पूछे तत्काल प्रभाव से हटा दिया । वहां पर अमन कायम हो चुकी थी । जब नये जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे । जिलाधिकारी पी० सी० एस० अधिकारी है जबकि 400–500 आई० ए० एस० उत्तर प्रदेश में हैं और किसी अधिकारी को नहीं भेजा । यह मिलिटरी से आये हुए हैं । 17-18 तारीख को सी० ओ० प्रद्युम्न सिंह के साथ पचासों घरों में छापा डाला गया, औरतों को अपमानित और मर्दों को पीटा गया, घरों का सामान लूट लिया गया । यह सी० ओ० जहां भी रहे हैं दंगा हुआ है । परिणामस्वरूप सवेरे पूरी जनता ने इसका प्रतिशोध किया और उसके दौरान 300–400 रैपिड ऐक्शन के लोगों ने जनता को मारा पीटा । मान्यवर, मऊ में आज न तो सब्जी और न खाने की कोई सामग्री ही आ पा रही है जिससे लाखों लोग और पशु मर रहे हैं । मान्यवर, हमने परसों बारात के लिए जिलाधिकारी से निवेदन किया था कि उसके जाने की व्यवस्था करा दें लेकिन उन्होंने कहा कि आप स्वयं व्यवस्था कर लें जिससे हमें बारात को 3 दिनों तक रोकना पड़ा और उसके बाद बारात के लोग जा सके । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नये जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने यदि बुद्धिमानी का परिचय दिया होता तो यह घटना वहां न घटती । मान्यवर, आज वहां सारे इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय और मार्केट बन्द हैं जिससे लोगों के सामने रोजी-रोटी का खतरा पैदा हो गया है । मान्यवर, मेरी मांग है कि सुरेश पासी जो व्यक्ति मरा है उसके परिवार वालों को दस लाख रुपये और जिनके घरों को आग लगाकर नष्ट कर दिया गया है उन्हें 5 लाख रुपये और घायल लोगों को 50–50 हजार रुपये देने की व्यवस्था की जाय । मैं यह भी मांग करता हूं कि इस सदन की एक कमेटी बना दी जाय जो मौके पर जाकर इस घटना की जांच करे ।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, आप ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, तथ्य स्पष्ट हो चुके हैं इसलिए यदि सरकार और जिम्मेदार लोगों की मंशा ठीक होती तो यह घटना बचायी जा सकती थी लेकिन घटना को बचाने की नहीं बल्कि उसकी लौ बढ़ाने का काम किया गया है। मान्यवर, दिनांक 8, 10 और 11 को मऊ में जो घटना हुई है और घटना को जब नियंत्रित कर लिया गया तो उसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों को वहां से हटाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। इसलिए इसमें झगड़ा है कि कौन रहे और कौन चला जाय ? इस प्रकार शासन व्यवस्था बिलकुल पंगु हो गयी है जिससे इस प्रकार की घटनायें हो रही हैं और मौजूदा सरकार का विवेक खो गया है तथा लोगों को मारा जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसमें सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। मान्यवर, पूरे प्रदेश में और हमारे क्षेत्र में 10 तारीख को जरवल में 8 घरों को लूट लिया गया और कई घरों को फूंक दिया गया है। मान्यवर, यदि यह सरकार संवेदनशील होती तो मऊ में जो मर गये हैं उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपये से कम मुआवजा न देती। इसलिए गुजारिश है कि सरकार सभी जगह सोच-समझ कर ऐसी व्यवस्था करे कि प्रदेश में जहां साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगड़ रहा है। इसमें जो लोग इन्वाल्व हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जिन लोगों के घर फुंक चुके हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जिन लोगों को चोटें आई हैं उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए। इस तरह की घटनायें न हो इसके लिये पक्ष और विपक्ष की टीम यहां से जानी चाहिए। तय करके आना चाहिए सदन के संज्ञान में सारी बातें आ जाएं ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस घटना के बारे में यहां पर विस्तार से चर्चा हुई। एक दो बिन्दु हैं जो विचारणीय हैं। यह कहा जाता है कि दंगे और झगड़े न हों। दंगा फिर भी हो जाता है झगड़ा फिर भी हो जाता है और यह कह दिया जाता है कि सामने बैठे हुए लोग सरकार में बैठे हुए लोग हैं। सरकार तो सामने बैठी है और ऐसे बैठी भी रहेगी इसमें संदेह नहीं। स्थिति यह हुई कि 7 अक्टूबर, 2000 को जुलूस था इसमें विस्फोट की घटना हुई, विस्फोट की घटना में घायल होने वाले कौन हैं विजय कुमार यादव, आशु शर्मा, इन्द्रजीत यादव और राम जीत यह लोग हैं जो घटना में घायल हुए। इसमें इशारा कहां किया जाता है यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। मैं कोई बात छिपाकर नहीं कहूंगा मृतक कौन है ? मृतक है सुरेश प्रजापति यह कहा गया कि यह अकलियत व अक्सीरियत के घरों में आग लगा दी गयी। यह दो शब्द बहुत इस्तेमाल किये जा रहे हैं। हाजी अब्दुल बारी जिनका व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उसमें आग लगी। यह दोनों अलग-अलग घटनाएं हैं। एक व्यक्ति सुरेश प्रजापति की जान गई, छुरेबाजी की घटना हुई यह दूसरी घटना है जिस व्यक्ति के ऊपर आग लगाने का प्रयास, की बात आई उसका नाम प्रकाश में आया, वह गिरफ्तार भी हो गया। नाम है राजेश सोनकर। वह आग लगाने के प्रयास में गिरफ्तार होकर जेल चला गया। छुरेबाजी की घटना में एनजूल पुत्र हाजी रिसाद उनको जेल भेज दिया गया यह तो प्रशासन ने किया है। यह प्रकरण मां दुर्गा के जुलूस के समय का है। तरह-तरह की अफवाहें होती हैं। कोई कहता है कि छुरेबाजी से कई लोगों की हत्या हुई। तनाव होता है, तनाव के बाद स्थिति यहां तक आ जाती है कि आर० ए० एफ० की महिला कर्मचारी को 17 तारीख को उनके साथ अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया जाता है। फोर्स को फोर्स न समझा जाए, यह हमारे लिये चिन्ता की बात है। यह दल जो यहां बैठा हुआ है, यह सामाजिक समरसता के आधार

नोट :- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर यहां बैठा हुआ है । उस पार्टी का वजूद ही कायम नहीं रह पायेगा । अगर सामाजिक समरसता में उसका विश्वास नहीं होगा । अपने वजूद को पुनर्जीवित करने के लिए ही यह प्रचार करना शुरू कर दिया है । जातीय हिंसा पर उतारू हो गये हैं ताकि वे अकलियत के चैम्पियन हो सकें ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी सदन को शब्दजाल में फंसाकर सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। मैं और मेरा दल उनकी दलीलों से असंतुष्ट होकर इस सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(असंतुष्ट होकर नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

श्री हुकुम सिंह–

यह तो मेरी बात की पुष्टि है, ये सच को सुनना नहीं चाहते । इनमें सच को सुनने का साहस नहीं है । जिन लोगों ने एक वर्ग विशेष को अपना मतदाता मान लिया है, उन्हीं के सहारे राजनीति करना चाहते हैं, तो मान्यवर, यह हमारे लिये चुनौती है । मैं जानता हूं कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थता के चलते जातीय धार्मिक संघर्ष कराने का प्रयास कर रहे हैं । लेकिन यह सरकार साम्प्रदायिक सौहार्द्र बनाकर रखेगी ।

श्री मुख्तार अंसारी–

मैं आपका सम्मान करता हूं । मैं इस बात को भी नहीं कहता हूं कि आपने अभी तक जो कुछ कहा, वह गलत है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है उस पर आपने अभी तक कुछ नहीं कहा । दुर्गा माता की मूर्ति पर जिसने भी बम फेंका उस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? सारी जांच को छुपाया जा रहा है और सही तथ्य सामने नहीं लाया जा रहा है । जिस आदमी ने दुर्गा माता की मूर्ति पर बम फेंका उसका नाम आना चाहिए ।

श्री हुकुम सिंह–

हमारी प्राथमिकता है कि हम शान्ति स्थापित करें । यही आपकी भी चिन्ता है । आज जुम्मे की नमाज अदा की गई होगी ।

श्री मुख्तार अंसारी–

नमाज अदा नहीं की गयी है । चार दिन से एक मिनट के लिए भी कर्फ्यू नहीं छोड़ा गया है । मानवता और इंसानियत का गला घोंटा जा रहा है । जिस व्यक्ति ने दुर्गा माता की मूर्ति पर बम फेंका है उसका नाम बताइये । आप सही तथ्यों को छुपा रहे हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठ जायं ।

श्री मुख्तार अंसारी–

आप समय लेकर इस पर जांच कराइये । एस० पी०, डी० एम० से पूछ लीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

जिन-जिन माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है, शासन ने उसको सुना है अब कृपया शासन को अपनी पूरी बात रख लेने दीजिए, आपके जवाब आ जायेंगे । अन्यथा सदन का समय ही नष्ट होगा ।

श्री मुख्तार अंसारी–

मैं संसदीय कार्य मंत्री जी का सम्मान करता हूं। उन्होंने जो दो घटनाओं के बारे में बताया है यह सही है लेकिन जो इसकी जड़ है, असल घटना है, उस पर आपकी ओर से कोई बयान नहीं आ रहा है। प्रातः 3 बजे माता दुर्गा की मूर्ति पर किसने बम फेंका। उसका नाम बताइये और उस पर क्या कार्यवाही होगी ? जातीय हिंसा कराने में आतंकी, न हिन्दू होता है, न मुसलमान।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 18 अक्टूबर को उसी इलाके के प्रभावशाली दोनों पक्षों के नेताओं को और विशेष रूप से वहां के स्थानीय मौलवियों को इकट्ठा करके बैठक की गई और यह प्रयास किया गया कि सौहार्द्रपूर्ण वातावरण पुनः स्थापित हो। शासन ने निर्देश दिया कि 20 तारीख को जुम्मे की नमाज हो जाय, इसके बाद दुबारा से जायजा लिया जाय। मुख्तार अंसारी जी खड़े हो जाय बीच में, तो कोई बात नहीं, वह पहली बार आये हैं। लेकिन एक परम्परा रही है, श्री मौर्य जी जब आप बोलते हैं तो मैं कभी खड़ा नहीं होता। आप तो नेता हैं, आपको इस तरह से खड़ा नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लगता।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं तो आपसे समय मांग रहा था, जब आपने समय नहीं दिया तो मैं बैठ गया।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जायं। श्री अंसारी जी, अब आप भी बैठ जायं। यह कोई तरीका नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

हां, मैं इस बात से सहमत हूं। मां दुर्गा की यात्रा निकल रही थी। उसमें बम विस्फोट की घटना हुई। मैंने पहले ही इशारा किया कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता पहले शांति स्थापित करने की है। मैं आश्वस्त करता हूं कि जिन लोगों ने यह दुस्साहिक कदम उठाया है, उनको गिरफ्तार भी किया जायेगा, उनके खिलाफ कार्यवाही भी की जायेगी। चाहे वह जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हों। उनका प्रभाव हमारी सरकार को काम करने से रोक नहीं सकता है। यह संदेश जाना चाहिए परन्तु कुछ व्यक्तियों ने ऐसा बना लिया है कि जरा सी घटना और उसका राजनैतीकरण करके दुर्भावना फैलाने का प्रयास करते हैं। इसलिये हमें बहुत धीरे-धीरे चलना पड़ता है और सारी बातों पर विचार करना पड़ता है और अपने दायित्वों को निभाना पड़ता है। यदि इस तरह का राजनैतीकरण हम भी करने लगते तो प्रदेश का क्या हाल होता। आज प्रदेश में शान्ति है, इसका कुछ तो कारण है। डाक्टर साहब ने बताया। आपने तो रिकार्ड कायम किया कर्फ्यू लगाने का। इस समय तो वह यहां से चले गये हैं। मैं यही अपील करता हूं कि इस बात का ध्यान रखें और दुबारा ऐसी स्थिति न आने दें। यदि आप इतना ही कर लें तो यही काफी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहता हूं कि मैंने दो मूल प्रश्न उठाये थे। एक तो यह कि दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के समय बमबाजी किसने की, इसकी जानकारी तब आ पायेगी जब इसकी न्यायिक जांच हो। न्यायिक जांच के बारे में माननीय मंत्री जी बिल्कुल मौन रहे। दूसरी चीज जो यह रिपोर्ट आयी है,इसको हम सही इसलिये नहीं मानते कि जो दंगा करवा रहे हैं, वहां पर माहौल बिगाड़ रहे हैं, वही लोग मन मुताबिक रिपोर्ट दे रहे हैं इसलिये सारी बातों की सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए माननीय मंत्री जी यहां पर तत्काल न्यायिक जांच की घोषणा करें, जिससे कि साफ-साफ मामला यहां पर सदन में आ सके। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यहां पर बार-बार हमारे बड़े भाई साहब ने इशारा किया। जिसकी ओर इशारा किया गया वे यहां नहीं हैं। मैं इस बात का

इत्तेफाक करता हूं कि दंगा कराने में दोनों माहिर हैं। एक दूसरे के पूरक हैं। एक चले गये हैं और एक बैठे हैं। मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह दंगा कराने वाले लोग हैं। इसमें इनका दोष जाहिर नहीं है। मैं न्यायिक जांच कराने की मांग करता हूं। आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें न्यायिक जांच कराने की घोषणा करें।

*श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं एक संवैधानिक व्यवस्था बता रहा हूं। संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति 6 महीने के लिए सरकार में मुख्य मंत्री या मंत्री के रूप में बिना सदन का सदस्य हुए रह सकता है। वह तो राष्ट्रीय पार्टी की सरकार होती है, जो अपना 5 वर्ष का कार्य काल पूरा करती है। 6-6 महीने की व्यवस्था में तो आप रहे हैं। आपको क्या अनुभव है कि एक पूर्णकालिक सरकार की क्या व्यवस्था होती है। आप तो 4 महीने और 6 महीने वाले हैं। 4-6 महीने वालों की मानसिकता यही होती है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

हम ऐसे पूर्णकालिक नहीं होना चाहते हैं जो इस तरह से दंगा करायें। हम 4-6 महीने वाले ही ठीक हैं। देश की आजादी के लिये बहुजन समाज पार्टी ने भी बहुत काम किया है। कभी दोगलापन नहीं दिखाया है। हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। जो हम कहते हैं वह करते भी हैं और हमने कर के दिखाया भी है। मान्यवर, हमारी शंका का समाधान नहीं हुआ। हमने आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अपेक्षा की थी कि वे न्यायिक जांच की घोषणा करेंगे। जैसा कि यह बात बनाने में बड़े माहिर हैं, घुमा दिया उसको और निगल गये जांच की बात को। मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से चाहता हूं कि ये न्यायिक जांच की घोषणा करें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। नेता बहुजन समाज पार्टी माननीय श्री मौर्या जी, जब इस सदन में बोलते हैं तो उनकी आवाज इतनी तेज होती है कि शोर प्रदूषण का खतरा पैदा हो जाता है, मेरा अनुरोध है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से व्यवस्था करा दें कि इस सदन को सर्वोच्च प्रदूषण से बचाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यों और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं..

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हमने न्यायिक जांच की मांग की थी। सरकार इस पर लीपा पोती कर रही है। डंडे के बल पर सरकार नहीं चलेगी।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री मुख्तार अंसारी, श्री मुराद लारी तथा श्री दद्दू प्रसाद आदि ब०स०पा० के अधिकांश सदस्य सदन के वेल में आ गये।)

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुख्तार अंसारी–

जिस व्यक्ति ने बम मारा है दुर्गा जी की मूर्ति पर उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है, उसको छिपाया क्यों जा रहा है ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सदन को गुमराह किया जा रहा है और गलत तथ्यों को रख रहे हैं । न्यायिक जांच का आदेश दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री मुख्तार अंसारी–

मऊ दंगे की न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए ।

श्री अधिष्ठाता–

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

आप आश्वासन दे दें, हम चले जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस पर विचार कर सकते हैं । न्यायिक जांच कराने के बारे में ।

(श्री अधिष्ठाता के पुनः अनुरोध पर सभी सदस्य अपने आसन पर वापस चले गये ।)

श्री हुकुम सिंह–

तीन चीजें हैं एक तो बम विस्फोट की घटना है, दूसरी छुरे की घटना है, तीसरी आग लगाने की घटना है, जो लोग प्रकाश में आये वह जेल चले गये । मैंने पहले भी कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता शान्ति स्थापित करने की है । शान्ति स्थापित हो जाए तो उसकी जांच स्थानीय स्तर पर करायेंगे । न्यायिक जांच का मतलब है ठंडे बस्ते में डाल देना चाहते हैं । हम इस मामले की जांच करा लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

पूरे प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहते हैं । भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिन्दू-मुस्लिम के बीच दंगा कराकर राजनीतिक खेल खेल रही है । इस पार्टी की जो गलत नीति है, इसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिष्कार करती है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

(श्री अधिष्ठाता द्वारा सदस्य श्री श्रीराम पाल का नाम पुकारा गया)

(व्यवधान)

* श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, नियम–56 के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड के जनपद झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और अन्य बुन्देलखण्ड के जिलों की स्थिति पूर्वांचल क्षेत्र जैसी हो गयी है । इन जिलों में मान्यवर, केवल एक फसल रबी की फसल होती है खरीफ की कहीं छुटपुट फसल होती है । यह विडम्बना है, पता नहीं जब भी प्रदेश में बी० जे० पी० की सरकार होती है तो प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ जाता है । पूर्वांचल में बाढ़ के बारे में तमाम चर्चा हुई । बुन्देलखण्ड में सूखे के कारण तबाही फैली है वह इसलिए होता है, प्रकृति इसलिए विपरीत हो जाती है क्योंकि सरकार भी प्रकृति के विपरीत बनती है । मान्यवर, बुन्देलखण्ड में जालौन हमीरपुर में कम वर्षा हुई है मात्र ट्यूबवेल की सिंचाई पर वहां के लोग निर्भर हो गये हैं । ज्वार, बाजरा, धान की फसल सूख चुकी है । यहां पर भी सिंचाई बन्धु की बैठक हुई उसमें यह हुआ था कि 8 अक्टूबर से नहरों को चलाया जाएगा, हुआ यह कि 8 अक्टूबर को नहर चली मुख्य नहर से झांसी जिले के छपार गांव के पास हमीरपुर कुराल ब्लाक, जालौन का कटारा ब्लाक, महावा ब्लाक, रामपुरा क्षेत्र आदि की सिंचाई होती है नहर चलाई गई मुख्य नहर के कट जाने के कारण दर्जनों मील पानी बहता रहा । प्रशासनिक लोगों ने 10–12 दिन तक कोई परवाह नहीं की । पलेवा का समय था, खरीफ की फसल की बुआई का समय निकला जा रहा है जनपद में किसानों की भीड़ लगी है । अधिकारियों का घेराव हो रहा है । चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है । मान्यवर, झांसी, जालौन और हमीरपुर में डकैतों की समस्या भी है जो कि किसानों को परेशान कर रहे हैं । ट्यूबवेल की स्थिति ऐसी है कि 90 प्रतिशत खराब पड़े हैं । कहीं तार खराब हैं, कहीं खम्भे की समस्या है, बिजली स्विच नहीं हैं, लाइनें टूटी पड़ी हैं । जब अधिकारियों से सामान की मांग करते हैं तो वहां किसी प्रकार का सामान स्टोर से देने की व्यवस्था नहीं है । 8 तारीख को नहर की कटिंग हुई हैं । झांसी, जालौन और हमीरपुर के कागजों पर निरन्तर नहरें चल रही हैं, रजबाहों का चलना दिखाया जा रहा है । वह पानी नदी नालों में जा रहा है । मान्यवर, यह तीनों जनपद भयावह सूखे की चपेट में हैं और लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं । लोग दूसरे जिलों में भाग रहे हैं कोई दिल्ली तो कोई गुजरात भाग रहा है इसलिए इस अविलम्बनीय लोक महत्त्व की सूचना पर अविलम्ब चर्चा करायी जाय । यहां पर एक ही फसल होती है। अगर पानी नहीं मिलेगा तो सब तबाही हो जायेगी । पहले एस० डी० एम०, तहसीलदार या डी० एम० घूमते थे । आज वे लोग देखने नहीं जा रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप खत्म करें ।

श्री श्रीराम पाल–

कम से कम तीन चार सौ लोग बन्दूक असलहे और बल्लम लेकर नहरें काट दिये हैं । आज वहां पर एक-एक बूंद पानी के लिए किसान तरस रहा है और वह परेशान हैं । कटोर और कालपी रजबाहा जिसकी दूरी 50 किलोमीटर है इसको चलाया जाय ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री विक्रमाजीत मौर्य)–

मान्यवर, बुन्देलखण्ड के तीन जिले झांसी, जालौन और हमीरपुर में राजकीय नलकूप के खराब होने की जैसे ही सूचना आती है तो उसको ठीक कराने का प्रयास किया जाता है । अभी-अभी यह निर्देश दिये गये हैं कि बुन्देलखण्ड के तीन जिलों में विद्युत दोष के कारण यह नलकूप बंद न होने पायें । जालौन में विद्युत तार के चोरी की समस्या बहुत ज्यादा है तो इसमें आप सबका सहयोग हमें चाहिए ।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विद्युत भंडार के अधिकारियों को यह कहा गया है कि वह सामान उपलब्ध करायें । अगर इसके अतिरिक्त और कोई बात माननीय सदस्य की हो तो वह हमें अलग से बता दें ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, जो तार, खम्भे इत्यादि मांगे गये हैं झांसी के अधिकारी जब तक अनुमति नहीं देंगे तब तक स्टोर से सामान नहीं मिलेगा । दूसरा मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो नहरें नहीं चल रही हैं उनको चलाया जाय, निर्देशित किया जाय । सामान उपलब्ध कराया जाय । यह तो एक महीने पहले हो जाना चाहिए था । विभाग की ओर से हो जानी चाहिए थी । अब पलेवा का टाईम आ गया है ट्यूबवेल की व्यवस्था कब होगी ? 10 नवम्बर तक बुवाई का टाइम है । कब ठीक होंगे ? नहरें बन्द हैं,चला दी जायें ।

श्री विक्रमाजीत मौर्य–

मान्यवर, विद्युत दोष के कारण कोई भी पम्प बन्द नहीं होगा ।

श्री श्रीराम पाल–

नहरों की कटिंग हुई थीं, नहरें बन्द हैं ।

श्री विक्रमाजीत मौर्य–

सम्बन्धित मंत्री जी से बात करके आपको सोमवार को अवगत करा देंगे ।

श्री हुकुम सिंह–

श्रीमन्, यह बात सही है कि बिना नहर चले कृषि सम्बन्धी जो समस्यायें हैं, वह बढ़ेगी हीं । बजाय यह कहने के आज चल जायगी कल चल जायेगी । अभी दो दिन हैं जैसा मंत्री जी ने कहा है कि बात कर लें सोमवार को निश्चित रूप से आपको अवगत करा देंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

अगली सूचना श्री राम सेवक सिंह जी की है । वे उपस्थित नहीं हैं । अगली सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की प्रदेश में छात्रों की फीस बढ़ाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में । माननीय राम औतार जी, इस पर हमने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, दो मिनट सुन लें, लाखों छात्रों का मामला है ।

श्री हुकुम सिंह–

ध्यान आकृष्ट हो गया ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय शाक्य जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं । कृपया सहयोग करें । शलाका में निकली पांच सूचनाओं को सुनने के बाद, आप की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है । आप कृपया बैठ जाये ।

सातवीं सूचना माननीय श्री चेतराम की जनपद शाहजहांपुर के पुवायां क्षेत्रान्तर्गत धान की खरीद की समुचित व्यवस्था सरकार द्वारा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, इस पर सरकार का

ध्यान आकृष्ट करता हूं। आठवीं सूचना श्री दद्दू प्रसाद की, वन विभाग द्वारा लघु वन उपज के संग्रह तथा बिक्री का अधिकार जंगल में निवास करने वाले आदिवासियों से वापस लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं नहीं सुनूंगा, आप स्थान ग्रहण करें।

अगली सूचना श्री भीम प्रसाद सोनकर की जनपद अम्बेडकर नगर के पुलिस अधीक्षक द्वारा क्षेत्रीय विधायक के साथ सौम्यता पूर्ण व्यवहार न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। शेष सूचनाएं माननीय श्री जन्मेजय सिंह, श्री राम ललित चौधरी, श्री मुराद लारी, श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद, श्री योगेन्द्र सिंह, श्री अरविन्द गिरि और श्री महेन्द्र कुमार सिंह की सूचना अस्वीकृत हुई।

(मद संख्या 25 पुकारे जाने पर)

श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

मान्यवर, मछली शहर में गोली काण्ड हुआ है। मुझको एक मिनट सुन लें।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आसन ग्रहण करें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, नियम–300 की सूचना का क्या हुआ ?

श्री अधिष्ठाता–

नियम 300 अगले दिन के लिए लगी हुई है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, नियम 301, 300 और 56 यह सारी की सारी सूचनाएं शून्य प्रहर का अंग है। नियम 300 आने के बाद संकल्प आना चाहिए, यही व्यवस्था है और यही परम्परा रही है।

श्री अधिष्ठाता–

इसे माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगित कर दिया है। अगले दिन फिर इसे ले लेंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, एक बात सुनिश्चित हो जानी चाहिए कि फिर यही सूचनाएं ली जायेगी। वही ली जायेंगी जो आज स्वीकृत हैं, लेकिन फिर इससे उस दिन माननीय सदस्यों के अधिकार का हनन होगा। मेरा अनुरोध है कि नियम 300 पर 2-2 मिनट सुन लें। वह समाप्त हो जायगा फिर यह व्यवस्था हो जाय कि उस दिन यही सुनी जायेगी। सोमवार जो अगली बैठक का दिन है उस दिन नई सूचनाएं आयेंगी नहीं तो फिर इन माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन होगा और अगर उस दिन इसको लेंगे तो नई सूचना देने वाले सदस्यों के अधिकारों का हनन होगा।

मान्यवर, नियम–300 की सूचना पर 2-2 मिनट सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

नियम–300 की सूचना पर आप लोगों से निवेदन है कि दो-दो मिनट में अपनी बात कह लें।

क्षेत्रीय विधायकों के क्षेत्र में होने वाले निर्माण कार्यों का शिलान्यास/उद्घाटन क्षेत्रीय विधायकों से कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो बोलने का अवसर दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह सरकार विधायकों के अधिकारों का हनन कर रही है और लोक निर्माण विभाग ने एक जी०ओ० कराकर यह आर्डर करा लिया है कि विधायकों से किसी पुल, पुलिया, सड़क, अस्पताल आदि का शिलान्यास नहीं कराया जायेगा, बल्कि केवल मंत्रियों से कराया जायेगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो भी सड़क, पुल, पुलिया, अस्पताल आदि विधायक के क्षेत्र में बने, उसका शिलान्यास शुभारम्भ विधायक करे लेकिन यह सरकार कहती है कि कोई भी विधायक बिना परमीशन कोई उद्घाटन, कोई शिलान्यास नहीं करेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो यह प्रतिबन्ध लगाया गया है, उसको हटाया जाय। यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है और विधायकों से सीधे जुड़ा है। इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि विधायकों के अधिकारों का हनन न हो।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, या तो कोई विशिष्ट घटना सामने आये तो उसमें जानकारी प्राप्त कर लें, यह तो सामान्य बात कही है, देख लेंगे।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

यह आर्डर पास हो गया है कि विधायक कोई उद्घाटन शिलान्यास नहीं करेगा। यहां से परमीशन के बाद ही कर सकता है। यह गम्भीर मामला है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मिश्र जी, इस सन्दर्भ में स्पष्ट आदेश हैं शासन का यदि कहीं उसका अनुपालन नहीं हो रहा है तो मैं निर्देश दे रहा हूं कि शासन इस ओर ध्यान दे ले।

श्री हुकुम सिंह–

यदि कहीं शासन के आदेश की अवहेलना होगी तो कार्यवाही की जायेगी।

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित फार्मास्युटिकल केमेस्ट्री कोर्स की मान्यता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इसी सदन में मैंने चर्चा के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय में संचालित हो रहे फार्मास्युटिकल केमेस्ट्री कोर्स का विषय उठाया था, उस पर पीठ द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि शासन न्याय विभाग से विधिक राय ले ले। यह छात्रों के जनजीवन से जुड़ा विषय है और उनका भविष्य अंधकारमय न हो, इसलिये इस पर निर्णय तुरन्त होना था। पीठ के निर्देश के बावजूद हमारे संसदीय विभाग को, सरकार को 17 रिमाइण्डर देना पड़ा, उसके बाद सरकार ने विधिक राय के लिए पत्रावली भेजी। संयुक्त सचिव एवं विधि परामर्शी स्वयं सचिव के कार्यालय तक गये। उनको भी वहां पत्रावली नहीं दिखाई गई। पत्रावली पर विधिक राय तब आई, जब 3 माह बीत गये, उसके बाद सम्बन्धित विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की। जिस दिन यहां इस विषय पर चर्चा हुई थी, उसके बाद दो शिक्षा सत्र बीत गये, मैंने जो विषय उठाया था, न्याय विभाग ने उसको सही मानते हुए सरकार को अपनी राय

दी है, उसके बाद भी 3 महीने हो गये, सरकार के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, इससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय है। छात्रों को यह भ्रम है कि वह लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनको फीस की रसीद भी नहीं काटी जा रही है। मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। नियम–51 में शासन को पीठ के निर्देश के बाद भी, पहले विधिक राय के लिए न भेजने पर और फिर 3 महीने बाद विधिक राय आने पर कार्यवाही न किया जाना, इससे इस सदन का क्या औचित्य रह जाता है ? इस कार्यवाही का क्या औचित्य रह जाता है ? मैं इस विषय पर आपकी कृपापूर्ण व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए मैं उच्च शिक्षा मंत्री जी को इनकी भावनाओं से अवगत करा दूंगा और कार्यवाही के लिए आग्रह कर लूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही हो जाय।

अगली सूचना श्री वी० के० गुप्ता और डा० सरजीत सिंह डंग की है।

पीलीभीत विद्युत उपकेन्द्र के शिलान्यास पर क्षेत्रीय विधायक को कार्यक्रम की अध्यक्षता से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री वी० के० गुप्ता–

मान्यवर, 11-10-2000 को मेरे क्षेत्र में 33/11 केवीए के विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास होना था जिसमें केन्द्र की राज्यमंत्री मेनका गांधी जी वहां पर शिलान्यास करने स्थल पर आयीं। इसके लिए जो पूर्व कार्यक्रम जारी किया गया था, इस कार्यक्रम के लिये मुझे भी आमंत्रित किया गया था। मौके पर केन्द्रीय मंत्री जब वहां पहुंची तो उन्होंने मुझसे वहां से जाने को कहा। मुझे मंच पर बैठने नहीं दिया गया, एस० पी० और डी० एम० दोनों मंत्री के साथ बैठ गये और मैं अपमान झेलता रहा। आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि ऐसे अधिकारी जिन्हें राज्य अतिथि आचरण नियमावली की जानकारी नहीं है, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करायी जाए और उनको तत्काल सदन में बुला करके निलम्बित कर, उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह घटना साधारण नहीं है, 11 अक्टूबर की यह घटना है। मान्यवर, इस विधान सभा का सदस्य अपने कार्य को सुचारु रूप से सम्मानपूर्वक चला सके, इसके लिये कुछ नियम बनाये गये हैं। आप जो बात यहां करते हैं, जो वार्ता यहां करते हैं जो विचार रखते हैं, इनको भी कहीं न कहीं हम संवैधानिक सुरक्षा देते हैं। नौकरशाही जन प्रतिनिधि पर हावी न हो, इसके लिये भी नियम बनाये हैं। यथा कोई माननीय सदस्य किसी अधिकारी को पत्र लिखता है तो उसका उत्तर एक माह में निश्चित रूप से आ जाना चाहिए। यदि कोई जनप्रतिनिधि वहां उपस्थित था तो वह मंच पर बैठेगा, उसकी उपस्थित में कोई अधिकारी मुख्य अतिथि नहीं हो सकता। मान्यवर, यह प्रकरण तो ऐसा है कि जो विशेषाधिकार की सीमा में आता है। माननीय गुप्त जी बाकायदे निमंत्रण पत्र पर गये थेऔर इस प्रकार किसी जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक की हिम्मत बढ़ी कि वह स्वयं मंच पर बैठ गया और इस सम्मानित सदन के सम्मानित सदस्य को मंच पर बैठने से रोका गया और उनको अपमानित करके नीचे बैठाया। यह बहुत गम्भीर घटना है।

(यही जंगल राज है, क्यों रो रहे हो की आवाज)

मान्यवर, जिन्हें रोने की आदत है, वह रोयेंगे और हम ऐसे अधिकारियों को दण्डित कराकर रहेंगे, जिन्होंने विधायक का अपमान किया है। जिस दिन से यह सरकार बनी है उधर से यह अरण्य रोदन होता रहा है कि यह सरकार 15 दिन, एक महीने, 6 महीने भी नहीं चलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार पूरे 5 साल चलेगी, अपना रोना बंद करो। बिल्ली के भाग्य से छींका टूटने वाला नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि यह सदन की गरिमा का प्रश्न है। इस मामले को पूरे सदन के मामले के रूप में देखा जाय। यह अकेले माननीय वी० के० गुप्ता जी का मामला नहीं है यह पूरे सदन की अवमानना है। ऐसे अधिकारियों को सदन में बुलाया जाय और उनसे पूछा जाय कि उन्होंने सामान्य शिष्टाचार का पालन क्यों नहीं किया ?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, पूरा विपक्ष सहमत है कि उन अधिकारियों को बुलाया जाय।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अभी यह जो सूचना दी है, इसके साथ एक पत्र लगा है, "इनवीटेशन कार्ड", "निमंत्रण पत्र" लगा है। उसमें माननीय वी० के० गुप्ता, नगर विधायक, पीलीभीत की अध्यक्षता में लिखा हुआ है। निमंत्रण पत्र में उनका नाम हो और कार्यक्रम में वह उपस्थित हों और उनको अध्यक्ष के आसन पर बैठने का अवसर न दिया जाय यह अपने में एक असामान्य बात है। हम सोमवार तक इस प्रकरण की पूरी जानकारी करके सदन को अवगत करायेंगे और माननीय सदस्य को और माननीय सदन को जो कार्यवाही होगी उसकी जानकारी देंगे।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं एक आश्वासन और चाहता हूं, मेरा निवेदन है कि इस प्रकरण में शासन अधिकारियों को क्या दंड देगा, यह तो सोमवार को बताया जाय लेकिन यह मामला केवल शासन का नहीं है ऐसे अधिकारी यदि सदन में उपस्थित नहीं होंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री यह स्वीकार करते हैं कि यह असामान्य घटना है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मंच पर बैठें और विधायक का अपमान होता रहे यह साधारण घटना नहीं है। यह पूरे सदन का मामला है। ऐसी घटनायें तभी रोकी जा सकती हैं, जब ऐसे अधिकारियों को सदन में बुलाया जाय और उनसे पूछा जाय कि ऐसी बदतमीजी उन्होंने क्यों की ?

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल यह है कि जब माननीय सदस्य ने सदन में अपनी बात रखी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसको असामान्य घटना माना। सारा विपक्ष इस बात से सहमत है कि इस घटना को और अधिक समय के लिए टाला नहीं जाना चाहिए। यह माननीय सदस्य का ही अपमान नहीं है बल्कि पूरे सदन का अपमान है। आपकी पीठ से हम यह अपेक्षा करते हैं कि इसमें कोई ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था दे दें जैसा कि माननीय डंग साहब ने कहा कि उस अधिकारी को इस सदन में बुलाया जाना चाहिए। हम माननीय डंग साहब से सहमत हैं जरूर इस तरह की व्यवस्था दें और संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देश दें कि जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको सदन में बुलाया जाये।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य ने अपनी बात कही, माननीय डंग साहब ने अपनी बात कही। दोनों की बात आने के बाद डाकूमेण्ट देखने के बाद मेरा भी मन बना। मैं केवल उन परिस्थितियों की जानकारी

करना चाहता हूं और जानकारी करने के लिए कुछ न कुछ समय चाहिए ।,परिस्थिति जानने के बाद, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय सदस्य तो यहां है ही ।

विधान सभा के तीन अधिवेशन तथा 90 दिन के उपवेशन होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना माननीय प्रमोद कुमार और माननीय सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव की है ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान इस औचित्य प्रश्न के माध्यम से आकृष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम–14 के अनुसार ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद 174 के अधीन रहते हुए साधारणतया प्रत्येक वर्ष में सभा के अधिवेशन अर्थात् आय-व्ययक, वर्षाकालीन व शीतकालीन अधिवेशन व 90 दिन के उपवेशन होंगे। समय-समय पर इस संबंध में माननीय अध्यक्ष पीठ द्वारा निर्देश भी जारी किये गये हैं किन्तु श्रीमन् वर्ष 2000 का यह द्वितीय सत्र जो चल रहा है इसमें केवल 4 उपवेशन है । श्रीमन्, संविधान बनाने वाले महापुरुषों ने जो उनकी अवधारणा थी कि विधान सभा की बैठक जितनी अधिक से अधिक होंगी उतने ही अधिक जन समस्याओं के समाधान कारगर. तरीके से होंगे । आज यह प्रवृत्ति बढ़ने लगी है कि सरकारें विधान मण्डलों की बैठकों से भाग रही हैं । संवैधानिक विवशता न हो तो सरकार विधान सभा का सत्र आहूत नहीं करना चाहती । यह संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक बात है । यह 4 दिन का उपवेशन बुलाया जाना संविधान और प्रक्रिया नियमावली के नियम 14 की भावना और मंशा के सर्वथा विपरीत है । अतः मैं आपसे निवेदन करते हुए इस औचित्य के प्रश्न पर व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जहां तक नियमों का हवाला दिया उसमें तो कोई असहमति होने वाली बात नहीं है ; आप सहमत होंगे कि 17 मई तक हम बजट सत्र में बैठे थे और 17 मई के बाद सारे प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गयी और होते-होते सारा का सारा समय उसमें लग गया । न आप आ सकते थे, न हम आ सकते थे । जैसे ही समय मिला हमने तुरन्त सदन को आहूत कराया और बैठे हुए हैं । हमारी इच्छा थी कि 15 दिन सदन चले दीपावली के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव का नोटीफिकेशन हो जायेगा । आपके और हमारे, दोनों की व्यवस्था हो जायेगी और कोई भी सदस्य यहां उपलब्ध नहीं हो सकेगा । हमारा तो कमिटमेण्ट यह है कि 3 बार बैठें भी और अधिकतम समय के लिए बैठें । मान्यवर, मैं आंकड़े देकर यह सिद्ध नहीं कराना चाहता हूं कि कौन कितने दिन बैठा है क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है । हम तो बैठना चाहेंगे लेकिन यह आयेंगे तो बाद में और उठ पहले जायेंगे, जो एक दिन बैठकर सारा बजट पास करा लेंगे । इसलिये मेरा विश्वास है कि बैठकर चर्चा करें और हर विषय पर चर्चा हो और उसी का परिणाम है कि 7 बजे तक बैठकर चर्चा चल रही है । हमारे धैर्य की आप परीक्षा ले रहे हैं और उसमें हम पास हो रहे हैं । मान्यवर, ऐसी परिस्थितियां थी जो असामान्य थीं, जिसमें पूरा वर्ष चुनावी वर्ष रहा । इसलिए हम लोग यहां नहीं बैठ पाये और मौलिक लोकतंत्र जिन्दा करने में लगे रहे गांव पंचायत से लेकर जिला पंचायतों तक चुनाव कराये । इसलिए प्रयास यह होगा कि जो मंशा संविधान में है, नियमावली में है उसको पूरा किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

सभी माननीय सदस्यों का इसमें सहयोग अपेक्षित है । अब नियम–311 की कुछ सूचनायें थी उन्हें भी मैं ले रहा हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–सदन के पटल पर रखा गया ।)

सचिव, विधान सभा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2000

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–सदन के पटल पर रखा गया ।)

सचिव, विधान सभा–

महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (निरसन) विधेयक, 2000

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ–सदन के पटल पर रखा गया ।)

सचिव, विधान सभा–

महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (निरसन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

नियम–311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम–311 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं को अब मैं ले रहा हूं । सबसे पहली सूचना श्री मुन्ना चौहान की है ।

(श्री मुन्ना चौहान उपस्थित नहीं हैं ।)

दूसरी सूचना श्री इन्द्र जीत सरोज, श्री श्रीराम पाल, श्री मतेश चन्द्र सोनकर, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम प्रसाद चौधरी, श्री लालजी वर्मा, श्री राम ललित चौधरी और श्री आर० के० सिंह पटेल की है । यह माननीय सदस्य भी उपस्थित नहीं हैं ।

तीसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरी सूचना को सोमवार को आप ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, आप नोटिस दे देंगे ।

चौथी सूचना श्री ज्वाला प्रसाद यादव, श्री उमाकान्त यादव आदि माननीय सदस्यों की है ।

श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

मान्यवर, मेरी सूचना को सोमवार को आप ले लें ।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, आप नोटिस दे देंगे ।

"इस सदन का निश्चित मत है कि ऐतिहासिक पर्यटन नगरी, आगरा में 24 घंटे अनवरत विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय" के सम्बन्ध में श्री केशो मेहरा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री केशो मेहरा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। आज से ठीक 20 महीने पहले इस माननीय सदन में मैंने एक चर्चा प्रारम्भ की थी कि "इस सदन का निश्चित मत है कि ऐतिहासिक पर्यटन नगरी, आगरा में 24 घंटे अनवरत विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।"

मान्यवर, यह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में एम० सी० मेहता बनाम भारत सरकार रिट याचिका मुकदमा संख्या 13381/1984 में ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में विद्युत की अनवरत आपूर्ति के संबंध में अपने अन्तिम निर्णय में आदेश पारित किया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने 24 घंटे अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु 99.54 करोड़ रुपये का आगणन प्रस्तुत किया था। यदि 99.54 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए जाएं तो इस ताज ट्रिपेजियम जोन में 24 घंटे अनवरत विद्युत आपूर्ति की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश अंग्रेजी में दिया था उसको मैं आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं। एडीशनल एमाउन्ट आफ रु० 99.54 करोड़ सैन्क्शन्ड बाई दि प्लानिंग कमीशन टू बी यूटिलाइज्ड बाई दि स्टेट गवर्नमेंट फार दि कान्सट्रक्शन आफ इलेक्ट्री सप्लाई प्रोजेक्ट्स टू इनश्योर 100 परसेन्ट अन इनटरप्टेड इलेक्ट्रीसिटी टू दि टी० टी० जेड। दिस इज नेसेसरी टू स्टेट्स दि आपरेशन आफ जनरेटिंग सेट्स व्हिच आ मेजर सोर्स आफ पाल्यूशन इन दि टी० टी० जेड।

हिन्दी अनुवाद कर रहा हूं 99.54 करोड़ अतिरिक्त राशि योजना आयोग के द्वारा स्वीकृत की जाती है जिसको राज्य सरकार विद्युत प्रोजेक्टों के निर्माण के लिए देगी ताकि ताज ट्रिपेजियम में अनवरत विद्युत आपूर्ति की जा सके तथा जनरेटिंग सेट जिसके कारण अधिक प्रदूषण होता है उनको रोका जा सके। इस आदेश के अनुसार यह राशि निर्गत की गई और राज्य विद्युत परिषद् ने यह शपथ- पत्र प्रस्तुत किया। सर्वोच्च न्यायालय में कि हम प्रथम चरण जून, 1998 तक और द्वितीय चरण जून, 1999 तक पूरा कर देंगे तद्नुसार प्रथम चरण में 27.4 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन और 15.11 करोड़ रुपये ट्रांसमीशन में लगाये गये। द्वितीय चरण में 13.2 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन की और 33.75 करोड़ की ट्रांसमीशन की लाइनें लगाई गई ताकि विद्युत आपूर्ति अनवरत की जा सके। इसके बारे में तत्कालीन अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद् श्री जी० पी० सिंह ने प्रतिनिहित विधायन समिति की बैठक में बताया कि विद्युत आपूर्ति सब स्टेशन तक ही नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के दरवाजे तक अनवरत विद्युत आपूर्ति हो, उसे ही अनवरत आपूर्ति कहा जा सकता है, किये जाने का प्राविधान है। तत्कालीन विद्युत परिषद् के अध्यक्ष ने यह स्वीकार किया था कि विद्युत सब स्टेशन कुछ बने हैं लेकिन सब स्टेशन के बनने के बाद भी हम विद्युत आपूर्ति ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रांसमाशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है। हम कन्सलटेन्ट रखकर विस्तृत योजना बना रहे हैं उसके लिए हमने निविदाएं मंगा ली हैं। 7 मई, 1999 को उन्होंने यह अवगत कराया है कि निविदाएं प्राप्त हो गई हैं और 15 जून, 99 को निविदाओं का निस्तारण कर देंगे उसके बाद में जो राशि आएगी उसकी मांग करेंगे। लखनऊ विद्युत सुधार के लिए जो आगणन बनाया गया, वह 400 करोड़ की राशि थी। 7 मई, 1999 को यह बात आई कि 99.54 करोड़ एक स्वीकृत किया गया और 40 करोड़ एक स्वीकृत किया गया तथा अतिरिक्त 113 करोड़ स्वीकृत किया गया। उसके पश्चात् निविदाएं आमंत्रित की गई। इसमें क्या कार्य हुआ यह तो शासन द्वारा उत्तर प्राप्त होगा लेकिन मेरा निवेदन है कि मा० सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था कि आगरा ऐतिहासिक पर्यटन नगरी है। ताज महल की सुरक्षा के लिए ऐसा ईंधन प्रयोग न किया जाए जिससे प्रदूषण फैलता हो। उसकी मंशा आज तक पूरी नहीं हुई है तथा निविदाएं जो मांगी गयी थी वह राशि क्या आई ? मैंने अधिकारियों से स्वयं आग्रह किया कि यह मा० सर्वोच्च न्यायालय में नया शपथ

पत्र प्रस्तुत कर दें क्योंकि उन्होंने यह शपथ पत्र प्रस्तुत किया था कि जून, 1999 के द्वितीय चरण पूरा होने पर 24 घंटे अनवरत विद्युत आपूर्ति हो जायेगी । अक्टूबर, 99 में इन्होंने दूसरा शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा था तो क्या स्थिति है । सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन हीं हो सका अभी तक । माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि कृपया मंत्री जी वस्तुस्थिति से अवगत करायें ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री विक्रमाजीत मौर्य)–

आगरा नगर को ताज ट्रिपेजियम क्षेत्र में होने के कारण आपात विद्युत कटौती से मुक्त कर दिया गया है तथा अबाध विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है । आगरा महानगर में विद्युत आपूर्ति मूल रूप से 400 केवी उपसंस्थान, हाथरस रोड, 220 केवी उपसंस्थान, सिकन्दरा एवं 132 केवी उपसंस्थान, ताज फाउण्ड्रीनगर, मलपुरा के द्वारा की जा रही है । शहर की वर्तमान मांगे 280 एमवीए के विरुद्ध शहर के लिए 260 एमवीए क्षमता उपलब्ध है जिस कारण शहर में 220 केवी उपसंस्थान सिकन्दरा से पोषित होने वाले 33/11 केवी उपसंस्थानों जैसे संजय पैलेस शाह टाकीज एसएन मेडिकल राजा मण्डी सुभाष पार्क पर पीक आवर्स में शाम 6–10 बजे तक एक से दो घंटे की विद्युत कटौती करनी पड़ती है । इस समस्या के समाधान हेतु 132 केवी बोदला उपसंस्थान के निर्माण का प्रस्ताव पारित हो चुका है । भूमि भी चयन की जा चुकी है कार्य पूर्ण होने में लगभग एक वर्ष का समय लगने की सम्भावना है । कटौती समाप्त करने हेतु शहर में एक नग 132 केवी उपसंस्थान मलपुरा 9 नग 33/11 केवी उपसंस्थानों का निर्माण तथा 140 नग 11/.4 केवी उपसंस्थानों की स्थापना की गई तथा 50 नग 11/.4 केवी उपसंस्थानों की क्षमता वृद्धि की गई तथा विद्युत सुधार के कार्य किये गये जिससे विद्युत आपूर्ति में समुचित सुधार हुआ है । आगे भी हम विद्युत सुविधा दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री केशो मेहरा–

मैंने स्पष्ट जानना चाहा था कि शपथ-पत्र यह था कि निविदायें मांगी गई हैं । मई, 99 में निविदायें मांगी गई यह बताया गया । जिसमें लगभग 50 लाख रुपये का खर्चा किया गया । आखिरकार यह निविदायें क्या आइ । राशि का आगणन क्या है ? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी । इसके बारे में स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री विक्रमाजीत मौर्य–

पूर्ण विद्युत आपूर्ति का प्रयास किया जा रहा है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय सदस्य ने इस सदन में मा० सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए किन-किन व्यवस्थाओं के तहत टेण्डर भरा गया धनराशि की व्यवस्था कहां से की जायेगी, उसके बारे में मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा । आगरा एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है । वहां के संबंध में यह सरकार कितनी गम्भीर है, अंदाजा लगाया जा सकता है ।

श्री केशो मेहरा–

7 मई, 99 को तत्कालीन सचिव ऊर्जा श्री अतुल चतुर्वेदी ने बताया कि निविदायें प्राप्त हो गई हैं । 15 दिन के अन्दर विद्युत परिषद् को भेज दी जायेंगी । तो मैं जानना चाहता हूं कि कितनी राशि की निविदायें मांगी गईं । वह धन आने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया या नहीं । जब तक केन्द्र सरकार सहायता नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा । राज्य सरकार की स्थिति तो ऐसी है नहीं, तो केन्द्र सरकार ने क्या जवाब दिया ?

श्री विक्रमाजीत मौर्य–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने संकल्प के जरिये 24 घंटे अनवरत विद्युत आपूर्ति की बात कही। यदि वह इस पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं तो वह सोमवार को हमारे साथ बैठ लें, उनसे बात हो जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मेहरा जी आपने संकल्प पर विचार रख लिये और माननीय मंत्री जी की तरफ से भी उत्तर आ गया। अगर आपको कोई और प्रश्न करना है तो प्रश्न के माध्यम से आप कर सकते हैं और या फिर माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत मिलकर जानकारी कर सकते हैं, वह आपको जानकारी दे दें।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूं कि संकल्प पढ़ा नहीं जाता, उस पर चर्चा भी होती है। संकल्प, जिस विभाग के मंत्री से संबंधित हो या सरकार की ओर से कोई भी मंत्री उस पर उत्तर के साथ आते हैं तभी चर्चा सार्थक होती है। यह स्पष्ट है कि माननीय मंत्री जी के पास स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। आप निर्देशित कर दें कि जब हम अगली-बार इस पर बैठें तो माननीय मंत्री जी सभी प्रश्नों का उत्तर दे दें।

श्री अधिष्ठाता–

संकल्प पर विचार भी आ गये। मंत्री जी का पक्ष भी आ गया। अब आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मेरा एक सवाल है।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर प्रश्न पूछने का कोई सवाल ही नहीं है।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सोमवार को इसके बारे में मुझे बता देंगे, इससे संतुष्ट होकर, मैं अपना संकल्प वापस ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि श्री केशो मेहरा, सदस्य, विधान द्वारा प्रस्तुत संकल्प, "इस सदन का निश्चित मत है कि ऐतिहासिक पर्यटन नगरी, आगरा में 24 घण्टे अनवरत् विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय।" को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में विकेन्द्रीकरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु जिला सेक्टर के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति और उसके अन्तर्गत धनराशि खर्च करने की शक्ति उनमें निहित की जाय।" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

श्रीमन्, आपने इस चर्चा को पूरा करने का अवसर प्रदान किया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इस चर्चा को लाने के दो उद्देश्य थे। विकास को गति देने की दृष्टि से एक व्यवस्था जिला स्तर पर बनाई गई कि जिले के अधिकारियों के साथ जन प्रतिनिधि उस जनपद में बैठकर अपने जनपद के विकास के कार्यक्रम के बारे में निर्णय ले सकें। उस व्यवस्था का विकृत रूप सामने आया कि जो जिला योजना जिले से स्वीकृत होकर शासन को भेजी जाती है उसमें शासन अपने अनुसार परिवर्तन कर देता है। इसके साथ-साथ एक बात और हो रही है कि जहां योजनाओं में परिवर्तन शासन कर देता है वहीं उन स्वीकृत योजनाओं को बीच में समाप्त भी कर देता है और स्टेट सेक्टर के नाम पर पैसा वापस मंगा लिया जाता है। जो धन जिले के लिए आवंटित हो गया। जन प्रतिनिधियों ने उस धन का विनियोग अपने यहां बैठकर तय कर लिया फिर नियोजन विभाग के द्वारा उस राशि में, उनकी मदों में, कटौती करने का क्या उद्देश्य है ? दूसरा मेरा निवेदन था कि जब जनपदों के लिए विभाग के अनुसार धन का आवंटन हो गया, जनपद की जिला योजना समिति ने उसको जिले के लिए स्वीकृति दे दी। शासन स्तर पर उसके लिए स्वीकृति मिल गई फिर उस पैसे की आपूर्ति के लिए वह फिर से शासन के पास आता है। इस कारण जिला योजना के विकेन्द्रीकरण करने के लिए जिले में जो व्यवस्था बनाई गई थी उसमें विघ्न पैदा हुआ जिससे विकास की गति अवरुद्ध हुई है। मैं इस चर्चा के माध्यम से दो बिन्दुओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो जिला योजना जनपद स्तर पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्वीकृत की जाती है। शासन के द्वारा दिये गये गाइड लाइन्स के तहत ही यह स्वीकार की जाती है। इसलिये यदि उसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है शासन की तरफ से तो उसकी जानकारी जिला योजना समिति को होनी चाहिए ताकि वह महसूस कर सकें कि जो परिवर्तन किया गया है उसका कारण क्या है, उचित आधार है कि नहीं या फिर शासन ने अपनी मर्जी से कर लिया। जिस योजना के लिए जो निर्धारित राशि है वह जनपदों में आवंटन के लिए चली गई उसके अनुसार योजना बन गई उस राशि को अवमुक्त करने का अधिकार डी० एम० या आयुक्त स्तर पर होना चाहिए ताकि राशि अवमुक्त करने की जो प्रक्रिया है उसमें समय न लगे, विकास में लगने वाला समय कम किया जा सके और विकास को गति दी जा सके। मैं आपके माध्यम से शासन से इन दो बिन्दुओं पर उत्तर चाहता हूं।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, किसी जमाने में दिल्ली में बैठकर योजनाएं बनती थीं। गांव की योजनाएं वहां से बनती थीं कि कहां पर सड़क बनेगी, कहां खड़ंजा लगेगा और कहां नाली बनेगी ? दिल्ली में बैठे हुए लोगों को गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अब यह व्यवस्था उतर कर प्रदेश स्तर पर आयी। इस सरकार ने पहली बार ग्राम प्रधान स्तर पर, जिला पंचायत स्तर पर इन सारे कार्यक्रमों का विकेन्द्रीकरण किया। यह विकेन्द्रीकरण कागजों पर तो हो गया मगर सच्चाई यह है कि मैं अपने जनपद की स्थिति [illegible] हूं जिला योजना में अभी तक अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर अर्थात् आधा व[illegible] गया केवल 10 प्रतिशत धनराशि वहां पर बांटी गई कमोवेश यही स्थिति हर जिले की होगी। जैसा बाजपेयी जी ने इंगित किया। कई बार जिला योजना का पूरा वर्ष बीत जाने पर भी 40–45 प्रतिशत से अधिक पैसा नहीं पहुंचता है। जिला परियोजना के नाम पर मोटी पुस्तक छापी

गयी है, जिसमें उल्लेख है कि किस जनपद में किस योजना के लिये कितना धन आवंटित किया गया है। यह केवल एक कागज का पुलिन्दा बन कर रह गई है। गैर ठोस तथ्यों के आधार पर जिला योजना बन रही हैं और जिले में, जनपदों में जो जन प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं। फिर इस विकेन्द्रीकरण का लाभ तभी मिल पाएगा जब इसका सारा धन लखनऊ से नहीं, निचले स्तर से जिलाधिकारी के स्तर से मंडलीय स्तर से कर दें, इस धन का सदुपयोग ठीक समय पर हो जाए, उद्देश्य विकेन्द्रीकरण का था। मैं बाजपेयी जी द्वारा लाये गये संकल्प का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, अभी तक जिलों में 10 प्रतिशत धन देने का कारण क्या है ? 90 प्रतिशत धन कब तक भेजा जायेगा ? इसकी सूचना दे देंगे तो कृपा होगी ?

* श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

जिला योजना का प्रश्न गंम्भीर है। 6 महीने हो गये, अभी तक जनपद बहराइच में, दूसरे जिलों में, धन नहीं गया है। विकास के बारे में जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। अधिकारियों के साथ जिले के विकास के बारे में, चाहे वह पी० डब्लू० डी० हो, चाहे ग्रामीण अभियंत्रण विभाग हो, चाहे ट्यूबवेल से सम्बन्धित हो, सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा यहां हो जाती है। लेकिन विकास का पैसा समय पर नहीं जाता है, सारी बातें ठंडे बस्ते में बन्द कर देते हैं जब विकास का पैसा समय पर नहीं जाता है तो जिला योजना की बैठक का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इस संबंध में जो साथियों के विचार आये हैं महत्वपूर्ण हैं, इसमें आपकी तरफ से निर्देश होने चाहिए और उसका पालन सुनिश्चित होना चाहिए। मेरे जिले में विद्युत का संकट है। जिला योजना में प्रभारी मंत्री गये बड़ी बारीकी के साथ मीटिंग की। आज तक, उससे संबंधित विद्युत विभाग है वह जाने कहां सो रहे हैं, कागजों को देखने की फुरसत नहीं है या तो पैसा नहीं है यह सिर्फ कागज पर पैसा देना चाहते हैं कहीं न कहीं कमी है। आपके जिले में भी यही संकट होगा, मैं बहराइच का ही रोना नहीं रो रहा हूं। यही स्थिति सब जिलों की है। एक करोड़ 45 लाख रुपया दिया गया। विद्युत की जर्जर व्यवस्था है। बहुत पुराने पोल हैं उसको बदलने के लिए रुपया दिया गया लेकिन आज तक 1 करोड़ 45 लाख में से एक रुपया भी रिलीज नहीं हुआ है रोज डी० एम० को चिट्ठी लिख रहे हैं, रंगनाथ मिश्रा जी से फिर कहा फिर उन्होंने कागज का पुलिन्दा लिखना शुरू कर दिया। कागजों पर विकास हो रहा है। नेता सदन को उनके अपने मंत्री नहीं पहचानते हैं। उनको यह नहीं पता है कि क्या करना है ? वित्त मंत्री भी उसी तरह के हैं दोनों की ऐसी जोड़ी, आपने कहावत सुनी होगी, एक अंधा....आगे मैं नहीं कहना चाहता हूं आप जोड़ लीजिएगा। इस तरह से व्यवस्था खराब हो रही है। यह सरकार उस बारे में कुछ नहीं करना चाहती है।

श्री अधिष्ठाता–

आपके विचार आ गये हैं।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

वहां विकास का पैसा भेजा जाना चाहिए। जनपद के विकास से संबंधित योजनाएं पूरी होनी चाहिए।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, यह नीति विषयक मामला है। यह प्रदेश के विकास से संबंधित है। माननीय डंग साहब ने और बाजपेयी जी ने, रामतेज जी ने विचार रखे, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूं कि इसमें सुधार करें। समयबद्ध तरीके से योजना बनाई जाए, जिला योजना कितने

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समय तक आनी है जिला योजना के बाद कितने समय में धन आवंटित होना है इसको समयबद्ध होना चाहिए। प्रदेश में धन आवंटित नहीं हो रहा है। प्रदेश से धन कब जाय। मेरा सुझाव यह है कि इसमें समयबद्ध नीति बनायी जाय और निर्देश दें सरकार को ताकि माननीय बाजपेयी जी ने जो विचार रखे हैं,वह सार्थक हो सकें और विकास समयबद्ध तरीके से हो। नहीं तो जिला सेक्टर में साल खत्म होने को है और विकास नहीं हो रहा है।

* नियोजन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, आपकी आज्ञा से जो संकल्प प्रस्तुत हुआ है माननीय बाजपेयी जी के द्वारा इसके संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ है। मान्यवर, यह संकल्प फरवरी, 99 में प्रस्तुत हुआ था। उसके बाद परिस्थितियां बदल गयीं। यह लगातार किसी न किसी काम से टलता रहा। 10 अक्टूबर, 2000 को व्यवस्था की गयी, जो मांग थी, उसको लागू कर दिया। मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी करके सभी जिलाधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया कि अब जिलों में पांच विभागों की स्वीकृतियां जिलाधिकारियों के माध्यम से जारी होंगी। यह व्यवस्था परिवर्तन का मामला था और इसकी आवश्यकता को महसूस किया जा रहा था कि जिला स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियां जारी हों। अब यह हो गया है और इसकी सूचना भी आप लोगों को मिल गयी होगी। यह विभाग हैं कृषि विभाग, लघु सीमान्त कृषकों को सहायता, ग्राम्य विकास विभाग, भूमि विकास जल संसाधन विभाग सड़क एवं पुल। मेरे सामने ग्राम्य विकास विभाग का शासनादेश है जो 4 अक्टूबर को जारी हुआ है। दूसरा कृषि विभाग का है जो 12 अक्टूबर को जारी हुआ है इसका अनुपालन भी सुनिश्चित हो गया है। दूसरी बात जो धन आवंटन की है कि आज ही अनुपूरक बजट आया है। माननीय विधायकों को जो प्रत्येक वर्ष पचास-पचास लाख रुपया दिया जाता था हमने उसको बढ़ाकर 75 लाख कर दिया है। हमारी इस बात की कोशिश रहती है कि विकास का पैसा जिलों तक पहुंचे लेकिन यह डिपेन्ड करता है धन की उपलब्धता पर। शासन की नियत पर शक नहीं होना चाहिए। जैसे-जैसे धन आता है वैसे-वैसे व्यवस्था होती रहती है। जितने भी प्रश्न माननीय सदन के सामने आये हैं। मैं समझता हूं कि दोनों ही प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश की है। मैं डा० बाजपेयी जी से अनुरोध करूंगा क्योंकि विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है उसके संबंध में शासनादेश भी जारी हो गया है, वह अपना संकल्प वापस ले लें।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यह चर्चा लम्बित होती रही और आज यह पूरी हो पायी है। उन्होंने जो शासनादेश का हवाला दिया है, तारीख पर ध्यान दिया होता, अक्टूबर माह में जारी हुए हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि इस चर्चा के प्रभाव के कारण ही शासन ने इस बात को महसूस किया कि जहां पैसे का निर्णय जनपद स्तर पर होता है तो उसके अवमुक्त करने की प्रक्रिया जनपद स्तर पर होनी चाहिए। जो निर्णय लिया गया उसके लिये मैं सरकार और माननीय मंत्री जी को साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं। एक निवेदन के साथ संकल्प को वापस लूंगा कि जहां 5 विभागों के संबंध में यह सुविधा प्रदान की गयी है, मेरी इस प्रस्ताव के द्वारा मंशा यह थी कि जिला योजना के अधिकार क्षेत्र में सभी विभागों में यह सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इस वर्ष की जो प्रक्रिया चल रही है, अगले वर्ष की जिला योजना की तैयारी के समय इसका निर्णय ले लेंगे तो निश्चित रूप से विकास को गति मिलेगी। सिद्धान्त तौर पर आपने इसे स्वीकार कर लिया है कार्य रूप में परिणत करें। इसी के साथ मैं अपने संकल्प को वापस लेता हूं।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मुझे यह 10 रु० का नोट मिला है, मैं आपके पास भिजवा रहा हूं, किसी माननीय सदस्य का है।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं। प्रश्न यह है कि डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प– "इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में विकेन्द्रीकरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने हेतु जिला सेक्टर के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति और उसके अन्तर्गत धनराशि खर्च करने की शक्ति उनमें निहित की जायं" को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

संकल्प वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रदेश के किसानों को कृषि कार्यों के लिये निःशुल्क विद्युत आपूर्ति की जाय" के सम्बन्ध में श्री समरपाल सिंह द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

श्री समरपाल सिंह नहीं है।

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु प्रदेश के किसानों को कृषि कार्यों के लिए निःशुल्क विद्युत आपूर्ति की जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

अतः यह संकल्प अस्वीकृत हुआ।

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में ठोस कचरे के निस्तारण और उससे विद्युत उत्पादन की योजना प्रदेश के सभी महानगरों में लागू की जाय" के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूं–

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में ठोस कचरे के निस्तारण और उससे विद्युत उत्पादन की योजना प्रदेश के सभी महानगरों में लागू की जाय।"

मान्यवर, यह ठोस कचरे का निस्तारण नगरीय क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा आज हम सबके लिये सिरदर्द बनता जा रहा है। जितने कूड़े का निस्तारण प्रतिदिन घरों से और अन्य प्रतिष्ठानों से, सड़कों पर हो रहा है उसको उठाने की क्षमता संबंधित स्थानीय निकायों को नहीं है। अब मेरठ नगर निगम को लें, कूड़ा निकल रहा है 640 मी० टन और क्षमता 420 मीट्रिक टन की है। 220 मीट्रिक टन प्रतिदिन कूड़ा सड़कों पर जमा हो रहा है। बहुत लम्बे समय से चर्चा चल रही है कि कूड़े के निस्तारण की कोई तो व्यवस्था की जाये। अगर हम कोई व्यवस्था कर पायेंगे तो महानगरों में और दूसरे नगरों में फैलने वाली बीमारी से जनता को बचा पायेंगे। स्वास्थ्य विभाग का आंकड़ा है कि अगर स्थानीय निकाय कूड़े का निस्तारण कर दें तो हेल्थ डिपार्टमेन्ट के बजट में 72 प्रतिशत की कमी आ जायेगी।

मान्यवर, मेरठ के कचरे से 15 मेगावाट बिजली प्रतिदिन बनाई जा सकती है लेकिन सवाल है सरकार के संकल्प का, सरकार की इच्छाशक्ति का । क्या सरकार इतनी भयावह समस्या की समुचित व्यवस्था करने का विचार करेगी । कूड़े का निस्तारण करने और उससे बिजली बनाने के लिए इस चर्चा के माध्यम से सरकार से मांग है कि प्रदेश के सभी महानगरों में कचरे से बिजली बनाने के लिए प्राथमिकता दी जाय जिससे एक तो बिजली बनेगी और उसके वेस्टेज से खाद बनेगी इनसे एक तो कचरे का निस्तारण हो जायेगा और जन स्वास्थ्य के प्रति खतरा भी टलेगा । इससे हमको बिजली भी मिलेगी आर खेती के लिए खाद भी मिलेगी और अच्छा वातावरण भी नगर के लोगों के लिए मिलेगा । सरकार की तरफ से कई बार इसका उत्तर आया सरकार ने बार-बार कहा कि हम प्रदेश के तमाम महानगरों में इसको करना चाहते हैं । मेरा इस चर्चा के माध्यम से निवेदन है कि इसे सभी महानगरों में सरकार करना चाहती है लेकिन इसमें तीन विभागों को मिलाकर इस कार्य को मूर्त रूप दिया जा सकता है नगर विकास विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग और ऊर्जा विभाग । वैकल्पिक ऊर्जा विभाग उस कचरे से बिजली को मूर्त रूप देगा, नगर विकास विभाग कचरे की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगा और एक रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से बिजली उपलब्ध करायेगा और उसकी ऊर्जा खरीदने के लिए ऊर्जा विभाग रहेगा । इसको सरकार लागू नहीं कर पा रही है इसका कारण है कि इन तीनों विभागों को मिलाकर ही इस कार्य को मूर्त रूप दिया जा सकता है । दूसरी बात यह है कि ये इस सारी बात को पूरे प्रदेश में फैलायेंगे इसके लिए जरूरी है कि पहले एक महानगर में यह सरकार पायलेट योजना के अन्तर्गत कचरे से बिजली बनाये उसके बाद उसमें जो समस्याएं आएं उनको यह दूर करें । लेकिन सरकार ने पाइलेट योजना के अन्तर्गत किसी महानगर में इसको शुरू नहीं किया है । मेरठ नगर निगम ने इसके लिये 80 हजार स्क्वायर मीटर जमीन बाईपास पर आवंटित कर दी है और इसकी सूचना नगर विकास विभाग को दे दिया । मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पाइलेट योजना को लागू करने के लिए मेरठ का एन० ओ० सी० जारी करे और नगर विकास विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग तथा ऊर्जा विभाग को एक साथ बैठकर इसको मूर्त रूप देने का निर्देश दें ताकि इस समस्या का निदान हो सके । इससे कचरे का निस्तारण भी होगा और बिजली की कमी भी दूर होगी । अतः ऐसे निर्देश देने की मांग पीठ से करता हूं ।

* श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह संकल्प तो बहुत सुन्दर है लेकिन बाजपेयी जी अभी दो मिनट में इस संकल्प को वापस ले लेंगे । मान्यवर, मैं इसमें कुछ सुझाव देना चाहता हूं । कचरा वास्तव में एक समस्या है और सबसे ज्यादा महानगरों में समस्या है । कानपुर जहां से आप आते हैं, वह सबसे गन्दे से गन्दा शहर कानपुर है । यह बहुत उपयोगी होगा और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है कि आप आज ही निर्देश दें सरकार को इससे कानपुर की समस्या हल हो जायेगी । मान्यवर, इसके लिए हमारा सुझाव यह है कि चाहे आप भारत सरकार से सहयोग लें, चाहे अन्य किसी कम्पनी से सहयोग लें, इसमें आपको जरूर कोई न कोई निर्देश देना चाहिए ताकि एक गम्भीर समस्या का निदान हो सके और जो महानगरों में लोग नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं, उससे यह उबर सकें साथ ही सफाई भी हो जायेगी और ऊर्जा का उत्पादन भी बढ़ेगा, इसलिये मैं माननीय बाजपेयी जी के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे जरूर अपेक्षा करता हूं कि आप इस मामले में सरकार को जरूर निर्देश देने की कृपा करें ।

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

माननीय अधिष्ठाता जी, बाजपेयी साहब और शाक्य साहब ने जो विचार रखे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण हैं। शहरों में जो कूड़े कचरे और पालीथीन का प्रदूषण है, उसके लिये यह योजना बहुत अच्छी है। मैं अपने जनपद बहराइच की बात बताता हूं; वहां दो-तो तीन-तीन महीने सफाई नहीं होती जिससे संक्रामक बीमारियां हो रही हैं। अगर इस कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन की व्यवस्था हो जाय तो इससे विद्युत प्राप्त होगी और कूड़े कचरे का निस्तारण हो सकेगा, इसके लिये मन में संकल्प होना जरूरी है। आप अखबार में रोज देखते होंगे, संक्रामक बीमारियां फैल रही हैं, कहीं 3 आदमी मर गये, कहीं 13 आदमी मर गये, हैजा, प्लेग बहुत तेजी से फैल रहा है। इस मामले पर आपको संज्ञानित होना चाहिए। कानपुर की स्थिति आप रोज देखते हैं। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि माननीय बाजपेयी जी अपने संकल्प को वापस न लें, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर आप अवश्य कुछ न कुछ निर्देश दें ताकि बीमारी, प्रदूषण से बचा जा सके।

पर्यावरण एवं अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्य श्री बाजपेयी जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, वास्तव में आज के इस समय को देखते हुए प्रदूषण को दूर करने के लिए, पर्यावरण को ठीक करने के लिये यह योजना बहुत ही अच्छी है। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात के लिए कृत संकल्प है कि जो हमारे प्रदेश के महानगर हैं, उनमें कूड़े-कचरे से बिजली उत्पादित की जाय और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, उससे खाद भी मिलेगी। इससे शहरों के अन्दर जो प्रदूषण फैला हुआ है, उसको रोकने में मदद मिलेगी। इसके लिये अभी तक एक बात की कमी थी कि कोई अपने देश में ऐसी कम्पनी नहीं थी जो इसको पूरा कर सके। पिछले दिनों लखनऊ में प्रधान मंत्री जी ने इस योजना का शिलान्यास किया और चेन्नई की एक कम्पनी ने कार्य शुरू भी किया है, सभी महानगरों में इस तरह की योजना शुरू करने के लिए सरकार कृतसंकल्प है और जैसा माननीय सदस्य ने कहा है कि हम यदि 5 मेगावाट बिजली पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए 300 टन कचरे की आवश्यकता होगी और इसके लिये 70 करोड़ की लागत आयेगी। अब यह सारी व्यवस्था हो रही है। इसमें तीन विभाग संबंधित हैं, नगर निगम को जमीन देना है, बिजली विभाग को बिजली पहुंचाना है। जिन-जिन नगरों में इस तरह की प्रक्रिया पूरी होती जायेगी, वहां पर जल्दी से जल्दी काम शुरू होगा। मेरठ के लिए भी मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि वहां पर 5 मेगावाट, 10 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए कूड़े कचरे की व्यवस्था है और नगर निगम भी तैयार है केवल परेशानी जो थी वह कार्य करने की थी और बहुत जल्दी ही एक कम्पनी जो है, ईडीएल है, जिसे कार्य दे दिया गया है। हम समझते हैं कि जल्दी से जल्दी यह कार्य शुरू कर दिया जायेगा। हम समझते हैं कि मेरठ ऐसा महानगर होगा जहां कूड़े-कचरे की समस्या खत्म होगी और उससे बिजली पैदा की जायेगी।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, जिस महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था, मैंने चाहा था कि एक पाइलट योजना के रूप में मंत्री जी मेरठ को स्वीकृति दें। उन्होंने स्वीकृति दी है। मैं इसके लिये मंत्री जी का आभारी हूं। मैं दो बातें कहना चाहूंगा, इसी लखनऊ में मोतीझील में यहां के एक वैज्ञानिक ने कूड़े के एक गड्ढे में एक पाइप गाड़कर माचिस की तीली चला दी थी तो उसमें से 10 फुट ऊंची मिथेन गैस की लौ निकली थी। इस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ईडीएल कम्पनी को मेरठ में बिजली बनाने के लिए सहमति दी गयी है,

---

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या उसके लिए शासन द्वारा एनओसी दे दी गयी है ? दूसरी बात क्या उसने मेरठ में पाइलट योजना के रूप में कार्य करने का मन बना लिया है । इसके लिये नगर विकास विभाग ने जमीन उपलब्ध कराने और कूड़ा देने की सहमति दी है तथा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग ने भी सहमति दे दी है, तो तीसरे विभाग से अनुमति कब तक मिल जायेगी, यह मंत्री जी बता दें ।

श्री बच्चा पाठक–

ईडीएल कम्पनी को कार्य करने की अनुमति दे दी गयी है । यह कार्य जल्द से जल्द शुरू होगा । जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, अगर कहीं भी किसी विभाग से कमी होगी तो तीनों विभाग बैठ करके इस समस्या को हल कर लेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

बाजपेयी जी, आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मैं सरकार को बधाई देता हूं और इस सरकार की संवेदनशीलता को देखते हुए अपना संकल्प वापस लेता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत संकल्प "इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में ठोस कचरे के निस्तारण और उससे विद्युत उत्पादन की योजना प्रदेश के सभी महानगरों में लागू की जाय ।" को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में सतही एवं भू-गर्भ जल के दोहन हेतु वैज्ञानिक और पारदर्शी जल नीति बनायी जाय" के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

श्री अधिष्ठाता–

श्री रघुवर दयाल वर्मा अनुपस्थित हैं । अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

प्रश्न यह है कि श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत संकल्प "इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश में सतही एवं भू-गर्भ जल के दोहन हेतु वैज्ञानिक और पारदर्शी जल नीति बनायी जाय ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

"इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश के काश्तकारों की अलाभकारी जोतों पर नियंत्रण लगाया जाय" के सम्बन्ध में डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह संकल्प मैंने इस प्रदेश और देश के भविष्य को दृष्टि में रखते हुए रखा है । आने वाली पीढ़ी के विषय में यदि इस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत चिन्ता नहीं करेगी तो कौन करेगा । उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे पहले भूमि सुधारों को प्रारम्भ किया गया और इसका आशय यह था कि प्रत्येक काश्तकार को इतनी जमीन अवश्य मिल जाये कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण कायदे से कर सके ।

मान्यवर, वैज्ञानिक तथ्य है कि 6 से 4 एकड़ के नीचे की जमीन अलाभकारी है । इसके लिये एक कानून बनाया गया कि छोटे चक को भाग करके नहीं बेचा जा सकता है । इसके पीछे यही दर्शन था कि अलाभकारी जोत न बने । लेकिन आज स्थिति बदल गयी है । गांवों में एक बीघे और डेढ़ बीघे की जोतें हैं और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग उनसे अपनी जीविका चला रहे हैं और उन जोतों का लाभ उनको नहीं प्राप्त हो रहा है और वह लोग उस जमीन को बेच भी नहीं सकते हैं क्योंकि वह जमीन बेचने के लिए उनको अनुमति की आवश्यकता होगी । वह अपना सारा जीवन कोल्हू के बैल की तरह काट रहे हैं और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं । इसी तरह से जो बड़ी जोत वाले लोग हैं जिनके पास 25 एकड़ जमीन है । मान लीजिये वह दो भाई हैं बंटवारा होने पर साढ़े 12 एकड़ ही जमीन एक भाई के हिस्से में आयी तो दूसरी पीढ़ी में वह जमीन बंट कर 3 एकड़ रह जायगी और अलाभकर जोत होगी । आज प्रदेश में 82 प्रतिशत जोतें अलाभकारी हैं । केवल 18 प्रतिशत जोतें लाभकारी हैं । इस खतरे को समय रहते न भांपा गया और इसका निराकरण न किया जाय तो जो हरित क्रांति के माध्यम से देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनर्भिर हो गया है वह खाद्यान्न की कमी फिर से हो जायगी । देश पर पहले पी० एल०–80 की तलवार लटका करती थी । 1964-65-66 में देश के प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को आदेश देना पड़ा कि सप्ताह में एक दिन अन्न न खायें क्योंकि देश की अस्मिता का प्रश्न था । इस देश के किसानों ने मेहनत की और खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर हो गया और आज हम विदेशों को अनाज का निर्यात कर रहे हैं । आज हमें आने वाले खतरे पर विचार करना चाहिए और इस बात का निर्णय करना चाहिए कि भविष्य में अलाभकारी जोतों की संख्या न बढ़े और एक परिवार के पास इतनी जमीन रहे जिससे वह अपनी जविका चला सके । मैं निवेदन करूंगा और सुझाव देना चाहूंगा कि किसी परिवार के पास 6, 4 एकड़ से जमीन कम न हो और उस जमीन का आगे बंटवारा न हो सके इसके लिये हमें कानून बनाना चाहिए । मैं आशा करता हूं कि जो भयावह स्थिति 20 वर्षों बाद अगली पीढ़ी के सामने आने वाली है, वह न आने पाये और अलाभकारी जोतें न बनें जिससे खाद्यान्न के मामले में देश आत्मनिर्भर बना रहे । इसलिये अलाभकारी जोतों को रोकने के लिए कठोर कानून बनाया जाय तथा जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाय ।

* श्री राम औतार शाक्य–

माज्यवर, माननीय डंग जी ने अलाभकारी जोतों के संबंध में विचार व्यक्त किये । जमींदारी एबोलीशन एक्ट के अन्तर्गत 3 1/8 एकड़ की जोत जो अलाभकारी जोत कहते हैं । अब बहुत बड़ा अहम प्रश्न यह है कि अलाभकारी जोतें बढ़ती जा रही हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि इस प्रदेश की अधिकतर आबादी कृषि पर निर्भर है । जनसंख्या बढ़ना भी अलाभकारी जोतों को जन्म देता है । आज एक परिवार में यदि 1 सदस्य है तो अगले 10 सालों में 10 सदस्य हो जायेंगे । आज जो जमीन एक आदमी के पास है वह 10 आदमी में बंट जायगी । दूसरी बात डंग साहब ने यह कही कि एक निश्चित सीमा ऐसी बंधनी चाहिए जिससे लाभकारी जोत अलाभकारी में परिवर्तित न हो । यह बड़ा मुश्किल सा लगता है कि लाभकारी जोत अलाभकारी जोत में परिवर्तित न हो। जब कोई सुस्पष्ट ऐसी नीति बने, जमीन पर आबादी का दबाव कम न हो, कुटीर उद्योग अधिक न बढ़े, व्यापार में लोग न जायं और रोजगार के अन्य क्षेत्र सृजित न हो तब तक अलाभकारी जोतों को नहीं रोका जा सकता । जहां चकबन्दी हो गयी है, चकबन्दी होने के बाद चकबन्दी अधिनियम में यह प्राविधान है कि 3 1/8 एकड़ से कम जमीन ट्रांसफर करते हैं, बेचते हैं तो फ्रेगमेन्ट माना जायेगा और वह अलाभकारी जोत हो जायेगी । कानून तो बना हुआ है 3 1/8 एकड़ से कम जमीन का बैनामा नहीं कर सकते । अगर इससे कम करेंगे तो स्टेट में निहित हो जायेगी । लेकिन भूमि सुधार अधिनियम में इस कानून के प्राविधान को सख्ती से

नोट :– * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लागू नहीं किया जाता है धारा–34 रेवेन्यू लैण्ड एक्ट के अन्तर्गत उन अलाभकारी जोतों का दाखिल खारिज हो जाता है उसमें दिक्कत कहां है, दिक्कत वहां है जो रेवेन्यू आफिसर्स निचले स्तर पर हैं उनको सजग होना चाहिए । अगर फ्रेगमेण्ट है तो दाखिल खारिज नहीं होनी चाहिए और ऐसी भूमि ग्राम सभा में वेस्ट हो जायेगी, यह प्राविधान है । आप अलाभकारी जोत को रोक नहीं सकते । चकबंदी अधिनियम में यह प्राविधान है कि अगर कोई खेत है और पड़ोसी उसके किसी हिस्से को लेना चाहता है तो पड़ोसी काश्तकार उस जमीन को ले सकता है । अगर 5 आदमी हैं और उनमें से एक आदमी अपने भाग को बेचता है तो उसका 1/5 भाग बेचना चाहता है तो कानून में प्राविधान है कि वह उस हिस्से को बेच सकता है, पूरा हिस्सा भी बेच सकता है । यह अहम सवाल है । मंशा यही है कि लाभकर जोत अलाभकर नहीं होनी चाहिए । इसमें विस्तृत अध्ययन की जरूरत है । इसमें आयोग का गठन होना चाहिए । दूसरे जो भूमि सुधार का मामला है, 40 वर्षों के अंतराल में भूमि सुधार होता है । माननीय अधिष्ठाता महोदय,आप सहमत होंगे । माननीय राजस्व मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चकबंदी प्रक्रिया की धारा–4 का प्रकाशन अगर हो गयी है तो धारा–52 की प्रक्रिया तभी होगी जब बंदोबस्त की प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी । धारा–4 के प्रकाशन के बाद धारा–52 का प्रकाशन 20 वर्ष के बाद तक नहीं होती है ।

सदन में कोरम की तरफ पीठ का ध्यान आकृष्ट किया जाना

श्री रूप चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं तो सबसे कनिष्ठ सदस्य हूं । मान्यवर, कोरम के लिए सदस्यों की कितनी संख्या होती है ? यह बतायें ।

श्री राम औतार शाक्य–

इस संकल्प को डंग साहब वापस न लें । यह बहुत ही महत्वपूर्ण है । इन सुझावों के साथ सरकार को निर्देश दें कि कोई आयोग गठित हो । आयोग गठित होकर संस्तुतियां दें ।

श्री अजय कुमार पोइया–

माननीय अधिष्ठाता जी, आप चर्चा कराये जा रहे हैं, कोरम भी तो देख लीजिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

यह बहुत ही खेद का विषय है, ऐसी चर्चाओं में कोरम का सवाल नहीं उठाया जाता ।

श्री अधिष्ठाता–

कोरम की घण्टी बजाइये ।

(कोरम की घंटी बजाई गयी और घंटी बजना बन्द होने के उपरान्त)

श्री अधिष्ठाता–

गणपूर्ति के अभाव में, मैं सदन की बैठक स्थगित करता हूं ।

अब हम दिनांक 23 अक्टूबर, 2000 को 11 बजे (पूर्वाह्न) पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 8 बजकर 12 मिनट पर सोमवार 23 अक्टूबर, 2000 को दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 20 अक्टूबर, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं०–16 का उत्तर, पीछे पृष्ठ-10-पर ।)

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2000 के पहले शुक्रवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या–16 के उत्तर में उल्लिखित बिना पार्किंग हेतु स्थान छोड़े बनाये गये अवैध काम्प्लेक्स/मल्टी स्टोरी काम्प्लेक्स की सूची :–

क्र०सं०	भवन का नाम व पता	धारा–27 में वाद दायर करने की तिथि
1	गोल्फलिंक अपार्टमेन्ट कालिदास मार्ग, लखनऊ ।	20-4-98
2	राम आसरे स्वीट हाउस शाहनजफ रोड ।	25-4-98
3	फोर्ड कार शोरूम शाहनजफ रोड ।	25-4-98
4	होटल पार्क इन 6–शाहनजफ रोड ।	29-4-98
5	सागर अपार्टमेन्ट 14–ए, जापलिंग रोड ।	02-5-98
6	त्रिवेनी मोटर्स 1–नवल किशोर रोड ।	04-5-98
7	होटल महाराना महल 1–स्टेशन रोड ।	30-6-98
8	न्यू जनपथ शापिंग सेन्टर 9–अशोक मार्ग ।	03-9-98
9	टोयटा शोरूम 4–सप्रू मार्ग ।	05-5-99
10	तलवार मोटर्स एल०आई०सी० बिल्डिंग, हजरतगंज ।	31-5-99
11	समूह आवासीय भवन 115–कबीर मार्ग ।	18-9-99
12	व्यवसायिक भवन, 21–स्टेशन रोड ।	29-10-99
13	व्यवसायिक भवन 42–कैन्ट रोड ।	10-12-99
14	व्यवसायिक भवन, 53–नवल किशोर रोड ।	21-12-99

विधान सभा प्रदेश

क्र०सं०	भवन का नाम व पता	धारा–27 में वाद दायर करने की तिथि
15	प्रिन्स काम्पलेक्स प्रिन्स थियेटर कम्पाउन्ड, हजरतगंज ।	16-2-2000
16	व्यवसायिक भवन 57–हीवेट रोड ।	02-4-98
17	ग्रान्ड होटल, 4–लालबाग ।	06-5-98
18	सिटी सेन्टर 2–चाईना बाजार रोड ।	19-5-98
19	व्यवसायिक काम्प्लेक्स 152–शिवाजी मार्ग ।	17-11-98
20	व्यवसायिक काम्प्लेक्स 102/43 "क" शिवाजी मार्ग ।	03-12-98
21	व्यवसायिक काम्प्लेक्स, 110/76 ख, नयागांव (पूर्व)	10-5-99
22	व्यवसायिक भवन न्यू मेडिसिन मार्केट, अमीनाबाद ।	05-8-2000
23	व्यवसायिक भवन 110/21 ग, मीरजान लेन, नयागांव (पूर्व)	26-7-99
24	व्यवसायिक काम्प्लेक्स 17 ए, शिवाजी मार्ग ।	02-2-99
25	व्यवसायिक काम्प्लेक्स 31–बी, लाटूश रोड ।	09-3-2000
26	व्यवसायिक काम्प्लेक्स 32/16, बाल्मीकि मार्ग ।	24-4-2000
27	व्यवसायिक काम्प्लेक्स सी–92/30, लाटूश रोड ।	06-6-2000
28	ज्योति प्लाजा, 53, ऋंगार नगर, आलमबाग ।	30-10-98 एवं 11-10-99
29	47–सी, ऋंगार नगर, आलमबाग ।	30-9-99
30	वी०आई०पी० रोड पकरी पुल के सामने ।	08-2-2000

विधान सभा

क्र०सं०	भवन का नाम व पता	धारा–27 में वाद दायर करने की तिथि
31	551झ/220, रामनगर, आलमबाग ।	10-2-2000
32	भूखण्ड संख्या–765, सरदारी खेड़ा कानपुर रोड ।	15-7-2000
33	भवन संख्या–551 झ/8 रामनगर आलमबाग पंजाब व सिन्ध बैंक के सामने ।	31-7-2000
34	भूखण्ड संख्या–3, 4 सरस्वतीपुरम, रायबरेली रोड ।	07-8-2000
35	पंजाब प्लाई हाउस बाला जी इन्क्लेव रोड ।	19-9-2000
36	श्री वेद प्रकाश गुप्ता, भ०सं०–97"ए" से 99 तक गोल मार्केट, महानगर ।	04-11-99
37	श्री दिनेश रस्तोगी, 177 फैजाबाद रोड न्यू हैदराबाद ।	27-10-99
38	श्री राधेलाल गोयल इन्ब्राब्रिज के पास फैजाबाद रोड ।	16-4-99
39	श्री अनुभव अग्रवाल श्री अंकुश अग्रवाल, 1/4 विवेक खण्ड, गोमती नगर ।	01-3-2000
40	श्री भारत भूषण भाटिया 1/8 विराम खण्ड, गोमती नगर ।	05-2-2000
41	श्री सुमित कल्सी, 5/55 गोल मार्केट महानगर ।	14-12-99
42	श्री राकेश गुप्ता देवकी नर्सिंग होम सीतापुर रोड ।	30-3-2000
43	श्रीमती शिवकुमारी सीतापुर रोड निकट डालीगंज क्रासिंग ।	11-4-2000
44	श्रीमती शशि कुमारी अवस्थी इस्लामबाड़ी दर्शनगंज गोविन्दपुर डंडइया बाजार ।	21-5-2000
45	श्री रामचन्द्र यादव बटहा सबौली टेढ़ीपुलिया कुर्सी रोड ।	28-12-99

विधान सभा सचिवालय उ०प्र०

क्र०सं०	भवन का नाम व पता	धारा–27 में वाद दायर करने की तिथि
46	मैनेजिंग डायरेक्टर एल्डिको ग्रीन गोमती नगर	20-01-2000
47	डा० आनन्द एवं वी० सिन्हा 1/242 विराम खण्ड	21-2-2000
48	श्री आर० के० शुक्ला फैजाबाद रोड, चिनहट	08-3-2000
49	श्री मुईन अहमद पिकनिक स्पाट रोड	04-8-2000
50	श्रीमती प्रभादेवी पत्नी वी० के० शर्मा 2/590 विराम खण्ड गोमती नगर	02-02-2000
51	श्री पी० के० अग्रवाल सी–11, सेक्टर "एम", अलीगंज	30-11-99

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 11 पर)

खण्ड में खोले गये अस्थाई अग्रिम का विवरण (1-1-99 से 31-8-99 तक)

1.विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, फैजाबाद

माह	धनराशि
1/99	रु० 2,37,647.09
2/99	रु० 3,25,214.85
3/99	रु० 3,15,767.63
4/99	रु० 2,39,084.33
5/99	रु० 3,01,257.31
6/99	रु० 3,31,242.53
7/99	रु० 2,49,482.04
8/99	रु० 3,71,991.52
	योग= रु० 23,71,687.30

2. विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, फैजाबाद

माह	धनराशि
1/99	रु० 2,30,990.66
2/99	रु० 7,86,838.14
3/99	रु० 1,28,645.38
4/99	रु० 2,93,058.14
5/99	रु० 1,84,985.56
6/99	रु० 2,62,734.31
7/99	रु० 3,88,574.30
8/99	रु० 3,70,371.61
	योग= रु० 26,46,198.10

उत्तर प्रदेश संसद

3.विद्युत वितरण खण्ड, अम्बेडकरनगर

माह	धनराशि
1/99	रु० 2,97,561.80
2/99	रु० 2,67,449.01
3/00	रु० 2,80,196.00
4/99	रु० 3,59,937.60
5/99	रु० 3,57,487.75
6/99	रु० 7,76,740.00
7/99	रु० 3,22,580.60
8/99	रु० 10,524.00
	योग= रु० 26,72,484.76

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–75 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर ।)

अतारांकित प्रश्न सं०–75 का संलग्नक

क्र०सं०	उपभोक्ताओं का नाम एवं पता	विधा	बकाया माह 2/2000 (रु० लाख में)	बकाये की वसूली की स्थिति				
				न्यायालय में लम्बित	विच्छेदन		धारा–5	अन्य
					अस्थाई	स्थाई	निर्गत माह	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	इण्डियन ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ऋषिकेश	औषधि	15,189.28	जी हां	हां	—	6/99	पावर कनेक्शन कटा है। कालोनी चालू है।
2	महाप्रबंधक, वाटर वर्क्स, कानपुर	वाटर वर्क्स	5,988.74	—	—	—	—	भुगतान हेतु नोटिस दी गई है।
3	सोमानी आयरन तथा स्टील लि० सोनिक, उन्नाव		4,138.00	जी हां	—	10/97	—	
4	हिन्डाल्को, पिपरी		3,140.17	जी हां	—	—	—	न्यायालय में अतिरिक्त बकाये की धनराशि का मामला कारपोरेशन के निर्णयाधीन
5	कजरहट चुनार सीमेंट प्रोजेक्ट, डाला	सीमेन्ट	2,572.76	—	10/98	—	1/2000	
6	डाला सीमेन्ट फैक्टरी, डाला	सीमेन्ट	2,112.40	—	10/98	—	1/2000	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, कानपुर	स्ट्रीट लाइट	2,016.08	—	—	—	—	भुगतान हेतु नोटिस दी गई है।
8	कजरहट चुनार सीमेंट प्रोजेक्ट, चुनार	सीमेन्ट	1,684.15	—	7/98	—	2/2000	
9	नोवा उद्योग लिमिटेड, कमालगंज	आर्क फर्नेस	1,668.82	—	11/94	—	6/99	
10	मोदी थ्रेड मिल लिमिटेड, मोदी नगर	धागा मिल	1,629.02	—	—	—	3/2000	
11	मोदी स्पीनिंग एवं विविंग मिल कम्पनी लि० ए–यूनिट	क्लाथ मिल	1,359.70	—	10/96	10/96	3/99	
12	मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रोलिंग यूनिट)	रोलिंग मिल	1,189.79	जी हां	6/99	—	3/99	
13	यू० पी० केमिकल कारपोरेशन लि०, पुरूकुलगांव		1,167.10	—	3/92	12/93	12/93	
14	एटा स्टील्स प्रा० लिमिटेड	फर्नेस	851.15	—	7/98	—	—	
15	रिमझिम इस्पात, सुमेरपुर	इन्डक्शन फर्नेस	821.95	जी हां	—	—		
16	चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी, चुर्क	सीमेन्ट	821.20	जी हां	10/98	—	1/2000	
17	महाराष्ट्र स्टील लिमिटेड, गाजियाबाद	इन्डक्शन फर्नेस	816.13	जी हां	11/93	—	—	
18	परेरहद स्टील लिमिटेड, (एस०एस०खण्ड) मक्का, चित्रकूट	रोलिंग मिल इन्डक्शन फर्नेस	718.95	—	—	—	—	किस्तें कर दी गई हैं।
19	सरस्वती स्टील एवं एलॉयज, मुजफ्फरनगर	इन्डक्शन फर्नेस	681.40	जी हां	11/92	—	9/96	
20	मोदी इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	आवासीय कालोनी	539.34	—	—	—	3/2000	

नरेश अग्रवाल,
ऊर्जा मंत्री।

पी०एस०यू०पी०–एल० 386 विधान सभा (862)–28-3-2001–813 (डी०टी०पी०)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा